खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश
वर्ष 2013–14

टैरिफ आदेश
दिनांक 23 मार्च, 2013
(हिन्दी अनुवाद)

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016

वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा खुदरा विद्युत–प्रदाय दर निर्धारण (टैरिफ) आदेश

याचिका क्रमांक 01/2013

उपस्थित :

राकेश साहनी, अध्यक्ष
ए. बी. बाजपेयी, सदस्य
आलोक गुप्ता, सदस्य

विषयः–वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, यथा मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., तथा मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से दाखिल की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ आवेदनों के आधार पर संपूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा खुदरा विद्युत प्रदाय दर का अवधारण

विषय–सूची

ए1	आदेश	9
ए2	याचिका क्र. 1/2013 के संबंध में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2013 को जारी खुदरा विद्युत दर (टैरिफ) आदेश के साथ संलग्न विस्तृत कारण तथा आधार	22
ए3	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु मध्य प्रदेश पूर्व, पश्चिम एवं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों (ईस्ट, वेस्ट तथा सेंट्रल डिस्कॉम) की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	23
	याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित विक्रयों के पूर्वानुमान की संक्षेपिका	23
	विद्युत वितरण कम्पनीवार प्रस्तुतिकरण	25
	विक्रय के संबंध में आयोग का विश्लेषण	30
	याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित किये गये ऊर्जा संतुलन एवं विद्युत क्रय	32
	याचिकाकर्ताओं द्वारा विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता का आकलन	35
	याचिकाकर्ताओं द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों की विद्युत क्रय लागत (स्थाई तथा परिवर्तनीय लागत) का आकलन	40
	याचिकाकर्ताओं द्वारा विद्युत क्रय लागत के अन्य घटकों का आकलन	44
	ऊर्जा संतुलन एवं विद्युत क्रय के संबंध में आयोग का विश्लेषण	47
	वितरण हानियां	47
	बाह्य (पीजीसीआईएल) हानियां	48
	विद्युत क्रय लागतें	65
	नेटवर्क की लागत	79
	याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण	79
	पूंजीकरण तथा निर्माण कार्य प्रगति पर	80
	परिसम्पत्ति/आस्ति के पूंजीकरण पर आयोग का विश्लेषण	81
	संचालन एवं संधारण लागतें	82
	याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण	82
	कर्मचारी व्यय	82
	प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय	85
	मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय	87
	संचालन तथा संधारण व्ययों के संबंध में आयोग का विश्लेषण	***91***
	अवमूल्यन या अवक्षयण	93
	याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण	93
	अवमूल्यन के संबंध में आयोग का विश्लेषण	95
	ब्याज तथा वित्त प्रभार	97
	याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण	97
	ब्याज तथा वित्त प्रभारों पर आयोग का विश्लेषण	101
	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	104
	याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण	104
	कार्यकारी पूंजी के ब्याज पर आयोग का विश्लेषण	105

	उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	108
	याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण	*108*
	उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप के बारे में आयोग का विश्लेषण	*109*
	पूंजी पर प्रतिलाभ	109
	याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण	109
	पूंजी पर प्रतिलाभ पर आयोग का विश्लेषण	111
	डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण	112
	याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण	112
	डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों के संबंध में आयोग का विश्लेषण	113
	अन्य विविध आय	114
	याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण	114
	अन्य आय के बारे में आयोग का विश्लेषण	114
	अनुमोदित संपूर्ण राजस्व आवश्यकता का चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि के मध्य पृथक्करण	116
	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु आयोग द्वारा स्वीकार की गई संपूर्ण राजस्व आवश्यकता	117
	पुनरीक्षित विद्युत–दरों से राजस्व की प्राप्ति	118
ए4 :	चक्रण प्रभार तथा प्रतिराज्यानुदान अधिभार	120
	''चक्रण लागत का आधार''	120
	प्रतिराज्यानुदान का अवधारण	124
ए5 :	ईंधन लागत समायोजन प्रभार	129
ए6 :	सार्वजनिक आपत्तियां तथा अनुज्ञप्तिधारियों की याचिकाओं पर टिप्पणियां	136
ए7 :	खुदरा विद्युत–दर रूपांकन	164
	कानूनी स्थिति	164
	विद्युत–दर अवधारण हेतु आयोग की कार्य पद्धति	164
	एक समान व नाम विभेदित खुदरा विद्युत–दर	164
	विद्युत प्रदाय की औसत लागत से संबद्धता	165
ए8 :	*वित्तीय वर्ष 2012–13 के टैरिफ आदेश का परिपालन*	171
	नवीन दिशा–निर्देश	197
	परिशिष्ट –1 (आपत्तिकर्ताओं की सूची)	199
	परिशिष्ट–2 {निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु विद्युत–दर (टैरिफ)}	204
	परिशिष्ट–3 {उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु विद्युत–दर (टैरिफ)}	238

तालिका–सूची

संख्या क्र.	विवरण	पृष्ठ संख्या
तालिका 1:	याचिका का परिदृश्य	11
तालिका 2:	प्रस्तावित विद्युत–दर (टैरिफ) में वृद्धि के कारण अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति	12
तालिका 3:	राजस्व अन्तर की प्रस्तावित वसूली	12
तालिका 4:	जन–सुनवाईयां	13
तालिका 5:	विनियमों के अनुसार वितरण हानि कम किये जाने संबंधी प्रक्षेपण	14
तालिका 6:	दिनांक 31.12.2012 की स्थिति में संभरक मीटरीकरण की प्रगति	15
तालिका 7:	अमीटरीकृत ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं/कृषि वितरण ट्रांसफार्मरों की अद्यतन स्थिति	15
तालिका 8:	आयोग द्वारा अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का सारांश	18
तालिका 9:	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता पर सत्यापन/ अन्तिम आदेशों का वित्तीय प्रभाव	19
तालिका 10:	पुनरीक्षित विद्युत–दरों के अनुसार अन्तिम सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा राजस्व की प्राप्ति	20
तालिका 11:	विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा प्रस्तावित किये गये विक्रय प्रक्षेपण	24
तालिका 12:	विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा प्रस्तावित किये गये श्रेणीवार विक्रय प्रक्षेपण	24
तालिका 13:	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा संतुलन	33
तालिका 14:	दाखिल किये गये मासिक हानि प्रतिशत	34
तालिका 15:	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु दाखिल की गई क्षमता वृद्धि योजना	35
तालिका 16:	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा दाखिल की गई एक्स–बस ऊर्जा उपलब्धता	37
तालिका 17:	केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत उत्पादक स्टेशनों से संबंधित केविनिआ टैरिफ आदेश	40
तालिका 18:	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु विद्यमान स्टेशनों हेतु दाखिल की गई स्थाई लागत तथा परिवर्तनीय लागत	42
तालिका 19:	भविष्यगामी क्षमताओं हेतु लागत	43
तालिका 20:	पीजीसीआईएल लागतें अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार	44
तालिका 21:	विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु दाखिल किये गये राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार	45
तालिका 22:	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु दाखिल किये गये एमपीपीएमसीएल के व्यय	46
तालिका 23:	विद्युत वितरण कम्पनियों को आवंटित की गई एमपीपीएमसीएल लागतें	46
तालिका 24:	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु दाखिल की गई कुल विद्युत प्रदाय लागत	47
तालिका 25:	विनियमों के अनुसार हानि के लक्ष्य (प्रतिशत में)	48
तालिका 26:	विद्युत क्रय की आवश्यकता की गणना	49
तालिका 27:	विद्युत वितरण कंपनियों को स्टेशनवार क्षमता आवंटन (प्रतिशत में)	50

तालिका 28:	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु एमपीपीएमसीएल को आवंटित विद्युत उत्पादक स्टेशन	51
तालिका 29:	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु मिलियन यूनिट विद्युत उपलब्धता के प्रक्षेपण	53
तालिका 30:	विद्युत की उपलब्धता तथा आवश्यकता	56
तालिका 31:	विद्युत वितरण कंपनियों को स्टेशनवार क्षमता आवंटन	57
तालिका 32:	विद्युत वितरण कंपनियों की स्टेशनवार उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	58
तालिका 33:	सुयोग्यता क्रम	60
तालिका 34:	सुयोग्यता क्रम प्रेषण पर विचारोपरांत स्टेशनवार उपलब्धता	61
तालिका 35:	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु एमपीपीएमसीएल को आवंटित स्टेशनों से सुयोग्यताक्रम प्रेषण	63
तालिका 36:	आवश्यकता, उपलब्धता तथा कमी (मिलियन यूनिट में)	64
तालिका 37:	ताप विद्युत उत्पादक स्टेशनों हेतु स्थाई लागत आदेश संदर्भ	65
तालिका 38:	न्यूनतम क्रय आबन्ध	67
तालिका 39:	एमपीपीएमसीएल संयन्त्रों हेतु स्थाई तथा परिवर्तनीय प्रभारों का आधार	68
तालिका 40:	विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य स्थाई लागत का आवंटन	72
तालिका 41:	स्टेशनवार स्वीकृत की गई परिवर्तनीय लागत	73
तालिका 42:	एमपीपीएमसीएल आवंटित विद्युत उत्पादक स्टेशनों को कुल मिलियन यूनिट प्रेषण तथा इसकी लागत	75
तालिका 43:	विद्युत वितरण कम्पनियों को अनुज्ञेय किये गये पीजीसीआईएल प्रभार	75
तालिका 44:	आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु स्वीकृत किये गये एमपीपीटीसीएल प्रभार	76
तालिका 45:	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु स्वीकृत की गई कुल विद्युत क्रय लागत	77
तालिका 46:	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु समुच्चय विद्युत क्रय लागत	78
तालिका 47:	पूंजी निवेश योजना	80
तालिका 48:	विद्युत वितरण कम्पनीवार तथा वर्षवार पूंजीकरण तथा निर्माण कार्य प्रगति पर का द्विभाजन	80
तालिका 49:	वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान परिसम्पत्ति का पूंजीकरण	81
तालिका 50:	वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण	82
तालिका 51:	जीवनांकिकी से उद्भूत दायित्व के भविष्यगामी अंशदान	88
तालिका 52:	सेवान्त प्रसुविधाओं की गणना	89
तालिका 53:	विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु सेवान्त प्रसुविधाओं के दायित्वों की गणना	89
तालिका 54:	विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु सेवान्त प्रसुविधाएं (नगद बाह्य प्रवाह)	90
तालिका 55:	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु संचालन एवं संधारण व्यय	90
तालिका 56:	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु स्वीकार किये गये कर्मचारी व्यय	92
तालिका 57:	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु स्वीकार किये गये प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	92
तालिका 58:	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु स्वीकार किये गये मरम्मत तथा अनुरक्षण	93

	व्यय	
तालिका 59:	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु स्वीकार किये गये संचालन एवं संधारण व्यय	93
तालिका 60:	विनियमों के अनुसार अवमूल्यन/अवक्षयण	94
तालिका 61:	अवमूल्यन	97
तालिका 62:	विनियम के अनुसार ब्याज लागत	98
तालिका 63:	विनियम के अनुसार ब्याज लागत	98
तालिका 64:	विनियम के अनुसार ब्याज लागत	99
तालिका 65:	अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार ब्याज लागत	100
तालिका 66:	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु स्वीकार किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार	103
तालिका 67:	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु दाखिल किया गया कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	105
तालिका 68:	आयोग द्वारा स्वीकार किया गया कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	107
तालिका 69:	विनियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	109
तालिका 70:	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर स्वीकृत ब्याज	109
तालिका 71:	पूंजी पर प्रतिलाभ	110
तालिका 72:	अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार पूंजी पर प्रतिलाभ	111
तालिका 73:	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु पूंजी पर प्रतिलाभ	112
तालिका 74:	विनियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण का विवरण	113
तालिका 75:	अन्य आय	114
तालिका 76:	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु स्वीकृत की गई अन्य आय	115
तालिका 77:	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता पर सत्यापन/अन्तिम आदेशों का प्रभाव	115
तालिका 78:	आयोग द्वारा अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का सारांश	116
तालिका 79:	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु आयोग द्वारा स्वीकार की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (चक्रण तथा खुदरा गतिविधि हेतु)	117
तालिका 80:	वित्तीय वर्ष 2013–14 में पुनरीक्षित विद्युत–दर (टैरिफ) से राजस्व की प्राप्ति	118
तालिका 81:	अन्तिम सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा पुनरीक्षित विद्युत–दरों से राजस्व की प्राप्ति	119
तालिका 82:	परिसम्पत्ति मूल्य का चिन्हांकन	121
तालिका 83:	ट्रांसफार्मर वोल्टेज स्तर पर कुल लागत	121
तालिका 84:	वोल्टेज के प्रत्येक स्तर पर नेटवर्क के मूल्यांकन का चिन्हांकन	122
तालिका 85:	विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर नेटवर्क के व्ययों (चक्रण लागतों) की कुल लागत का चिन्हींकरण	122
तालिका 86:	वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं हेतु चक्रण लागत का आवंटन	123
तालिका 87:	चक्रण प्रभार	123
तालिका 88:	शीर्ष तीन प्रतिशत अर्थात् 1743 मिलियन यूनिट विद्युत क्रय की लागत	126
तालिका 89:	वोल्टेजवार हानिस्तर	127

तालिका 90:	पारेषण प्रभार	127
तालिका 91:	परिदृश्यवार लागत	128
तालिका 92:	श्रेणीवार औसत विद्युत–दर	128
तालिका 93:	ईंधन लागत समायोजन प्रभार हेतु प्रपत्र	133
तालिका 94:	मानदण्डीय हानियां–पीजीसीआईएल, एमपीटीसीएल तथा विवरण हानियों के संबंध में	134
तालिका 95:	प्राप्त की गई आपत्तियों की संख्या	136
तालिका 96:	आयोजित की गई जन–सुनवाईयां	136

ए 1: आदेश

(आज दिनांक 23 मार्च, 2013 को पारित किया गया)

1.1 यह आदेश मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इन्दौर तथा मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, भोपाल (जिन्हें एतद् पश्चात वैयक्तिक रूप से पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, तथा मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी एवं सामूहिक रूप से ''विद्युत वितरण कंपनियां'' या ''वितरण अनुज्ञप्तिधारी'' या ''अनुज्ञप्तिधारी'' या ''याचिकाकर्ता'' संबोधित किया गया है), तथा मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर {जिसे एतद् पश्चात् एमपीपीएमसीएल अथवा विद्युत वितरण कम्पनियों के साथ याचिकाकर्ता संबोधित किया गया है} द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (जिसे एतद् पश्चात ''मप्रविनिआ'' या ''आयोग'' संबोधित किया गया है) के समक्ष दायर की गई याचिका क्रमांक 01, वर्ष 2013 से संबंधित है। यह याचिका मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्ते एवं प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2012 {आरजी–35(I), वर्ष 2012} (जिन्हें एतद् पश्चात् टैरिफ विनियम संदर्भित किया गया है), की अर्हताओं के अनुसार दाखिल की गई है।

1.2 टैरिफ विनियमों के अनुसार, राज्य के विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु उनसे संबंधित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर) एवं टैरिफ याचिका(ओं) प्रस्ताव(ों) को अन्तिम तिथि दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तक दाखिल किये जाने की अपेक्षा की गई थी। तदनुसार, आयोग ने पत्र दिनांक एक दिसम्बर, 2012 द्वारा विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों तथा मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड, (एमपीपीएमसीएल) को वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा खुदरा विद्युत–प्रदाय दर संबंधी याचिका टैरिफ विनियमों के अनुसार दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तक दाखिल करने हेतु निर्देश दिये। एमपीपीएमसीएल ने पत्र दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 द्वारा यह उल्लेख करते हुए कि अनुमोदित विनियमों के प्रपत्र पूर्व विनियमों से भिन्न हैं तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को अपनी सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता को अंतिम रूप देने हेतु अतिरिक्त समय की आवश्यकता है, उनके द्वारा अतिरिक्त 15 दिवस की समयावृद्धि चाही गई। आयोग ने किये गये अनुरोध पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए निर्देश दिये कि याचिका 31 दिसम्बर, 2012 तक दाखिल कर दी जाए। इस प्रकार, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण

कम्पनी, तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी तथा एमपीपीएमसीएल ने वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा खुदरा विद्युत–प्रदाय दर के अवधारण हेतु अपनी संयुक्त याचिका (क्रमांक 01/2013) दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को दायर की गई।

1.3 याचिका पर समावेदन सुनवाई (Motion Hearing) दिनांक 5 फरवरी, 2013 को आयोजित की गई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से उनके प्रतिनिधियों द्वारा याचिका की मुख्य विशिष्टताएं प्रस्तुत की गईं। आयोग द्वारा याचिका को अपने आदेश दिनांक 5 फरवरी, 2013 के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया तथा निम्न समयबद्ध आदेश भी जारी किये गयेः–

i. कथित आदेश के परिशिष्ट में चाही गई जानकारी/औचित्य/आंकड़े अन्तिम रूप से दिनांक 15 फरवरी, 2013 तक विवरण/अभिलेख, जहां कहीं वे आवश्यक हों, प्रस्तुत किये जाएं ;

ii. हितधारकों से विषयवस्तु याचिका पर आपत्तियों/टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त किये जाने के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने वाली सार्वजनिक सूचना का प्रारूप हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में अन्तिम रूप से दिनांक 7 फरवरी, 2013 तक प्रस्तुत कर दिया किया जाए ; तथा

iii. याचिका के अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करणों की प्रतियां विक्रय हेतु दिनांक 8 फरवरी, 2013 तक सार्वजनिक सूचना में उल्लेखित कार्यालयों में निश्चित रूप से तैयार रखी जाएं।

1.4 इसके अतिरिक्त, आयोग द्वारा याचिका से संबंधित विषयों पर चर्चा तथा याचिका के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण की प्राप्ति हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों तथा एमपीपीएमसीएल के प्रबन्ध संचालकों तथा अधिकारियों के साथ एक बैठक दिनांक 5 फरवरी, 2013 को आयोजित की गई।

1.5 सार्वजनिक सूचनाएं, जिनमें विद्युत–दर (टैरिफ) आवेदनों तथा विद्युत–दर प्रस्तावों के सार (gist) शामिल थे, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा हिन्दी तथा अंग्रेजी समाचार–पत्रों में दिनांक 7 फरवरी, 2013 को प्रकाशित किये गये। हितधारकों से उनकी

टिप्पणियां/सुझाव/आपत्तियां दिनांक 28 फरवरी, 2013 तक प्रस्तुत किये जाने का अनुरोध भी किया गया।

1.6 आयोग द्वारा लिखित आपत्तियां प्राप्त की गई हैं जिनके विवरण इनके विश्लेषण के साथ इस आदेश के अध्याय ''ए–6 : सार्वजनिक आपत्तियां तथा अनुज्ञप्तिधारियों की याचिकाओं पर टिप्पणियां'' में दिये गये हैं।

1.7 वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान, इस आदेश के माध्यम से अवधारित नवीन विद्युत–दर (टैरिफ) दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक लागू रहेगी।

1.8 प्रस्तुत की गई याचिका का सार निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 1 : याचिका का परिदृश्य **(करोड़ रूपये में)**

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं
विद्युत के विक्रय से राजस्व की प्राप्ति	5841.09	8009.37	6150.86
गैर–टैरिफ आय	68.43	65.06	46.23
सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	7103.36	9445.01	7671.30
वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु आय तथा व्यय में राजस्व का अन्तर	**1262.27**	**1435.65**	**1520.44**

1.9 याचिका के सूक्ष्म परीक्षण के दौरान, विद्युत के विक्रय, क्रय तथा अन्य सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता मदों के संबंध में प्रस्तुत की गई जानकारी में कुछ कमियां भी परिलक्षित हुईं। मध्य क्षेत्र विवि कम्पनी ने पत्र दिनांक 19 जनवरी, 2013 के माध्यम से इस विषय में अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत की। याचिकाकर्ताओं ने तत्पश्चात 19 फरवरी, 2013 को अतिरिक्त आंकड़े भी प्रस्तुत किये। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण को दृष्टिगत रखते हुए तथा आयोग के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर आयोग ने वित्तीय वर्ष 2013–14 की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण की कार्यवाही प्रारंभ की।

1.10 पूर्व, पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु क्रमशः रू. 1262.27 करोड़, रू. 1435.65 करोड़ तथा रू. 1520.44 करोड़ का राजस्व अन्तर (Revenue Gap) प्रक्षेपित किया गया है। याचिका में स्पष्ट किया गया है कि राजस्व अन्तर में पूर्व वर्षों की सत्यापन लागतों तथा टर्मिनल बेनीफिट ट्रस्ट फण्ड हेतु पूर्व देयता के कारण अंशदान को शामिल नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने विद्युत–दर (टैरिफ) में प्रस्तावित वृद्धि के कारण अतिरिक्त अनुमानित राजस्व की गणना भी प्रस्तुत की है। याचिकाकर्ताओं ने तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के शेष बचे हुए राजस्व अन्तर,

जिसकी वसूली नहीं की जा सकी है, को विनियामक आस्ति (Regulatory Asset) माने जाने का अनुरोध किया है तथा इसे वित्तीय वर्ष 2014–15 से प्रारंभ करते हुए तीन वर्षों की अवधि में प्रत्युत्सर्जित किये जाने (amortize) का निवेदन भी किया है। प्रस्तावित विद्युत–दर के कारण अतिरिक्त अनुमानित राजस्व को निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

तालिका 2 : प्रस्तावित विद्युत–दर (टैरिफ) में वृद्धि के कारण अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति

(करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं
विद्यमान विद्युत–दर के अनुसार कुल राजस्व की प्राप्ति	5841.09	8009.37	6150.86
प्रस्तावित विद्युत–दर के अनुसार कुल राजस्व की प्राप्ति	6262.74	8609.05	6703.21
प्रस्तावित विद्युत–दर में वृद्धि के अनुसार अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति	421.65	599.69	552.35

तालिका 3 : राजस्व अन्तर की प्रस्तावित वसूली (करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं
कुल राजस्व अन्तर	1262.27	1435.65	1520.44
प्रस्तावित विद्युत–दर (टैरिफ) पुनरीक्षण के कारण राजस्व में वृद्धि	421.65	599.69	552.35
प्रस्तावित विनियामक आस्तियां	840.62	835.96	968.10

विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु एक समान खुदरा विद्युत–दरें (Uniform Retail Tariffs across Discoms)

1.11 मध्य प्रदेश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान यह सूचित किया गया था कि निकट भविष्य में प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी हेतु विद्युत–दरें एक समान ही रखी जानी चाहिए। मप्र सरकार ने अपने पत्र क्रमांक 2150/13/2013 दिनांक 14 मार्च, 2013 द्वारा सूचित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2013–2014 के दौरान भी प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी हेतु एक समान विद्युत–दरें रखी जाएं। आयोग ने अपने जारी पत्र क्रमांक एमपीईआरसी/आरई/ 2013/842 दिनांक 14 मार्च 2013 के माध्यम से मप्र शासन को वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु विद्यमान तथा नवीन विद्युत उत्पादन क्षमताओं को विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य पुनर्आवंटित किये जाने का अनुरोध किया ताकि मप्र शासन के उपरोक्त कथित आशय को प्रभावशली बनाया जा सके। तद्नुसार, मप्र शासन ने

अपने पत्र क्रमांक 2254/13/ 13/02 दिनांक 19 मार्च, 2013 के माध्यम से विद्युत उत्पादन क्षमताओं को पुनरीक्षित कर दिया गया है।

राज्य सलाहकार समिति (State Advisory Committee)

1.12 आयोग ने दिनांक 27 फरवरी, 2013 को राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ प्राप्त की गई याचिका के बारे में परामर्श प्राप्त किये जाने के उद्देश्य से एक बैठक भी आयोजित की। इस याचिका पर सदस्यों ने कई बहुमूल्य सुझाव प्रस्तुत किये जिन पर आयोग ने वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/विद्युत–दर का अवधारण करते समय यथोचित विचार किया है।

जन–सुनवाई (Public Hearing)

1.13 आयोग द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2013 को राज्य में प्रकाशित विभिन्न समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से इच्छुक हितधारकों को याचिका पर जनसुनवाईयों में उनके विचार प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया गया।

1.14 विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा दायर की गई टैरिफ याचिकाओं पर आयोग द्वारा जन सुनवाईयों का आयोजन जबलपुर, भोपाल तथा इन्दौर में किया गया। ये जन सुनवाईयां निम्न तिथियों को आयोजित की गईं :

तालिका 4 : जन–सुनवाईयां

स.क्रं	विद्युत वितरण कम्पनी का नाम	सार्वजनिक सुनवाई स्थल तथा दिनांक	जन सुनवाई की तिथि
1.	मप्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर	तरंग आडिटोरियम शक्ति जबलपुर	2 मार्च, 2013
2.	मप्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल	आडिटोरियम, मप्र प्रशासन अकादमी, 1100 क्वार्टर, भोपाल	5 मार्च, 2013
3	मप्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, इन्दौर	सन्तोष सभागृह, चरक अस्पताल परिसर, रानी सती गेट मन्दिर के समीप, यशवन्त निवास मार्ग इन्दौर	8 मार्च, 2013

1.15 आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि विधि के अनुसार अपेक्षित विधिसम्मत प्रक्रिया, जिसके माध्यम से पारदर्शिता तथा जनसहभागिता सुनिश्चित की जा सके, प्रत्येक चरण में सतर्कतापूर्वक अनुसरण की जाए तथा इस प्रकार समस्त व्यक्तियों को इस विषय में उनके द्वारा अपनी टिप्पणियां तथा सुझाव दाखिल करने का समुचित अवसर प्रदान किया है।

1.16 इस आदेश को अंतिम रूप देते समय आयोग ने हितधारकों से प्राप्त की गई समस्त टिप्पणियों/आपत्तियों/सुझावों के अलावा उपरोक्त जनसुनवाईयों के दौरान प्राप्त सुझावों पर भी यथोचित विचार किया है।

वितरण हानियां (Distribution Losses)

1.17 आयोग ने हितधारकों तथा विद्युत वितरण कम्पनियों के साथ यथोचित परामर्श उपरांत वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु विद्युत वितरण टैरिफ हेतु बहुवर्षीय टैरिफ विनियमों को अधिसूचित करते समय उपभोक्ताओं के साथ–साथ विद्युत वितरण कम्पनियों के हितसंवर्धन को दृष्टिगत रखते हुए, हानि प्रक्षेपण (Loss Trajectory) प्रस्तुत किया था। विनियमों में निर्दिष्ट किये गये वितरण हानि कम किये जाने संबंधी प्रक्षेपण निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका 5 : विनियमों के अनुसार वितरण हानि कम किये जाने संबंधी प्रक्षेपण

विद्युत वितरण कम्पनी का नाम	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2014–15	वित्तीय वर्ष 2015–16
पूर्व क्षेविवि कम्पनी	**23%**	20%	18%
पश्चिम क्षेविवि कम्पनी	**20%**	18%	16%
मध्य क्षेविवि कम्पनी	**23%**	21%	19%

ऊर्जा लेखांकन एवं मीटरीकरण (Energy Accounting & Meterisation)

1.18 वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 के टैरिफ आदेशों में आयोग ने ऊर्जा लेखांकन तथा मीटरीकरण के महत्व पर जोर दिया था। इन आदेशों में विभिन्न स्तरों पर, जैसे कि उपकेन्द्रों, वितरण संभरकों व वितरण ट्रांसफार्मरों के साथ–साथ उपभोक्ता छोर पर उचित ऊर्जा लेखांकन तथा ऊर्जा वितरण हानियों, यथा तकनीकी एवं अन्य हानियों के वास्तविक स्तर के संबंध में आवश्यकता विद्युत वितरण कम्पनियों के स्तर पर प्रतिपादित की गई थी। विद्युत वितरण कम्पनियों को हानि कम किये जाने संबंधी समुचित रणनीतियां तथा योजनाएं तैयार करने तथा उन्हें क्रियान्वयन करने संबंधी निर्देश भी प्रसारित किये गये थे। वितरण प्रणाली के विभिन्न स्तरों, जैसे कि संभरक (feeder)/वितरण ट्रांसफॉर्मर मीटरीकरण, हानियों की रोकथाम के संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु उच्च हानि के क्षेत्रों की खोजबीन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। तथापि, आयोग ने गहरे खेद के साथ संज्ञान में लिया है कि पूर्व वर्षों के दौरान इस दिशा में विशेष प्रगति नहीं हो पाई है जबकि संभरक मीटरीकरण कार्यक्रम में कुछ

प्रगति अवश्य दृष्टिगोचर होती है, जहां तक कृषि वितरण ट्रांसफार्मरों तथा व्यक्तिगत अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों का मीटरीकरण किया जाना अभी भी अपेक्षित है। माह दिसम्बर 2012 तक प्रस्तुत नियतकालिक प्रतिवेदनों के अनुसार अमीटरीकृत संयोजनों तथा कृषि बहुल वितरण ट्रांसफर्मरों की मीटरीकरण की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार हैः

तालिका 6 : दिनांक 31.12.2012 की स्थिति में संभरक मीटरीकरण की प्रगति (करोड़ रूपये में)

सरल क्रमांक	विवरण	मध्य क्षेविविकं		पश्चिम क्षेविविकं		मध्य क्षेविविकं	
		33 केवी संभरक	11 केवी संभरक	33 केवी संभरक	11 केवी संभरक	33 केवी संभरक	11 केवी संभरक
1	ऊर्जा अंकेक्षण के कुल बिन्दुओं की संख्या	1270	3028	2249	4418	1501	3192
2	ऐसे संभरकों की संख्या जिनमें ऊर्जा अंकेक्षण मीटरीकरण व्यवस्था उपलब्ध कराई जा चुकी है	1168	2518	1880	3251	1501	3192
3	ऐसे संभरकों की संख्या जिनमें ऊर्जा अंकेक्षण मापयन्त्र दोषपूर्ण स्थिति में है	51	116	430	1210	निरंक	निरंक
4	ऐसे संभरकों की संख्या जिन पर ऊर्जा अंकेक्षण मीटरीकरण व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना अभी भी शेष है	102	510	369	1167	निरंक	निरंक

तालिका 7 : अमीटरीकृत ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं/कृषि वितरण ट्रांसफार्मरों की अद्यतन स्थिति

क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	घरेलू (ग्रामीण)			कृषि वितरण ट्रांसफार्मर		
	संयोजनों की कुल संख्या	अमीटरीकृत संयोजनों की संख्या	अमीटरीकृत संयोजनों का प्रतिशत	कृषि बाहुल्य वितरण ट्रांसफार्मरों की संख्या	वितरण ट्रांसफार्मरों की संख्या जिन पर मीटर स्थापित किये गये हैं	वितरण ट्रांसफार्मरों का प्रतिशत जिन पर मीटर स्थापित किये गये हैं
पूर्व	1781883	902041	50.62%	60531	410	0.68%
पश्चिम	1534806	285870	18.63%	74161	16204	21.85%
मध्य	1072223	356346	33.23%	76896	12505	16.26%
राज्य का योग	**4388912**	**1544257**	**35.19%**	**211588**	**29119**	**13.76%**

1.19 आयोग इस तथ्य से अवगत है कि शत–प्रतिशत मीटरीकरण को लेकर, विशेषकर कृषि उपभोक्ताओं की वृहद संख्या को दृष्टिगत रखते हुए वैयक्तिक मीटरीकरण के क्षेत्र में व्यावहारिक समस्याएं हैं। अतएव, आयोग बारम्बार समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों को कृषि भार वितरण ट्रांसफार्मरों के मीटरीकरण के कार्य में प्रगति में वृद्धि किये जाने संबंधी निर्देश देता चला आ रहा था। आयोग द्वारा निर्देश दिये गये थे कि कृषि भार से संव्यवहार करने वाले समस्त वितरण ट्रांसफार्मरों को एक अंतरिम व्यवस्था के बतौर, जब तक समस्त वैयक्तिक कृषि संयोजनों पर मीटर स्थापित नहीं कर दिये जाते, माह मार्च 2012 तक मीटरीकृत कर दिया जाए। यह प्रगति भी काफी असन्तोषजनक है। आयोग का यह दृढ़ मत है कि समस्त उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत रूप से मीटरीकृत या फिर कम से कम कृषि उपभोक्ताओं का मीटरीकरण समूह आधार पर पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। घरेलू तथा कृषि उपभोक्ताओं के बारे में बिलिंग की वर्तमान मानदण्डीय खपत पद्धति उपभोक्ताओं को ऊर्जा बचत करने हेतु किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन प्रदान नहीं करती है।

1.20 राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु कृषि पम्पों का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त दर भुगतान योजना (Flat Rate Payment Scheme) लागू किये जाने की घोषणा की है। इस योजना के अन्तर्गत उपभोक्ताओं द्वारा वर्ष में दो बार माह अप्रैल तथा अक्टूबर माह में प्रति अश्वशक्ति अग्रिम भुगतान किये जाने का प्रावधान किया गया है तथा अवशेष राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा सहायतानुदान (Subsidy) के रूप में किया जाएगा। इस योजना में अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं को भी शामिल किया गया है। योजना की इन विशिष्टताओं को ध्यान में रखकर यह सुनिश्चित किये जाने के लिये कि कृषि उपभोक्ताओं को प्रदाय की जा रही विद्युत का मापन किया जा सके तथा इसका उचित ऊर्जा अंकेक्षण (energy audit) किया जाना संभव हो सके, यह अत्यावश्यक हो गया है कि विद्युत वितरण कम्पनियां कृषि बाहुल्य वितरण ट्रांसफर्मरों पर शीघ्रतापूर्वक मापयन्त्रों को उपलब्ध करायें।

1.21 आयोग ने विद्युत वितरण कम्पनियों तथा एमपीपीएमसीएल के प्रबन्ध संचालकों तथा अधिकारियों की एक बैठक दिनांक 5 फरवरी, 2013 की आयोजित की। इस बैठक में आयोग द्वारा इन कम्पनियों से संभरकों (फीडरों)/कृषि वितरण ट्रांसफर्मरों तथा अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों के मीटरीकरण की योजना के विवरण चाहे गये। इस संबंध में याचिकाकर्ताओं ने सूचित किया कि शत प्रतिशत मीटरीकरण का लक्ष्य माह मार्च, 2014 के अन्त तक प्राप्त कर लिया जाएगा। इसकी पुष्टि तत्पश्चात् दिनांक 19 फरवरी,

2013 को उनके प्रस्तुतिकरण में भी की गई। आयोग ने यह भी पाया कि शहरी क्षेत्रों में तत्समय लगभग 20,000 अमीटरीकृत संयोजन थे। याचिकाकर्ताओं ने बैठक में यह निवेदन भी किया कि इन संयोजनों पर शीघ्र मापयन्त्र स्थापित कर दिये जाएंगे। आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों को निर्देश देता है इस कार्य को माह जून, 2013 तक पूर्ण कर लिया जाना चाहिए तथा संभरकों, कृषि वितरण ट्रांसफर्मरों तथा ग्रामीण अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों के प्रकरणों में यह कार्य माह मार्च, 2014 के अन्त तक पूर्ण कर लिया जाना चाहिए।

1.22 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा याचिका दायर किये जाने के पश्चात् आयोग ने प्रस्तुत किये गये अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण का भी अवलोकन किया है तथा वस्तुस्थिति को यथोचित संज्ञान में लिया है। तथापि, आयोग ने युक्तियुक्त जांच के दौरान यथोचित लागतों पर विनियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार ही विचार किया है।

चक्रण प्रभार तथा प्रतिराज्यानुदान अधिभार (Wheeling Charges and Cross Subsidy Surcharge)

1.23 खुली पहुंच उपभोक्ताओं हेतु चक्रण प्रभारों तथा प्रति राज्यानुदान प्रभारों पर अध्याय–ए4 ''चक्रण प्रभार तथा प्रतिराज्यानुदान अधिभार'' के अन्तर्गत विचार किया गया है।

खुली पहुंच (Open Access)

1.24 आयोग को यह जानकर घोर निराशा हुई है कि वितरण कम्पनियां एक मेगावाट तथा इससे अधिक आवश्यकता वाले लघु–अवधि खुली पहुंच के उपभोक्ताओं के आवेदनों पर अर्कमण्यता तथा उदासीनतापूर्वक संव्यवहार कर रही हैं। आयोग यहां पर यह सुस्पष्ट कर देना चाहता है कि एक मेगावाट तथा इससे अधिक की आवश्यकता वाले प्रत्येक उपभोक्ता को उसके द्वारा निर्धारित किये गये समय पर तथा अवधि के अनुसार विद्युत प्राप्ति का अधिकार है। इस संबंध में विद्युत आपूर्ति के संबंध में किसी खुली पहुंच हेतु आवेदन पर विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा पहुंचाई गई किसी बाधा या अन्यथा भी प्रकट की गई किसी प्रकार की हिचकिचाहट पर सख्ती से कार्यवाही की जाएगी।

विद्युत वितरण कम्पनियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (Aggregate Revenue Requirement of Discoms)

1.25 आयोग ने समग्र रूप से सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का आकलन किया है तथा राजस्व अन्तर को पाटने के प्रयोजन से विभिन्न श्रेणियों हेतु खुदरा विद्युत प्रदाय की

विद्युत–दरों का पुनरीक्षण किया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा पुनरीक्षित विद्युत–दरों के निर्धारण (Tariffs) से प्राप्त होने वाले राजस्व को विस्तृत आदेश के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।

1.26 वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु, आयोग द्वारा वर्तमान आदेश में अवधारित राज्य के तीनों वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का सार (Gist) निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 8: आयोग द्वारा अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का सारांश

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	**क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी**			
	पूर्व	**पश्चिम**	**मध्य**	**योग**
विद्युत क्रय लागत (एमपीपीएमएल लागत को सम्मिलित करते हुए)	3914.03	6467.14	4401.49	**14782.66**
पीजीसीआईएल प्रभार	205.05	262.53	218.42	**686.00**
ट्रांसको (एमपीपीटीसीएल) प्रभार, सेवान्त प्रसुविधाओं को सम्मिलित करते हुए	496.03	563.11	540.71	**1599.85**
राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार (SLDC Charges)	3.02	3.09	3.18	**9.29**
संचालन तथा संधारण लागत (O&M Cost)	852.15	792.89	746.91	**2391.95**
अवक्षयण या अवमूल्यन (Depreciation)	65.16	91.41	83.80	**240.37**
परियोजना ऋणों पर ब्याज (Interest on Project Loans)	129.68	102.63	133.61	**365.92**
पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity)	168.16	167.52	174.14	**509.83**
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (Interest on Working Capital)	0.00	0.00	0.00	**0.00**
डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण (Bad and Doubtful Debts)	1.00	1.00	1.00	**3.00**
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज (Interest on Consumer Security Deposit)	49.35	52.25	47.95	**149.55**
मप्रविनिआ शुल्क (MPERC Fees)	0.48	0.67	0.51	**1.66**
घटायें : अन्य आय–खुदरा तथा चक्रण (Retail & Wheeling)	-162.51	-229.23	-333.61	**-725.35**
वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	5721.60	8275.01	6018.11	**20014.72**
जोड़ें : सत्यापन राशियों का प्रभाव	**177.44**	**215.88**	**191.22**	**584.54**
वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु कुल सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	**5899.04**	**8490.89**	**6209.33**	**20599.26**
चालू विद्युत–दरों के अनुसार राजस्व की प्राप्ति	5855.94	8420.11	6164.80	**20440.85**
चालू विद्युत–दरों के अनुसार राजस्व अन्तर	43.10	70.78	44.53	**158.41**

1.27 आयोग ने राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की वित्तीय वर्ष 2013–14 की संपूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा विद्युत–दरों का अवधारण विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट हानि प्रक्षेपण (loss trajectory) के आधार पर किया है।

1.28 वित्तीय वर्ष 2012–13 के खुदरा विद्युत–प्रदाय विद्युत–दर आदेश (Retail Supply Tariff Order) जारी होने के बाद, आयोग ने विद्युत उत्पादन कम्पनियों तथा विद्युत पारेषण कम्पनियों के प्रकरण में निम्न टैरिफ आदेश जारी किये हैं, जिसके परिणामस्वरूप विद्युत वितरण कम्पनियों पर रू. 584.54 करोड़ का वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। इन कम्पनियों को वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान विद्युत वितरण कम्पनियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता से उक्त राशियों की वसूली बाबत अनुमति प्रदान की गई है।

तालिका 9: वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता पर सत्यापन/अन्तिम आदेशों का वित्तीय प्रभाव

सरल क्रमांक	विवरण	प्रभाव
1	वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एमपीपीटीसीएल के विद्युत पारेषण टैरिफ के सत्यापन का वित्तीय प्रभाव	563.95
2	वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु एमपीपीजीसीएल के विद्युत उत्पादन टैरिफ के सत्यापन का वित्तीय प्रभाव	-190.64
3	याचिका क्रमांक 59, वर्ष 2012 के अन्तर्गत अन्तिम विद्युत उत्पादन टैरिफ का वित्तीय प्रभाव	-2.94
4	संजय गांधी टीपीएस, बिरसिंहपुर की 500 मेगावाट विस्तार इकाई यू–5 हेतु अन्तिम विद्युत उत्पादन टैरिफ का प्रभाव	125.84
5	याचिका क्रमांक 55, वर्ष 2009, में मप्रविनिआ आदेश दिनांक 24 जनवरी, 2011 के विरूद्ध एमपीपीजीसीएल द्वारा दायर की गई अपील क्रमांक 121/2011 में एटीई द्वारा प्रसारित निर्णय के परिपालन का वित्तीय प्रभाव	33.76
6	अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चचई की 210 मेगावाट विस्तार इकाई क्रमांक यू–5 हेतु अन्तिम विद्युत उत्पादन टैरिफ का वित्तीय प्रभाव	54.57
	योग	**584.54**

1.29 निम्न तालिका अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता, चालू विद्युत–दर के अनुसार राजस्व तथा राजस्व अन्तर तथा इस आदेश के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की जा रही नवीन विद्युत दरों (इस आदेश के अन्तर्गत परिशिष्ट 2 तथा 3 के अनुसार) से राजस्व की प्राप्ति दर्शाती है :

तालिका 10: पुनरीक्षित विद्युत–दरों के अनुसार अन्तिम सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा राजस्व की प्राप्ति

विवरण	क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी			
	पूर्व	पश्चिम	मध्य	सम्पूर्ण राज्य
वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु कुल संपूर्ण राजस्व आवश्यकता (ए)	5721.60	8275.01	6018.11	20014.72
जोड़ें : वित्तीय प्रभाव (बी)	177.44	215.88	191.22	584.54
वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु कुल वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ए+बी=सी)	5899.04	8490.89	6209.33	20599.26
चालू विद्युत–दरों के अनुसार राजस्व की प्राप्ति (डी)	5855.94	8420.11	6164.80	20440.85
चालू विद्युत–दरों के अनुसार अन्तर (सी–डी)	43.10	70.78	44.53	158.41
पुनरीक्षित नवीन विद्युत–दरों के अनुसार राजस्व की प्राप्ति (ई)	5898.96	8490.96	6209.20	20599.12
अपूरित अंतर/आधिक्य (ई–सी)	-0.08	0.07	-0.13	-0.14

1.30 आयोग ने त्रैमासिक आधार पर ईंधन प्रभार समायोजन (Fuel charge Adjustment - FCA) की वसूली के बारे में क्रियाविधि भी निर्दिष्ट कर दी है ताकि परिवर्तनीय प्रभारों (variable charges) में परिवर्तन के कारण अनियंत्रित लागतों (uncontrollable costs) को समयबद्ध तौर पर टैरिफ नीति की भावना के अनुरूप तथा माननीय एप्टेल (Appelant Tribunal for Electricity-APTEL) द्वारा इस बारे में जारी किये गये निर्देशों के अनुसार भविष्य में समायोजित किया जा सके।

1.31 आयोग ने वित्तीय वर्ष 2013–14 में याचिकाकर्ताओं के वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु आने वाले कुछ माह के दौरान उनके कृषि उपभोक्ताओं के लिये आठ घंटे के निरन्तर विद्युत प्रदाय तथा सम्पूर्ण राज्य में ग्रामों, नगरों तथा शहरों में चौबीस घंटे निरन्तर विद्युत प्रदाय की प्रतिबद्धता को संज्ञान में लेकर तथा प्रक्षेपित विक्रयों का आकलन इसी पूर्वानुमान के आधार पर किया है। यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि प्रतिबद्ध विद्युत प्रदाय को शीघ्र–अति–शीघ्र उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा, आयोग याचिकाकर्ताओं से अपेक्षा करता है कि समस्त निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति में तेजी लाई जाएगी।

आदेश का कार्यान्वयन (Implementation of the order)

1.32 वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिए उत्पादन कंपनियों और अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति और उसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 की कण्डिका 1.30 के

अनुसार समाचार पत्रों में सात (7) दिवस का नोटिस देकर आदेश के क्रियान्वयन के संबंध में तत्काल कदम उठाने चाहिए। इस आदेश द्वारा अवधारित विद्युत–दरें (टैरिफ) दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक प्रभावशील रहेंगी, जब तक आयोग किसी आदेश के माध्यम से इनमें संशोधन अथवा सुधार नहीं कर देता।

1.33 अतएव, आयोग द्वारा राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों तथा मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी की याचिकाएं, सुधारों के साथ तथा शर्तों के साथ स्वीकार कर ली गई हैं तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान विद्युत प्रदाय के अनुज्ञप्तिप्राप्त क्षेत्र में खुदरा विद्युत–दरों तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वसूली योग्य प्रभारों का अवधारण भी कर दिया गया है। आयोग निर्देश देता है कि यह आदेश दिये गये निर्देशों तथा दी गई शर्तो के साथ–साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार क्रियान्वित किया जाए। इसके अतिरिक्त, इन आदेशों के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारियों को उपभोक्ताओं को केवल इस टैरिफ आदेश तथा प्रयोज्य विनियमों के उपबंधों के अनुसार ही देयक जारी किये जाने की अनुमति भी प्रदान की जाती हैं।

हस्ता/–	**हस्ता/–**	**हस्ता/–**
(आलोक गुप्ता)	**(ए.बी. बाजपेयी)**	**(राकेश साहनी)**
सदस्य	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

ए 2: याचिका क्र. 01/2013 के संबंध में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2013 को जारी खुदरा विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश के साथ संलग्न विस्तृत कारण तथा आधार (DETAILED REASONS AND GROUNDS ATTACHED WITH RETAIL SUPPLY TARIFF ORDER ISSUED BY MPERC ON 23 MARCH, 2013 IN RESPECT OF PETITION NUMBER 1/2013)

श्री एफ के मेश्राम, मुख्य महाप्रबंधक (टैरिफ) ने मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी का प्रतिनिधित्व किया।

श्री पी.के. सिंह, मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक) ने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्रतिनिधित्व किया।

श्री कैलाश शिवा मुख्य अभियंता, (वाणिज्यिक), ने पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्रतिनिधित्व किया।

श्री ए.आर. वर्मा, महाप्रबंधक तथा अधीक्षण यंत्री (वाणिज्यिक) ने मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्रतिनिधित्व किया।

2.1 तीनों वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान टैरिफ के अवधारण तथा वसूली योग्य प्रभार के विस्तृत आदेश, कारण तथा आधार दर्शाते हुए, निम्नानुसार दिये गये हैं। विस्तृत आदेश में तीनों वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यात्मक तथा वित्तीय निष्पादन की चर्चा की गई है तथा आयोग के दिशा–निर्देशों पर अनुपालन की अद्यतन स्थिति तथा अनुज्ञप्तिधारियों की प्रतिक्रिया पर एक भाग तथा टैरिफ के प्रस्तावों पर हितधारकों से संपूर्ण राजस्व आवश्यकता पर प्राप्त किये गये सुझावों तथा टीपों पर आयोग की अभ्युक्ति संबंधी प्रतिवेदन भी सम्मिलित किये गये हैं।

———

ए.3 वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु मध्यप्रदेश पूर्व, पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों (ईस्ट, वेस्ट तथा सेंट्रल डिस्काम) की संपूर्ण राजस्व आवश्यकता (AGGREGATE REVENUE REQUIREMENT FOR FY 2013-14 OF MADHYA PRADESH POORVA, PASCHIM & MADHYA KSHETRA VIDYUT VITARAN COMPANIES LIMITED (EAST, WEST & CENTRAL DISCOMS)

याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित विक्रयों के पूर्वानुमान की संक्षेपिका (Summary of Sales Forecast as proposed by the Licensees)

3.1 वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान, विद्युत वितरण कंपनियों के कुल विक्रय 43010.77 मिलियन यूनिट प्राक्कलित किये गये हैं, अर्थात् पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का विक्रय 12247.98 मिलियन यूनिट, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का विक्रय 17619. 45 मिलियन यूनिट तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी का विक्रय 13143.34 मिलियन यूनिट प्राक्कलित किया गया है।

3.2 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु विद्युत विक्रय के प्रक्षेपण हेतु पूर्व के पांच वर्षों, यथा वित्तीय वर्ष 08, वित्तीय वर्ष 09, वित्तीय वर्ष 10, वित्तीय वर्ष 11, वित्तीय वर्ष 12, के विद्युत विक्रय, उपभोक्ताओं की संख्या, संयोजित/संविदा भार आदि के संबंध में श्रेणीवार तथा खण्डवार (Slabwise) वास्तविक आंकड़े वर्तमान में उपलब्ध हैं। यह पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 12 के दौरान वास्तविक विक्रय याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये विक्रय पूर्वानुमानों तथा वित्तीय वर्ष 12 हेतु टैरिफ आदेश में स्वीकार किये गये विक्रय पूर्वानुमानों से उल्लेखनीय रूप से भिन्न हैं। चालू वर्ष के दौरान विद्युत प्रदाय के घंटों में वृद्धि पर, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में विचार करते हुए, वित्तीय वर्ष 13 हेतु विद्युत विक्रय के पूर्वानुमानों को तथा तत्पश्चात वित्तीय वर्ष 14 के विद्युत विक्रयों को प्रक्षेपित किये जाने को पुनरीक्षित किया जाना उचित समझा गया है। इसके अन्तर्गत वह विधि जिसका अनुसरण किया गया है वह प्रत्येक श्रेणी तथा इसकी उपश्रेणियों हेतु शहरी तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं के संबंध में पृथक से संयुक्त वार्षिक विकास दरों (Compound Annual Growth Rates-CAGRs) का विश्लेषण किये जाने में निहित है। आंकड़ों के विश्लेषण के वाद, भविष्यगामी उपभोक्ता/विक्रय पूर्वानुमानों हेतु श्रेणी/उपश्रेणी की पूर्व संयुक्त वार्षिक विकास दरों के आधार पर उचित/युक्तियुक्त विकास दरें मानी गई हैं। पूर्वानुमान में अनुज्ञप्तिधारियों की योजनाएं/परियोजनाएं, जैसे कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY), घरेलू उपभोक्ताओं की भविष्यगामी मीटरीकरण योजना, कृषि एवं उपभोक्ताओं की अन्य श्रेणियों हेतु संभरक पृथक्करण ग्रामीण क्षेत्रों में भविष्य में विद्युत

प्रदाय घंटों में संभावित वृद्धि के प्रभाव पर भी विचार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए निम्न दाब (LT) तथा उच्च दाब (HT) श्रेणियों के लिये प्रक्षेपित विक्रय निम्नानुसार तालिकाबद्ध किये गये हैं :

तालिका 11 : विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा प्रस्तावित किये गये विक्रय प्रक्षेपण (मिलियन यूनिट में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र विविकं	पश्चिम क्षेत्र विविकं	मध्य क्षेत्र विविकं	सम्पूर्ण राज्य हेतु
निम्न दाब विक्रय	8654.03	13567.59	9738.73	31960.35
उच्च दाब विक्रय	3593.95	4051.86	3404.61	11050.42
कुल विक्रय	**12247.98**	**17619.45**	**13143.34**	**43010.77**

3.3 याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल किये गये श्रेणीवार विद्युत विक्रय निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका 12 : विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा प्रस्तावित किये गये श्रेणीवार विक्रय प्रक्षेपण (मिलियन यूनिट में)

उपभोक्ता श्रेणियों का विवरण	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु प्रक्षेपण (मिलीयन यूनिट में)			
	पूर्व क्षेत्र विविकं	पश्चिम क्षेत्र विविकं	मध्य क्षेत्र विविकं	सम्पूर्ण राज्य हेतु
निम्न दाब (LT)				
एलवी–1 : घरेलू	5089.70	5944.77	4378.79	15413.26
एलवी–2 : गैर–घरेलू	637.58	824.42	821.91	2283.91
एलवी–3:सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य तथा पथ–प्रकाश	330.32	384.71	403.16	1118.19
एलवी–4 : निम्न दाब औद्योगिक	319.81	577.96	345.58	1243.35
एलवी–5.1 : कृषि हेतु सिंचाई पम्प	2273.72	5831.91	3783.68	11889.31
एलवी–5.2 : कृषि संबंधी उपयोग	2.90	3.82	5.61	12.33
निम्न दाब विक्रय (मिलियन यूनिट में)	**8654.03**	**13567.59**	**9738.73**	**31960.35**
उच्च दाब (HT)				
एचवी–1 : रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	570.44	425.04	900.84	1896.32
एचवी–2 : कोयला खदानें (कोल माईन्स)	496.48	0.00	33.47	529.95
एचवी–3.1 : औद्योगिक	1795.13	2855.29	1832.85	6,483.27
एचवी 3.2 : गैर–औद्योगिक	249.89	404.59	334.24	988.72
एचवी–4 : मौसमी (सीजनल)	7.80	8.96	2.93	19.69
एचवी–5.1 : सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य, सिंचाई	66.74	344.52	109.47	520.73
एचवी–5.2 अन्य कृषि उपयोग	10.51	6.29	6.31	23.11
एचवी–6 : थोक आवासीय प्रयोक्ता	396.96	7.17	184.5	588.63

एचवी–7 : छूट प्रदायकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय	0.00	0.00	0.00	0.00
उच्च दाब विक्रय (मिलियन यूनिट में)	**3593.95**	**4051.86**	**3404.61**	**11050.42**
कुल निम्न दाब + उच्च दाब विक्रय (मिलियन यूनिट में)	**12247.98**	**17619.45**	**13143.34**	**43010.77**

विद्युत वितरण कम्पनीवार प्रस्तुतिकरण (Discomwise Submission) :

मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

3.4 विद्युत वितरण कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु विद्युत विक्रय 9186.99 मिलियन यूनिट प्राक्कलित किया है तथा तत्पश्चात वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु विद्युत का विक्रय 12247.98 मिलियन यूनिट प्रक्षेपित किया है। विद्युत विक्रय को प्रक्षेपित किये जाने के संबंध में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के प्रभाव, घरेलू उपभोक्ताओं की अन्य श्रेणियों के लिये संभरकों का पृथक्करण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय घंटों में वृद्धि संबंधी अतिरिक्त कारक भी जोड़े गये हैं। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने निम्न दाब श्रेणियों के अन्तर्गत 8654.03 मिलियन यूनिट (अथवा कुल विद्युत विक्रय का लगभग 71 प्रतिशत) का विद्युत विक्रय तथा उच्च दाब श्रेणियों में 3593.95 मिलियन यूनिट (अथवा कुल विद्युत विक्रय का लगभग 29 प्रतिशत) का विद्युत विक्रय प्रक्षेपित किया गया है।

3.5 विद्युत वितरण कम्पनी ने निवेदन किया है कि वित्तीय वर्ष 2005–06 के उपरान्त विद्युत वितरण कम्पनी की अधोसंरचना में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है तथा इसी के साथ–साथ विद्युत प्रदाय की विश्वसनीयता तथा विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके अलावा भी पूर्व अवधि की अपेक्षा विद्युत प्रदाय के घंटों में भी क्रमिक वृद्धि दर्ज की गई है। अतएव, मीटरीकृत तथा अमीटरीकृत घरेलू उपभोक्ताओं की औसत मासिक विद्युत खपत में भी अब उल्लेखनीय वृद्धि हो चुकी है परन्तु विनियामक प्रतिबन्धों (regulatory constraints) के कारण भी अब अमीटरीकृत घरेलू उपभोक्ताओं की खपत के देयक आयोग द्वारा अनुमोदित आकलन खपत के आधार पर बनाये जा रहे हैं। अनुरोध किया गया है कि अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों की बिलिंग विधि को क्रमशः शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मीटरीकृत श्रेणियों की औसत मासिक खपत के आधार पर पुनरीक्षित किया जाए। यह निवेदन भी किया है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में विद्युत प्रदाय के घंटों में की जा रही प्रत्याशित वृद्धि के कारण अमीटरीकृत संयोजनों की खपत में भी वृद्धि होगी। अतएव, अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों की खपत के संबंध में किये गये प्रक्षेपण शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 136 यूनिट/माह/संयोजन तथा 100 यूनिट/माह/संयोजन माने गये हैं।

3.6 विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा यह निवेदन भी किया गया है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY) के क्रियान्वयन के प्रभाव को भविष्यगामी उपभोक्ता/भार (Load)/खपत पूर्वानुमानों के लिये भी माना गया है। यह उल्लेख किया गया है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत जोड़े गये संयोजित भार को प्रति उपभोक्ता 300 वॉट प्रति उपभोक्ता माना गया है जबकि ग्रामीण उपभोक्ताओं हेतु, उपभोक्ताओं की खपत को प्रति उपभोक्ता प्रति माह मीटरीकृत खपत के बराबर माना गया है। कम्पनी ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में 2.47 लाख उपभोक्ताओं की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013–14 में 2.40 लाख उपभोक्ता जोड़े जाने का लक्ष्य रखा है।

3.7 यह निवेदन भी किया गया है कि याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं की खपत को विद्यमान बिलिंग मानदण्ड के आधार पर, अर्थात् 1560 यूनिट तथा 1200 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति वर्ष क्रमशः शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2012–13 के टैरिफ आदेश में प्रदत्त मानदण्डों के आधार पर माहवार पृथक्करण (monthwise segregation) के आधार पर प्रक्षेपित किया है।

म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड

3.8 विद्युत वितरण कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु विद्युत विक्रय 13858.97 मिलियन यूनिट प्राक्कलित किया है तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु इसे 17619.46 मिलियन यूनिट प्रक्षेपित किया है। निम्न दाब श्रेणियों के लिये विद्युत विक्रय 13567.59 मिलियन यूनिट (अथवा कुल विद्युत विक्रय का लगभग 77 प्रतिशत) तथा उच्च दाब श्रेणियों के लिये 4051.86 मिलियन यूनिट (अथवा कुल विद्युत विक्रय का लगभग 23 प्रतिशत) प्रक्षेपित किया गया है।

3.9 विद्युत वितरण कम्पनी ने निवेदन किया है कि वित्तीय वर्ष 2005–06 के उपरान्त विद्युत वितरण कम्पनी की अधोसंरचना में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है तथा इसी के साथ–साथ विद्युत प्रदाय की विश्वसनीयता तथा विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके अलावा भी पूर्व अवधि की अपेक्षा विद्युत प्रदाय के घंटों में भी क्रमिक वृद्धि दर्ज की गई है। अतएव, मीटरीकृत तथा अमीटरीकृत घरेलू उपभोक्ताओं की औसत मासिक विद्युत खपत में भी अब उल्लेखनीय वृद्धि हो चुकी है परन्तु विनियामक प्रतिबन्धों (regulatory constraints) के कारण अब अमीटरीकृत घरेलू उपभोक्ताओं की खपत के देयक आयोग द्वारा अनुमोदित आकलन खपत के आधार पर

बनाये जा रहे हैं। अनुरोध किया गया है कि अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों की बिलिंग विधि को क्रमशः शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मीटरीकृत श्रेणियों की औसत मासिक खपत के आधार पर पुनरीक्षित किया जाए। यह निवेदन भी किया है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में विद्युत प्रदाय के घंटों में की जा रही प्रत्याशित वृद्धि के कारण अमीटरीकृत संयोजनों की खपत में भी वृद्धि होगी। अतएव अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों की खपत के संबंध में किये गये प्रक्षेपण शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 163 यूनिट/माह/संयोजन तथा 100 यूनिट/माह/ संयोजन माने गये हैं।

3.10 याचिका में यह निवेदन किया गया है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (रागांग्रावियो) के क्रियान्वयन के घरेलू श्रेणी पर पड़ने वाले प्रभाव को भविष्यगामी उपभोक्ता/भार/खपत प्रक्षेपणों के लिये भी माना गया है। रागांग्रावियो के क्रियान्वयन के कारण लगभग 1.08 लाख नवीन घरेलू उपभोक्ताओं के जुड़ जाने की संभावना है जिससे वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान लगभग 86.96 मिलियन यूनिट तथा तत्पश्चात वर्ष 2013–14 के दौरान 1.04 लाख नवीन संयोजनों की वृद्धि से प्रक्षेपित विद्युत विक्रय में 254.87 मिलियन यूनिट की वृद्धि होने की संभावना है। इसके अलावा, सामान्य वृद्धि के अतिरिक्त भी, संभारक पृथक्करण योजना (Feeder Separation Scheme) तथा आर–एपीडीआरपी योजना (R-APDRP) जैसी योजनाओं में, जिनका वर्तमान में निष्पादन किया जा रहा है, के द्वारा भी विद्युत वितरण कम्पनी को इन योजनाओं के क्रियान्वयन के कारण अपनी संभावनाओं का दोहन करने का भी अवसर मिलेगा जिसके फलस्वरूप शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन संयोजनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। यह निवेदन भी किया गया कि वृत्तों के अन्तर्गत ऐसे जनसांख्यिकी प्रभाव (demographic impact) के संबंध में विद्युत विक्रय में परिणामी वृद्धि को वास्तविक वृद्धि रूझान में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया गया है। अतएव वास्तविक रूझान के अलावा, विद्युत वितरण कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान लगभग 4.76 लाख नवीन उपभोक्ताओं में वृद्धि का अनुमान लगाया है जिनकी विद्युत खपत का अनुमान लगभग 746.11 मिलियन यूनिट लगाया गया है। जहां तक संभरक पृथक्करण योजना का संबंध है, निवेदन किया गया है कि कम्पनी की योजना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013–14 के प्रारंभ में शत प्रतिशत 11 केवी संभरकों का द्विभाजन कर दिया जाएगा। इसके द्वारा विद्युत विक्रय में आगे लगभग 865.57 मिलियन यूनिट की वृद्धि होने की संभावना है।

3.11 निवेदन किया गया है कि गैर–घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों के विस्तार, निर्माणाधीन लघु विपणन केन्द्रों तथा इन्दौर शहर के राज्य के शैक्षणिक केन्द्र के रूप में विकसित होने से, जिसके कारण लगभग 824.42 मिलियन यूनिट अधिक विद्युत विक्रय किया जाना अनुमानित है, उच्चतर वृद्धि दर दर्ज की जाएगी। कृषि श्रेणी के अन्तर्गत, याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं हेतु विद्युत खपत का आकलन वर्तमान बिलिंग मानदण्डों के आधार पर प्रक्षेपित किया है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्नी

3.12 विद्युत वितरण कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु पुनरीक्षित विद्युत विक्रय 9939.84 मिलियन यूनिट प्राक्कलित किया है तथा तदोपरान्त वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु विद्युत का विक्रय 13143.44 मिलियन यूनिट प्रक्षेपित किया है। विद्युत विक्रय को प्रक्षेपित किये जाने के संबंध में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के प्रभाव, घरेलू उपभोक्ताओं की अन्य श्रेणियों के लिये संभरकों का पृथक्करण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय घंटों में वृद्धि संबंधी अतिरिक्त कारकों पर भी विचार किया गया है। कम्पनी ने निम्नदाब श्रेणियों के अन्तर्गत 9738.93 मिलियन यूनिट (अथवा कुल विद्युत विक्रय का 74 प्रतिशत) का विद्युत विक्रय तथा उच्चदाब श्रेणियों में 3404.61 मिलियन यूनिट (अथवा कुल विद्युत विक्रय का 26 प्रतिशत) का विद्युत विक्रय प्रक्षेपित किया है।

3.13 विद्युत वितरण कम्पनी ने निवेदन किया है कि वित्तीय वर्ष 2005–06 के उपरान्त विद्युत वितरण कम्पनी की अधोसंरचना में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है तथा इसी के साथ–साथ विद्युत प्रदाय की विश्वसनीयता तथा विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके अलावा भी पूर्व अवधि की अपेक्षा विद्युत प्रदाय के घंटों में भी क्रमिक वृद्धि दर्ज की गई है। अतएव, मीटरीकृत तथा अमीटरीकृत घरेलू उपभोक्ताओं की औसत मासिक विद्युत खपत में भी अब उल्लेखनीय वृद्धि हो चुकी है परन्तु विनियामक प्रतिबन्धों के कारण अब अमीटरीकृत घरेलू उपभोक्ताओं की खपत के देयक आयोग द्वारा अनुमोदित आकलन खपत के आधार पर बनाये जा रहे हैं। अनुरोध किया गया है कि अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों की बिलिंग विधि को क्रमशः शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मीटरीकृत श्रेणियों की औसत मासिक खपत के आधार पर पुनरीक्षित किया जाए। यह निवेदन भी किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्रति माह औसत मीटरीकृत खपत शहरी क्षेत्र में 125 यूनिट आती है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह खपत 47 यूनिट आती है। माह सितम्बर 2012 तक उपलब्ध आकड़ों के आधार पर शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 5.12 प्रतिशत तथा 3.01 प्रतिशत की विकास दर

दर्ज की गई। अतएव, अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों की खपत के संबंध में किये गये प्रक्षेपण शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 166 यूनिट/माह/ संयोजन तथा 100 यूनिट/माह/संयोजन माने गये हैं।

3.14 विद्युत वितरण कम्पनी ने यह निवेदन भी किया है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY) के क्रियान्वयन के प्रभाव को भविष्यगामी उपभोक्ता/ भार (Load)/खपत पूर्वानुमानों के लिये भी माना गया है। यह उल्लेख किया गया है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत जोड़े गये संयोजित भार को प्रति उपभोक्ता 300 वॉट प्रति उपभोक्ता माना गया है जबकि ग्रामीण उपभोक्ताओं हेतु, उपभोक्ताओं की खपत को प्रति उपभोक्ता प्रति माह मीटरीकृत खपत के बराबर माना गया है। कम्पनी ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में 0.70 लाख उपभोक्ताओं की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013–14 में 1.27 लाख उपभोक्ता जोड़े जाने का लक्ष्य रखा है।

3.15 निवेदन किया गया है कि कृषि श्रेणी के प्रकरण में, विद्युत वितरण कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं की आकलित खपत का प्रक्षेपण प्रस्तावित बिलिंग मानदण्डों, यथा शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः प्रति वर्ष 1760 यूनिट तथा 1420 यूनिट प्रति अश्वशक्ति के आधार पर किया है। यह निवेदन भी किया गया कि अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं की विद्युत–दर (टैरिफ) वास्तविक /यथार्थवादी खपत पर आधारित नहीं है। विद्युत वितरण कम्पनी ने अमीटरीकृत सिंचाई पम्पों की विद्युत खपत वास्तविकता से कम आकलन (under estimation) किये जाने के संबंध में कतिपय कारणों को उद्धरित किया है तथा तद्नुसार मानदण्डीय विशिष्ट खपत में 20 प्रतिशत वृद्धि अनुज्ञेय किये जाने का अनुरोध किया है ताकि अमीटरीकृत कृषि पम्पों की विद्युत खपत के कम आकलन के नकारात्मक प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। यह निवेदन भी किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान, कम्पनी कृषि उपभोक्ताओं के लिये औसतन 8 घंटे का तीन–फेज विद्युत प्रदाय संधारित किये जाने की इच्छा रखती है तथा इस प्रकार विद्युत प्रदाय के घंटों में संभावित वृद्धि के कारण विद्युत की वास्तविक खपत में वृद्धि होने की संभावना है। विद्युत वितरण कम्पनी ने यह अनुरोध भी किया है कि अमीटरीकृत कृषि संयोजनों की वार्षिक खपत के प्रक्षेपणों की समीक्षा की जाकर इन्हें पुनरीक्षित किये जाने की आवश्यकता है तथा उनके द्वारा इन्हें शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये क्रमशः 1760 तथा 1420 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति वर्ष किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

विक्रय के संबंध में आयोग का विश्लेषण (Commission's analysis of Sale) :

3.16 विद्युत वितरण कम्पनियों ने अनुमान लगाया है कि रागांग्राविियो (RGGVY), संभरक पृथक्करण योजना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय के घंटों में प्रस्तावित वृद्धि के कारण आने वाले समय में विद्युत वितरण कम्पनियों की अधोसंरचना में परिवर्तन के कारण विद्युत प्रदाय की विश्वसनीयता तथा गुणवत्ता में सुधार, आदि से विद्युत विक्रय में वृद्धि होगी। यह पाया गया है कि विद्युत वितरण कम्पनियों ने अपने प्रस्तुतीकरण में यह दृष्टिकोण अपनाया है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से राज्य के प्रत्येक परिवार को बढ़े हुए घंटों के अनुसार विद्युत प्रदाय किया जा सकेगा जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से गतिवर्धित सामाजिक–आर्थिक विकास लाना भी है।

3.17 विद्युत वितरण कम्पनियों तथा मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी (एमपीपीएमसीएल) के प्रबंध संचालकों की एक बैठक आयोग कार्यालय में 5 फरवरी, 2013 को आयोजित की गई। बैठक में विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा उनकी विभिन्न चालू तथा प्रस्तावित गतिविधियों की प्रगति की अद्यतन स्थिति के बारे में विवरण प्रस्तुत किये गये। आयोग ने विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण तथा अतिरिक्त जानकारी को संज्ञान में ले लिया है। विद्युत वितरण कम्पनियां अपने प्रस्तुतिकरण में इस बारे में आश्वस्त थीं कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय घंटों में निश्चित तौर पर उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा उनकी राज्य के समस्त क्षेत्रों में चौबीस घंटे विद्युत प्रदाय की योजना है। विद्युत वितरण कम्पनियों ने घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं से संबंधित विद्युत विक्रय में वृद्धि संबंधी प्रक्षेपणों के अपने तर्क का समर्थन किया तथा वे अपनी स्थिति के बारे में स्पष्ट थीं कि उनके द्वारा याचिका में प्रस्तुत विक्रय संबंधी प्रक्षेपणों को इस तथ्यात्मक स्थिति के कारण वास्तविक रूप से प्राप्त कर लिया जाएगा कि वर्तमान में बड़ी संख्या में विद्युत उत्पादन की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं जिसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय में वृद्धि में राज्य में चौबीस घंटे विद्युत प्रदाय संभव हो जाएगा।

3.18 आयोग ने विद्युत विक्रय के पूर्वानुमानों की समीक्षा की है तथा इनकी तुलना पूर्व के रुझानों से की है। आयोग ने विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा विद्युत विक्रय में प्रक्षेपित वृद्धि के बारे में दी गई विभिन्न प्रस्तुतियों को संज्ञान में लिया है। आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा अपने समस्त उपभोक्ताओं को अबाधित विद्युत प्रदाय के लिये किये जा रहे प्रयासों की पुष्टि करता है। तद्नुसार, आयोग याचिका में दाखिल किये गये विद्युत विक्रय के आंकड़ों को स्वीकृति प्रदान करता है तथा अपेक्षा करता है कि

विद्युत वितरण कम्पनियां उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये विक्रय प्रक्षेपणों की प्राप्ति के भरसक प्रयास करेंगी। चूंकि आयोग ने विद्युत विक्रय संबंधी आंकड़ों को दाखिल किया गया मान लिया है अतएव वह अपेक्षा करता है कि विद्युत वितरण कम्पनियां उनके द्वारा प्रस्तावित मानदण्डों में किसी कमी को पूरा करेंगी तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु उपभोक्ताओं की अमीटरीकृत श्रेणियों की बिलिंग के संबंध में मानदण्डों को पुनरीक्षित करेंगी। घरेलू उपभोक्ताओं की अमीटरीकृत श्रेणियों के लिये मानदण्डों के पुनरीक्षण का आधार अनुवर्ती परिच्छेदों में स्पष्ट किया गया है।

3.19 जहां तक घरेलू अमीटरीकृत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं का संबंध है, आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बिलिंग मानदण्डों को मीटरीकृत घरेलू उपभोक्ता श्रेणियों के वास्तविक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर वर्तमान में 42 यूनिट प्रति उपभोक्ता प्रति माह को प्रस्तावित किये गये 100 यूनिट प्रति उपभोक्ता प्रति माह के विरूद्ध 55 यूनिट प्रति उपभोक्ता प्रति माह द्वारा प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार, शहरी क्षेत्रों के लिये 77 यूनिट प्रति उपभोक्ता प्रति माह के बिलिंग मानदण्ड को 100 यूनिट प्रति उपभोक्ता प्रति माह पुनरीक्षित किया गया है। तथापि, आयोग यहां स्पष्ट कर देना चाहता है कि विद्युत अधिनियम, 2003 में किये गये सुस्पष्ट प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए अमीटरीकृत संयोजन अवांछित हैं तथा इन्हें अनिश्चितकाल के लिये बिना मापयन्त्र के चालू नहीं रखा जाना चाहिए। विद्युत वितरण कम्पनियों को निर्देश दिये जाते हैं कि समस्त अमीटरीकृत शहरी घरेलू संयोजनों पर माह जून 2013 के अन्त तक मापयन्त्र (मीटर) स्थापित कर दिये जाने चाहिए तथा यह भी कि समस्त अमीटरीकृत ग्रामीण घरेलू संयोजनों पर माह मार्च, 2014 तक मापयन्त्र प्रदान कर दिये जाने चाहिए।

3.20 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने कृषि अमीटरीकृत संयोजनों हेतु बिलिंग मानदण्ड को पुनरीक्षित किया जाना प्रस्तावित किया गया है जबकि अन्य दो विद्युत वितरण कम्पनियों ने इसमें कोई परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित नहीं किया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने अपने क्षेत्र के कृषि वितरण ट्रांसफर्मरों की चार प्रतिशत संख्या की मीटरीकृत खपत के आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। इनका नमूना आकार किसी निष्कर्ष तक पहुंच पाने की दृष्टि से अपर्याप्त पाया गया है। इसके अतिरिक्त, मीटरीकृत खपत की विधिवत वैधीकृत किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, आयोग अमीटरीकृत कृषि संयोजनों के बिलिंग मानदण्डों को पुनरीक्षित किये जाने संबंधी प्रस्ताव

से सन्तुष्ट नहीं है। तद्नुसार, आयोग ने अमीटरीकृत कृषि संयोजनों के प्रकरण में वर्तमान बिलिंग मानदण्ड को जारी रखे जाने का निर्णय लिया है।

3.21 इसके अतिरिक्त, आयोग याचिकाकर्ताओं को निर्देश देता है कि वे टैरिफ अवधि के दौरान उपभोक्ताओं की किसी भी श्रेणी हेतु अनुचित तौर पर विद्युत प्रदाय को प्रतिबंधित न करें। अतएव, ऐसी दशा में जब विद्युत प्रदाय की वास्तविक आवश्यकता आयोग द्वारा स्वीकृत की गई मात्रा इस टैरिफ आदेश के अन्तर्गत विद्युत के विक्रय या विद्युत अधिप्राप्ति के प्रक्षेपणों से अधिक हो तो याचिकाकर्ताओं द्वारा वांछित विद्युत प्रदाय की व्यवस्था हेतु समस्त उपलब्ध स्त्रोतों से, मध्यम या लघु–अवधि क्रय को शामिल करते हुए त्वरित कदम उठाये जाएंगे। याचिकाकर्ताओं को राज्य की समस्त श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिये पर्याप्त विद्युत प्रदाय की व्यवस्था हेतु सदैव सभी संभव प्रयास भी करने होंगे। तथापि, अनुज्ञप्तिधारियों ने इस प्रकार की विद्युत अधिप्राप्ति की प्रक्रिया के दौरान सुसंबद्ध विनियमों/दिशा–निर्देशों की अर्हताओं का परिपालन विद्युत प्रणाली के अन्तर्गत वितरण हानियों को नियंत्रित करते हुए सुनिश्चित करना होगा।

याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित किये गये ऊर्जा संतुलन एवं विद्युत विक्रय (Energy Balance and Power Purchase as Proposed by the Petitioner)

3.22 याचिकाकर्ताओं ने यह दावा किया गया है कि उनके द्वारा प्रमुख क्षेत्रीय प्रतिभागियों से उपलब्ध जानकारी का प्रयोग विद्युत क्रय की लागत की गणना हेतु, उनकी राजस्व आवश्यकता की गणना हेतु किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने आयोग को उन्हें अनुज्ञेय की जाने वाली विद्युत क्रय लागत की गणना करते समय इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किये जाने का भी अनुरोध किया है।

3.23 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि उनके द्वारा विद्युत क्रय लागत के पूर्वानुमानों के अन्तर्गत स्थाई तथा परिवर्तनीय लागतों के साथ–साथ पूर्व अनुमोदित लागतों, एमपीपीएमसीएल अथवा मप्रजनको द्वारा प्रक्षेपित भविष्यगामी लागतों, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (केविनिआ) के आदेशानुसार मुद्रास्फीति सूचकांक पर ईंधन लागत में वृद्धि तथा पूर्व वर्षों हेतु एनटीपीसी द्वारा प्रस्तुत किये गये देयकों के अनुसार अन्य विभिन्न लागतों, जैसे कि कर, प्रोत्साहन, विद्युत मन्त्रालय प्रभार (MOP Charges), विद्युत शुल्क (Electricity Duty), उपकर (Cess) का भी ध्यान रखा गया है।

3.24 याचिककार्ताओं ने क्षमता का प्रतिशत आवंटन (अर्थात् भारित औसत पूर्व क्षेत्र विविकं हेतु **29.89%** पश्चिम क्षेत्र विविकं हेतु **38.27%** तथा मध्य क्षेत्र विविकं हेतु **31.84%** के

आधार पर) मप्र शासन के पत्र दिनांक 29 मार्च, 2012 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए क्षमता आवंटन, पूर्व क्षेत्र विवि कम्पनी को उन्हें आवंटित केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु 200 मेगावाट ऊर्जा के विशिष्ट अंशदान को शामिल करते हुए माना है। पूर्व, पश्चिम एवं मध्य क्षेत्र वितरण कंपनियों ने विद्युत वितरण कम्पनियों के आवंटनों से संबंधित विद्युत क्रय लागत के बारे में उपरोक्त भारित औसत के निम्न मदों से संबंधित गणना के विवरण प्रस्तुत किये हैं :

- समस्त स्त्रोतों से मासिक उपलब्ध विद्युत ऊर्जा
- विद्युत उत्पादकों को देय वार्षिक स्थाई प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार
- विद्युत उत्पादकों को प्रोत्साहनों, आयकर, शुल्कों आदि के कारण किये जाने वाले अनुमानित भुगतान; तथा
- भुगतान किये जाने वाले अनुमानित अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार

3.25 तीन विद्युत वितरण कंपनियों ने 43011 मिलियन यूनिट के प्रक्षेपित विद्युत विक्रय हेतु कुल 58441 मिलियन यूनिट विद्युत की अधिप्राप्ति किया जाना दाखिल किया है। विद्युत वितरण कंपनीवार विभाजन निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 13 : वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा संतुलन

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं
निम्न दाब श्रेणी को विक्रय (मिलियन यूनिट में)	8654	13568	9739
उच्च दाब श्रेणी को विक्रय (मिलियन यूनिट में)	3594	4052	3405
कुल विक्रय (मिलियन यूनिट में)	12248	17619	13143
वितरण हानियां (प्रतिशत में)	23.00%	20.00%	23.00%
वितरण अन्तर्मुख पर आहरित यूनिटों की संख्या (मिलियन यूनिट में)	15936	22226	17088
पारेषण हानि (प्रतिशत में)	4.30%	4.30%	4.30%
उत्पादन–पारेषण अन्तर्मुख पर आहरण (मिलियन यूनिट में)	16653	23226	17856
बाह्य हानि (मिलियन यूनिट में)	250	254	203
कुल क्रय किये गये यूनिटों की मात्रा (मिलियन यूनिट में)	16903	23481	18059

3.26 याचिकाकर्ताओं ने प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी के पूर्व वर्षों के विक्रय के रूझान के प्रयोग द्वारा वार्षिक प्रक्षेपित विद्युत विक्रय को मासिक विक्रय में परिवर्तित किया है। निवेदन किया गया है कि राज्यान्तरिक पारेषण हानियों (एमपीपीटीसीएल हानियों) की गणना करते समय वास्तविक आंकड़ों की प्राप्ति मप्र–राज्य भार प्रेषण केन्द्र ऑनलाईन पोर्टल से पूर्व के 12 माह (52 सप्ताह) हेतु प्राप्त की गई है तथा तद्नुसार इसे

भविष्यगामी अवधि हेतु गणना किये गये 4.30 प्रतिशत के औसत के अनुसार माना गया है।

3.27 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि अन्तर्राज्यीय पारेषण हानियों की गणना से पूर्वी क्षेत्र (Eastern Region-ER) तथा पश्चिमी क्षेत्र (Western Region-WR) के विद्युत–केन्द्रों (Stations) के लिये पृथक–पृथक की गई है। पश्चिमी क्षेत्र के लिये, वित्तीय वर्ष 2012–13 के दिनांक 16 दिसम्बर, 2012 तक के 26 सप्ताह के पूर्व आंकड़े, जैसा कि ये पीजीसीआईएल वैबसाईट पर उपलब्ध हैं, पर विचार किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु 3.69 प्रतिशत के औसत हानि स्तर का उपयोग किया गया है। पूर्वी क्षेत्र के प्रकरण में मध्य प्रदेश राज्य को आवंटित विद्युत केन्द्रों की पारेषण हानियों पर विचार किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु 2.50 प्रतिशत के औसत हानि स्तर को माना गया है।

3.28 याचिकाकर्ताओं ने अपनी प्रक्षेपित ऊर्जा आवश्यकता का दावा, माहवार प्रक्षेपित की गई वितरण हानियों को संकलित करते हुए प्रक्षेपित किया है। इस संबंध में दाखिल किये गये विवरण निम्नानुसार तालिकाबद्ध किये गये हैं :

तालिका 14 : दाखिल किये गये मासिक हानि प्रतिशत

सरल क्रमांक	माह	वित्तीय वर्ष 2013–14		
		पूर्व क्षेत्र विविकं	पश्चिम क्षेत्र विविकं	मध्य क्षेत्र विविकं.
1	अप्रैल	23.44%	23.23%	22.92%
2	मई	22.83%	23.85%	22.13%
3	जून	18.81%	17.40%	21.54%
4	जुलाई	20.76%	9.20%	21.38%
5	अगस्त	23.39%	7.44%	22.98%
6	सितम्बर	23.32%	11.54%	22.93%
7	अक्टूबर	24.79%	27.60%	24.19%
8	नवम्बर	24.26%	29.42%	24.42%
9	दिसम्बर	24.87%	23.67%	23.98%
10	जनवरी	24.33%	25.48%	24.63%
11	फरवरी	20.78%	21.89%	23.06%
12	मार्च	24.43%	19.38%	21.83%
13	**वर्ष हेतु दाखिल की गई औसत हानियां (अंकगणितीय औसत)**	**23.00%**	**20.00%**	**23.00%**
14	**विनियमों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार**	**23.00%**	**20.00%**	**23.00%**

याचिकाकर्ताओं द्वारा ऊर्जा की उपलब्धता का आकलन (Assessment of Energy Availability by the Petitioners)

3.29 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि मध्यप्रदेश की ऊर्जा उपलब्धता का आकलन निम्न कारकों पर आधारित है :

(अ) मध्यप्रदेश राज्य की चालू दीर्घकालीन आवंटित विद्युत उत्पादन क्षमता

(ब) एमपी जनरेशन कम्पनी, केन्द्रीय क्षेत्र, संयुक्त उपक्रम, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोली के अन्तर्गत भविष्यगामी वर्षों के दौरान जुड़ने वाली नवीन विद्युत उत्पादन क्षमताएं (इकाईयां)

(स) पश्चिमी क्षेत्र तथा पूर्वी क्षेत्र की उत्पादन क्षमता आवंटन का प्रभाव

(द) विद्युत उत्पादन संयन्त्र का पिछले तीन वर्षों का निष्पादन

3.30 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित किये गये केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों (Central Generating Stations-CGS) के भविष्यगामी प्रक्षेपण उनकी पिछले तीन वर्षों की औसत विद्युत उपलब्धता पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय क्षेत्र के स्टेशनों की उपलब्धता के प्रक्षेपण हेतु पश्चिमी क्षेत्रीय पावर समिति (Western Regional Power Committee-WRPC)/पूर्वी क्षेत्रीय पावर समिति (Eastern Regional Power Committee-ERPC) के अन्तिम आवंटन को प्रक्षेपण अवधि के दौरान स्थिर (Constant) माना गया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि एक्स बस–से (ex-bus) वास्तविक उपलब्धता माह अगस्त, 2012 तक ही ली गई है।

3.31 इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने मप्र राज्य के पावर जनरेशन कम्पनी स्टेशनों, केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों, अन्य संयुक्त उपक्रम तथा प्रकरण–1 स्टेशनों (Case-I Stations) के संबंध में, जिनकी वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान क्रियाशील होने की संभावना है, क्षमता वृद्धि योजना (Capacity Addition Plan) प्रस्तुत की है। विद्युत उत्पादक स्टेशनों के विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत किये गये हैं:

तालिका 15 : वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु दाखिल की गई क्षमता वृद्धि योजना

सरल क्रमांक	विद्युत उत्पादन स्टेशन	इकाई	क्षमता (मेगावाट में)	मप्र राज्य का अंशदान	अनुसूचीबद्धता (schedule)
1	सिंगाजी ताप विद्युत स्टेशन, चरण–एक इकाई क्रमांक–1	इकाई–1	600	600	सितम्बर–13
	सिंगाजी ताप विद्युत स्टेशन, चरण–दो इकाई क्रमांक–2	इकाई–2	600	600	अक्टूबर–13

2	सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन– विस्तार इकाई क्रमांक 10	इकाई–10	250	250	फरवरी–13
	सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन– विस्तार इकाई क्रमांक 11	इकाई–11	250	250	सितम्बर–13
3	एनटीपीसी मौदा ताप विद्युत स्टेशन इकाई–1	इकाई–1	500	78	मार्च–13
	एनटीपीसी मौदा ताप विद्युत स्टेशन इकाई–2	इकाई–2	500	78	सितम्बर–13
4	विंध्याचल मेगा परियोजना चरण– चार–इकाई–1	इकाई–1	500	143	अप्रैल–13
	विंध्याचल मेगा परियोजना चरण– चार–इकाई–2	इकाई–2	500	128	दिसम्बर–13
5	डीवीसी दुर्गापुर स्टील ताप विद्युत स्टेशन, इकाई–1	इकाई–1	500	50	जुलाई–12
	डीवीसी दुर्गापुर स्टील ताप विद्युत स्टेशन, इकाई–2	इकाई–2	500	50	दिसम्बर–12
6	अल्ट्र मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी), सासन, सीधी	इकाई–1	1320	495	अक्टूबर–13
7	बीना पावर, सागर इकाई–1	इकाई–1	250	175	सितम्बर–12
	बीना पावर, सागर इकाई–2	इकाई–2	250	175	फरवरी–13
8	जय प्रकाश पावर, नीगरी इकाई–1	इकाई–1	660	248	सितम्बर–13
	जय प्रकाश पावर, नीगरी इकाई–2	इकाई–2	660	247	दिसम्बर–13
9	एमबी पावर, अनूपपुर	इकाई–1	600	210	नवम्बर–13
10	बीएलए पावर, नरसिंहपुर	इकाई–1	45	16	अप्रैल–12
11	झाबुआ पावर, सिवनी		600	210	दिसम्बर–13
12	लैंको टीपीएस, अमरकंटक		300	300	दिसम्बर–12
13	सौर पवन, बायोमास		120	120	मार्च–13

3.32 तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2013–14 में नवीन स्टेशनों से इनके क्रियाशील होने के माह से ऊर्जा की उपलब्धता पर विचार किया गया है। भविष्यगामी क्षमताओं से उपलब्धता के प्रक्षेपण हेतु याचिकाकर्ताओं ने निम्न अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं :

(ए) कोयला आधारित स्टेशनों हेतु संयंत्र भार कारक (Plant Load Factor-PLF) स्टेशन के प्रकार पर आधारित 85% से 88% माना गया है (एमपीजनको से चर्चा के उपरान्त)

(बी) गैस आधारित तथा परमाणु ऊर्जा स्टेशनों हेतु संयंत्र भार कारक (Plant Load Factor-PLF) 68% माना गया है

(सी) कोयला आधारित स्टेशनों हेतु सहायक खपत (auxiliary consumption) 7.5% मानी गई है

(डी) गैस आधारित तथा परमाणु ऊर्जा स्टेशनों हेतु सहायक खपत 12% मानी गई है

(ई) उपलब्धता के संबंध में पूर्वानुमान, किसी विशिष्ट वर्ष के दौरान प्रचालन के माह तथा संयंत्रों से ऊर्जा की उपलब्धता के पूर्व रूझान के आधार पर किया गया है

3.33 प्रत्येक ऊर्जा स्त्रोत से दाखिल की गई वार्षिक ऊर्जा की उपलब्धता, निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 16 : वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दाखिल की गई एक्स–बस ऊर्जा उपलब्धता (energy availability) (मिलियन यूनिट में)

विद्युत उत्पादन स्टेशन	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु
केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन (CGS)	
एनटीपीसी – कोरबा	3421
एनटीपीसी – विंध्याचल I	3188
एनटीपीसी – विंध्याचल II	2349
एनटीपीसी – विंध्याचल III	1937
एनटीपीसी – कवास	662
एनटीपीसी – गंधार	569
काकरापार एटॉमिक पावर परियोजना (केएपीपी)	601
तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन (टीएपीएस)	1358
एनटीपीसी – फरक्का	0
एनटीपीसी – तालचेर	0
एनटीपीसी – कहलगांव	0
एनटीपीसी – सीपत चरण–दो	1518
एनटीपीसी – कहलगांव–2	357
द्विपक्षीय तथा संयुक्त उपक्रम स्टेशन (Bilateral and Joint Venture Stations)	
एनएचडीसी–इन्दिरा सागर	2745
सरदार सरोवर	2157
ओंकारेश्वर – जल विद्युत स्टेशन	1221
दामोदर वैली कार्पोरेशन (डीवीसी) (एमटीपीएस,सीटीपीएस)	1717
एमपी जनरेशन कम्पनी स्टेशन (MP Genco Stations)	
अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन–चचई–पीएच 1 तथा 2	514
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन–सारनी–पीएच 1, 2 तथा 3	4561
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन–बिरसिंहपुर–पीएच 1 तथा 2	3933
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन–बिरसिंहपुर–विस्तार	3471

अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन–चचई–विस्तार		1376
केन्द्रीय जल विद्युत स्टेशन – गांधी सागर		97
केन्द्रीय जल विद्युत स्टेशन – राणा प्रताप सागर तथा जवाहर सागर		227
पेंच जल विद्युत स्टेशन		237
बाण सागर टोंस–जल विद्युत स्टेशन		1209
बाण सागर टोंस–जल विद्युत स्टेशन –बाण सागर –चार (झिन्ना)		62
बिरसिंहपुर – जल विद्युत स्टेशन		35
बरगी – जल विद्युत स्टेशन		438
राजघाट – जल विद्युत स्टेशन		40
मढ़ीखेड़ा – जल विद्युत स्टेशन		83
अन्य (Others)		
राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (चम्बल, सतपुड़ा)		408
यूपीपीसीएल (रिहंद, माताटीला, राजघाट)		174
अन्य 1 (पवन, कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट)		254
योग		**40920**
एमपीएमसीएल की आवंटित (Allocated to MPPMCL)		
एनटीपीसी कोरबा–III		494
आईपीपी टोरेंट		581
एनटीपीसी सीपत चरण–एक	इकाई–1	504
सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, चरण–एक खण्डवा	इकाई–1	1455
(शतप्रतिशत अंशदान)	इकाई–2	1215
सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना, विस्तार, बैतूल	इकाई–10	1436
(शतप्रतिशत अंशदान)	इकाई–11	600
सीपत चरण–एक, बिलासपुर (एनटीपीसी)	इकाई–2	706
	इकाई–3	706
एनटीपीसी मौदा एसटीपीएस, चरण–एक, नागपुर	इकाई–1	428
	इकाई–2	180
विंध्याचल मेगा परियोजना, चरण–चार, सीधी (एनटीपीसी)	इकाई–1	756
	इकाई–2	146
विंध्याचल मेगा परियोजना, चरण–पांच, सीधी (एनटीपीसी)	इकाई–1	0

दामोदर वैली कार्पोरेशन–दुर्गापुर स्टील ताप विद्युत स्टेशन	इकाई–1	318
	इकाई–2	295
यूएमपीपी सासन, सीधी	इकाई–1 तथा 2	1002
	इकाई–3 तथा 4	0
	इकाई–5 तथा 6	0
एस्सार पावर, सीधी	इकाई–1	0
बीना पावर, सागर	इकाई–1	1122
	इकाई–2	1005
जयप्रकाश पावर, नीगरी	इकाई–1	601
	इकाई–2	296
एमबी पावर अनूपपुर	इकाई–1	338
	इकाई–2	0
डीबी पावर, सिंगरौली	इकाई–1	0
श्री महेश्वर जल विद्युत परियोजना, खरगोन (प्रति इकाई क्षमता 40 मेगावाट है – अनिश्चितता के कारण अग्रिम निर्णय होने तक उपलब्धता शून्य है)	इकाई–1 तथा 2	0
	इकाई–3 तथा 4	0
	इकाई–5 तथा 6	0
	इकाई–7 तथा 8	0
	इकाई–9 तथा 10	0
बीएलए पावर, नरसिंहपुर	इकाई–1	90
	इकाई–2	0
झाबुआ पावर, सिवनी	इकाई–1	252
लैंको ताप विद्युत स्टेशन, अमरकंटक		1821
स्वतंत्र विद्युत उत्पादक–रियायती ऊर्जा (IPPs-concessional Energy)		0
नवकरणीय ऊर्जा (पवन, सौर, जैविक आदि)		209
नवकरणीय ऊर्जा (पवन, सौर, जैविक आदि)		1
योग		**16557**
महायोग		**57477**

3.34 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि उपरोक्त दर्शाई गई ऊर्जा की उपलब्धता निम्न कारकों पर आधारित है :

- पश्चिमी क्षेत्रीय पावर समिति (Western Regional Power Comitteee-WRPC) के पत्र क्रमांक WRPC/Comm/1/6/Alloc/2012/684 दिनांक 24 मई, 2012 के अनुसार केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों से मध्यप्रदेश राज्य को क्षमता का आवंटन ;
- प्रस्तावित क्रियाशील की जाने वाली भविष्यगामी क्षमता को एमपीपीएमसीएल को आवंटित किया गया है तथा विद्युत वितरण कम्पनीवार उपलब्धता की गणना चालू विद्यमान क्षमताओं के लिये की गई है ; तथा
- वैयक्तिक स्टेशनों के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य की तीन विद्युत वितरण कम्पनियों की क्षमता का आवंटन मप्र शासन राजपत्र की अधिसूचना पर आधारित है।

याचिकाकर्ताओं द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों की विद्युत क्रय लागत (स्थाई तथा परिवर्तनीय लागत) का आकलन {Assesment of Power Purchase Cost (Fixed and Variable Cost) by the Petitioner}

3.35 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु मप्र विद्युत उत्पादक कम्पनियों के स्टेशनों हेतु स्थाई लागतें (Fixed Costs) वित्तीय वर्ष 2011–12 के स्तर पर रखी गई हैं जैसा कि इन्हें आयोग ने अपने बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 3 मार्च, 2010 द्वारा अनुमोदित किया है।

3.36 याचिकाकर्ताओं ने यह निवेदन भी किया है कि केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों के प्रकरण में केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (केविनिआ) के टैरिफ आदेश के अनुसार स्थाई लागतें वित्तीय वर्ष 2013–14 तक तत्संबंधी विद्युत उत्पादक स्टेशनों हेतु मानी गई हैं। विद्युत उत्पादक स्टेशनों के विवरण तथा जारी किये गये आदेश निम्नानुसार तालिकाबद्ध किये गये हैं ।

तालिका 17 : केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत उत्पादक स्टेशनों से संबंधित केविनिआ टैरिफ आदेश

स्टेशन का नाम	कुल क्षमता मेगावाट में	याचिका क्रमांक	केविनिआ आदेश दिनांक
कोरबा चरण–I तथा II	2,100.00	264 वर्ष 2009	12.10.2012
कोरबा चरण– III	500	247 वर्ष 2010	3.05.2012
विंध्याचल चरण– I	1,260.00	227 वर्ष 2009	11.10.2012
विंध्याचल चरण– II	1,000.00	258 वर्ष 2009	25.05.2012
विंध्याचल चरण– III	1,000.00	260 वर्ष 2009	28.05.2012
कवास गैस पावर स्टेशन	656.20	285 वर्ष 2009	30.12.2011
गंधार गैस पावर स्टेशन	657.37	226 वर्ष 2009	30.12.2012

सीपत चरण– I	1,980.00	28 वर्ष 2011	6.09.2012
सीपत चरण– II	1,000.00	316 वर्ष 2009	6.07.2011
कहलगांव चरण– II	1,500.00	282 वर्ष 2009	13.04.2012
चन्द्रपुरा, डीवीसी		339 वर्ष 2010	10.10.2012

3.37 एमपी जनको तथा केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों हेतु परिवर्तनीय लागतें {ईंधन लागत समायोजन (FPA) को सम्मिलित करते हुए} को वित्तीय वर्ष 2011–12 के देयकों के आधार पर माना गया है जिनमें् केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (केविनिआ) द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 8 अक्टूबर, 2012 के अनुसार निर्दिष्ट की गई वार्षिक दरों के अनुसार वृद्धि की गई है।

3.38 ईंधन लागत समायोजन (FPA) तथा अन्य परिवर्तनीय प्रभारों को वित्तीय वर्ष 2011–12 के देयकों से लिया गया है तथा इनमें परिवर्तनीय लागत प्रति यूनिट के अनुसार इसी विधि द्वारा वृद्धि भी की गई है। चूंकि इन लागतों का भुगतान विशिष्ट रूप से वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाता है तथा चूंकि वित्तीय वर्ष 2012–13 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, अतएव वित्तीय वर्ष 2011–12 के आंकड़ों को आधार मान लिया गया है।

3.39 याचिकाकर्ताओं ने यह निवेदन भी किया है कि केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन के प्रकरण में वित्तीय वर्ष 2012–13 के उपरान्त आठ पैसे प्रति यूनिट की दर से अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (Excise Duty)/उपकर (cess) माना गया है तथा इसे उत्पादन लागत के परिवर्तनीय घटक में शामिल कर लिया गया है।

3.40 केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों के नवीन उदीयमान स्टेशनों के प्रकरण में एमपीपीएमसीएल द्वारा प्राक्कलित की गई लागत को माना गया है जबकि राज्य के स्टेशनों हेतु, लागतें एमपी जनको द्वारा सूचित किये गये अनुसार ली गई हैं।

3.41 वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए विद्युत क्रय लागत के अवधारण हेतु निम्न तालिका समस्त विद्यमान संयंत्रों की लागतों के विवरणों, अर्थात् स्थाई लागतों तथा परिवर्तनीय लागतों को प्रदर्शित करती है :

तालिका 18 : वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु विद्यमान स्टेशनों हेतु दाखिल की गई स्थाई लागत तथा परिवर्तनीय लागत

विद्युत उत्पादक स्टेशन	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु	
	कुल स्थाई लागत (करोड़ रूपये में)	कुल परिवर्तनीय लागत (रूपये प्रति किलोवाट ऑवर में)
एनटीपीसी – कोरबा	188.92	1.03
एनटीपीसी – विंध्याचल I	197.97	2.17
एनटीपीसी – विंध्याचल II	174.09	1.99
एनटीपीसी – विंध्याचल III	204.22	2.02
एनटीपीसी – कवास	96.96	2.95
एनटीपीसी – गंधार	95.56	2.74
काकरापार एटॉमिक पावर परियोजना (केएपीपी)	0.11	2.31
तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन (टीएपीएस)	-	2.84
एनटीपीसी – फरक्का	-	-
एनटीपीसी – तालचेर	-	-
एनटीपीसी – कहलगांव	-	-
एनटीपीसी – सीपत चरण–II	178.43	1.01
एनटीपीसी – कहलगांव–2	63.54	2.44
एनएचडीसी–इन्दिरा सागर	516.14	0.46
सरदार सरोवर	188.93	1.16
ओंकारेश्वर – जल विद्युत स्टेशन	288.88	0.45
दामोदर वैली कार्पोरेशन (डीवीसी) (एमटीपीएस,सीटीपीएस)	177.21	2.45
अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन–चचई, पीएच 1 तथा 2	24.34	1.51
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन–सारनी, पीएच 1, 2 तथा 3	227.72	1.92
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन–बिरसिंहपुर, पीएच 1 तथा 2	303.71	2.57
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन–बिरसिंहपुर, विस्तार	368.54	2.42
अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन–चचई–विस्तार	176.21	1.29
केन्द्रीय जल विद्युत स्टेशन – गांधी सागर	2.04	0.85
केन्द्रीय विद्युत स्टेशन–राणा प्रताप सागर तथा जवाहर सागर	-	1.51
पेंच जल विद्युत स्टेशन	6.39	0.30
बाण सागर टोंस–जल विद्युत स्टेशन	55.35	0.91

बाण सागर टोंस–जल विद्युत स्टेशन–बाण सागर–चार (झिन्ना)	4.70	1.39
बिरसिंहपुर – जल विद्युत स्टेशन	2.01	1.37
बरगी – जल विद्युत स्टेशन	5.46	0.43
राजघाट – जल विद्युत स्टेशन	1.88	1.29
मढ़ीखेड़ा – जल विद्युत स्टेशन	11.12	2.32
अन्य (Others)		
राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (चम्बल, सतपुड़ा)	-	4.27
यूपीपीसीएल (रिहंद, माताटीला, राजघाट)	-	0.08
अन्य 1 (पवन, कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट)	-	3.86

3.42 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि ऐसी क्षमताओं के प्रकरण में जिन्हें वित्तीय वर्ष 2013–14 में क्रियाशील किया जाना प्रस्तावित है, याचिकाकर्ताओं द्वारा तत्संबंधी स्टेशनों के विद्युत क्रय अनुबन्ध (Power Purchase Agreement) की दरों को माना गया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा मानी गई दरें निम्न तालिका में दर्शाई गई हैं :

तालिका 19 : भविष्यगामी क्षमताओं हेतु लागत

विवरण	स्थाई लागतें (करोड़ रूपये में)	परिवर्तनीय प्रभार (रू. किलोवाट ऑवर में)	आधार
सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना–चरण एक खण्डवा (अंशदान शत प्रतिशत)	240	3.50	एमपीपीएमसीएल तथा एमपी जनको से चर्चा के बाद स्थाई तथा परिवर्तनीय प्रभार निर्धारित किये जाएंगे
सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना–विस्तार बैतूल (अंशदान शत प्रतिशत)	96	3.00	वित्तीय वर्ष 2012–13 के उपरान्त, परिवर्तनीय लागत में वृद्धि केविनिआ की दरों के अनुसार की जा रही है
सीपत–चरण–एक बिलासपुर (एसटीपीसी)	48	1.24	एनटीपीसी, सीपत–चरण–एक यूनिट–एक की वर्तमान लागत पर आधारित
एनटीपीसी मौदा सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन चरण–एक	72	1.24	एनटीपीसी,सीपत–चरण–एक यूनिट–एक की वर्तमान लागत पर आधारित
विंध्याचल मेगा परियोजना चरण–4, सीधी (एनटीपीसी)	57	2.06	स्थाई लागत को मेगावाट में मप्र के अंशदान से संबद्ध किया गया है (अर्थात विद्यमान विंध्याचल संयन्त्रों के प्रति मेगावाट लागत के आधार पर)। परिवर्तनीय लागत विध्याचल संयंत्रों के वर्तमान तीन चरणों के औसत पर आधारित है
डीवीसी दुर्गापुर स्टील ताप विद्युत स्टेशन	44	1.22	विद्यमान डीवीसी संयंत्रों की लागत पर आधारित
यूएमपीपी सासन, सीधी	0	1.28	एमपी जनको से चर्चा के अनुसार
बीना पावर, सागर	0	3.80	वित्तीय वर्ष 2012–13 के उपरान्त, एमपी जनको से चर्चा के अनुसार
जयप्रकाश पावर नीगरी			

एमबी पावर, अनूपपुर			परिवर्तनीय लागत में वृद्धि केविनिआ की दरों के अनुसार की जा रही है
बीएलए पावर, नरसिंहपुर झाबुआ पावर, सिवनी लैंको ताप विद्युत स्टेशन, अमरकंटक	0	3.80	वित्तीय वर्ष 2012–13 के उपरान्त, एमपी जनको से चर्चा के अनुसार परिवर्तनीय लागत में वृद्धि केविनिआ की दरों के अनुसार की जा रही है
नवकरणीय ऊर्जा (पवन, सौर, बायो आदि)	0	8.00	मप्र राज्य में नवकरणीय ऊर्जा की प्रतिस्पधात्मक बोली की दरों पर आधारित

याचिकाकर्ताओं द्वारा विद्युत क्रय लागत के अन्य घटकों का आकलन (Assessment of Other Elements of Power Purchase Cost by the Petitioners)

विद्यमान क्षमताओं से संबद्ध अंतर्राज्यीय पारेषण प्रभार (Inter-State Transmission Charges associated with existing capacities) :

3.43 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि मध्यप्रदेश राज्य द्वारा भुगतान किये जाने वाले अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों (पीजीसीआईएल लागत) में पश्चिमी क्षेत्र (Western Region) तथा पूर्वी क्षेत्र (Eastern Region) के पारेषण प्रणाली हेतु भुगतान किये जाने वाले प्रभार शामिल किये गये हैं। पारेषण प्रभारों के प्रक्षेपण के बारे में आयोग द्वारा की गई विशिष्ट पृच्छा की प्रतिक्रिया में, याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि विद्यमान स्टेशनों के बारे में अन्तर्राज्यीय प्रभारों का प्रक्षेपण संयोजन बिन्दु व्यवस्था (Point of connection Regime-POC) लागू किये जाने के बाद वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 के वास्तविक देयकों के आधार पर प्रक्षेपित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु वास्तविक देयक राशि रू. 587 करोड़ है जबकि वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु यह राशि लगभग रू. 634 करोड़ होगी, जो 8.07 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करती है तथा इसी आधार को वित्तीय वर्ष 2013–14 के अन्तर्राज्यीय प्रभारों के प्राक्कलन में भी उपयोग किया गया है। इन प्रभारों की अनुमानित राशि वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु रू. 685.56 करोड़ होगी। याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि ये लागतें विद्युत वितरण कम्पनियों को केन्द्रीय क्षेत्र के स्टेशनों से प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अधिप्राप्त की गई विद्युत की मात्रा के अनुपात में आवंटित की गई है, जैसा कि इसे निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

तालिका 20 : पीजीसीआईएल लागतें : अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार (करोड़ रूपये में)

विवरण	आवंटन (प्रतिशत में)	पीजीसीआईएल लागत
पूर्व क्षेत्र विवि कम्पनी	30%	212
पश्चिम क्षेत्र विवि कम्पनी	38%	267
मध्य क्षेत्र विवि कम्पनी	32%	207
योग	**100%**	**686**

राज्यांतरिक पारेषण प्रभार (Intra- State Transmission Charges)

3.44 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि राज्यान्तरिक पारेषण लागतों की गणना के प्रयोजन से, एमपीपीटीसीएल लागत को वास्तविक व्यय के आधार पर माना गया है, जिसमें सत्यापन राशि को शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार उपलब्ध कराई गई लागतों में राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों की राशि को जोड़ा गया है, जिसके अनुसार तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु कुल एमपीटीसीएल, लागतें प्राप्त की गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि स्टेशनों की औसत भारित आवंटन क्षमता के अनुसार विद्युत वितरण कम्पनियों बाबत पारेषण प्रभारों की कुल रू. 1974.17 करोड़ की राशि को तत्पश्चात तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों को आवंटित किया गया है जैसा कि इसे निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है :

तालिका 21 : विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु दाखिल किये गये राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार (करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2013–14
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	543
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	754
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	677
योग	**1974**

एमपीपीएमसीएल संबंधी अन्य लागतें : विवरण तथा विद्युत वितरण कम्पनीवार आवंटन (MPPMCL Other Costs : Details and Discom Allocation)

3.45 याचिकाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु एमपीपीएमसीएल संबंधी विवरण, अन्य लागतें मय वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु रू. 79.18 करोड़ के अनुमानित शुद्ध व्ययों के प्रस्तुत किये हैं तथा इन्हें तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य विद्यमान स्टेशनों के औसत क्षमता आवंटन के अनुसार आवंटित किया है जैसा कि इसे नीचे तालिकाबद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं द्वारा व्ययों को अनुज्ञेय किये जाने तथा इन्हें तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों की विद्युत क्रय लागत में सम्मिलित किये जाने हेतु भी निवेदन किया गया। यहां स्पष्ट किया जाता है कि मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी 'न लाभ न हानि (No Profit No Loss)' आधार पर संचालित की जा रही है। इसके अतिरिक्त, यह कम्पनी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 18 मई, 2011 के अनुसरण में मप्रविनिआ द्वारा अवधारित विद्युत–दर (टैरिफ) पर विद्युत वितरण कम्पनियों

को विद्युत की आपूर्ति कर रही है। विद्युत वितरण कम्पनियों को आवंटित किये गये व्ययों तथा लागतों के वितरण निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका 22 : वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु दाखिल किये गये एमपीपीएमसीएल के व्यय

(करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2013–14
विद्युत क्रय	11.79
अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार	72.04
अवक्षयण/अवमूल्यन व्यय	2.26
ब्याज तथा वित्त प्रभार	84.20
मरम्मत तथा संधारण व्यय	1.94
कर्मचारी व्यय	38.11
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	11.22
अन्य व्यय	25.59
योग	**247.15**
घटायें :	
आय	167.97
शुद्ध व्यय	**79.18**

तालिका 23 : विद्युत वितरण कम्पनियों को आवंटित की गई एमपीपीएमसीएल लागतें

(करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2013–14
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	21.68
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	30.30
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	27.19
योग	**79.18**

3.46 याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल की गई कुल विद्युत क्रय की लागत निम्न तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका 24 : वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु दाखिल की गई कुल विद्युत प्रदाय लागत

(राशि करोड़ रूपये में)

विद्युत क्रय लागत संबंधी विवरण		पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	राज्य
ए	एक्सबस क्रय किये जाने वाली यूनिट संख्या (मिलियन यूनिट में)	16903	23481	18059	58443
बी	स्थाई लागत (करोड़ रूपये में)	1079.73	1390.94	1089.76	3560
सी	परिवर्तनीय लागत (करोड़ रूपये में)	3589.18	5242.22	3964.60	12796
डी	एमपीपीएमसीएल लागतें (करोड़ रूपये में)	21.68	30.30	27.19	79
ई=बी+सी+डी	'एक्स–बस' कुल विद्युत क्रय लागत (करोड़ रूपये में)	4690.60	6663.46	5081.55	16436
इ/ए	विद्युत क्रय की दर (रूपये/किलोवाट में)	2.78	2.84	2.81	2.81
एच	बाह्य हानियां (मिलियन यूनिट में)	250	254	203	707
आई	अन्तर्राज्यीय पारेषण लागत (करोड़ रूपये में)	212.17	266.63	206.76	686
जे=(ए–एच)	राज्य सीमा पर क्रय किये जाने वाली यूनिट संख्या (मिलियन यूनिट में)	16653	23226	17856	57735
के=(आई+ई)	राज्य सीमा पर विद्युत क्रय की कुल लागत (करोड़ रूपये में)	4902.77	6930.09	5288.31	17121
जे/के	राज्य सीमा पर विद्युत क्रय की दर (रूपये/किलोवाट ऑवर में)	2.94	2.98	2.96	2.93
एल	राज्यान्तरिक पारेषण लागत–एमपीपीटीसीएल, राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार को शामिल करते हुए (करोड़ रूपये में)	542.93	754.42	676.82	1974
एम=(के+एल)	विद्युत वितरण कम्पनी अन्तर्मुख पर कुल विद्युत क्रय लागत (करोड़ रूपये में)	5445.70	7684.52	5965.13	19095
एन	पारेषण हानि (मिलियन यूनिट में)	717	1000	769	2486
ओ=(के–एन)	विद्युत वितरण कम्पनी सीमा पर क्रय किये जाने वाले यूनिटों की संख्या (मिलियन यूनिट में)	15935.89	22226.33	17087.65	55250
ओ/एम	विद्युत वितरण कम्पनी सीमा पर क्रय की दर (रूपये/किलोवाट आवर)	3.42	3.46	3.49	3.46

ऊर्जा संतुलन तथा विद्युत क्रय के संबंध में आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis of Energy Balance and Power Purchase)

वितरण हानियां (Distribution Losses)

3.47 आयोग द्वारा टैरिफ अवधि वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु विनियम, मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2012 का दिनांक 29 नबम्बर, 2012 को अधिसूचित किया गया है। विनियमों में विनिर्दिष्ट किया गया वितरण हानि स्तर प्रक्षेपण (Trajectory) निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 25 : विनियमों के अनुसार हानि के लक्ष्य (प्रतिशत में)

हानि के लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2014–15	वित्तीय वर्ष 2015–16
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	**23%**	20%	18%
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	**20%**	18%	16%
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	**23%**	21%	19%

3.48 ऊर्जा की आवश्यकता के प्रक्षेपण के संबंध में आयोग ने वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु वितरण हानियों को उपरोक्त तालिका में दर्शायेनुसार ध्यान में रखा है। आयोग ने यह भी संज्ञान में लिया है कि याचिकाकर्ताओं ने अपने प्रस्तुतिकरण में विनिर्दिष्ट हानि स्तर प्रक्षेप–वक्र (Trajectory) के संबंध में विनियमों के उपबंधों के अनुरूप इसे प्रस्तुत किया है। तथापि विद्युत आहरण के संबंध में विद्युत की आवश्यकता की माहवार गणना करते समय, याचिकाकर्ताओं ने वार्षिक हानि स्तरों की गणना माहवार हानियों के अंकगणितीय औसतों (arthmetical averages) के आधार पर की है। इसे विनियमों में विनिर्दिष्ट किये गये हानि प्रक्षेप–वक्र (Loss trajectgory) के अनुरूप नहीं पाया गया है। आयोग ने विनिर्दिष्ट हानिस्तरों के वार्षिक स्तर पर वार्षिक विक्रय का सकलीकरण आगे दर्शाये गये परिच्छेदों/तालिकाओं में दर्शायेनुसार किया है।

बाह्य (पीजीसीआईएल) हानियां [External (PGCIL) Losses]

3.49 पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र स्टेशनों हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण हानियों की गणना पृथक–पृथक की गई है। वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु, पश्चिमी क्षेत्र के लिये पिछले आंकड़े (25 मार्च, 2012 को समाप्त वाले सप्ताह तक 52 सप्ताह हेतु) जैसा कि ये पीजीसीआईएल की वैबसाईट पर उपलब्ध हैं, माने गये हैं तथा इस हेतु 3.65% के औसत हानि स्तर का उपयोग किया गया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल किये गये अनुसार पूर्वी क्षेत्र हेतु पारेषण लाईन हानियों का औसत हानि स्तर 2.50% माना गया है।

3.50 आयोग ने वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु मप्रविनिआ (पारेषण टैरिफ की निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2012 के अनुसार राज्यान्तरिक पारेषण हानियां 3.16% मानी गई हैं। वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु, तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के अनुमोदित विक्रय (approved sale) पर आधारित ऊर्जा संतुलन/विद्युत क्रय आवश्यकता निम्न तालिका में प्रस्तुत की गई है:

तालिका 26 : विद्युत क्रय की आवश्यकता की गणना

विवरण	सम्पूर्ण राज्य हेतु	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं
कुल विक्रय (मिलियन यूनिट में)	43011	12248	17619	13143
वितरण हानि (प्रतिशत में)	**21.80%**	**23.00%**	**20.00%**	**23.00%**
वितरण हानि (मिलियन यूनिट में)	11989	3658	4405	3926
पारेषण–वितरण अन्तर्मुख पर आहरण (मिलियन यूनिट में)	55000	15906	22024	17069
पारेषण हानि (प्रतिशत में)	**3.16%**	**3.16%**	**3.16%**	**3.16%**
पारेषण हानि (मिलियन यूनिट में)	1795	519	719	557
उत्पादन–पारेषण अन्तर्मुख पर आहरण (मिलियन यूनिट में)	56795	16426	22743	17626
पीजीसीआईएल हानियां (प्रतिशत में)				
पश्चिमी क्षेत्र–पीजीसीआईएल हानियां (प्रतिशत में)	**3.65%**	**3.65%**	**3.65%**	**3.65%**
पूर्वी क्षेत्र–पीजीसीआईएल हानियां (प्रतिशत में)	**2.50%**	**2.50%**	**2.50%**	**2.50%**
पीजीसीआईएल हानियां (मिलियन यूनिट में)	**1290**	**417**	**507**	**366**
विद्युत क्रय आवश्यकता (Power Purchase Requirement) (मिलियन यूनिट में)	**58084**	**16842**	**23250**	**17992**

3.51 मध्यप्रदेश शासन ने ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्र 2254/13/02 भोपाल दिनांक 19 मार्च, 2013 द्वारा तीनों विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की विद्यमान उत्पादन क्षमता आवंटन को पुनरीक्षित किया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु राज्य भर में एक समान खुदरा विद्युत प्रदाय विद्युत–दर (टैरिफ) को कायम रखे जाने की दृष्टि से, मप्र शासन द्वारा आयोग को सूचित किया है कि आयोग एमपीपीएमसीएल को स्टेशनों की क्षमताओं/लागतों का विभाजन आगे विद्युत वितरण कम्पनियों को कर सकता है।

3.52 मप्र शासन के पत्र क्रमांक 2254/13/13/02 भोपाल दिनांक 19 मार्च, 2013 द्वारा पूर्व, पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों की उत्पादन क्षमताओं का आवंटन निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बुन्देलखण्ड तथा अन्य क्षेत्रों हेतु 200 मेगावाट के विशिष्ट आवंटन को भी शामिल किया गया है :

तालिका 27 : विद्युत वितरण कम्पनियों को स्टेशनवार क्षमता आवंटन (प्रतिशत में)

वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु प्रस्तावित विद्युत वितरण कम्पनीवार आवंटन

सरल क्रमांक	विद्युत उत्पादक स्टेशन का नाम	स्थापित क्षमता (मेगावाट में)	राज्य को आवंटित (मेगावाट में)	बुन्देलखंण्ड क्षेत्र को विशिष्ट आवंटन (मेगाावाट में)	राज्य को आवंटित (विशेष आवंटन को छोड़कर) (मेगावाट में)	विद्युत वितरण कंपनीवार आवंटन (प्रतिशत में) (विशिष्ट आवंटन को छोड़कर)			
						पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	योग
ए. केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन									
1	पश्चिमी क्षेत्र–केएसटीपीएस	2100	490	53	437	32%	37%	31%	100%
2	पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–I	1260	445	32	413	31%	32%	37%	100%
3	पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–II	1000	321	25	296	30%	35%	35%	100%
4	पश्चिमी क्षेत्र–कवास जीपीपी	656	140	0	140	35%	40%	25%	100%
5	पश्चिमी क्षेत्र –गंधार जीपीपी	657	117	0	117	32%	38%	30%	100%
6	पश्चिमी क्षेत्र–काकरापार एपीएस	440	111	11	100	25%	40%	35%	100%
7	पश्चिमी क्षेत्र–तारापुर एपीएस इकाई क्रं. 3 तथा 4	1080	234	28	206	25%	40%	35%	100%
8	पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–III	1000	250	25	225	25%	40%	35%	100%
9	पश्चिमी क्षेत्र –सीपत–II	1000	193	26	167	30%	40%	30%	100%
10	पूर्वी क्षेत्र–कहलगांव एसटीपीएस–II	1500	75	0	75	27%	53%	20%	100%
11	दामोदर वैली कार्पोरेशन (एमटीपीएस, सीटीपीएस)	500	200	0	200	33%	53%	14%	100%
	उप–योग	**11193**	**2576**	**200**	**2376**				
बी. राज्य विद्युत उत्पादक स्टेशन									
I	**ताप विद्युत**								
1	अमरकंटक संकुल	240	240	0	240	27%	33%	40%	100%
2	अमरकंटक विस्तार	210	210	0	210	27%	33%	40%	100%
3	सतपुड़ा टीपीएस पीएच I, II, III	1080	980	0	980	29%	32%	39%	100%
4	संजय गांधी टीपीएस विस्तार	500	500	0	500	28%	32%	40%	100%
5	संजय गांधी टीपीएस	840	840	0	840	28%	32%	40%	100%
	उप–योग	**2870**	**2770**	**0**	**2700**				
II	**जल विद्युत स्टेशन**								
	अन्तर्राज्यीय								
1	गांधी सागर	115	58	0	58	23%	27%	50%	100%
2	राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	271	136	0	136	20%	30%	50%	100%
3	पेंच	160	107	0	107	20%	40%	40%	100%
4	राजघाट	45	23	0	23	20%	40%	40%	100%
	उप–योग	**591**	**324**	**0**	**324**				
	सम्पूर्ण मप्र राज्य को आवंटन								
1	बरगी	100	100	0	100	25%	50%	25%	100%
2	बिरसिंहपुर	20	20	0	20	30%	50%	20%	100%

3	बाण सागर– I	315	315	0	315	30%	40%	30%	100%
4	बाण सागर– II	30	30	0	30	30%	40%	30%	100%
5	बाण सागर– IIi	60	60	0	60	30%	40%	30%	100%
6	बाण सागर– Iv	20	20	0	20	30%	40%	30%	100%
7	मढ़ीखेड़ा	60	60	0	60	30%	50%	20%	100%
	उप–योग	**605**	**605**	**0**	**605**				
	द्विपक्षीय एवं अन्य								
1	इंदिरा सागर	1015	1015	0	1015	22%	53%	25%	100%
2	अपारंपरिक–पवन विद्युत उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-
3	कैप्टिव	-	-	-	-	-	-	-	-
4	सरदार सरोवर	1450	827	0	827	32%	43%	25%	100%
5	ओंकारेश्वर	520	520	0	520	30%	45%	25%	100%
	उप–योग	**2985**	**2362**	**0**	**2362**				
6	राजस्थान राज्य विद्युत मंडल (चम्बल, सतपुड़ा)	-	-	-	-	-	-	-	-
7	यूपीपीसीएल (रिहंद, माताटीला, राजघाट)	**55**	55	0	**55**	29%	38%	33%	100%
उप–योग		55	55	0	55				
महायोग		**18299**	**8692**	**200**	**8492**	**28%**	**39%**	**33%**	**100%**

3.53 याचिकाकर्ताओं द्वारा ऐसे विद्युत उत्पादक स्टेशनों के विवरण प्रस्तुत किये गये हैं जो मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल) को आवंटित किये गये हैं जिनमें ऐसे स्टेशनों के विवरणों को भी शामिल किया गया है जिन्हें पूर्व में क्रियाशील (commission) किया जा चुका है तथा जिन्हें वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान क्रियाशील किया जाना अपेक्षित है। एमपीपीएमसीएल को आवंटित विद्युत उत्पादक स्टेशनों के विवरण को निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

तालिका 28 : वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु एमपीपीएमसीएल को आवंटित विद्युत उत्पादक स्टेशन

विसरल क्रमांक	विवरण	एमपीपीएमसीएल को आवंटित (मेगावाट में)
1	सीपत–I (तीन इकाईयां)	341
2	एनटीपीसी कोरबा– III	77
3	आईपीपी–टोरेंट	100
4	सिंगाजी ताप विद्युत स्टेशन चरण– I –इकाई–1	600
	सिंगाजी ताप विद्युत स्टेशन चरण– I –इकाई–2	600
5	सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन विस्तार–इकाई–10	250
	सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन विस्तार–इकाई–11	250

6	एनटीपीसी मौदा– ताप विद्युत स्टेशन–इकाई–1	78
	एनटीपीसी मौदा– ताप विद्युत स्टेशन–इकाई–2	78
7	विंध्याचल मेगा परियोजना, चरण–चार–इकाई–1	143
	विंध्याचल मेगा परियोजना, चरण–चार–इकाई–2	128
8	डीवीसी दुर्गापुर स्टील ताप विद्युत स्टेशन–इकाई–1	50
	डीवीसी दुर्गापुर स्टील ताप विद्युत स्टेशन–इकाई–2	50
9	यूएमपीपी सासन सीधी	495
10	बीना पावर सागर इकाई– 1	175
	बीना पावर सागर इकाई– 2	175
11	जयप्रकाश पावर, नीगरी–इकाई– I	248
	जयप्रकाश पावर, नीगरी–इकाई– 2	247
12	एमबी पावर, अनूपपुर	210
13	बीएलए पावर, नरसिहपुर	16
14	झाबुआ पावर, सिवनी	210
15	लैंको ताप विद्युत स्टेशन, अमरकंटक	300
16	सौर, पवन, बायोमास	50
	कुल क्षमता (मेगावाट में)	**5070**

3.54 प्रत्येक स्टेशन से वैयक्तिक रूप से ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से, ऊर्जा की उपलब्धता, जैसा कि इसे याचिकाकर्ताओं ने दाखिल किया है, की तुलना उपलब्धता के साथ, इसकी गणना विद्युत उत्पादन कम्पनियों के पूर्व के तीन वर्षों के निष्पादन के आधार पर करते हुए, की गई है।

3.55 जहां तक विद्यमान विद्युत उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की उपलब्धता का संबंध है, आयोग ने माह दिसम्बर 2012 तक उपलब्ध पश्चिमी क्षेत्र की ऊर्जा समिति (Western Regional Power Committee -WRPC) तथा पूर्वी क्षेत्र की ऊर्जा समिति (Eastern Regional Power Committee -ERPC) द्वारा प्रकाशित क्षेत्रीय ऊर्जा खातों (Regional Energy Accounts) पर आधारित राज्य को आवंटित विद्युत स्टेशनों के वास्तविक ऊर्जा उत्पादन के औसत पर विचार किया है।

3.56 इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु दाखिल किये गये स्टेशनवार ऊर्जा की उपलब्धता के प्रक्षेपणों का अवलोकन करते समय, आयोग ने यह पाया है कि मप्र जनरेशन कम्पनी के स्टेशनों तथा एमपीपीएमसीएल को आवंटित नवीन विद्युत उत्पादक स्टेशनों बाबत याचिकाकर्ताओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु प्रक्षेपित

की गई ऊर्जा की उपलब्धता उल्लेखनीय रूप से काफी कम है। इस संबंध में आयोग ने मप्र जनको को जारी पत्र क्रमांक 238 दिनांक 24 जनवरी 2013 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु मप्र जनको स्टेशनों हेतु ऊर्जा की उपलब्धता के प्रक्षेपणों को प्रस्तुत किये जाने का आग्रह किया। मप्र जनको द्वारा पत्र क्रमांक 240 दिनांक 24 जनवरी, 2013 के माध्यम से ऊर्जा की उपलब्धता के प्रक्षेपण प्रस्तुत किये गये। तत्पश्चात, आयोग ने वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु मप्र जनको द्वारा मप्र जनको स्टेशनों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु प्रस्तुत किये गये आंकड़ों की समीक्षा की। इसके अलावा भी, आयोग ने पत्र दिनांक 24 जनवरी, 2013 के माध्यम से नर्मदा हायड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएचडीसी), से वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु इन्दिरा सागर पावर स्टेशन (आईएसपीएस) तथा ओंकारेश्वर (ओएसपी) की विद्युत उपलब्धता के प्रक्षेपण भी चाहे थे। एनएचडीसी ने अपने पत्र दिनांक 28 जनवरी, 2013 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु माह दिसम्बर, 2012 तक की विद्युत उपलब्धता तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 के प्रक्षेपण प्रस्तुत किये हैं। आयोग ने वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु ऊर्जा उपलब्धता के प्रक्षेपण हेतु पिछले तीन वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2010–11, वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 (माह दिसम्बर, 2012 तक) की औसत ऊर्जा उपलब्धता पर विचार किया है। जहां तक एमपीपीएमसीएल को आवंटित किये गये नवीन विद्युत उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की उपलब्धता का संबंध है, आयोग ने ऊर्जा की उपलब्धता का प्रक्षेपण केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग की टैरिफ की निबन्धन तथा शर्तों से संबंधित विनियम, 'CERC (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2009' के अन्तर्गत निर्दिष्ट किये गये मानदण्डों के आधार पर किया है।

3.57 वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु प्रक्षेपित किये गये माहवार विद्युत उपलब्धता के विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत किये गये हैं :

तालिका 29 : वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु माहवार मिलियन यूनिट विद्युत उपलब्धता के प्रक्षेपण

स. क्रं.	विद्युत उत्पादक स्टेशन	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	योग
I विद्युत वितरण कम्पनियों को आवंटित														
ए. केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन														
1	पश्चिमी क्षेत्र –केएसटीपीएस	276	273	278	326	336	244	285	313	276	261	281	300	3449
2	पश्चिमी क्षेत्र–वीएस टीपीएस–I	253	258	264	297	245		258	278	297	300	275	302	3212
3	पश्चिमी क्षेत्र–वी एसटीपीएस–II	211	226	204	180	152	134	205	213	226	218	199	196	2366
4	पश्चिमी क्षेत्र– कवास जीपीपी	66	62	45	48	37	26	72	49	64	55	63	71	655
5	पश्चिमी क्षेत्र– गंधार जीपीपी	57	61	44	54	33	21	50	58	52	50	46	50	574
6	पश्चिमी क्षेत्र–	55	54	51	55	45	35	53	50	48	60	59	69	634

	काकरापार एपीएस													
7	पश्चिमी क्षेत्र – तारापुर एपीएस इकाई 3 तथा 4	112	121	102	107	124	126	110	113	114	131	123	115	1398
8	पश्चिमी क्षेत्र–वी एसटीपीएस–III	174	178	150	130	145	142	169	167	177	177	160	179	1947
9	पश्चिमी क्षेत्र – सीपत–II	113	135	124	129	119	116	118	104	126	137	126	138	1484
10	पूर्वी क्षेत्र– कहलगांव एसटीपीएस–II	32	31	25	17	17	18	29	34	33	37	36	47	357
11	दामोदर वैली कार्पोरेशन (एमटीपीएस, सीटीपीएस)	189	183	212	219	182	22	50	101	148	149	135	127	1717
	उप–योग	**1539**	**1582**	**1498**	**1561**	**1434**	**1068**	**1400**	**1480**	**1562**	**1575**	**1503**	**1594**	**17794**
बी राज्य के विद्युत उत्पादन स्टेशन														
I	**ताप विद्युत**													
1	अमरकंटक संकुल	125	139	56	77	80	43	75	90	124	135	119	139	1202
2	अमरकंटक विस्तार	124	132	123	90	111	70	126	119	137	140	127	126	1426
3	सतपुड़ा टीपीएस पीएच I,II,तथा III	448	433	361	345	292	303	405	433	481	486	416	442	1845
4	संजय गांधी टीपीएस विस्तार	274	294	312	287	199	220	326	327	358	343	293	346	3579
5	संजय गांधी टीपीएस	422	408	340	325	275	286	382	408	453	458	392	416	4563
	उप–योग	**1394**	**1407**	**1192**	**1125**	**956**	**922**	**1314**	**1376**	**1553**	**1562**	**1346**	**1469**	**15615**
II	**जल विद्युत स्टेशन**													
	अन्तर्राज्यीय													
1	गांधी सागर	8	10	2	0	0	4	17	44	37	25	25	14	187
2	राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	1	1	3	2	11	9	14	67	72	83	46	29	337
3	पेंच	14	11	12	5	7	33	33	19	19	22	19	17	210
4	राजघाट	0	0	0	3	6	5	3	5	7	8	7	1	45
	उप–योग	**23**	**22**	**17**	**10**	**24**	**52**	**67**	**135**	**134**	**137**	**97**	**61**	**779**
सम्पूर्ण राज्य को मप्र आवंटन														
1	बरगी	46	27	22	33	51	65	54	44	41	30	45	40	499
2	बिरसिंहपुर	0	0	1	10	14	16	3	1	0	0	0	0	45
3	बाण सागर–I													
4	बाण सागर–II	67	78	87	103	124	131	148	103	102	85	89	98	1214
5	बाण सागर–III													
6	बाण सागर–Iv	2	2	3	3	3	6	9	9	9	7	7	6	66
7	मढ़ीखेड़ा	0	0	2	11	21	11	3	8	6	6	3	6	76
	उप–योग	**114**	**108**	**116**	**160**	**213**	**229**	**217**	**164**	**158**	**128**	**144**	**150**	**1900**
	द्विपक्षीय एवं अन्य													
1	इंदिरा सागर	130	140	137	135	413	532	263	206	222	245	181	193	276
2	अपारंपरिक– पवन ऊर्जा उत्पादन	19	35	43	32	9	9	6	8	9	13	14	3	200
3	कैप्टिव	3	1	2	2	4	9	4	5	7	7	7	3	54
4	सरदार सरोवर	123	130	130	133	366	481	194	112	108	158	107	116	2157
5	ओंकारेश्वर	69	70	70	94	157	207	112	87	90	93	105	85	1240
	उप–योग	**345**	**376**	**381**	**396**	**948**	**1238**	**579**	**418**	**437**	**516**	**414**	**400**	**6448**
6	राजस्थान राज्य विद्युत मंडल (चम्बल,सतपुड़ा)	49	45	33	37	30	37	48	30	23	8	29	38	408
7	यूपीपीसीएल (रिहंद,माताटीला, राजघाट)	7	8	5	8	15	17	16	20	21	16	24	17	174
	उप–योग	**56**	**53**	**38**	**45**	**46**	**54**	**64**	**50**	**44**	**24**	**53**	**55**	**582**
	महायोग	**3471**	**3547**	**3242**	**3297**	**3620**	**3562**	**3640**	**3624**	**3888**	**3942**	**3556**	**3729**	**43118**
2. एमपीपीएमसीएल को आवंटित														
1	पश्चिमी क्षेत्र	127	159	158	157	165	116	159	185	197	196	175	122	1917

	सीपत–I (3 इकाईयां)													
2	एनटीपीसी –कोरबा– III	43	34	38	52	52	19	32	52	40	49	51	33	494
3	आईपीपी टोरेंट	72	74	23	27	17	65	71	48	40	47	41	55	581
4	सिंगाजी ताप विद्युत स्टेशन चरण–I –इकाई–1	0	0	0	0	0	338	349	338	349	349	315	349	2387
	सिंगाजी ताप विद्युत स्टेशन चरण–I –इकाई–2	0	0	0	0	0	0	349	338	349	349	315	349	2049
5	सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन विस्तार–इकाई–10	141	145	141	145	145	141	145	141	145	145	131	145	1713
	सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन विस्तार–इकाई–11	0	0	0	0	0	141	145	141	145	145	141	145	1004
6	एनटीपीसी मौदा–ताप विद्युत स्टेशन–इकाई–1	44	45	44	45	45	44	45	44	45	45	41	45	534
	एनटीपीसी मौदा–ताप विद्युत स्टेशन–इकाई–2	0	0	0	0	0	44	45	44	45	45	41	45	310
7	विंध्याचल मेगा परियोजना, चरण चार –इकाई–1	0	83	81	83	83	81	83	81	83	83	75	83	899
	विंध्याचल मेगा परियोजना, चरण –चार–इकाई–2	0	0	0	0	0	0	0	0	74	74	67	74	291
8	डीवीसी दुर्गापुर स्टील ताप विद्युत स्टेशन– इकाई–1	28	29	28	29	29	28	29	28	29	29	26	29	343
	डीवीसी दुर्गापुर स्टील ताप विद्युत स्टेशन –इकाई–2	28	29	28	29	29	28	29	28	29	29	26	29	343
9	यूएमपीपी सासन सीधी	0	0	0	0	0	0	288	279	288	288	260	288	1691
10	बीना पावर, सागर इकाई– 1	98	101	98	101	101	98	101	98	101	101	91	101	1192
	बीना पावर, सागर इकाई –2	98	101	98	101	101	98	101	98	101	101	91	101	1192
	जयप्रकाश पावर, नीगरी –इकाई– I	0	0	0	0	0	144	144	140	144	144	130	144	991
11	जयप्रकाश पावर, नीगरी –इकाई–2	0	0	0	0	0	0	0	0	144	144	130	144	561
12	एमबी पावर, अनूपपुर	0	0	0	0	0	0	0	118	122	122	110	122	595
13	बीएल पावर, नरसिंहपुर	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	9	105
14	झाबुआ पावर, सिवनी	0	0	0	0	0	0	0	0	122	122	110	122	477
15	लैंको ताप विद्युत स्टेशन, अमरकंटक	169	175	169	175	175	169	175	169	175	175	158	175	2055
16	सौर, पवन, बायोमास	17	18	17	18	18	17	18	17	18	18	16	18	209
	डप–योग	**874**	**1003**	**932**	**972**	**970**	**1579**	**2319**	**2395**	**2796**	**2811**	**2552**	**2729**	**21933**
	महायोग	**4345**	**4549**	**4174**	**4269**	**4590**	**5142**	**5959**	**6019**	**6684**	**6753**	**6109**	**6458**	**65054**

3.58 दीर्घकालीन स्त्रोतों (Long term sources) से स्थाई उपलब्धता (firm availability) की गणना 43118 मिलियन यूनिट की गई है तथा एमपीपीएमसीएल को आवंटित किये गये स्त्रोतों से, अर्थात् अस्थाई उपलब्धता (Infirm availability) की गणना 21933 मिलियन

यूनिट की गई है। स्थाई उपलब्धता को विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य मध्यप्रदेश शासन ऊर्जा विभाग के पत्र क्रमांक 2254/13/13/02 दिनांक 19 मार्च, 2013 के अनुसार वितरित किया गया है। तत्पश्चात्, अस्थाई उपलब्धता (infirm availability) पर विद्युत वितरण कम्पनियों की अवशेष आवश्यकता के अनुपात के आधार पर विचार किया गया है। इसके उपरान्त, अवशेष आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाया गया है जिसकी पूर्ति चौबीस घंटे (RTC) 500 मेगावाट मध्यमकालीन स्त्रोतों (medium term sources) से की जाएगी जैसा कि इसे माह अक्टूबर 2012 से प्रस्तावित किया गया है। तदनुसार, माहवार विद्युत वितरण कम्पनीवार आवश्यकता तथा अनुमानित उपलब्धता (मिलियन यूनिट में) निम्नानुसार तालिकाबद्ध की गई है :

तालिका 30 : विद्युत की उपलब्धता तथा आवश्यकता

वित्तीय वर्ष 2013–14 (प्रक्षेपण)													
विद्युत क्रय आवश्यकता – एक्स विद्युत उत्पादक बस (मिलियन यूनिट में)													
विवरण	**अप्रैल**	**मई**	**जून**	**जुलाई**	**अगस्त**	**सितम्बर**	**अक्टूबर**	**नवम्बर**	**दिसम्बर**	**जनवरी**	**फरवरी**	**मार्च**	**योग**
मध्य क्षेत्र विवि कंपनी	1260	1438	1436	1438	1441	1440	1442	1618	1796	1797	1442	1443	**17992**
पश्चिम क्षेत्र विवि कंपनी	1629	1858	1857	1858	1866	1863	1862	2089	2092	2094	2090	2091	**23250**
पूर्व क्षेत्र विवि कंपनी	1181	1183	1181	1347	1351	1347	1349	1678	1516	1681	1514	1515	**16842**
राज्य हेतु योग	**4069**	**4479**	**4474**	**4643**	**4658**	**4651**	**4654**	**5384**	**5404**	**5572**	**5045**	**5049**	**58084**
समस्त स्त्रोतों से उपलब्धता–एक्स विद्युत उत्पादक बस (मिलियन यूनिट में)													
दीर्घकालीन स्त्रोतों से आवश्यकता की पूर्ति	**3471**	**3547**	**3242**	**3297**	**3620**	**3562**	**3640**	**3624**	**3888**	**3942**	**3556**	**3729**	**43118**
दीर्घ कालीन स्त्रोतों से पूर्ति के उपरांत अवशेष आवश्यकता	598	932	1233	1346	1038	1089	1014	1760	1516	1630	1489	1321	**14966**
एमपीपीएमसीएल स्त्रोत, जैसा कि वे उपलब्ध है	874	1003	932	972	970	1579	2319	2395	2796	2811	2552	2729	**21933**
आवश्यकता जिसकी पूर्ति एमपीपीएमसीएल स्त्रोतों से की जाएगी	598	932	932	972	970	1089	1014	1760	1516	1630	1489	1321	**14224**
दीर्घकालीन तथा एमपीपीएमसीएल से पूर्ति के बाद अवशेष आवश्यकता	0	0	301	374	68	0	0	0	0	0	0	0	**742**
मध्यम कालीन क्रय (Medium Purchase) से आवश्यकता की पूर्ति	-	-	301	374	68	0	0	0	0	0	0	0	**742**
कुल उपलब्धता	**4069**	**4479**	**4474**	**4643**	**4658**	**4651**	**4654**	**5384**	**5404**	**5572**	**5045**	**5049**	**58084**

3.59 राज्य की तीन विद्युत वितरण कंपनियों को स्टेशनवार विद्युत आवंटन निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 31 : विद्युत वितरण कंपनियों को स्टेशनवार क्षमता आवंटन (मिलियन यूनिट में)

सरल क्रमाक	विद्युत उत्पादक स्टेशन	स्थापित क्षमता (मेगावाट में)	राज्य को आवंटन (मेगावाट में)	राज्य को आवंटन (प्रतिशत में)	विद्युत वितरण कंपनीवार आवंटन (मेगावाट मे विशिष्ट आवंटन को शामिल करते हुए)		
ए. केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन					**पूर्व क्षेत्र विविकं**	**पश्चिम क्षेत्र विविकं.**	**मध्य क्षेत्र विविकं**
1	पश्चिमी क्षेत्र – केएसटीपीएस	2100	490	23.33%	193	162	135
2	पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–I	1260	445	35.33%	160	132	153
3	पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस– II	1000	321	32.10%	114	103	104
4	पश्चिमी क्षेत्र–कवास जीपीपी	656	140	21.33%	49	56	35
5	पश्चिमी क्षेत्र–गंधार जीपीपी	657	117	17.80%	37	44	35
6	पश्चिमी क्षेत्र–काकरापार एपीएस	440	111	25.32%	36	40	35
7	पश्चिमी क्षेत्र–तारापुर एपीएस इकाई 3 तथा 4	1080	234	21.65%	80	82	72
8	पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–III	1000	250	24.96%	81	90	79
9	पश्चिमी क्षेत्र –सीपत–II	1000	193	19.26%	76	67	50
10	पूर्वी क्षेत्र–कहलगांव एसटीपीएस–II	1500	75	5.00%	20	40	15
11	दामोदर वैली कार्पोरेशन (एमटीपीएस, सीटीपीएस)	500	200	40.00%	66	106	28
	उप–योग	**11193**	**2576**		**912**	**922**	**741**
बी.	**राज्य के विद्युत उत्पादक स्टेशन**						
I	**ताप विद्युत**						
1	अमरकंटक संकुल	240	240	100.00%	65	79	96
2	अमरकंटक विस्तार	210	210	100.00%	57	69	84
3	सतपुड़ा टीपीएस–पीएच I,II, III	1080	980	90.74%	284	314	382
4	संजय गांधी टीपीएस विस्तार	500	500	100.00%	140	160	200
5	संजय गांधी टीपीएस	840	840	100.00%	235	269	336
	उप–योग	**2870**	**2770**		**781**	**891**	**1098**
II	**जल–विद्युत**						
	अन्तर्राज्यीय						
1	गांधी सागर	115	58	50.00%	13	16	29
2	राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	271	136	50.00%	27	41	68
3	पेंच	160	107	66.67%	21	43	43
4	राजघाट	45	23	50.00%	5	9	9

	उप–योग	**591**	**324**		**66**	**109**	**149**
	सम्पूर्ण मप्र राज्य को आवंटन						
1	बरगी	100	100	100.00%	25	50	25
2	बिरसिंहपुर	20	20	100.00%	6	10	4
3	बाण सागर–I	315	315	100.00%	95	126	95
4	बाण सागर–II	30	30	100.00%	9	12	9
5	बाण सागर–III	60	60	100.00%	18	24	18
6	बाण सागर–IV	20	20	100.00%	6	8	6
7	मढ़ीखेड़ा	60	60	100.00%	18	30	12
	उप–योग	**605**	**605**		**177**	**260**	**169**
	द्विपक्षीय एवं अन्य						
1	इंदिरा सागर	1015	1015	100.00%	223	538	254
2	अपारंपरिक –पवन ऊर्जा	**0**	0	0	0	0	0
3	कैप्टिव	**0**	0	0	0	0	0
4	सरदार सरोवर	1450	827	57.00%	265	355	207
5	ओंकारेश्वर	520	520	100.00%	156	234	130
	उप–योग	**2985**	**2362**		**644**	**1127**	**591**
6	आरएसइबी (चम्बल, सतपुड़ा)	55	55	100%	16	21	18
7	यूपीपीसीएल (रिहंद, माताटीला, राजघाट)	0	0	0	0	0	0
	उप–योग	**55**	**55**		**16**	**21**	**18**
	महायोग	**18299**	**8692**		**2596**	**3330**	**2766**

3.60 वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु स्टेशनवार एक्स–बस उपलब्धता तथा राज्य सीमा पर विद्युत की उपलब्धता पश्चिमी क्षेत्र एवं पूर्वी क्षेत्र हेतु, पीजीसीआईएल प्रणाली हानियों पर विचारोपरांत, निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 32 : विद्युत वितरण कंपनियों की स्टेशनवार उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)

	स्टेशन का नाम	**उपलब्धता (एक्स बस)**			**उपलब्धता (राज्य सीमा पर)**		
		पूर्व क्षेविविकं.	**पश्चिम क्षेविविकं.**	**मध्य क्षेविविकं.**	**पूर्व क्षेविविकं.**	**पश्चिम क्षेविविकं.**	**मध्य क्षेविविकं.**
ए. केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन							
1	पश्चिमी क्षेत्र – केएसटीपीएस	1355	1139	954	1306	1097	919
2	पश्चिमी क्षेत्र– वीएसटीपीएस– I	1156	953	1102	1114	919	1062
3	पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–II	841	762	762	810	735	735
4	पश्चिमी क्षेत्र – कवास जीपीपी	229	262	164	221	253	158

5	पश्चिमी क्षेत्र –गंधार जीपीपी	184	218	172	177	210	166
6	पश्चिमी क्षेत्र–काकरापार एपीएस	206	228	200	199	220	192
7	पश्चिमी क्षेत्र –तारापुर एपीएस इकाई 3 तथा 4	473	493	432	455	475	416
8	पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–III	636	699	612	613	674	590
9	पश्चिमी क्षेत्र –सीपत–II	583	515	386	562	496	372
10	पूर्वी क्षेत्र–कहलगांव एसटीपीएस –II	96	189	71	91	178	67
11	दामोदर वैली कार्पोरेशन (एमटीपीएस, सीटीपीएस)	567	910	240	532	854	226
	उप–योग	**6327**	**6371**	**5097**	**6079**	**6111**	**4903**
बी राज्य विद्युत उत्पादक स्टेशन							
I	**ताप विद्युत**						
1	अमरकंटक संकुल	325	397	481	325	397	481
2	अमरकंटक विस्तार	385	471	570	385	471	570
3	सतपुड़ा टीपीएस–पीएच I, II, III	1405	1550	1890	1405	1550	1890
4	संजय गांधी टीपीएस विस्तार	1002	1145	1432	1002	1145	1432
5	संजय गांधी टीपीएस	1278	1460	1825	1278	1460	1825
II	**जल विद्युत**	**4394**	**5023**	**6198**	**4394**	**5023**	**6198**
	अन्तर्राज्यीय						
1	गांधी सागर	43	50	94	43	50	94
2	राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	67	101	169	67	101	169
3	पेंच	42	84	84	42	84	84
4	राजघाट	9	18	18	9	18	18
	उप–योग	**161**	**254**	**364**	**161**	**254**	**364**
	सम्पूर्ण म प्र राज्य को आवंटन						
1	बरगी	125	250	125	125	250	125
2	बिरसिंहपुर	14	23	9	14	23	9
3	बाण सागर– I	364	486	364	364	486	364
4	बाण सागर– II	0	0	0	0	0	0
5	बाण सागर–III	0	0	0	0	0	0
6	बाण सागर– IV	20	26	20	20	26	20
7	मढ़ीखेड़ा	23	38	15	23	38	15
	उप–योग	**545**	**822**	**533**	**545**	**822**	**533**
	द्विपक्षीय एवं अन्य						
1	इंदिरा सागर	615	1482	699	593	1428	674

2	अपारंपरिक –पवन ऊर्जा	60	80	60	60	80	60
3	कैप्टिव	16	22	16	16	22	16
4	सरदार सरोवर	690	928	539	665	894	520
5	ओंकारेश्वर	372	558	310	358	538	299
	उप–योग	1754	3069	1625	1693	2961	1568
6	आरएसईबी (चम्बल, सतपुड़ा)	122	163	122	122	163	122
7	यूपीपीसीएल रिहंद, माताटीला राजघाट	52	70	52	52	70	52
	उप–योग	**175**	**233**	**175**	**175**	**233**	**175**
	महायोग	**13356**	**15771**	**13990**	**13047**	**15403**	**13740**

3.61 आयोग ने माहवार सुयोग्यता क्रम प्रेषण सिद्धांत का अनुप्रयोग विद्युत उत्पादक स्टेशनों की परिवर्तनीय लागत के आधार पर किया है। निम्न तालिका स्टेशनों के मध्य सुयोग्यता क्रम तथा उनकी परिवर्तनीय ऊर्जा दरें प्रदर्शित करती हैः–

तालिका 33 : सुयोग्यता क्रम (Merit Order)

विद्युत उत्पादक स्टेशन	प्रेषण प्रकार (प्राथमिकता युक्त=1, अन्य=0)	परिवर्तनीय प्रभार (पैसे/किलोवाट ऑवर)
पश्चिमी क्षेत्र–काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन	1.00	235.77
पश्चिमी क्षेत्र –तारापुर एपीएस, इकाई 3 तथा 4	1.00	284.17
अपारंपरिक ऊर्जा–पवन ऊर्जा	1.00	435.00
पूर्वी क्षेत्र–तालचेर एसटीपीएस	0.00	0.00
गांधी सागर	0.00	0.00
राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	0.00	0.00
पेंच	0.00	0.00
राजघाट	0.00	0.00
बरगी	0.00	0.00
बिरसिंहपुर	0.00	0.00
बाण सागर– I	0.00	0.00
बाण सागर– II	0.00	0.00
बाण सागर– III	0.00	0.00
बाण सागर– IV	0.00	0.00
मढ़ीखेड़ा	0.00	0.00
इन्दिरा सागर	0.00	0.00

सरदार सरोवर	0.00	0.00
ओंकारेश्वर	0.00	0.00
यूपीपीसीएल (रिहंद, माताटीला, राजघाट)	0.00	8.00
पश्चिमी क्षेत्र–केएसटीपीएस	0.00	103.91
अमरकंटक विस्तार	0.00	108.88
पश्चिमी क्षेत्र –सीपत–II	0.00	125.66
अमरकंटक संकुल	0.00	140.84
दामोदर वैली कार्पोरेशन (एमपीटीसी, सीटीपीएस)	0.00	152.05
पश्चिमी क्षेत्र वीएसटीपीएस– II	0.00	155.21
पश्चिमी क्षेत्र वीएसटीपीएस– III	0.00	157.41
सतपुड़ा टीपीएस पीएच I, II एवं III	0.00	163.36
पश्चिमी क्षेत्र वीएसटीपीएस– I	0.00	166.28
पूर्वी क्षेत्र–कहलगांव एसटीपीएस–II	0.00	200.83
पश्चिमी क्षेत्र –गंधार जीपीपी	0.00	231.09
संजय गांधी टीपीएस विस्तार	0.00	240.66
पश्चिमी क्षेत्र –कवास जीपीपी	0.00	242.26
कैप्टिव	0.00	245.00
संजय गांधी टीपीएस	0.00	269.28
आरएसईबी (चम्बल, सतपुड़ा)	0.00	419.00

3.62 मासिक उपलब्धता के आधार पर सुयोग्यता क्रम प्रेषण सिद्धांत (merit order dispatch principle) के अनुप्रयोग के अनुसार कुल स्टेशनवार उपलब्धता निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 34 : सुयोग्यता क्रम प्रेषण पर विचारोपरांत स्टेशनवार उपलब्धता (मिलियन यूनिट मे)

स.क्रं.	स्टेशन का नाम	उपलब्धता (एक्स–बस सुयोग्यता क्रम प्रेषण के अनुसार)			
		राज्य	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं
ए. केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन					
1	पश्चिमी क्षेत्र – केएसटीपीएस	3449	1355	1139	954
2	पश्चिमी क्षेत्र – वीएसटीपीएस– I	3212	1156	953	1102
3	पश्चिमी क्षेत्र – वीएसटीपीएस– II	2366	841	762	762
4	पश्चिमी क्षेत्र – कवास जीपीपी	655	229	262	164
5	पश्चिमी क्षेत्र –गंधार जीपीपी	574	184	218	172

6	पश्चिमी क्षेत्र –काकरापार एपीएस	634	206	228	200
7	पश्चिमी क्षेत्र –तारापुर एपीएस इकाई 3 तथा 4	1398	473	493	432
8	पश्चिमी क्षेत्र –वीएसटीपीएस –III	1947	636	699	612
9	पश्चिमी क्षेत्र –सीपत–II	1484	583	515	386
10	पूर्वी क्षेत्र –कहलगांव एसटीपीएस–II	357	96	189	71
11	दामोदर वैली कार्पोरेशन (एमटीपीएस,सीटीपीएस)	1717	567	910	240
	उप–योग	**17794**	**6327**	**6371**	**5097**
बी. राज्य विद्युत उत्पादक स्टेशन					
I	**ताप विद्युत**				
1	अमरकंटक संकुल	1202	325	397	481
2	अमरकंटक विस्तार	1426	385	471	570
3	सतपुड़ा टीपीएस पीएच I, II, III	4845	1405	1550	1890
4	संजय गांधी टीपीएस विस्तार	3579	1002	1145	1432
5	संजय गांधी टीपीएस	4563	1278	1460	1825
	उप–योग	**15615**	**4394**	**5023**	**6198**
II	**जल विद्युत**				
	अन्तर्राज्यीय				
1	गांधी सागर	187	43	50	94
2	राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	337	67	101	169
3	पेंच	210	42	84	84
4	राजघाट	45	9	18	18
	उप–योग	**779**	**161**	**254**	**364**
	सम्पूर्ण मप्र राज्य आवंटन				
1	बरगी	499	125	250	125
2	बिरसिंहपुर	45	14	23	9
3	बाणसागर–I,	1214	364	486	364
4	बाणसागर–II				
5	बाणसागर–III				
6	बाणसागर–IV	66	20	26	20
7	मढ़ीखेढ़ा	76	23	38	15
	उप–योग	**1900**	**545**	**822**	**533**
	द्विपक्षीय एवं अन्य				
1	इंदिरा सागर	2796	615	1482	699
2	अपारम्परिक ऊर्जा –पवन ऊर्जा उत्पादन	200	60	80	60
3	कैप्टिव	54	16	22	16
3	सरदार सरोवर	2157	690	928	539
5	ओंकारेश्वर	1240	372	558	310
	उप–योग	**6448**	**1754**	**3069**	**1625**
6	आरएसईबी (चम्बल, सतपुड़ा)	408	122	163	122

7	यूपीपीसीएल (रिहंद, माताटीला राजघाट)	174	52	70	52
	उप–योग	**582**	**175**	**233**	**175**
	योग	**43118**	**13356**	**15771**	**13990**

3.63 सुयोग्ताक्रम प्रेषण (Merit Order Dispatch) के अनुप्रयोग से यह पाया गया है कि वर्तमान परिस्थिति के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य विक्रय तथा क्रय का आन्तरिक लेन–देन किया जाना आवश्यक न होगा। इस प्रकार के सुयोग्यताक्रम प्रेषण के अनुप्रयोग के परिणामों से स्पष्ट है तथा जैसा कि उपरोक्त तालिका से भी स्पष्ट है कि ऊर्जा की उपलब्धता तथा मानदण्डीय हानि स्तरों के आधार पर विद्युत वितरण कम्पनियों की आवश्यकता में अन्तर होगा। विद्युत वितरण कम्पनियों की माहवार आवश्यकता की पूर्ति उन्हें आवंटित क्षमताओं के आधार पर नहीं हो पायेगी। चूंकि याचिकाकर्ताओं की माहवार आवश्यकताएं स्थाई उपलब्धता से अधिक होंगी, अतः इनकी आगे पूर्ति एमपीपीएमसीएल को आवंटित स्टेशनों के माध्यम से की जाएगी। अवशेष आवश्यकता की पूर्ति प्राक्कलित की गई मध्यम अवधि ऊर्जा अधिप्राप्ति से की जाएगी।

3.64 इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु आयोग ने एमपीपीएमसीएल को आवंटित विद्युत उत्पादक स्टेशनों के लिए भी सुयोग्यता–क्रम प्रेषण (Merit Order Dispatch-MOD) के सिद्धान्त का अनुप्रयोग किया है। सुयोग्यता क्रम प्रेषण के आधार पर इन स्टेशनों से किया जाने वाला माहवार प्रेषण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 35 : वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु एमपीपीएमसीएल को आवंटित स्टेशनों से सुयोग्यताक्रम प्रेषण (मिलियन यूनिट में)

माह	एमपीपीएमसीएल को आवंटित स्टेशनों से प्रेषण (मिलियन यूनिट में)			
	सम्पूर्ण राज्य	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं
अप्रैल–2013	**598**	95	376	127
मई–2013	**932**	71	581	279
जून–2013	**932**	155	545	232
जुलाई–2013	**972**	225	537	210
अगस्त–2013	**970**	242	415	313
सितंबर–2013	**1089**	273	470	345
अक्टूबर–2013	**1014**	228	535	251
नवंबर–2013	**1760**	561	790	409
दिसंबर–2013	**1516**	322	696	498
जनवरी–2014	**1630**	473	672	485
फरवरी–2014	**1489**	413	807	269
मार्च–2014	**1321**	357	750	213
योग	**14224**	**3417**	**7176**	**3631**

3.65 उपरोक्त तालिका से यह भी देखा जा सकता है कि वर्ष के कुछ महीनों के दौरान कुछ अनापूर्तित (unmet) मांग शेष रह जाएगी, जिसकी आपूर्ति मध्यम अवधि विद्युत अधिप्राप्ति (Medium Term Power Procurement) से किया जाना प्रस्तावित है। विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा एक्स–बस विद्युत क्रय की आवश्यकता, सुयोग्यता–क्रम प्रेषण के उपरान्त विद्युत की उपलब्धता, एमपीपीएमसीएल से विद्युत का प्रस्तावित क्रय तथा मध्यम अवधि के स्त्रोतों को निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है :

तालिका 36 : आवश्यकता, उपलब्धता तथा कमी (मिलियन यूनिट में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	राज्य
एक्स–बस पर कुल आवश्यकता	16842	23250	17992	**58084**
स्थाई उपलब्धता के माध्यम से सुयोग्यता क्रम प्रेषण के विचारोपरांत कुल एक्स–बस उपलब्धता	13356	15771	13990	**43118**
अन्तर	**3486**	**7479**	**4002**	**14967**
अस्थाई उपलब्धता के माध्यम से सुयोग्यता क्रम प्रेषण पर आधारित एमपीपीएमसीएल आवंटित स्टेशनों से विद्युत का क्रय	3417	7176	3631	**14224**
वांछित शेष	**69**	**303**	**371**	**742**
मध्यम अवधि विद्युत–क्रय	69	303	371	**742**

3.66 एमपीपीएमसीएल स्टेशनों पर सुयोग्यता–क्रम प्रेषण के अनुपयोग के पश्चात् यह पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान कुछ ऐसे माह भी होंगे जब विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा एमपीपीएमसीएल से विद्युत की उपलब्धता का आंशिक तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकेगा। आयोग का यह सुझाव है कि विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा अनुपयोग की गई विद्युत का उपयोग अन्य राज्यों में अधिकोषण (banking) के माध्यम से किया जाए ताकि किसी कमी होने की दशा में, रबी मौसम में विद्युत आवश्यकता की पूर्ति इस अधिकोष में जमा की गई विद्युत से स्वयेंव ही की जा सके, अर्थात् बिना किसी अतिरिक्त लागत के। आयोग निर्देश देता है कि विद्युत वितरण कंपनियां बचत की गई विद्युत के अंतर्राज्यीय व्यापार में इस अवसर का उपयोग उनके उपभोक्ताओं की मांग की पूर्ण आपूर्ति के पश्चात ही करेंगी।

3.67 मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी किये गये पत्र क्रमांक 2150/13/2013 दिनांक 14 मार्च, 2013 के परामर्शानुसार आयोग ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य में एक समान विद्युत–दर का अनुसरण किये जाने बाबत् निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, मध्यप्रदेश शासन ने पत्र क्रमांक 2254/13/13/02 दिनांक 19 मार्च, 2013 द्वारा विद्युत उत्पादन क्षमताओं का पुर्नावंटन प्रेषित किया गया है। शासन द्वारा यह सूचित भी किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान एक समान विद्युत दर संधारित किये जाने की दृष्टि से, आयोग एमपीपीएमसीएल को आवंटित किये गये स्टेशनों से संबंधित लागतों/क्षमताओं को आगे विद्युत वितरण कम्पनियों को विभाजित कर सकेगा।

विद्युत क्रय लागतें (Power Purchase Costs)

3.68 विद्युत क्रय लागत के दो घटक हैं, यथा स्थाई लागत तथा परिवर्तनीय लागत। इन लागतों की पृथक–पृथक गणना की चर्चा निम्न परिच्छेदों में की गई है :

केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन (ताप विद्युत) {Central Generating Stations (Thermal)}

3.69 पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्र में एनटीपीसी के स्टेशनों के बारे में वैयक्तिक स्टेशन के स्थाई लागत अवधारण के प्रयोजन हेतु, आयोग द्वारा वैयक्तिक स्टेशन हेतु केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (केविनिआ) द्वारा जारी किये गये अन्तिम टैरिफ आदेश को माना गया है जिन्हें निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 37 : ताप विद्युत उत्पादक स्टेशनों हेतु स्थाई लागत आदेश संदर्भ

सरल क्रमांक	स्टेशन का नाम	स्थाई लागत आदेश का संदर्भ
1	पश्चिमी क्षेत्र–केएसटीपीएस	केविनिआ आदेश दिनांक 12.10.2012 याचिका क्रमांक 264/2009 दिनांक 1.4.2009 से 31.3.2014
2	पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–I	केविनिआ आदेश दिनांक 12.9.2012 याचिका क्रमांक 227/2009 दिनांक 1.4.2009 से 31.3.2014
3	पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–II	केविनिआ आदेश दिनांक 26.12.2011, याचिका क्रमांक 258/2009 दिनांक 1.4.2009 से 31.3.2014
4	पश्चिमी क्षेत्र–कवास जीपीपी	केविनिआ आदेश दिनांक 14.6.2011, याचिका क्रमांक 285/2009 दिनांक 1.4.2009 से 31.3.2014
5	पश्चिमी क्षेत्र–गंधार जीपीपी	केविनिआ आदेश दिनांक 30.12.2011, याचिका क्रमांक 226/2009 दिनांक 1.4.2009 से 31.3.2014
6	पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपी–III	केविनिआ आदेश दिनांक 28.5.2012 याचिका क्रमांक 260/2009 दिनांक 1.4.2009 से 31.3.2014
7	पश्चिमी क्षेत्र–सीपत–II	केविनिआ आदेश दिनांक 20.1.2012, याचिका क्रमांक 316/2009 दिनांक 1.4.2009 से 31.3.2014
8	पूर्वी क्षेत्र–कहलगांव एसटीपीएस–II	केविनिआ आदेश दिनांक 13.4.2012, याचिका क्रमांक 282/2009 दिनांक 1.4.2009 से 31.3.2014
9	पश्चिमी क्षेत्र–सीपत–I (3 इकाईयां)	केविनिआ आदेश दिनांक 6.9.2012, याचिका क्रमांक 28/2011 वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (COD) से दिनांक 31.3.2014
10	एनटीपीसी कोरबा–III	केविनिआ आदेश दिनांक 3.5.2012 याचिका क्रमांक 247/2010 वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (COD) से दिनांक 31.3.2014
11	आईपीपी टोरेन्ट	केविनिआ आदेश दिनांक 11.01.2010 याचिका क्रमांक 109/2009 वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (COD) से दिनांक 31.3.2014

3.70 ताप विद्युत स्टेशनों के संबंध में स्थाई लागत की गणना केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी CERC (Terms and Conditions of Tariff) Regulations 2009 के स्थाई लागत की वसूली संबंधी विनियम, 'Recovery of Fixed Cost Regulations' के अनुसार की गई है।

3.71 तथापि, वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान ऊर्जा लागत के अवधारण हेतु, आयोग द्वारा परिवर्तनीय लागत पर विचार किया गया है, जैसा कि इसे एनटीपीसी द्वारा माह दिसम्बर 2012 तक एमपीपीएमसीएल को प्रस्तुत किये गये वास्तविक देयकों में आरोपित किया गया है।

3.72 अन्य प्रभारों को आयोग के पास माह दिसम्बर, 2012 तक उपलब्ध अन्तिम देयकों के अनुसार माना गया है।

केन्द्रीय तथा राज्य के विद्युत उत्पादक स्टेशन (जल विद्युत) [Central & State Generating Stations (Hydel)]

3.73 जल–विद्युत स्टेशनों के स्थाई प्रभारों की गणना हेतु, आयोग द्वारा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा वैयक्तिक स्टेशनों हेतु जारी अंतिम टैरिफ आदेश को माना गया है। इसके अतिरिक्त, स्थाई लागतों की गणना केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी CERC (Terms and Conditions of Tariff) Regulations 2009 के स्थाई प्रभारों की वसूली से संबंधित विनियम 'Recovery of Fixed Charges Regulations' तथा मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण हेतु निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2009 के अनुसार की गई है।

इन्दिरा सागर (एनएचडीसी) :

3.74 वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु, इन्दिरा सागर जल विद्युत संयंत्र हेतु प्रभार केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश दिनांक 13 जून, 2011 के अनुसार स्वीकृत किये गये हैं।

सरदार सरोवरः

3.75 आयोग द्वारा वार्षिक स्थाई प्रभार आयोग द्वारा 18 अक्टूबर, 2012 को पारित आदेश के अनुसार स्वीकार किये गये हैं।

ओंकारेश्वरः

3.76 आयोग द्वारा ओंकारेश्वर हेतु, वार्षिक स्थाई प्रभार केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारित टैरिफ आदेश दिनांक 5 सितम्बर, 2012 के अनुसार अनुज्ञेय किये गये हैं।

ऊर्जा के नवकरणीय स्त्रोत (Renewable Sources) :

3.77 वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु, सुसंबद्ध विनियमों के अनुसार, विद्युत वितरण कंपनियों हेतु विभिन्न स्त्रोतों से सौर तथा गैर–सौर ऊर्जा हेतु न्यूनतम क्रय आबन्ध (Minimum Purchase Obligation) निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तलिका 38 : न्यूनतम क्रय आबन्ध

नवकरणीय स्त्रोत	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु न्यूनतम क्रय आबन्ध
सौर (Solar)	0.80%
गैर–सौर (Non-Solar)	4.70%
योग	5.50%

3.78 **कैप्टिव विद्युत उत्पादन तथा पवन ऊर्जा उत्पादन (Captive Generation and wind)** : विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा कैप्टिव विद्युत संयंत्रों तथा पवन विद्युत उत्पादन से वर्ष 2013–14 के दौरान 254 मिलियन यूनिट की कुल उपलब्धता दाखिल की गई है। तथापि, कैप्टिव तथा पवन स्त्रोतों से ऊर्जा की उपलब्धता का विभाजन प्रस्तुत नहीं किया गया है। आयोग ने यह मात्रा पवन ऊर्जा से 200 मेगावाट तथा शेष 54 मेगावाट कैप्टिव स्त्रोतों से प्राप्त किया जाना माना है। वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु लागतों की गणना के संबंध में पवन ऊर्जा उत्पादन की दर रू. 4.35 प्रति किलोवाट ऑवर तथा कैप्टिव विद्युत संयंत्रों हेतु रू. 2.45 प्रति किलोवाट की मानी गयी है। इस आदेश के अन्तर्गत कैप्टिव विद्युत संयंत्र से विद्युत के क्रय हेतु प्रदत्त दर, सामान्य समय के दौरान स्थाई ऊर्जा (Firm Power) हेतु अधिकतम दर है। आयोग निर्देश देता है कि कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से विद्युत का क्रय दिनांक 31 जनवरी, 2009 को अधिसूचित मप्रविनिआ (पारम्परिक ईंधन आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के विद्युत क्रय तथा अन्य विषयों से संबंधित) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम) 2009 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाए।

3.79 **एमपीपीएमसीएल को आवंटित विद्युत उत्पादक स्टेशन से विद्युत की आपूर्ति (Generating Station assigned to MPPMCL) :–** जहां तक नवीन विद्युत

उत्पादक स्टेशनों से दर का संबंध है, आयोग ने इसे याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल की गई दरों के अनुसार ही माना है। आयोग ने यह पाया है कि कुछ उदीयमान विद्युत उत्पादक स्टेशनों के बारे में, याचिकाकर्ताओं ने दरों का प्रक्षेपण करते समय उचित आधार प्रस्तुत नहीं किया है। आयोग ने याचिकाकताओं को उदीयमान विद्युत उत्पादक स्टेशनों की दरों को प्रक्षेपित करने हेतु समुचित आधार प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। याचिकाकर्ताओं ने अपने अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विद्युत क्रय के संबंध में विभिन्न अन्य मुद्दों के अलावा निम्न महत्वपूर्ण विचार भी रखे :

(अ) याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना (UMPP) सासन, सीधी के परिवर्तनीय प्रभारों में वृद्धि के संबंध में की गई अभ्युक्ति याचिकाकर्ताओं की ओर से एक असावधानीपूर्ण त्रुटि थी। अनुवर्ती गणनाओं के लिये विद्युत क्रय अनुबन्ध (PPA) के अनुसार 70 पैसे प्रति यूनिट की दर को मान्य किया जाए। तद्नुसार, विद्युत क्रय लागत की गणना के लिये इसी दर को आधार माना गया है।

(ब) याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि सिंगाजी ताप विद्युत संयंत्र तथा सतपुड़ा विस्तार संयंत्र हेतु स्थाई लागत अद्यतन तौर पर किये गये वास्तविक व्यय के अनुसार ही मानी गयी है। परिवर्तनीय प्रभार (Variable Charge) के संबंध में सिंगाजी ताप विद्युत संयंत्र में रू. 3.50 तथा सिंगाजी ताप विद्युत संयंत्र में रू. 3.00 प्रति यूनिट की वृद्धि एक असावधानीपूर्ण त्रुटि थी तथा अनुवर्ती गणनाओं के लिये इसे शून्य माना जाए। रू. 3.50 प्रति यूनिट तथा रू. 3.00 प्रति यूनिट की आर–पार दर (Through Rate) में स्थाई तथा परिवर्तनीय प्रभार शामिल हैं तथा इन दरों को ही क्रमशः सिंगाजी ताप विद्युत संयत्र तथा सतपुड़ा ताप विद्युत संयन्त्र के लिये माना जाए। तद्नुसार, यही दरें विद्युत क्रय लागत के संबंध में भी मानी गई हैं।

3.80 ऐसे नवीन स्टेशनों हेतु, जिनसे चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र से राज्य को विद्युत की आपूर्ति होने लगेगी, निम्न कार्यविधि (methodology) अपनाई गई है :

तालिका 39 : एमपीपीएमसीएल संयत्रों हेतु स्थाई तथा परिवर्तनीय प्रभारों का आधार

स्टेशन को	स्थाई लागतें (करोड़ रूपये में)	ऊर्जा प्रभार (रूपये प्रति किलोवाट ऑवर में)	आधार
पश्चिम क्षेत्र–सीपत चरण– I (तीन इकाईयां)	221	143	केविनिआ टैरिफ आदेश दिनांक 6.9.2012 याचिका क्रमांक 28/2011, वाणिज्यिक प्रचालन तिथि

			से 31.3.2014 तक तथा परिवर्तनीय लागत माह अप्रैल से दिसम्बर 2012 के देयकों की औसत राशि के आधार पर
एनटीपीसी कोरबा–III	56	98	केविनिआ टैरिफ आदेश दिनांक 3.5.2012 याचिका क्रमांक 247/2010, वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से 31.3.2014 तक तथा परिवर्तनीय लागत माह अप्रैल से दिसम्बर 2012 के देयकों की औसत राशि के आधार पर
स्वतंत्र विद्युत उत्पादक टोरेंट	61	308	केविनिआ टैरिफ आदेश दिनांक 11.01.2010 याचिका क्रमांक 109/2009, वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से 31.3.2014 तक तथा परिवर्तनीय लागत माह अप्रैल से दिसम्बर 2012 के देयकों की औसत राशि के आधार पर
सिंगाजी ताप विद्युत स्टेशन चरण–I, इकाई–1	303	163	कुल लागत, स्थाई तथा परिवर्तनीय प्रभारों को सम्मिलित करते हुए, को विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दाखिल किये गये अनुसार माना गया है
सिंगाजी ताप विद्युत स्टेशन चरण– I, इकाई–2		163	
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन विस्तार– इकाई–10	319	163	कुल लागत, स्थाई तथा परिवर्तनीय प्रभारों को सम्मिलित करते हुए, को विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दाखिल किये गये अनुसार माना गया है
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन विस्तार– इकाई–11		163	
एनटीपीसी मौदा ताप विद्युत स्टेशन इकाई–1	72	124	कुल लागत, स्थाई तथा परिवर्तनीय प्रभारों को सम्मिलित करते हुए, का विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दाखिल किये गये अनुसार माना गया है
एनटीपीसी मौदा ताप विद्युत स्टेशन इकाई–2		124	
विंध्याचल मेगा परियोजना चरण–4, इकाई–1	62	206	कुल लागत, स्थाई तथा परिवर्तनीय प्रभारों को सम्मिलित करते हुए, को विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दाखिल किये गये अनुसार माना गया है
विंध्याचल मेगा परियोजना चरण–4, इकाई–2		206	
डीवीसी–दुर्गापुर स्टील, ताप विद्युत स्टेशन– इकाई–1	44	311	स्थाई लागत तथा परिवर्तनीय लागत माह अप्रैल से दिसम्बर 2012 के वास्तविक देयकों के
डीवीसी–दुर्गापुर स्टील, ताप विद्युत		311	

स्टेशन– इकाई–2			अनुसार औसत दर पर आधारित मानी गयी है
यूएमपीपी, सासन, सीधी	22	57	कुल लागत, स्थाई तथा परिवर्तनीय प्रभारों को सम्मिलित करते हुए, को विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दाखिल किये गये अनुसार माना गया है
बीना पावर, सागर इकाई–1	466	151	स्थाई लागत तथा परिवर्तनीय लागत मप्रविनिआ आदेश दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 पर आधारित मानी गई है
बीना पावर, सागर इकाई–2		151	
जय प्रकाश पावर, नीगरी इकाई–1	256	175	कुल लागत, स्थाई तथा परिवर्तनीय प्रभारों को सम्मिलित करते हुए, को विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दाखिल किये गये अनुसार माना गया है
जय प्रकाश पावर, नीगरी इकाई–2		175	
एम बी पावर, अनूपपुर	90	228	कुल लागत, स्थाई तथा परिवर्तनीय प्रभारों को सम्मिलित करते हुए, को विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दाखिल किये गये अनुसार माना गया है
बीएलए पावर, नरसिंहपुर	19	200	स्थाई लागत मप्रविनिआ आदेश दिनांक 24 जुलाई, 2012 तथा परिवर्तनीय लागत को माह अप्रैल से दिसम्बर 2012 के वास्तविक देयकों के अनुसार औसत दर पर आधारित माना गया है
झाबुआ पावर, सिवनी	19	228	कुल लागत, स्थाई तथा परिवर्तनीय प्रभारों को सम्मिलित करते हुए, को विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दाखिल किये गये अनुसार माना गया है
लैंको ताप विद्युत स्टेशन, अमरकंटक	314	142	स्थाई लागत तथा परिवर्तनीय लागत मप्रविनिआ आदेश दिनांक 1 दिसम्बर, 2012 पर आधारित मानी गई है
सौर, पवन, बायोमास ऊर्जा	105	0	पवन, सौर तथा बायोमास ऊर्जा की औसत लागत को माना गया है

3.81 आयोग ने एमपीपीएमसीएल को आवंटित किये गये केवल ऐसे विद्युत उत्पादक स्टेशनों की लागत पर विचार किया है जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु सुयोग्यता क्रम (Merit Order Despatch) सिद्धान्त के आधार पर विद्युत की प्राप्ति की जा रही है। चूंकि दर्शाई गई समस्त क्षमताएं भविष्यगामी हैं, अतः वास्तविक स्थिति इनकी क्रियाशील होने की तिथि पर निर्भर इस आदेश के अन्तर्गत प्रावधानित प्रक्षेपणों की तुलना में परिवर्तित भी हो सकती है। अतएव, ऐसे दृष्टांत भी आ सकते हैं जहां किसी विशिष्ट स्टेशन को प्रक्षेपित क्रियाशील होने की तिथि पर अनुसूची आधारित (Scheduled based) माना गया हो तथा अनुसूची के आधार पर वास्तविक रूप से निर्धारित विद्युत की प्राप्ति न कर सके, जो विपरीतात्मक रूप से भी लागू हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में, आयोग वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु सत्यापन करते समय वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु वास्तविक अनुसूचीकरण के आधार पर विधिवत रूप से लागतों पर विचार करेगा।

3.82 इसके अतिरिक्त, एमपीपीएमसीएल को आवंटित उपरोक्त उल्लेखित विद्युत उत्पादक स्टेशनों की स्थाई तथा परिवर्तनीय दरों को देयक तैयार करने के प्रयोजन से अनन्तिम (provisional) माना गया है क्योंकि समुचित नियामक आयोगों द्वारा विद्युत उत्पादक स्टेशनों के संबंध में टैरिफ आदेश जारी नहीं किये गये हैं। तथापि, किसी विद्युत उत्पादक स्टेशन के संबंध में समुचित आयोग द्वारा तत्संबंधी आदेश जारी किये जाने के उपरान्त, उक्त आदेश के अन्तर्गत अनुमोदित विद्युत–दर (टैरिफ) को लागू किया गया मान लिया जाएगा तथा इस आदेश में अनन्तिम रूप से अनुज्ञेय की गई लागतों के अन्तर को तथा वास्तविक लागत को वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु सत्यापन में मान्य किया जाएगा अथवा परिवर्तनीय प्रभारों के प्रकरण में इसकी वसूली ईंधन लागत समायोजन (Fuel Cost Adjustment-FCA) के माध्यम से अनुज्ञेय की जाएगी।

मध्यप्रदेश राज्य के विद्युत उत्पादक स्टेशन (M.P. State Power Generating Stations)

3.83 मप्र जनको स्टेशनों हेतु स्थाई लागत वित्तीय वर्ष 2011–12 के टैरिफ आदेश दिनांक 16 अप्रैल, 2012 के अनुसार मानी गई है। इन स्थाई लागतों को इस आदेश के अन्तर्गत विद्युत उत्पादक स्टेशनों से उपलब्धता के आधार पर तथा मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण हेतु निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 में प्रदत्त वार्षिक क्षमता (स्थाई) प्रभारों की वसूली [Recovery of Annual Capacity (fixed) charges] के अनुसार समायोजित किया गया है।

3.84 तीन विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य स्थाई लागत का आवंटन निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 40 : विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य स्थाई लागत का आवंटन (करोड़ रूपये में)

स्टेशन का नाम	स्थाई लागत (करोड़ रूपये में)			
	राज्य	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं
केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन (CGS)				
पश्चिमी क्षेत्र – केएसटीपीएस	**178.91**	70.32	59.08	49.50
पश्चिमी क्षेत्र – वीएसटीपीएस– I	**192.03**	69.13	57.00	65.90
पश्चिमी क्षेत्र – वीएसटीपीएस– II	**145.42**	51.70	46.86	46.86
पश्चिमी क्षेत्र – कवास जीपीपी	**60.97**	21.34	24.39	15.24
पश्चिमी क्षेत्र –गंधार जीपीपी	**62.95**	20.15	23.92	18.89
पश्चिमी क्षेत्र –काकरापार एपीएस	**0.00**	0.00	0.00	0.00
पश्चिमी क्षेत्र –तारापुर एपीएस इकाई 3 तथा 4	**0.00**	0.00	0.00	0.00
पश्चिमी क्षेत्र –वीएसटीपीएस –III	**198.47**	64.81	71.29	62.37
पश्चिमी क्षेत्र –सीपत–II	**167.76**	65.86	58.23	43.67
पूर्वी क्षेत्र –कहलगांव एसटीपीएस–II	**40.66**	10.98	21.55	8.13
दामोदर वैली, कार्पोरेशन (एमटीपीएस, सीटीपीएस)	**177.21**	58.48	93.92	24.81
राज्य विद्युत उत्पादक स्टेशन (SGS)				
अमरकंटक संकुल	**88.61**	23.92	29.24	35.44
अमरकंटक विस्तार	**173.49**	46.84	57.25	69.40
सतपुड़ा टीपीएस पीएच I, II, III	**253.97**	73.65	81.27	99.05
संजय गांधी टीपीएस विस्तार	**365.13**	102.24	116.84	146.05
संजय गांधी टीपीएस	**303.71**	85.04	97.19	121.48
जल विद्युत				
अन्तर्राज्यीय				
गांधी सागर	**8.03**	1.85	2.17	4.01
राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	**13.64**	2.73	4.09	6.82
पेंच	**19.03**	3.81	7.61	7.61
राजघाट	**6.97**	1.39	2.79	2.79
सम्पूर्ण मप्र आवंटन				
बरगी	**16.53**	4.13	8.27	4.13
बिरसिंहपुर	**5.59**	1.68	2.79	1.12

बाणसागर–I,	**157.70**	47.31	63.08	47.31
बाणसागर–IV	**12.98**	3.89	5.19	3.89
मढ़ीखेढ़ा	**22.28**	6.68	11.14	4.46
द्विपक्षीय एवं अन्य				
इंदिरा सागर	**574.51**	126.39	304.49	143.63
अपारम्परिक ऊर्जा–पवन ऊर्जा उत्पादन	**87.17**	26.15	34.87	26.15
कैप्टिव	**0.00**	0.00	0.00	0.00
सरदार सरोवर	**356.04**	113.93	153.10	89.01
ओंकारेश्वर	**358.47**	107.54	161.31	89.62
राजस्थान राज्य विद्युत मंडल (चम्बल, सतपुड़ा)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
रिहंद, माताटीला (यूपीपीसीएल)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
योग	**4048.21**	**1211.94**	**1598.92**	**1237.35**

परिवर्तनीय लागत (Variable Cost)

3.85 उपरोक्त की गई चर्चा के आधार पर, परिवर्तनीय ऊर्जा प्रभार की गणना एक्स बस पर सुयोग्यता क्रमानुसार प्रेषण सिद्धांत का अनुप्रयोग करते हुए, क्रय हेतु मानी गई उपलब्धता के आधार पर की गई है जैसा कि इन्हें नीचे दर्शाई गई तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 41 : स्टेशनवार स्वीकृत की गई परिवर्तनीय लागत (करोड़ रूपये में)

स्टेशन का नाम	योग	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं
केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन (SGS)				
पश्चिमी क्षेत्र – केएसटीपीएस	**358.32**	140.84	118.33	99.15
पश्चिमी क्षेत्र – वीएसटीपीएस– I	**534.16**	192.29	158.54	183.32
पश्चिमी क्षेत्र – वीएसटीपीएस– II	**367.20**	130.55	118.32	118.32
पश्चिमी क्षेत्र – कवास जीपीपी	**158.79**	55.58	63.52	39.70
पश्चिमी क्षेत्र –गंधार जीपीपी	**132.71**	42.47	50.43	39.81
पश्चिमी क्षेत्र –काकरापार एपीएस	**149.44**	48.64	53.76	47.04
पश्चिमी क्षेत्र –तारापुर एपीएस इकाई 3 तथा 4	**397.16**	134.33	140.18	122.65
पश्चिमी क्षेत्र –वीएसटीपीएस –III	**306.47**	100.07	110.08	96.32
पश्चिमी क्षेत्र –सीपत–II	**186.53**	73.23	64.74	48.56
पूर्वी क्षेत्र –कहलगांव एसटीपीएस–II	**71.74**	19.37	38.02	14.35
दामोदर वैली, कार्पोरेशन (एमटीपीएस, सीटीपीएस)	**261.12**	86.17	138.40	36.56

राज्य विद्युत उत्पादक स्टेशन (SGS)				
अमरकंटक संकुल	**169.29**	45.71	55.87	67.72
अमरकंटक विस्तार	**155.26**	41.92	51.24	62.10
सतपुड़ा टीपीएस पीएच I, II, III	**791.48**	229.53	253.27	308.68
संजय गांधी टीपीएस विस्तार	**861.32**	241.17	275.62	344.53
संजय गांधी टीपीएस	**1228.74**	344.05	393.20	491.50
जल विद्युत				
गांधी सागर	**0.00**	0.00	0.00	0.00
राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	**0.00**	0.00	0.00	0.00
पेंच	**0.00**	0.00	0.00	0.00
राजघाट	**0.00**	0.00	0.00	0.00
बरगी	**0.00**	0.00	0.00	0.00
बिरसिंहपुर	**0.00**	0.00	0.00	0.00
बाणसागर–I,	**0.00**	0.00	0.00	0.00
बाणसागर–IV	**0.00**	0.00	0.00	0.00
मढ़ीखेढ़ा	**0.00**	0.00	0.00	0.00
द्विपक्षीय एवं अन्य				
इंदिरा सागर	**0.00**	0.00	0.00	0.00
अपारम्परिक ऊर्जा–पवन ऊर्जा उत्पादन	**0.00**	0.00	0.00	0.00
कैप्टिव	**13.23**	3.97	5.29	3.97
सरदार सरोवर	**0.00**	0.00	0.00	0.00
ओंकारेश्वर	**0.00**	0.00	0.00	0.00
राजस्थान राज्य विद्युत मंडल (चम्बल, सतपुड़ा)	**171.02**	51.31	68.41	51.31
रिहंद, माताटीला (यूपीपीसीएल)	**1.39**	0.42	0.56	0.42
योग	**6315.38**	**1981.61**	**2157.78**	**2175.99**

3.86 सुयोग्यता क्रम के प्रेषण के अनुसार दीर्घकालीन क्रयों (Long-Term purchases) को अनुज्ञेय करने के उपरान्त, वित्तीय वर्ष 2013–14 के विभिन्न महीनों के दौरान 14966 मिलियन यूनिट विद्युत की व्यवस्था करना होगी। इस शेष आवश्यकता में से 14224 मिलियन यूनिट की पूर्ति एमपीपीएमसीएल को आवंटित विद्युत उत्पादक स्टेशनों से की जाएगी। इसके बाद, 742 मिलियन यूनिट की शेष आवश्यकता बचती है जिसकी पूर्ति मध्यमकालीन स्त्रोतों से रू. 4.11 प्रति किलोवाट आवर की दर से की जाएगी, जो माह अक्टूबर 2013 से मार्च 2014 तक उपलब्ध रहेगी। एमपीपीएमसीएल आवंटित विद्युत

उत्पादक स्टेशनों को कुल मिलियन यूनिट प्रेषण तथा इसकी लागत निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 42 : एमपीपीएमसीएल आवंटित विद्युत उत्पादक स्टेशनों को कुल मिलियन यूनिट प्रेषण तथा इसकी लागत

एमपीपीएमसीएल स्टेशनों से प्रेषण	कुल मिलियन यूनिट				कुल लागत (करोड़ रूपये में)			
	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	योग	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	योग
सम्पूर्ण राज्य के लिये	3417	7176	3631	14224	670.36	2555.80	808.60	4034.76

अन्तर्राज्यीय तथा अंतर्क्षेत्रीय पारेषण प्रभार (Inter-State and Inter-Regional Transmission charges)

3.87 मध्यप्रदेश राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) प्रभारों में पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्र की पारेषण प्रणाली हेतु देय प्रभार शामिल हैं।

3.88 आयोग ने अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों की समीक्षा वित्तीय वर्ष 2012–13 के माह दिसम्बर, 2012 तक के वास्तविक उपलब्ध देयकों के आधार पर की है। आयोग ने पाया गया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल किये गये दावे युक्तियुक्त हैं अतएव आयोग ने इन्हें स्वीकार कर लिया है। तत्पश्चात्, इन प्रभारों को मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के अनुसार इनकी स्थाई क्षमता (Firm Capacity) के आधार पर तत्संबंधी विद्युत वितरण कम्पनियों को आवंटित किया गया है जिसमें बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विशिष्ट आवंटन को भी शामिल किया गया है। आयोग ने एमपीपीएमसीएल के माध्यम से राज्य को उपलब्ध विद्युत उत्पादक स्टेशनों की क्षमताओं पर विचार किया है, जिन्हें राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों को पीजीसीआईएल प्रभारों का आवंटन करते समय राज्य को आवंटित किया गया है। निम्न तालिका पूर्व, पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों को आवंटित किये गये प्रभारों के विवरण प्रदर्शित करती है :

तालिका 43 : विद्युत वितरण कम्पनियों को अनुज्ञेय किये गये पीजीसीआईएल प्रभार (करोड़ रूपये में)

कम्पनी का नाम	अंशदान मेगावाट में	पीजीसीआईएल प्रभार
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	1492	205.05
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	1911	262.53
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	1590	218.42
योग	**4993**	**686.00**

राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार (Intra-state Transmission Charges)

3.89 आयोग ने पारेषण प्रभार वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु अनुमोदित किये गये अनुसार मय प्रत्याशित वृद्धि के कतिपय बढ़त (allowance) के साथ माने गये हैं। इसके अलावा, सेवान्त प्रसुविधाएं (Terminal Benefits) याचिकाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु दावा किये गये अनुसार मानी गई हैं। तद्नुसार, वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु राज्यान्तरिक पारेषण प्रभारों को निम्न दर्शाई तालिका के अनुसार स्वीकार किया गया है :

तालिका 44 : आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु स्वीकृत किये गये एमपीपीटीसीएल प्रभार (करोड़ रूपये में)

वार्षिक एमपीटीसीएल प्रभार	वित्तीय वर्ष 2013–14
मप्र पूर्व क्षेविवि कम्पनी	496.03
मप्र मध्य क्षेविवि कम्पनी	540.71
मप्र पश्चिम क्षेविवि कम्पनी	563.11
योग	**1599.85**

3.90 मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (MPSEB)/इसकी उत्तराधिकारी इकाईयों के कर्मचारियों के संबंध में जो वित्तीय वर्ष 2013–14 में सेवानिवृत्त होंगे, के साथ–साथ वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान भुगतान की जाने वाली पेंशन राशि हेतु याचिकाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान राज्यान्तरिक पारेषण प्रभारों के अन्तर्गत रू. 677 करोड़ की राशि का प्रत्याशित नगद व्यय (cash outgo) के अनुसार अनुज्ञेय किये जाने का निवेदन किया है। विद्युत वितरण कम्पनियों ने कुछ अतिरिक्त राशि का दावा संचालन एवं संधारण व्ययों के अन्तर्गत भी किया है। तथापि, विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रबन्ध संचालकों के साथ दिनांक 5 फरवरी, 2013 को आयोजित बैठक के दौरान, उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि ऐसा असावधानीपूर्वक त्रुटि के कारण हुआ है। आयोग ने वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु सेवान्त प्रसुविधाएं तथा पेंशन व्यय, प्रावधिक आधार पर देयता के अनुसार आवंटन, अर्थात् ''Pay as you go'' सिद्धांत के अनुसार मप्र ट्रांसमिशन कम्पनी को देय रू. 677 करोड़ की सीमा के अन्तर्गत, याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किये गये दावों के आधार पर, शीर्ष राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार (intra State transmission charges) वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु दावा किये गये अनुसार अनुज्ञेय किये गये हैं। इन व्ययों को रू. 1600 करोड़ के कुल राज्यान्तरिक पारेषण प्रभारों में शामिल कर लिया गया है। जैसा कि इस टैरिफ आदेश में अन्यत्र भी उल्लेख किया गया है (देखें अध्याय ए–6 : सार्वजनिक आपत्तियां तथा अनुज्ञप्तिधारियों की याचिकाओं

पर टिप्पणियां), आयोग ने मप्रविनिआ (मण्डल तथा उत्तराधिकारी इकाईयों के कार्मिकों को पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा दायित्वों की स्वीकृति हेतु निबन्धन तथा शर्ते) विनियम, 2012 (जी–38, वर्ष 2012) की कण्डिका 3 की उपकण्डिका क्रमांक (5) तथा (6) के अन्तर्गत कोई प्रावधान नहीं किया है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने न तो इस प्रकार की कोई मांग की है तथा न ही ऐसे दावे के समर्थन में कोई विवरण प्रदान किये हैं।

मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड लागत (MPPMCL Cost)

3.91 आयोग ने याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किये गये अनुसार वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु रू. 79.18 करोड़ की राशि व्यय की युक्तियुक्त जांच पर आधारित एमपीपीएमसीएल व्ययों के रूप में स्वीकृत की है। इन व्ययों को स्वीकृति प्रदान करते समय आयोग ने एमपीपीएमसीएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु उपगत किये गये व्ययों के संबंध में प्रस्तुत वित्तीय विवरण–पत्रों की समीक्षा भी की है।

राज्य प्रेषण केन्द्र प्रभार (SLDC charges)

3.92 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु रूपये 9.29 करोड़ की राशि अनन्तिम रूप से राज्य भार प्रेषण केन्द्र के प्रभारों के रूप में मानी गयी है। इसे उपरोक्त दर्शाये गये पारेषण प्रभारों (Transmission Charges) में शामिल कर लिया गया है। कुल विद्युत क्रय लागत, जैसा कि इसे आयोग द्वारा स्वीकार किया गया है, की संक्षेपिका निम्न तालिका में दर्शाई गई है :–

तालिका 45 : वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु स्वीकृत की गई कुल विद्युत क्रय लागत

(करोड़ रूपये में)

विवरण	क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी			सम्पूर्ण राज्य का योग
विद्युत वितरण कंपनी को आवंटित स्टेशनों हेतु	पूर्व	पश्चिम	मध्य	
स्थाई प्रभार (Fixed charges)	1211.94	1598.92	1237.35	4048.21
परिवर्तनीय प्रभार (Variable charges)	1981.61	2157.78	2175.99	6315.38
एमपीपीएमसीएल को आवंटित स्टेशनों हेतु	670.36	2555.80	808.60	4034.76
मध्यमकालीन विद्युत हेतु लागत	28.44	124.34	152.36	305.14
एमपीपीएमसीएल लागत	21.68	30.30	27.19	79.17
पीजीसीआईएल प्रभार	205.05	262.53	218.42	686.00
एमपीटीसीएल प्रभार (सेवान्त सुविधाओं को सम्मिलित कर)	496.03	563.11	540.71	1599.85
राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार	3.02	3.09	3.18	9.29
महायोग	**4618.13**	**7295.87**	**5163.80**	**17077.80**

समुच्चय विद्युत क्रय लागत (Pooled Power Purchase Cost)

3.93 केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित केविनिआ (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र को अधिमान्य प्रदान करने तथा जारी करने के संबंध में निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2010 अर्थात् Central Electricity Regulatory Commission (Terms and conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulation, 2010 में नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों (Renewable Energy Certificates) के न्यूनतम तथा नियन्त्रण मूल्य (Floor and Forbearance Price) की गणना के प्रयोजन से विद्युत क्रय की समुच्चय लागत के अवधारण हेतु शर्तों के निर्धारण का प्रावधान किया गया है। विनियम में किये गये सुसंबद्ध उपबन्ध को निम्नानुसार उद्धरित किया जा रहा है :

"5 पात्रता और प्रमाण पत्रों का पंजीकरण

(1)

:

:

ग. *वह उत्पादित विद्युत को या तो (1) पात्र अस्तित्व के अवस्थान के क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी को, ऐसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत क्रय की पूल्ड लागत से अनधिक कीमत पर बेचता है, या किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी को या खुली पहुंच उपभोक्ता को परस्पर सहमत कीमत पर या बाजार अवधारित कीमत पर विद्युत एक्सचेंज के माध्यम से बेचता है।*

स्पष्टीकरण :– इन विनियमों के प्रयोजन के लिए "क्रय की पूल्ड लागत" से ऐसी भारित औसत पूल्ड कीमत अभिप्रेत है, जिस पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने विद्युत क्रय की है, जिसमें, यथास्थिति, दीर्घकालिक और अल्पकालिक सभी ऊर्जा प्रदायकर्ताओं से पूर्व वर्ष में स्वउत्पादन, यदि कोई है, की लागत सम्मिलित है किन्तु नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित प्रदायकर्ता सम्मिलित नहीं है।"

3.94 तद्नुसार समुच्चय विद्युत क्रय लागत की गणना, एक्स–बस विद्युत क्रय पर विचार करते हुए नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों को छोड़कर, निम्न तालिका में उल्लेख किये गये अनुसार की गई है :

तालिका 46 : वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु समुच्चय विद्युत क्रय लागत

विवरण	वित्तीय वर्ष 2013–14
विद्युत क्रय की आवश्यकता, नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों को छोड़कर एक्स–बस (मिलियन यूनिट में)	57675
कुल विद्युत क्रय लागत, नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों को छोड़कर (करोड़ रूपये में)	14592
समुच्चय विद्युत क्रय लागत (रूपये/किलोवाट ऑवर में)	2.53

नेटवर्क की लागत (Net Work Cost)

पूंजीगत व्यय योजनाएं/परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण (Capital Expenditure Plans/Capitalization of Assets)

याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण (Petitioners Submissions)

पूंजी निवेश (Investments)

3.95 याचिकाकर्ताओं ने अपनी विभिन्न योजनाएं, जैसे कि संभरक पृथक्करण (Feeder Segregation), एशिया विकास बैंक (ADB), आर–एपीडीआरपी (R-APDRP), प्रणाली सुदृढ़कीकरण (System Strengthening) यथा एसटी(एन), टीएसपी, एससीएसपी, राजीव ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY), किसान अनुदान योजना (नवीन कृषि पम्पों हेतु), आदि के अन्तर्गत पूंजी निवेश योजना (Capital Investment Plan) प्रस्तुत की है। इस तथ्य से भी अवगत कराया गया है कि वर्तमान में याचिकाकर्ताओं ने अपना ध्यान नवीन 33/11 केवी उपकेन्द्रों के सृजन, अतिभारित 33 केवी फीडरों के द्विभाजन, 11 केवी संभारक पृथक्करण, पावर ट्रांसफार्मरों में वृद्धि/आवर्धन करना (Addition/ Augmentation), वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना करना, अनावृत निम्न दाब लाईन (bare LT line) को एबी केबलों में परिवर्तन करना तथा सेवा तन्तुपथों (Service lines) को बदले जाने, आदि से संबंधित कार्यों पर केन्द्रित किया जा रहा है।

3.96 याचिकाकर्ताओं ने यह निवेदन भी किया है कि तकनीकी हानियां, जो प्रणाली की वितरण हानियों का भाग हैं, मुख्यतः असन्तोषजनक अधोसंरचना के कारण हैं जिन्हें लाईनों की क्षमता, उपकेन्द्रों तथा संबद्ध अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण (Strengthening), नवीनीकरण (renovation) तथा उन्नयन (upgradation) की आवश्यकता है। विद्युत की चोरी के कारण होने वाली वाणिज्यिक हानियों को काफी हद तक प्रणाली पुनर्गठन (reengineering) द्वारा अत्यधिक कम किया जा सकता है जिसके लिये पूंजी निवेश तथा संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों को कम किये जाने हेतु निरन्तर प्रयासरत हैं तथा हाल ही के वर्षों के दौरान वितरण हानियां कम तो अवश्य हुई हैं परन्तु ये अभी मानदण्डीय हानिस्तर तक पहुंच नहीं पाई हैं।

3.97 वित्तीय वर्ष 2012–13 तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दाखिल की गई विद्युत वितरण कम्पनीवार पूंजी निवेश योजनाएं निम्नानुसार तालिकाबद्ध की गई हैं :

तालिका 47 : पूंजी निवेश योजना **(राशि करोड़ रुपये में)**

कम्पनी का नाम	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2013–14
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	1,367.74	1,921.51
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	1,450.20	1,471.89
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	1,914.68	1,297.35
कुल राज्य	**4,732.62**	**4,690.75**

पूंजीकरण तथा निर्माण कार्य प्रगति पर (Capitalization and CWIP)

3.98 विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु विद्युत वितरण कम्पनीवार पूंजीकरण योजना तथा निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार तालिकाबद्ध की गई है :

तालिका 48 : विद्युत वितरण कम्पनीवार तथा वर्षवार पूंजीकरण तथा निर्माण कार्य प्रगति पर का द्विभाजन

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2013–14
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी		
निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) का प्रारंभिक शेष	618.18	1171.39
वर्ष के दौरान नवीन पूंजी निवेश की राशि	1,367.74	1,921.51
ब्याज तथा पूंजीकृत किये गये व्यय	75.39	82.97
पूंजीकृत किया गया पूंजी निवेश	889.93	1577.14
निर्माण कार्य प्रगति पर का अन्तिम शेष	**1,171.39**	**1,598.73**
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी		
निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) का प्रारंभिक शेष	756.68	1,229.55
वर्ष के दौरान नवीन पूंजी निवेश की राशि	1,450.20	1,471.89
ब्याज तथा पूंजीकृत किये गये व्यय	0.00	0.00
पूंजीकृत किया गया पूंजी निवेश	977.33	1423.23
निर्माण कार्य प्रगति पर का अंतिम शेष	**1,229.55**	**1,278.21**
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी		
निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) का प्रारंभिक शेष	410.94	1332.61
वर्ष के दौरान नवीन पूंजी निवेश की राशि	2,014.62	1,405.26
ब्याज तथा पूंजीकृत किये गये व्यय	0.00	0.00
पूंजीकृत किया गया पूंजी निवेश	1092.95	1358.68
निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) का अंतिम शेष	**1332.61**	**1379.19**

परिसम्पत्ति/आस्ति के पूंजीकरण पर आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis on Asset Capitalization)

3.99 मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्ते तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2012 में पूंजी निवेश योजना, के प्रस्तुतिकरण की विधि निर्दिष्ट की गई है।

3.100 इन विनियमों के अनुसार, वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपनी सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता संबंधी याचिका के अन्तर्गत, विभिन्न पूंजीगत व्यय योजनाओं के अन्तर्गत विस्तृत पूंजी निवेश योजना, वित्तीय प्रबंधन योजना भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियां दर्शाते हुए, भार में अभिवृद्धि, वितरण हानियों में कमी की जाने, विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार, विश्वसनीयता, मीटरीकरण आदि अर्हता की पूर्ति हेतु करेगा।

3.101 पूंजीगत निवेश योजना में पृथक से निर्माणाधीन परियोजनाएं, जिनका कार्य विचाराधीन आगामी वर्ष के दौरान भी जारी रहेगा तथा इसके साथ नवीन परियोजनाएं (औचित्य दर्शाते हुए) जो टैरिफ अवधि में प्रारंभ की जाएंगी तथा जो टैरिफ अवधि के अंतर्गत अथवा उसके उपरांत पूर्ण की जा सकेंगी, दर्शाई जाएंगी। आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों की पूंजी निवेश योजना पर विचार करेगा तथा उसे अनुमोदन प्रदान करेगा जिस हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी को सुसंगत तकनीकी एवं वाणिज्यिक विवरण उपलब्ध कराने होंगे।

3.102 याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु, पूंजी निवेश योजना प्रस्तुत की है। वित्तीय वर्ष 2009–10, वित्तीय वर्ष 2010–11 तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों की परिसम्पत्तियों/आस्त्यिों में वृद्धि की प्रगति दर्शाती है कि सकल स्थाई परिसम्पत्तियों (Gross Fixed Assets-GFA) में वृद्धि निम्नानुसार रही है :

तालिका 49 : वित्तीय वर्ष 2009–2010 से वित्तीय वर्ष 2011–2012 के दौरान परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण (राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविक	मध्य क्षेविविकं
वित्तीय वर्ष 2009–10	252.38	75.40	173.24
वित्तीय वर्ष 2010–11	405.38	661.40	180.14
वित्तीय वर्ष 2011–12	572.78	490.48	689.15

3.103 उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान विद्युत वितरण कम्पनियों ने परिसम्पत्ति पूंजीकरण के अन्तर्गत उल्लेखनीय प्रगति की है। अतएव, आयोग ने वित्तीय वर्ष 2012–13 तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु पूंजीकरण की स्वीकृति के संबंध में उक्त परिसम्पत्ति पूंजीकरण की राशि पर विचार किया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) के प्रतिपादन हेतु, आयोग ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान परिसम्पत्ति वृद्धि की गणना हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 की वास्तविक परिसम्पत्ति वृद्धि को ध्यान में रखा है।

तालिका 50 : वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान परिसम्पत्ति पूंजीकरण

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं
वित्तीय वर्ष 2012–13	572.78	490.48	689.15
वित्तीय वर्ष 2013–14	572.78	490.48	689.15

संचालन एवं संधारण लागतें (Operations and Maintenance Costs)

याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण (Petitioners' Submissions)

3.104 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि प्रक्षेपित किये गये संचालन तथा संधारण व्यय विनियमों के सुसंबद्ध उपबन्धों पर आधारित हैं। घटकवार संचालन एवं संधारण व्ययों की चर्चा निम्न परिच्छेदों में की गई है :

कर्मचारी व्यय (Employee Expenses)

3.105 कर्मचारी व्ययों के संबंध में, याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है आयोग ने टैरिफ विनियमों के विनियम 34.1 के अनुसार कर्मचारी व्ययों (कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते, पेंशन, सेवान्त प्रसुविधाओं तथा प्रोत्साहनों को छोड़कर) के मानदण्ड अधिसूचित किये हैं तथा अधिसूचित/मानदण्डीय व्ययों के साथ–साथ अलावा इन पर भी विचार किया गया है।

3.106 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने निवेदन किया है कि उनके द्वारा वर्ष के दौरान मंहगाई भत्ते में 14 प्रतिशत की वृद्धि, अर्थात् दो छमाही किस्तें, क्रमशः 6 प्रतिशत तथा 8 प्रतिशत की दर से मानी गई है जिसका परिणाम वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान लगभग 10 प्रतिशत की समग्र वृद्धि के रूप में होगा। उनके द्वारा यह निवेदन भी किया गया है कि मंहगाई भत्ते की वर्तमान दर मूल वेतन का 72 प्रतिशत है, अतएव वित्तीय

वर्ष 2013–14 के लिये कुल देय मंहगाई भत्ता मूल वेतन का 82 प्रतिशत माना गया है।

3.107 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने कर्मचारी व्ययों के आकलन में निम्न अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं :

(क) मंहगाई भत्ते की गणना हेतु, मूल वेतन की गणना वित्तीय वर्ष 2011–12 के मूल वेतन में तीन प्रतिशत वृद्धि के आधार पर की गई है।

(ख) याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि मंहगाई भत्ते की वृद्धि दर राज्य सरकार द्वारा माह जुलाई 2009 से घोषित की वृद्धि दर के औसत के रूप में मानी गई है, अर्थात् प्रत्येक छमाही के दौरान 7 प्रतिशत वृद्धि की दर से। तद्नुसार, उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु 82.50 प्रतिशत की औसत मंहगाई दर मानी गई है।

(ग) सेवान्त प्रसुविधाओं के कारण केवल नगद बाह्य प्रवाह (Cash Outflow) को मप्रविनिआ (मण्डल तथा उत्तराधिकारी इकाईयों के कार्मिकों को पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा दायित्वों की स्वीकृति हेतु निबन्धन तथा शर्ते) विनियम, 2012 के उपबन्धों के अनुसार माना गया है।

(घ) कर्मचारियों को देय प्रोत्साहन/बोनस की राशि अंकेक्षित लेखों के पूर्व रूझान के अनुसार मानी गयी है।

(ङ) वेतन के पुनरीक्षण के संबंध में, देय बकाया राशि के कारण व्ययों बाबत, जैसा कि इसका प्रावधान छठे वेतन आयोग में किया गया है, को इसे विनियमों में अधिसूचित किये गये अनुसार माना गया है।

3.108 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने दायर की गई अपनी याचिका में कर्मचारी व्ययों के मानदण्डों की समीक्षा निम्न कारणों से किये जाने का अनुरोध किया है :

(क) चूंकि कम्पनी में कार्यरत अधिकांश कर्मचारी मप्रराविमं (MPSEB) से विद्युत वितरण कम्पनियों को स्थानान्तरित किये गये हैं तथा यह भी कि उनकी सेवा शर्तों को विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबन्धों तथा अन्तरण योजना नियमों (Transfer Scheme Rules) को दृष्टिगत रखते हुए परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, अतः कर्मचारी व्यय प्रतिबद्ध प्रकार के तथा अपरिहार्य हैं। इन व्ययों को अनियन्त्रणीय कारक (uncontrollable Factor) के रूप में माने जाने का निवेदन भी किया गया है।

(ख) विभिन्न श्रेणी के पदाधिकारियों की व्यापक कमी की पृष्ठभूमि में, कम्पनी ने कुछ महत्वपूर्ण संवर्गों, जैसे कि सहायक यंत्री, कनिष्ठ यन्त्री, लाईन कर्मचारी आदि की भर्ती प्रारंभ की गई है। वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान नवीन नियोजित किये गये पदाधिकारियों के वेतन भुगतान हेतु अतिरिक्त व्ययों को भी व्यय में जोड़ा गया है।

(ग) दो ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों (Rural Electricity Cooperative Societies-RECs), यथा पन्धाना तथा भनासा का विद्युत वितरण कम्पनी में

संविलियन किया जा चुका है। अतएव, विद्युत वितरण कम्पनी को ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों के कर्मचारियों की अतिरिक्त कर्मचारी लागत पर आने वाले व्यय को भी वहन करना होगा। अनुज्ञप्तिधारी ने निवेदन किया है कि विनियमों के अन्तर्गत इस प्रकार की कर्मचारी लागत के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, पूर्व के वास्तविक आंकड़े के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कुल रू. 11.58 करोड़ की लागत को वहन किया जाना अपेक्षित है जिस पर विनियमों के अन्तर्गत प्रावधान नहीं किया गया है।

3.109 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने अपने अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण दिनांक 19 जनवरी, 2013 में वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु रू. 793.85 करोड़ के कर्मचारी व्यय की शुद्ध राशि का दावा किया है जिसमें कतिपय व्ययों की अनुमानित राशि की गणना हेतु, कुछ अवधारणाएं भी की हैं। मोटे तौर पर, अनुज्ञप्तिधारी ने वेतन के लिये रू. 307.49 करोड़, मंहगाई भत्ते के लिये रू. 253.68 करोड़, अन्य भत्तों तथा राहत के लिये रू. 23.78 करोड़, सेवान्त प्रसुविधाओं के लिये रू. 174.50 करोड़, कर्मचारी कल्याण व्ययों के लिये रू. 12.41 करोड़ तथा कई अन्य प्रकार के व्ययों के लिये रू. 71.19 करोड़ राशि का दावा प्रस्तुत किया है।

3.110 याचिका के सूक्ष्म परीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु मक्षेविविकं के कर्मचारी व्यय (मंहगाई भत्ते, बकाया राशि, पेंशन, सेवान्त प्रसुविधाओं को छोड़कर) टैरिफ विनियमों के अन्तर्गत निर्दिष्ट सुसंबद्ध मानदण्डीय व्ययों के अन्तर्गत रू. 303 करोड़ के विरूद्ध रू. 307.49 करोड़ दर्शाये गये हैं। इस संबंध में की गई पृच्छा की प्रतिक्रिया में, विद्युत वितरण कम्पनी ने सूचित किया है कि नवीन मानव संसाधन नीति के अन्तर्गत, कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु में वृद्धि 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की जा चुकी है। अतएव, निकट भविष्य में सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या में कमी होगी तथा तद्नुसार कर्मचारी व्ययों में वृद्धि होगी। विद्युत वितरण कम्पनी ने यह अनुरोध भी किया है कि आयोग कर्मचारी व्ययों में प्रत्याशित वृद्धि पर भी विचार करे।

3.111 एक अन्य पृच्छा, कि विद्युत वितरण कम्पनियों ने मंहगाई भत्तों की राशि के प्रक्षेपण में अलग–अलग दरों पर क्यों विचार किया है, पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों ने निवेदन किया है कि पूर्व रूझान को दृष्टिगत रखते हुए, प्रत्येक छमाही के दौरान मंहगाई भत्ते में 7 प्रतिशत वृद्धि पर विचार किया गया है तथा इस प्रकार वर्ष 2013–14 के लिये 82.5 प्रतिशत औसत मंहगाई भत्ता माना गया है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने निवेदन किया है कि मंहगाई भत्ते में वृद्धि अन्य विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा अनुरोध किये गये अनुसार ही उनके प्रकरण में भी विचार किया जाए।

प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय (A&G Expenses)

3.112 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने निवेदन किया है कि विनियमों के सुसंबद्ध प्रावधान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु सामान्य तथा प्रशासनिक व्यय (Administrative and General Expenses) रू. 112.78 करोड़ आंके गये हैं।

3.113 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने निवेदन किया है कि टैरिफ विनियमों के विनियम 34.1 में विनिर्दिष्ट किये गये प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय के मानदण्डों में शासन को देय करों तथा मप्रविनिआ को देय शुल्कों को शामिल नहीं किया गया है। अतएव, उनके द्वारा इस प्रकार की मदों से संबंधित व्ययों को मानदण्डीय प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों के अतिरिक्त माना गया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु, विद्युत वितरण कम्पनी ने अनुमान लगाया है कि मप्रविनिआ शुल्क तथा करों को छोड़कर प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय, की कुल राशि शासन को देय करों की राशि रू. 5.02 करोड़ मानते हुए रू. 97.73 करोड़ होगी।

3.114 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने मप्रविनिआ शुल्क तथा करों की राशि को छोड़कर, प्रशासनिक तथा सामान्य व्ययों का आकलन रू. 105.71 करोड़ किया है, जबकि शासन को देय करों की राशि रू. 1.02 करोड़ मानी गई है।

3.115 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने अपने अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण में प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों की शुद्ध राशि रू. 224.40 करोड़ के रूप में प्रस्तुत की है जो निम्न बिन्दुओं पर आधारित है :

क. **भाड़ा** (Rent) : भाड़े को पिछले वर्ष के अंकेक्षित आधार आंकड़े के अनुसार माना गया है तथा इसे आगे मुद्रास्फीति दर से समायोजित किया गया है।

ख. **दरें तथा कर** (Rates and Taxes) : इसे पूर्व वर्ष के अंकेक्षित आंकड़ों पर आधारित किया गया है तथा इसे आगे मुद्रास्फीति दर से समायोजित किया गया है।

ग. **बीमा निधि प्रभार** (Insurance Fund Charges) : बीमा प्रभार राजस्व राशि के अनुपात में लिये गये है जिसके अनुसार इन्हें पिछले तीन वर्षों के अंकेक्षित आंकड़ों के औसत के आधार पर लिया गया है तथा इसे आगे मुद्रास्फीति दर से समायोजित किया गया है।

घ. **अन्य प्रभार** (Other Expenses) : अन्य समस्त व्यय सकल स्थाई परिसम्पत्तियों (GFA) तथा राजस्व के अनुपात में लिये गये हैं तथा तत्पश्चात् वित्तीय वर्ष 2013–14 के प्रक्षेपणों की गणना हेतु पिछले तीन वित्तीय वर्षों के अंकेक्षित वित्तीय आंकड़ों की औसत को मानकर किये गये हैं।

ङ. **मप्रराविमं के सामान्य व्ययों का आवंटन** (Allocation of common expenses of MPSEB) इन व्ययों का दावा पिछले तीन वर्षों के अंकेक्षित आंकड़ों के औसत के आधार पर किया गया है तथा तत्पश्चात् 8.96 प्रतिशत की मुद्रास्फीति की दर मानकर वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु वृद्धि द्वारा प्रक्षेपित किया गया है।

च. **आर–एपीडीआर भाग 'ए' के बैंडविड्थ प्रभार** (Bandwidth Charges R-APPDRP Part A) : कम्पनी ने आर–एपीडीआरपी भाग ए परियोजना को पावर फायनेंस कार्पोरेशन की वित्तीय सहायता से क्रियान्वित किया है। इस निधीयन (funding) में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर हेतु नेटवर्किंग की लागत, जीपीआरएस प्रभार (GPRS Charges) एफएमएस प्रभार (FMS Charges) शामिल नहीं किये गये हैं तथा इनका वित्तीय प्रबन्धन कम्पनी की स्वयं की निधि से प्रचालन व्ययों (Operational expenses) के रूप में किया जाना होगा। इस लागत को कम्पनी की वित्तीय वर्ष 2013–14 की पूंजी निवेश तथा वित्तीय योजना में शामिल नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान परियोजना के क्रियान्वयन हेतु अनुमानित रू. 10.37 करोड़ का व्यय किया जाएगा।

3.116 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की वित्तीय वर्ष 2013–14 की याचिका के सूक्ष्म परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि प्रशासनिक तथा सामान्य व्ययों की राशि, मप्रविनिआ शुल्क तथा करों को छोड़कर, रू. 105.71 करोड़ दर्शाई गई थी जबकि टैरिफ विनियम के प्रावधानों के अनुसार विनिर्दिष्ट सुसंबद्ध मानदण्डीय व्यय की राशि रू. 85.14 करोड़ होनी चाहिए। इस संबंध में विद्युत वितरण कम्पनी से की गई पृच्छा की प्रतिक्रिया में कम्पनी ने सूचित किया है कि वास्तविक प्रशासनिक तथा सामान्य व्ययों की राशि वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु, रू. 93.24 करोड़ (पूंजीकरण से पूर्व) थी तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु उसके द्वारा प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय की राशि (मप्रविनिआ शुल्क तथा करों को छोड़कर) रू. 110.05 करोड़ प्रक्षेपित की गई है।

3.117 इसके अतिरिक्त, विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा शासन को भुगतान किये जा रहे करों के संबंध में पृच्छा किये जाने पर कम्पनी ने सूचित किया है कि इन करों में सम्पत्ति कर, अन्य विविध राज्यीय कर (State Levies) तथा प्रवेश–कर (Entry Tax) सम्मिलित किये गये हैं।

मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय (Repair & Maintenance Expenses)

3.118 विद्युत वितरण कम्पनियों ने निवदेन किया है कि विनियमों के सुसंबद्ध उपबन्धों के अनुसार मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय (Repair & Maintenance Expenses) प्रारंभिक सकल स्थायी परिसिम्पत्तियों (GFA) की 2.3 प्रतिशत की दर से पूर्व, पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु क्रमशः रू. 93.46 करोड़, रू. 96.38 करोड़, रू. 85.67 करोड़ प्राक्कलित किये गये हैं।

3.119 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने अपने अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण में मरम्मत तथा अनुरक्षण मद के अन्तर्गत रू. 129.72 करोड़ की राशि व्यय होने का उल्लेख किया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने निवेदन किया है कि मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय का पुर्वानुमान सकल स्थाई परिसम्पत्तियों का 1.62 प्रतिशत लगाया गया है तथा इसमें वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु, 8.96 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर (inflation rate) से वृद्धि की गई है। मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों की कुल राशि को तत्पश्चात् तत्संबंधी उपश्रेणियों में द्विभाजित किया गया है जो पिछले तीन वर्षों के कुल मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय के उक्त उप श्रेणी के अंशदान पर आधारित है।

संचालन तथा संधारण व्ययों की अन्य मदें (Other Items of O&M Expenses)

सेवान्त प्रसुविधाओं के संबंध में दावे (Claims against Terminal Benefits)

3.120 याचिकाकर्ताओं ने सेवान्त प्रसुविधाओं तथा पेंशन संबंधी भुगतानों का दावा शीर्ष संचालन एवं साधारण व्ययों के अन्तर्गत किया है, जैसा कि इसके संबंध में चर्चा निम्न परिच्छेदों में की गई है।

3.121 जहां तक सेवान्त प्रसुविधाओं {पेंशन, उपदान (Gratuitty) तथा अवकाश नगदीकरण (Leave Encashment)} के प्रावधान का संबंध है, विद्युत वितरण कम्पनियों ने निवेदन किया है कि मप्रविनिआ (मण्डल तथा उत्तराधिकारी इकाईयों के कार्मिकों को पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा दायित्वों की स्वीकृति हेतु निबन्धन तथा शर्ते) विनियम, 2012 के उपबन्धों को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने दोनों उपबन्धों, यथा सेवान्त प्रसुविधाओं के

कारण जीवनांकिक प्रतिवेदन (Actuary Report) में निर्दिष्ट की गई दर तथा वास्तविक नगद बाह्य प्रवाह (cash outflow) पर विचार किया है। यह स्पष्ट किया गया है कि जीवनांकिक मूल्यांकन के अनुसार इस प्रकार के दायित्व के आकलन के संबंध में, तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु दिनांक 31 मार्च, 2009 की स्थिति में दायित्व का अवधारण किया गया, जिसमें भविष्यगामी सेवा से उद्‌भूत दायित्वों की पूर्ति हेतु भविष्य में किये जाने वाले निर्दिष्ट वांछित अंशदान दर में वास्तविक प्रतिशत का प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

तालिका 51 : जीवनांकिकी से उद्‌भूत दायित्व के भविष्यगामी अंशदान

अवधारण	पूर्व क्षेविविकं				पश्चिम क्षेविविकं				मध्य क्षेविविकं			
	उपदान	पेंशन	अवकाश नगदीकरण	योग	उपदान	पेंशन	अवकाश नगदीकरण	योग	उपदान	पेंशन	अवकाश नगदीकरण	योग
अंशदान दर	4-95%	21.73%	0.77%	27.45%	4.67%	20.28%	0.59%	25.54%	4.56%	20.15%	0.54%	25.25%
छूट दर	7-00%	7.00%	7.00%	7.00%	7-00%	7.00%	7.00%	7.00%	7-00%	7.00%	7.00%	7.00%

तालिका 52 : सेवान्त प्रसुविधाओं की गणना **(राशि करोड़ रूपये में)**

विवरण	पेंशन		उपदान		अवकाश नगदीकरण	
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी						
दिनांक 31.3.2013 की स्थिति में प्रावधान	737.52		141.31		55.78	
छूट (डिस्काउन्ट) 7 प्रतिशत की दर से	7.00%	51.63	7.00%	9.89	7.00%	3.9
चालू सेवा लागत						
वार्षिक वेतन	414.72		414.72		414.72	
अंशदान	21.73%	90.12	4.95%	20.53	0.77%	3.19
वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये प्रावधान		**141.8**		**30.42**		**7.1**
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी						
दिनांक 31.3.2013 की स्थिति में प्रावधान	743.48		141.75		32.35	
छूट (डिस्काउन्ट) 7 प्रतिशत की दर से	7.00%	52.04	7.00%	9.92	7.00%	2.26
चालू सेवा लागत						
वार्षिक वेतन	552.22		552.22		552.22	
अंशदान	20.28%	112	4.67%	25.79	0.59%	3.26
वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये प्रावधान		**164**		**35.71**		**5.52**
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी						

दिनांक 31.3.2013 की स्थिति में प्रावधान	703.29		154.37		69.85	
छूट (डिस्काउन्ट) 7 प्रतिशत की दर से	7.00%	49.23	7.00%	10.81	7.00%	4.89
चालू सेवा लागत						
वार्षिक वेतन	379.9		379.9		379.9	
अंशदान	20.15%	76.55	4.56%	17.32	0.54%	2.05
वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये प्रावधान		**125.8**		**28.13**		**6.94**

तालिका 53 : विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु सेवान्त प्रसुविधाओं के दायित्वों की गणना (राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं.		पश्चिम क्षेविविकं.		मध्य क्षेविविकं.	
	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2013–14
उपदान (ग्रेच्युटी)	141.31	30.42	141.75	35.71	129.59	24.79
पेंशन	737.52	141.75	743.48	164.03	592.38	110.92
अवकाश नगदीकरण	55.78	7.1	32.35	5.52	63.35	6.31
योग	**934.61**	**179.26**	**917.59**	**205.27**	**785.51**	**142.02**

3.122 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने अपने अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण में सेवान्त प्रसुविधाओं (Terminal Benefits) की गणना की क्रियाविधि प्रस्तुत की है तथा उसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये जीवनांकिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (Acturial Valuation Report) के अनुसार पूर्व सेवाओं के दायित्व के निर्वहन हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में रू. 927.55 करोड़ की लागत अनुज्ञेय किये जाने का अनुरोध किया है।

3.123 जहां तक सेवान्त प्रसुविधाओं {नगद बाह्य प्रवाह (cash out flow)} का संबंध है, याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि सेवान्त प्रसुविधाएं (वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु केवल वार्षिक नगद बाह्य प्रवाह हेतु) कर्मचारी व्ययों के भाग के रूप में सम्मिलित की गई हैं। इसके, अतिरिक्त, नगद बाह्य प्रवाह के प्राक्कलन हेतु, वास्तविक नगद बाह्य प्रवाह में 7.93 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि की गई है। जानकारी के प्रस्तुतिकरण के भाग के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि संचालन एवं संधारण व्ययों के अन्तर्गत रू 585.89 करोड़ की सेवान्त सुविधाओं के रूप में दावा की गई राशि वास्तविक नगद बाह्य प्रवाह के आधार पर है तथा सेवान्त प्रसुविधाएं केवल विद्युत वितरण कम्पनी के कर्मचारियों के लिये हैं तथा इनमें ट्रांसको, जनको तथा एमपीपीएमसीएल के कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया है।

तालिका 54 : विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु सेवान्त प्रसुविधाएं (नगद बाह्य प्रवाह)

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविक	मध्य क्षेविविकं
उपदान (ग्रेच्युटी)	152.88	161.09	121.4
पेंशन	10.96	52.46	42.55
अवकाश नगदीकरण	3.75	15.57	17.48
भविष्य निधि/जीटीआईएस/एनपीएस आदि	1.16	4.39	2.19
योग	**168.75**	**233.52**	**183.62**

3.124 जहां तक मप्र विद्युत नियामक आयोग शुल्क (MPERC Fees) का संबंध है, याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु मप्रविनिआ शुल्क का आकलन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार किया गया है। मध्य क्षेविवि कंम्पनी ने अपने अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण में वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु रू. 0.39 करोड़ की राशि का दावा मप्रविनिआ अनुज्ञप्ति शुल्क (License Fees) के रूप में शीर्ष प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों के अन्तर्गत किया है।

3.125 तद्नुसार, उपरोक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु संचालन तथा संधारण व्ययों के संबंध में विवरण निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार दाखिल किया है।

तालिका 55 : वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु संचालन तथा संधारण व्यय (राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविक	मध्य क्षेविविकं
	मानदण्डों के अनुसार		
कर्मचारी लागत (Employee Expenses) (बकाया राशि, मंहगाई भत्ता, तथा अन्य को सम्मिलित कर	660.08	616.30	591.01
प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय (A & G Expenses)	112.78	97.73	106.73
मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय (R & M Expenses)	93.46	96.38	85.67
संचालन एवं संधारण व्ययों की अन्य मदें (Other Items of O & M Expenses)			
सेवान्त प्रसुविधा (नगद बाह्य प्रवाह) (Terminal Benefit-Cash Outflow)	168.75	233.52	183.62
मप्रविनिआ शुल्क (MPERC Fees)	0.48	0.67	0.51
संचालन एवं संधारण व्ययों का योग	**1035.55**	**1044.60**	**967.54**

संचालन तथा संधारण व्ययों के संबंध में आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis on O&M Expenses)

3.126 मप्र विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्ते तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2012 में राज्य की प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी हेतु मानदण्डीय संचालन एवं संधारण व्यय निर्दिष्ट किये गये हैं।

3.127 संचालन एवं संधारण व्ययों में कर्मचारी व्ययों (Employee expenses) लागत, मरम्मत तथा अनुरक्षण (R&M) लागत तथा प्रशासनिक एवं सामान्य (A&G) व्यय को शामिल किया गया है। विनियमों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु कर्मचारी व्ययों, बकाया राशि के भुगतान तथा प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों को निर्दिष्ट किया गया है। विनियमों में वित्तीय वर्ष के लिये मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में 2.3% की दर से अनुज्ञेय किये गये हैं। इन मानदंडों में कर्मचारियों को भुगतानयोग्य पेंशन, सेवान्त प्रसुविधाएं, शासन को देय कर, मप्रराविमं व्यय तथा मप्रविनिआ को भुगतानयोग्य शुल्क शामिल नहीं हैं। व्ययों की राशि की गणना का आधार संबंधी विवरण, बकाया राशि के भुगतान संबंधी व्ययों को सम्मिलित कर, विनियमों में प्रदान किये गये हैं।

3.128 छठवें वेतन आयोग के कारण दिनांक 31.8.08 तक की अवधि हेतु बकाया राशि के भुगतान का सत्यापन करते समय, विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा संचालन एवं संधारण व्ययों में इस हेतु सम्मिलित की गई राशि की तुलना वास्तविक रूप से किये गये भुगतान से की जाएगी तथा इनमें पाये गये किसी अन्तर को समायोजित किया जाएगा।

3.129 मप्रराविमं (MPSEB)/उत्तराधिकारी इकाईयों हेतु सेवान्त प्रसुविधाओं (Terminal Benefits) के विरूद्ध व्ययों के संबंध में, वे कर्मचारी जो वित्तीय वर्ष 2013–14 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, के साथ–साथ पेंशन भोगियों को पेंशन भुगतान के संबंध में भी, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु टर्मिनल प्रसुविधाएं तथा पेंशन व्यय अनन्तिम आधार पर ''देयता अनुसार भुगतान ''(pay as you go)'' सिद्धांत के आधार पर रू. 677 करोड़ की सीमा के अन्तर्गत पारेषण प्रभारों के अन्तर्गत अनुज्ञेय किये गये हैं। अतएव, संचालन एवं संधारण व्ययों के अन्तर्गत पृथक प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं है। इस विषय पर आयोग का दृष्टिकोण/निर्देश इस टैरिफ आदेश में अन्यत्र दिये गये हैं (देखें अध्याय ए–3 पैरा 3.90 उपखण्ड ''ऊर्जा संतुलन तथा विद्युत क्रय के संबंध में आयोग का विश्लेषण)।

3.130 आयोग शासन को देय करों तथा मप्रविनिआ को देय शुल्क के संबंध में, वास्तविक देय राशि के आधार पर, पृथक से ये अनुमति प्रदान करेगा।

3.131 तद्नुसार, कर्मचारी व्यय, जैसा कि ये टैरिफ विनियमों में विनिर्दिष्ट किये गये हैं, स्वीकार किये गये हैं। जहां तक मंहगाई भत्ते का संबंध है, आयोग इसे वास्तविक रूझानों पर आधारित, सत्यापन के अध्यधीन मूल वेतन के 80 प्रतिशत की दर से मान्य किया जाना उचित समझता है। आयोग ने वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु वेतन की बकाया देय राशि पूर्व, पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विवि कम्पनी हेतु क्रमशः रू. 34 करोड़, रू. 30 करोड़, रू. 29.52 करोड़ के प्रत्याशित व्यय के संबंध में जैसा कि इसे मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्ते एवं प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2012 में विनिर्दिष्ट किया गया है, सत्यापन के अध्यधीन विचार किया है।

तालिका 56 : वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु स्वीकार किये गये कर्मचारी व्यय (राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविक	मध्य क्षेविविकं
कर्मचारी व्यय, बकाया राशि, मंहगाई भत्ते, सेवान्त प्रसुविधाओं तथा प्रोत्साहन को छोडकर	344.00	325.00	303.00
मंहगाई भत्ता	275.20	260.00	242.40
बकाया राशि	34.00	30.00	29.52
योग	**653.20**	**615.00**	**574.92**

3.132 आयोग ने मानदण्डीय स्तरों के अलावा व्ययों को अनुज्ञेय किये जाने बाबत याचिकाकर्ता द्वारा किये गये निवेदनों पर विचार किया है तथा इन्हें स्वीकार योग्य नहीं पाया है, तथापि, यदि किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण कुछ मुख्य परिवर्तन किये जाते हों, तो उन पर आयोग सत्यापन करते समय यथोचित विचार करेगा। प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय जैसा कि ये टैरिफ विनियमों में निर्दिष्ट किये गये है, निम्न तालिका के अनुसार स्वीकार किये गये हैं :

तालिका 57 : वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु स्वीकार किये गये प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविक	मध्य क्षेविविकं
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	112.78	92.71	85.14

3.133 मरम्मत तथा अनुरक्षण (R&M) व्ययों पर वित्तीय वर्ष की प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियों (GFA) के 2.3% की दर से निम्नानुसार विचार किया गया है :

तालिका 58 : वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु स्वीकार किये गये मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	क्षेत्र विवि कम्पनी.		
	पूर्व	पश्चिम	मध्य
दिनांक 1 अप्रैल 2012 की स्थिति में प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति	3173.69	3213.18	3087.15
वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान परिसम्पत्ति वृद्धि जिस पर विचार किया गया है *	572.78	490.48	689.15
दिनांक 1 अप्रैल 2013 की स्थिति में प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति	3746.46	3703.65	3776.30
मरम्मत तथा संधारण व्यय हेतु अनुज्ञेय प्रतिशत	2.30%	2.30%	2.30%
मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय का योग	**86.17**	**85.18**	**86.85**

* *वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान परिसम्पत्ति वृद्धि, वित्तीय वर्ष 2011–12के स्तर पर मानी गई है।*

3.134 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु स्वीकार किये गये कुल संचालन एवं संधारण व्ययों को निम्न तालिका में संक्षेपबद्ध किया गया है :

तालिका 59 : वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु स्वीकार किये गये संचालन एवं संधारण व्यय

(करोड़ रूपये में)

विवरण	क्षेत्र विवि कंपनी		
	पूर्व	पश्चिम	मध्य
कर्मचारी व्यय	653.20	615.00	574.92
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	112.78	92.71	85.14
मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय	86.17	85.18	86.85
कुल संचालन एवं संधारण व्यय	**852.15**	**792.89**	**746.91**

अवमूल्यन या अवक्षयण (Depreciation)

याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण

3.135 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि उनके द्वारा अवक्षयण मॉडल (Deperclation Model) को आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के परिशिष्ट–II की दरों पर आधारित विकसित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु अवमूल्यन/अवक्षयण की गणना निम्न तालिका में दर्शायी गई है :

तालिका 60 : विनियमों के अनुसार अवमूल्यन/अवक्षयण (करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं.		पश्चिम क्षेविविकं.		मध्य क्षेविविकं.	
	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2013–14
पट्टे के अन्तर्गत भूमि	0.00	0.00	0.07	0.13	0.00	0.00
भवन	1.35	1.86	2.68	3.01	0.69	1.09
द्रव्य संबंधी कार्य (हायड्रॉलिक वर्क्स)	0.16	0.12	0.28	0.28	0.01	0.01
अन्य सिविल कार्य	0.07	0.07	0.08	0.08	0.02	0.02
संयंत्र तथा मशीनरी	34.97	47.52	74.96	117.33	88.05	125.24
लाईन केबल नेटवर्क, आदि	77.04	92.63	62.37	75.83	44.64	88.06
वाहन	0.01	0.01	0.02	0.02	0.06	0.06
फर्नीचर तथा फिक्सचर्स	0.00	0.00	0.09	0.12	0.05	0.09
कार्यालय उपकरण	2.04	3.3	0.75	1.14	0.75	1.11
योग	**115.63**	**145.5**	**141.31**	**197.95**	**134.27**	**215.68**

3.136 मध्य क्षेत्र विवि कम्पनी ने अपने अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण में निवेदन किया है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार उनके द्वारा प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति की राशि रू. 3096.57 करोड़ उत्तराधिकार में प्राप्त की गई है। निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) के पूंजीकरण को वर्ष हेतु नवीन परिसम्पत्ति वृद्धि के रूप में अन्तरित कर दिया गया है। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि रू. 684.85 करोड़ होगी तथा तदनुसार वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान संचित अवमूल्यन रू. 215.68 करोड़ होगा। याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान अपनाए गये विशिष्ट आधार (premise) निम्नानुसार है :

3.137 अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्तिया (ऐसी परिसम्पत्तियां, जो 90% तक अवमूल्यित नहीं की गई हैं) से प्रारंभिक शेष की अवधि, प्रक्षेपण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु ऐसे प्रत्येक लेखा शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 1985–86 से वर्ष 2004–05 तक मप्र राज्य विद्युत मंडल के वर्षवार परिसम्पत्ति वृद्धि आंकड़ों के आधार पर प्राक्कलित की गई है। ऐसी परिसम्पत्तियां जिनका संचित अवमूल्यन परिसम्पत्ति मूल्य (वास्तविक मूल्य) का 90 प्रतिशत हो चुका है, उन पर किसी प्रकार का अवमूल्यन भारित नहीं किया गया है। प्रक्षेपण अवधि हेतु प्राक्कलित प्रतिशत अवमूल्यनयोग्य परिसम्पत्तियों (प्रारंभिक शेष) की संक्षेपिका निम्नानुसार प्रस्तुत की गई है :

अ. वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु ऐसी परिसम्पत्तियों पर अवमूल्यन राशि को प्रभारित नहीं किया गया है जिनका सृजन उपभोक्ता के अंशदान से किया गया है।

ब. अवमूल्यन की गणना हेतु अपनाई गई अवमूल्यन दर, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार हैं। इसके अतिरिक्त, विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की दरों का उपयोग उसके वार्षिक लेखों को तैयार किये जाने में किया जाता है। विद्युत वितरण कम्पनी ने आयोग को कम्पनी अधिनियम की दरों का उपयोग पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के साथ–साथ वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु भी लागू करने पर विचार करने का अनुरोध किया है।

अवमूल्यन के संबंध में आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis on Depreciation)

3.138 विद्युत वितरण प्रणाली की ऐसी परिसम्पत्तियों के संबंध में जिन्हें, 31 मार्च, 2013 के उपरान्त वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया जाए, मप्र विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्ते तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2012 के अनुसार अवमूल्यन की गणना प्रतिवर्ष, ''सरल रेखा विधि (Straight Line Method)'' के आधार पर परिशिष्ट–2 (Appendix-II) में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार इस प्रतिबन्ध के अन्तर्गत की जाएगी कि वर्ष के 31 मार्च की स्थिति में अवशेष अवमूल्यन–योग्य मूल्य को वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के 12 वर्षों की अवधि के उपरान्त परिसम्पत्तियों के अवशेष उपयोगी जीवनकाल के अन्तर्गत प्रसारित कर दिया जाएगा।

3.139 विद्यमान परियोजनाओं के प्रकरणों में, टैरिफ विनियमों में निर्दिष्ट किया गया है कि दिनांक 1.4.2013 की स्थिति में अवशेष अवमूल्यन मूल्य की गणना आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2010 तक स्वीकार की गई परिसम्पत्तियों के सकल अवमूल्यन योग्य मूल्य में अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम राशि को सम्मिलित कर, में से संचयी अवमूल्यन को घटाकर की जाएगी। अवमूल्यन दर को परिशिष्ट–2 में विनिर्दिष्ट दर पर प्रभारित किया जाना जारी रखा जाएगा जब तक संचयी अवमूल्यन 70% तक पहुंच नहीं जाता। तत्पश्चात्, अवशेष अवमूल्यनयोग्य मूल्य के परिसम्पत्ति के अवशेष जीवनकाल के अंतर्गत इस प्रकार विभाजित कर दिया जाएगा ताकि अधिकतम अवमूल्यन की बढ़ोत्तरी 90% से अधिक न हो।

3.140 यह पाया गया है कि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दाखिल की गई याचिकाएं विनियमों में प्रावधानित मानदण्डों के अनुरूप नहीं हैं। परिसम्पत्तिवार विवरण, परिशिष्ट–2 में निर्दिष्ट की गई दर के अनुसार अवमूल्यन, परिसम्पत्तियों के मूल्य के 90 प्रतिशत से अधिक मूल्य की परिसम्पत्तियों का अवमूल्यन किये जाने, परिसम्पत्तियों के उपयोगी

जीवनकाल तथा अन्तिम अवमूल्यन मॉडल, जिनमें समस्त जानकारियां शामिल हों, को विनियमों के उपबन्धों के अनुसार प्रस्तुत न किये जाने के कारण आयोग ने वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु अवमूल्यन संबंधी जानकारी की पुनर्गणना की है।

3.141 जहां तक परिसम्पत्ति आधार (asset base) के मूल्य का संबंध है, आयोग ने विस्तृत रुप से वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु, विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा परिसम्पत्ति वृद्धि के संबंध में पूर्वानुमान पर विचार न किये जाने पर विस्तृत सोच–विचार किया है क्योंकि ये पूर्व के रूझान के अनुरूप नहीं हैं। अतएव, वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु, आयोग ने दिनांक 31 मार्च, 2012 की स्थिति में परिसम्पत्तियों के अन्तिम रोकड़ में वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु अंकेक्षित शेष को परिसम्पत्ति आधार (asset base) मान कर वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति को जोड़कर गणना की है। सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) का प्रयोग वित्तीय वर्ष 2011–12 के अंकेक्षित विवरण–पत्रों से किया गया है जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–13 की प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति की प्राप्ति की गई है। तत्पश्चात अवमूल्यन के प्रयोजन से वित्तीय वर्ष 2013–14 की सकल स्थाई परिसम्पत्ति के प्रक्षेपण हेतु, वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु सकल स्थाई सम्पत्ति के आधे भाग को लिया गया है जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2013–14 की सकल स्थाई परिसम्पत्ति का मूल्य प्राप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु अवमूल्यन की राशि की प्राप्ति के लिये क्रमशः 2.44 प्रतिशत (पूर्व), 2.81 प्रतिशत (पश्चिम) तथा 2.44 प्रतिशत (मध्य) की अवमूल्यन दरें (depreciation rates) मानी गई हैं। तथापि, आयोग यहां यह भी स्पष्ट कर देना चाहता है कि आयोग द्वारा इस टैरिफ आदेश के अंतर्गत अनुमोदित की गई अवमूल्यन में अंतर की राशि तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार वास्तविक अवमूल्यन को वित्तीय वर्ष 2013–14 के सत्यापन आदेश के अन्तर्गत सत्यापित किया जाएगा।

3.142 सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के मूल्य की प्राप्ति हेतु, दिनांक 31 मार्च, 2012 तक की पूंजीगत परिसम्पत्तियों के संचित उपभोक्ता अंशदान, अनुदान तथा सहायतानुदान को सकल स्थाई परिसम्पत्ति में से घटा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान, उपभोक्ता का अंशदान वही माना गया है जैसा कि इसका उल्लेख वित्तीय वर्ष 2011–12 के लेखों के अंकेक्षित विवरण–पत्र में किया गया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु अवमूल्यन को अनुज्ञेय किये जाने के उद्देश्य से सकल स्थाई परिसम्पत्ति को वित्तीय वर्ष 2013–14 की सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) में उपभोक्ता अंशदान को

घटाते हुए (netting off) तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 के औसत जोड़ के आधे भाग को जोड़कर के आधार पर किया गया है।

3.143 लेखा के अंकेक्षित विवरण–पत्र में दिनांक 31.3.2012 की स्थिति में अन्तिम सकल स्थाई परिसम्पत्ति, अर्थात् दिनांक 1 अप्रैल, 2012 की स्थिति में प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति की गणना, भूमि की लागत को घटाकर की गई है।

3.144 वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु स्वीकृत किया गया अवमूल्यन निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 61 : अवमूल्यन **(करोड़ रूपये में)**

विवरण	पूर्व क्षेत्र विविकं.	पश्चिम क्षेत्र विविकं.	मध्य क्षेत्र विविकं.
दिनांक 1 अप्रैल, 2012 की स्थिति में प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति	2091.74	2655.30	2568.36
जोड़ें : वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान की गई वृद्धि	572.78	490.48	689.15
घटाये : वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान उपभोक्ता का अंशदान	187.03	91.97	111.68
दिनांक 1 अप्रैल, 2013 की स्थिति में प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति	**2477.49**	**3053.80**	**3145.83**
वृद्धि के औसत में से वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान उपभोक्ता अंशदान को घटाकर मूल्य	192.87	199.25	288.74
वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु अवमूल्यन के लिये सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA)	2670.36	3253.05	3434.57
अवमूल्यन दर (%में)*	2.44%	2.81%	2.44%
वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु स्वीकार किया गया अवमूल्यन	**65.16**	**91.41**	**83.80**

*****उपरोक्त तालिका में लिये गये अवमूल्यन दरों के प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 2011–12 के टैरिफ आदेश के अनुसार माने गये हैं क्योंकि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा गणनाएं न तो विनियमों के अनुसार प्रस्तुत की गई है तथा न ही मदवार वितरणों के साथ–साथ वास्तविक संचित अवमूल्यन के अनुसार वांछित विवरण के अनुसार प्रस्तुत की गई हैं।*

ब्याज तथा वित्त प्रभार (Interest and Finance Charges)

याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण

3.145 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि विनियम 31 में ऋण–पूंजी (Loan Capital) पर ब्याज तथा वित्त प्रभारों की गणना की विधि प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये भी आयोग द्वारा ब्याज तथा वित्त प्रभारों की गणना हेतु, वित्तीय वर्ष 2012–13 के आदेश के अनुरूप, समान विधि अपनाई गई है।

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

3.146 पूर्व क्षेविवि कम्पनी ने पूंजीगत ऋणों पर ब्याज की गणना के संबंध में निम्नांकित विवरण दाखिल किये हैं :

तालिका 62 : विनियम के अनुसार ब्याज लागत **(करोड़ रूपये में)**

विवरण	पूर्व क्षेत्र विवि कम्पनी	
	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2013–14
वर्ष के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि (1)	889.93	1,577.14
वर्ष के दौरान उपभोक्ता अंशदान (2)	27	34.1
वर्ष के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति में शुद्ध वृद्धि (1)–(2)	862.93	1,543.04
सकल स्थाई परिसम्पत्ति में शुद्ध वृद्धि जिसे पूंजी के माध्यम से निधिबद्ध (funded) किया गया माना गया है, का 30 प्रतिशत	258.88	462.91
वर्ष के दौरान शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में अवशेष वृद्धि, जिसे ऋणों के माध्यम से निधीयन किया गया है	604.05	1,080.13
वर्ष के दौरान देय ऋण की अदायगी (अवमूल्यन दावे के बराबर)	115.63	145.5
टैरिफ आदेश के अनुसार सकल स्थाई परिसम्पत्ति से संबद्ध ऋण	1,182.59	2,117.21
समस्त ऋणों पर भारित औसत प्रतिशत ब्याज की दर	10.19%	9.28%
परियोजना ऋणों पर कुल ब्याज	120.56	196.39
वित्त प्रभार (Finance Charge)	2.77	3.05
परियोजना ऋणों तथा वित्त प्रभारों पर कुल ब्याज	**123.33**	**199.43**

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

3.147 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने पूंजीगत ऋणों पर ब्याज की गणना के संबंध में निम्न विवरण दाखिल किये हैं :

तालिका 63 : विनियम के अनुसार ब्याज लागत **(करोड़ रूपये में)**

विवरण	पश्चिम क्षेत्र विवि कम्पनी	
	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2013–14
सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) का प्रारंभिक शेष जिसे ऋण के माध्यम से निधिबद्ध किये अनुसार चिन्हित किया गया है	846.12	1,424.05
वर्ष के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि	977.33	1,423.23
वर्ष के दौरान उपभोक्ता अंशदान/वर्ष के दौरान रागांग्रवियो के अन्तर्गत परिसम्पत्ति निर्माण	55.45	86.96

वर्ष के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति में शुद्ध वृद्धि	921.88	1,336.27
सकल स्थाई परिसम्पत्ति में शुद्ध वृद्धि जिसे पूंजी के माध्यम से निधिबद्ध (funded) किया गया माना गया है, का 30 प्रतिशत	276.56	400.88
वर्ष के दौरान शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में अवशेष वृद्धि, जिसका ऋण के माध्यम से निधीयन किया गया है	645.31	935.39
वर्ष के दौरान देय ऋण की अदायगी (अवमूल्यन दावे के बराबर)	67.38	197.95
सकल स्थाई परिसम्पत्ति का अन्तिम शेष जिसे ऋण के माध्यम से निधिबद्ध किये अनुसार चिन्हित किया गया है	1,424.05	2,161.50
अवशेष ऋणों का औसत	1,135.08	1,792.77
समस्त ऋणों पर भारित औसत ब्याज दर	0.11	0.1
परियोजना ऋणों पर कुल ब्याज	124.98	184.78
वित्त प्रभार (Finance Charge)	15.08	16.29
परियोजना ऋणों तथा वित्त प्रभारों पर कुल ब्याज	**140.06**	**201.06**

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

3.148 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने पूंजीगत ऋणों पर ब्याज की गणना हेतु, निम्न विवरण दाखिल किये हैं :

तालिका 64 : विनियम के अनुसार ब्याज लागत **(करोड़ रूपये में)**

विवरण	मध्य क्षेत्र विवि कम्पनी	
	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2013–14
वर्ष के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) में वृद्धि (1)	1,225.39	684.85
वर्ष के दौरान उपभोक्ता अंशदान (2)	0	0
वर्ष के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति में शुद्ध वृद्धि (1)–(2)	1,225.39	684.85
सकल स्थाई परिसम्पत्ति में शुद्ध वृद्धि जिसे पूंजी के माध्यम से निधिबद्ध (funded) किया गया माना गया है, का 30 प्रतिशत	367.62	205.46
वर्ष के दौरान शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में अवशेष वृद्धि, जिसका ऋण के माध्यम से निधीयन किया गया है	857.77	479.4
वर्ष के दौरान देय ऋण की अदायगी (अवमूल्यन दावे के बराबर)	134.27	215.68
टैरिफ आदेश के अनुसार सकल स्थाई परिसम्पत्ति से संबद्ध ऋण	1,125.07	1,618.67
समस्त ऋणों पर भारित औसत प्रतिशत ब्याज की दर	10.48%	9.15%
परियोजना ऋणों पर कुल ब्याज	156.67	155.98
वित्त प्रभार (Finance Charge)	16.99	18.34
परियोजना ऋणों तथा वित्त प्रभारों पर कुल ब्याज	**173.66**	**174.31**

अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण (Additional Submission)

3.149 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने अपने अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण में निम्नानुसार जानकारी भी प्रस्तुत की है :

(अ) दिनांक 31.5.2005 की स्थिति में अनन्तिम तुलन–पत्र के माध्यम से अन्तरित किये गये मप्रराविमं सामान्य ऋणों का द्विभाजन (bifurcate) उनके तत्संबंधी शीर्षों के अन्तर्गत कर दिया गया है तथा इन्हें भिन्न–भिन्न खातों के अन्तर्गत पुनः ढाल दिया गया है।

(ब) ब्याज तथा ऋणों का अदायगी तत्संबंधी ऋणों की तथा ब्याज अदायगी अनुसूची (Repayment Schedule) पर आधारित है।

(स) परियोजनाओं के वित्तीय प्रबंधन में रोकड़ आहरण को प्रतिबिंबित किये जाने की दृष्टि से, नवीन ऋणों में वृद्धियों का पूंजी निवेश योजना के आगे–पीछे (in tandem) माना गया है।

(द) शासकीय ऋण (जो उत्तराधिकार में देय हैं) वित्तीय पुर्नसंरचना योजना (Financial Restructuring Plan-FRP) के प्रभाव पर विचार किया गया है। अतएव, वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये किसी ब्याज तथा मूलधन की अदायगी पर विचार नहीं किया गया है।

तालिका 65 : अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार ब्याज लागत (करोड़ रूपये में)

क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2013–14
	राज्य शासन ऋणों, बन्ध–पत्रों तथा अग्रिमों पर ब्याज प्रभार	
	राज्य शासन से ऋणों पर ब्याज प्रभार	0
	ऋण बन्ध–पत्रों पर ब्याज प्रभार	0
	विदेशी मुद्रा ऋणों/उधार पर ब्याज प्रभार	0
	ऋण पत्रों पर ब्याज प्रभार	0
	ब्याज का योग	**0.00**
	दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज/शासन द्वारा अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं बैंकों/संगठनों से ऋणों की प्राप्ति	
1	प्रतिभूति किये गये (Secured)	
ए	पीएफसी (पीएफसी–एसटीएल को सम्मिलित करते हुए)	8.88
बी	ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (REC)	10.49
सी	जेबीआईसी (JBIC)	3.75
डी	एशियाई विकास बैंक – द्वितीय (ADB-II)	8.22
ई	आरएपीडीआरपी–ए	4.21
एफ	आरएपीडीआरपी–बी	11.25
	आरएपीडीआरपी–बी आरईसी	5.52

जी	हडको (HUDCO)	5.92
	आरईसी से एडीबी सीपी	1.42
एच	एसएसटीडी / टीएसपी / एससीएसपी	5.75
आई	संभरक पृथक्करण	
2	प्रतिभूत नहीं किये गये (Unsecured)	0
	बाजार ऋण बन्धपत्र	5.48
	एडीबी	0
	नाबार्ड (NABARD)	0
	प्रधान मंत्री ग्रामीण योजना (PMGY)	0
	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (MNP)	0
	एपीडीआरपी	5.09
	एसएसटीडी / टीएसपी / एससीएसपी	
	योग (II)	75.98
ए	**योग I+II**	75.98
बी	**परियोजना ऋणों पर वित्त प्रबंधन तथा बैंक प्रभार की लागत**	23.55
सी	**ब्याज तथा वित्त प्रभारों का महायोग (ए+बी)**	99.54
डी	**घटायें – पूंजीगत लेखों को प्रभारणीय ब्याज तथा वित्त प्रभार**	24.88
ई	**परियोजना ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभारों का शुद्ध योग**	74.65
एफ	कार्यकारी ऋणों पर ब्याज तथा वित प्रभार	63.10
जी	उपभोक्ता प्रतिभूति पर ब्याज	95.80
एच	आधिक्य अतिरिक्त पूंजी पर ऋण भाग (पोर्टफोलियो) की भारित औसत दर पर ब्याज, यदि कोई हो	
	राजस्व लेखे को प्रभारणीय कुल ब्याज तथा वित्त प्रभार (ई+एफ+जी+एच)	233.56

ब्याज तथा वित्त प्रभारों पर आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis of Interest and Finance Charges)

3.150 मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्ते तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2012 केवल उन्हीं ऋणों के ब्याज प्रभारों को अनुज्ञेय करते हैं जिन्हें सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के माध्यम से लिया गया हो तथा जिनके माध्यम से संबद्ध पूंजीगत कार्यों को पूर्ण किया जा चुका हो तथा परिसम्पत्तियों का उपयोग भी प्रारंभ किया जा चुका हो।

3.151 याचिकाकर्ताओं द्वारा आयोग को उपलब्ध कराये गये केवल अन्तिम अंकेक्षित लेखे विवरण–पत्र जो वित्तीय वर्ष 2011–12 से संबंधित है, पर ही आयोग ने परिसम्पत्ति के

पूंजीकरण (asset capitalization) की गणना हेतु विचार किया गया है। ऐसे समस्त निर्माणाधीन कार्यों हेतु, ऋण के वित्त प्रबंधन से संबंधित ब्याज लागत को निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) माना गया है जिसे पूंजीकृत किया जाएगा तथा परिसम्पत्ति पूंजीकरण के समय इसे परियोजना लागत में जोड़ा जाएगा। अतएव, ऐसी ब्याज लागत को सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के माध्यम से (Pass through) अन्तरित किये जाने पर विचार नहीं किया गया है। उपगत पूंजीगत व्यय के स्थान पर पूंजीकरण पर विचार किये जाने की पृष्ठभूमि के अन्तर्गत अन्तर्निहित सिद्धांत यह है कि उपभोक्ता से केवल उन्हीं संपत्तियों की लागत से संबंधित ब्याज को वहन करने की अपेक्षा की जा सकती है जिनका उपभोक्ता द्वारा उपयोग किया जा रहा हो। परिसम्पत्ति जो निर्माणाधीन अवस्था में है, का उपयोग उपभोक्ता द्वारा नहीं किया जाता है। अतः, सम्पत्ति निर्माण के दौरान विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा उपगत ब्याज लागत, प्रगति पर निर्माण कार्यों (CWIP) का एक भाग बन जाती है तथा इसे विद्युत–दरों के माध्यम से वसूली हेतु अनुज्ञेय नहीं किया गया है।

3.152 आयोग के संज्ञान में है कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा कुछ पूंजीगत कार्य वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान पूर्ण कर लिये गये होंगे तथा कुछ अतिरिक्त पूंजीगत कार्य वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान पूर्ण कर लिये जाएंगे जिन्हें पूंजीकृत कर परिसम्पत्ति आधार में जोड़ा जाएगा। परन्तु, जैसा कि पूंजीकरण संबंधी भाग में स्पष्ट किया गया है, विद्युत वितरण कम्पनियों का परिसम्पत्तियों के पूंजीकरण के संबंध में पूर्व निष्पादन उसके द्वारा परिसम्पत्ति अभिवृद्धि हेतु किये गये प्रक्षेपणों से काफी कम है। अतः, आयोग वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु संभावित पूंजीकरण पर विचार किया जाना उचित नहीं मानता। परंतु, वह केवल उसी दशा में ऐसी परिसम्पत्तियों को आरोपणीय ब्याज व्ययों पर विचार करेगा जब ऐसी परिसम्पत्तियों को वास्तविक रूप से परिसम्पत्ति आधार में जोड़ दिया जाएगा। यह कार्यवाही विद्युत वितरण कम्पनियों को, इस प्रकार से, कार्यों को पूर्ण किये जाने में गति लाये जाने तथा परिसम्पत्तियों को प्रगति पर निर्माण कार्यों से सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के त्वरित तथा दक्ष अन्तरण को सुनिश्चित किये जाने बाबत उनकी लेखांकन प्रक्रियाओं में सुधार लाये जाने हेतु भी प्रोत्साहित करेगी।

3.153 अतः आयोग ने वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु, उसी मार्ग के अनुसरण करने का निर्णय लिया है जो उसके द्वारा उसके वित्तीय वर्ष 2012–13 टैरिफ आदेश में अपनाया गया था जिससे राजस्व लेखे को प्रभारणीय ब्याज के लागत की गणना की जा सके।

(अ) वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के सकल योग की गणना तत्संबंधी वर्ष के दौरान लेखों के अंकेक्षित विवरण–पत्र में उपलब्ध वर्ष

के दौरान तत्संबंधी वर्षों में कुल स्थाई परिसम्पत्तियों में परिसम्पत्ति की वृद्धि में से उपभोक्ता अंशदान राशि को घटा कर किया गया है।

(ब) वित्तीय वर्ष 2011–12, के दौरान, सकल स्थाई परिसम्पत्ति के 30 प्रतिशत का निधीयन वित्तीय व्यवस्था पूंजी के माध्यम से, सकल स्थाई परिसम्पत्ति हेतु शुद्ध वृद्धि के शेष को ऋण के माध्यम से निधीयन किया गया माना गया है तथा इसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति में जोड़ दिया गया है।

(स) तत्पश्चात्, ऋणों की अदायगी को उपरोक्तानुसार की गई गणना के अनुसार पूर्ण की गई परिसम्पत्तियों से चिन्हित कुल ऋण में से घटाया गया है। वित्तीय वर्ष 2012–13 तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान अदायगी उक्त वर्ष के दौरान अनुज्ञेय किये गये अवमूल्यन/अवक्षयण के बराबर मानी गई है।

(द) वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान, परिसम्पत्ति में वृद्धि तथा ऋण अदायगी की गणना वित्तीय वर्ष 2011–12 के लेखों के अंकेक्षित विवरण–पत्र से प्राप्त किये गये औसत से ली गई है। ऐसा माना गया है कि की गई वृद्धियों का वित्तीय प्रबन्धन 70% ऋण तथा 30% पूंजी के माध्यम से किया जाएगा। परियोजना ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभारों की अनुज्ञेय किये जाने हेतु आयोग ने वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु पूर्व, पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों के संबंध में भारित औसत दर (Weighted average rate) उनके द्वारा दाखिल किये गये अनुसार क्रमशः 9.28%,10.00% तथा 9.15% मानी है।

3.154 वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु स्वीकार किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार निम्नानुसार हैं :

तालिका 66 : वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु स्वीकार किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र विविकं.	पश्चिम क्षेत्र विविकं.	मध्य क्षेत्र विविकं.
वित्तीय वर्ष 2010–11			
दिनांक 01 अप्रैल, 2010 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से चिन्हांकित ऋण	338.38	138.15	400.50
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति जिसे उपभोक्ता अंशदान के शुद्ध ऋण के माध्यम से निधीयन (funded) किया गया माना गया है, में वृद्धि का 70% प्रतिशत	261.77	439.93	115.01
ऋण की अदायगी	49.48	73.30	54.66
दिनांक 31 मार्च, 2011 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से संबद्ध ऋण	550.67	504.78	460.85
वित्तीय वर्ष 2011–12			
दिनांक 01 अप्रैल, 2011 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से चिन्हांकित ऋण	550.67	504.78	460.85
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति जिसे उपभोक्ता अंशदान के शुद्ध ऋण के माध्यम से निधीयन (funded) किया गया माना गया है, में वृद्धि का 70% प्रतिशत	390.92	283.68	462.98
ऋण की अदायगी	46.96	67.38	53.51
दिनांक 31 मार्च, 2012 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति से संबद्ध कुल ऋण	894.63	721.08	870.33
वित्तीय वर्ष 2012–13			
दिनांक 01 अप्रैल, 2012 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से चिन्हांकित	894.63	721.08	870.33

ऋण			
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति जिसे उपभोक्ता अंशदान के शुद्ध ऋण के माध्यम से निधीयन (funded) किया गया माना गया है, में वृद्धि का 70%, प्रतिशत	390.92	283.68	462.98
ऋण की अदायगी	51.04	74.61	62.67
दिनांक 31 मार्च, 2013 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से संबद्ध कुल ऋण	1234.51	930.15	1270.64
वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु ब्याज लागत			
दिनांक 01 अप्रैल, 2013 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से चिन्हांकित ऋण	1234.51	930.15	1270.64
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति जिसे उपभोक्ता अंशदान के शुद्ध ऋण के माध्यम से निधीयन (funded) किया गया माना गया है, में वृद्धि का 70% प्रतिशत	390.92	283.68	462.98
ऋण की अदायगी	65.16	91.41	83.80
दिनांक 31 मार्च, 2014 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से संबद्ध कुल ऋण	1560.28	1122.43	1649.82
वित्तीय वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 हेतु ऋण शेष का औसत	1397.39	1026.29	1460.23
ऋण की भारित औसत (%में) (परियोजना ऋणों में ब्याज के अनुसार)	9.28%	10.00%	9.15%
ब्याज प्रभार	129.68	102.63	133.61
अन्य प्रभार (वित्तीय वर्ष 2011–12 के तुलन पत्र के अनुसार)	0.00	0.00	0.00
परियोजना ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार	**129.68**	**102.63**	**133.61**

कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (Interest on Working Capital)

याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण

3.155 याचिकाकर्ताओं का कथन है कि उन्होंने कार्यकारी पूंजी का अनुमान विनियमों के अनुसार मानदण्डों के आधार पर किया है। कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की गणना हेतु पूर्व तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु ब्याज दर 13.50% तथा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु ब्याज दर 14.00% मानी गई है।

3.156 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने उसके अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण में चक्रण गतिविधि हेतु ब्याज के प्राक्कलन हेतु 14.50% की ब्याज दर मानी है। इसके अतिरिक्त, मध्य क्षेविवि कम्पनी ने यह निवेदन भी किया है कि कार्यकारी पूंजी पर ब्याज के प्राक्कलन हेतु ब्याज दर वर्तमान में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा माह अप्रैल, 2011 हेतु जारी मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (Monthly Economic Report) के अनुसार शीर्ष पांच बैंकों के मध्य न्यूनतम प्रधान ऋण प्रदाय दर (PLR) है जबकि खुदरा विक्रय गतिविधि हेतु ब्याज दर 13.50% मानी गई है। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दाखिल किये गये दावे निम्नानुसार तालिकाबद्ध किये गये हैं :

तालिका 67 : वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु दाखिल किया गया कार्यकारी पूंजी पर ब्याज

(करोड़ रूपये में)

सरल क्रमांक	विवरण	पूर्व क्षेत्र विविकं.	पश्चिम क्षेत्र विविकं.	मध्य क्षेत्र विविकं.
		मानदण्डों के अनुरूप		
चक्रण गतिविधि हेतु (For Wheeling Activity)				
1	पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	22.82	5.59	55.05
2	संचालन एवं संधारण व्यय (O&M Expenses)			
2.1	मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय (R&M Expenses)	93.46	96.38	85.67
2.2	प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय (A&G Expenses)	113.26	98.40	106.74
2.3	कर्मचारी व्यय (Employee Expenses)	828.83	849.82	774.63
2.4	संचालन एवं संधारण व्ययों का योग	1035.55	1044.60	967.03
2.5	योग का बारहवां (1/12) भाग	86.30	87.05	80.59
3	प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00
3.1	चक्रण प्रभारों से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति	0.00	6.82	0.00
3.2	चक्रण प्रभारों के दो माह की औसत बिलिंग राशि के बराबर प्राप्तियां	0.00	1.14	0.00
4	**कुल कार्यकारी पूंजी** (1+2.5+3.2)	109.12	93.77	135.63
5	ब्याज दर	13.50%	13.50%	13.50%
6	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	14.73	12.66	18.31
	खुदरा गतिविधि हेतु (For Retail Sale Activity)			
1	पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	0.00	1.40	0.00
2	प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00
2.1	टैरिफ तथा प्रभारों से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति	5841.09	8074.43	6155.38
2.2	दो माह की औसत बिलिंग के बरावर प्राप्तियां	973.51	1345.74	1025.89
3	विद्युत क्रय संबंधी व्यय	5445.70	6663.46	5965.13
3.1	विद्युत क्रय व्ययों का बारहवां भाग	453.81	555.29	497.09
4	उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	734.87	772.55	1020.89
5	**कुल कार्यकारी पूंजी (1+2.2–3.1–4)**	-215.17	19.29	-486.71
6	ब्याज दर	13.50%	13.50%	14.00%
7	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	-29.05	2.60	-65.71
	चक्रण गतिविधियों से कार्यकारी पूंजी पर कुल ब्याज	14.73	12.66	18.31
	खुदरा गतिविधियों से कार्यकारी पूंजी पर कुल ब्याज	-29.05	2.60	-65.71
	कार्यकारी पूंजी पर शुद्ध ब्याज	**-14.32**	**15.26**	**-53.30**

कार्यकारी पूंजी के ब्याज पर आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis of Interest on Working Capital)

3.157 मप्र विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्ते तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2012 में

निर्दिष्ट किया गया है कि कार्यकारी पूंजी में केवल वे ही व्यय सम्मिलित होंगे जिनकी विद्युत प्रदाय गतिविधि तथा चक्रण गतिविधि हेतु आवश्यकता होती है। चक्रण तथा विद्युत प्रदाय गतिविधि हेतु कार्यकारी पूंजी की गणना के लिये मानदण्ड, जिन पर विचार किया जाएगा, पृथक–पृथक विनिर्दिष्ट किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त उल्लेखित टैरिफ विनियमों के अनुसार कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की दर सुसंबद्ध वर्ष की दिनांक 1 अप्रैल को लागू भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर (Base Rate) + 3. 5% रखी गई है।

3.158 अंकेक्षित तुलन–पत्र के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2011–12 की समाप्ति की स्थिति में सकल खण्ड (ग्रास ब्लाक) की राशि रू. 3173 करोड़ (पूर्व क्षेविविकं हेतु), रू. 3213 करोड़ (पश्चिम क्षेविविकं हेतु) तथा रू. 3087 करोड़ (मध्य क्षेविविकं हेतु) थी। इस राशि के एक प्रतिशत की गणना, दो माह हेतु आनुपातिक किये गये अनुसार पूर्व क्षेविविकं हेतु रू. 5.29 करोड़, पश्चिम क्षेविविकं हेतु, रू. 5.36 करोड़ तथा मध्य क्षेविविकं हेतु रू. 5.15 करोड़ होगी। इसे चक्रण तथा खुदरा विद्युत प्रदाय गतिविधि हेतु, सामग्री आवश्यकता (Inventory Requirement) माना गया है। इसे, तत्पश्चात्, चक्रण तथा प्रदाय सामग्री हेतु, क्रमशः 80 : 20 के अनुपात में विभाजित किया गया है जैसा कि इसे पूर्व विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश में अपनाया गया था। उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज को 'उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज' संबंधी भाग में की गई चर्चानुसार माना गया है। आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई राशि हेतु, कार्यकारी पूंजी के अन्य घटकों के मूल्यों की पुनर्गणना इस आदेश के सुसंगत भागों के अंतर्गत की गई है।

3.159 आयोग अपने पूर्व के टैरिफ आदेशों के अंतर्गत चक्रण तथा खुदरा गतिविधि हेतु कार्यकारी पूंजी पर ब्याज पृथक–पृथक अनुज्ञेय करता चला आ रहा है। तथापि, वर्ष 2006–07 तथा 2007–08 की सत्यापन प्रक्रिया के अन्तर्गत यह पाया गया कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा चक्रण तथा खुदरा गतिविधि के विवरणों का पृथक्करण नहीं किया जा सका है। इसके अतिरिक्त, चूंकि विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा दोनों गतिविधियां एक साथ निष्पादित की जाती हैं, अतएव उपलब्ध संसाधन दोनों हेतु सांझे होते हैं। अतएव, आयोग द्वारा चक्रण तथा खुदरा गतिविधियों हेतु कार्यकारी पूंजी आवश्यकता एक साथ मानी गई है।

3.160 आयोग के विनियम विद्युत वितरण कम्पनियों को कार्यकारी पूंजी पर ब्याज को सुसंगत वर्ष की दिनांक 1 अप्रैल को लागू भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर + 3.5% के बराबर दर को अनुज्ञेय करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की वर्तमान आधार दर 10.00% है।

तद्नुसार आयोग के मानदण्डों का अनुसरण करते हुए, विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु कार्यकारी पूंजी पर ब्याज दर 13.50% तक ही सीमित रखी जाएगी। आयोग द्वारा चक्रण तथा खुदरा विक्रय की संयोजित की गई गतिविधि हेतु अनुज्ञेय किया गया कार्यकारी पूंजी पर ब्याज निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 68 : आयोग द्वारा स्वीकार किया गया कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (करोड़ रूपये में)

विवरण	माह संख्या	पूर्व क्षेविविकं.	पश्चिम क्षेविविकं.	मध्य क्षेविविकं.
चक्रण (Wheeling)				
सामग्री (इन्वेंटरी)	2	4.23	4.28	4.12
अनुमोदित संचालन तथा संधारण व्यय	1	71.01	66.07	62.24
कार्यकारी पूंजी की कुल आवश्यकता (करोड़ रूपये में)–चक्रण गतिविधि हेतु		75.24	70.36	66.36
ब्याज दर (%में)		13.50%	13.50%	13.50%
कार्यकारी पूंजी पर कुल ब्याज (करोड़ रूपये में)		10.16	9.50	8.96
खुदरा (Retail)				
सामग्री (इन्वेंटरी)	2	1.06	1.07	1.03
अनुमोदित संचालन तथा संधारण व्यय	1	0.00	0.00	0.00
राजस्व की प्राप्ति	2	973.51	1334.89	1025.14
घटायें : विद्युत क्रय लागत	1	354.06	493.35	384.79
घटायें : उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप		832.03	1271.82	935.56
कुल कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता (करोड़ रूपये में) – खुदरा		-211.52	-429.20	-294.18
ब्याज दर (प्रतिशत में)		13.50%	13.50%	13.50%
कार्यकारी पूंजी पर कुल ब्याज–(करोड़ रूपये में)		-28.56	-57.94	-39.71
कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता पर कुल ब्याज–चक्रण (करोड़ रूपये में)		10.16	9.50	8.96
कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता पर कुल ब्याज–खुदरा (करोड़ रूपये में)		-28.56	-57.94	-39.71
कार्यकारी पूंजी पर शुद्ध ब्याज		**-18.40**	**-48.44**	**-30.76**
कार्यकारी पूंजी पर स्वीकृत किया गया कुल ब्याज (करोड़ रूपये में)		**0.00**	**0.00**	**0.00**

उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज (Interest on Consumer Security Deposit)

याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण

3.161 विद्युत वितरण कम्पनियों ने निवेदन किया है कि उपभोक्ताओं को प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज का भुगतान तत्संबंधी विनियमों के अनुसार किया गया है। पूर्व क्षेविवि कम्पनी ने निवेदन किया है कि उनके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 01 अप्रैल, 2012 को लागू बैंक दर, अर्थात् 9.5 प्रतिशत को गणना के लिये माना गया है। पूर्व तथा पश्चिम क्षेविवि कम्पनियों ने निवेदन किया है कि ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों को उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज को मान्य नहीं किया गया है क्योंकि वर्तमान में इनकी विघटन प्रक्रिया (liquidation) प्रगति पर है तथा इनकी आस्तियों तथा दायित्वों को अभी तक अनुज्ञप्तिधारियों को अन्तरित नहीं किया गया है तथा इन्हें अनुज्ञप्तिधारियों को अन्तिम आस्तियों तथा दायित्वों को ऐसे ब्याज को अन्तरण वर्ष के दौरान सम्पन्न होने पर ही विचार किये जाने का निवेदन किया है।

3.162 वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान विद्युत वितरण कम्पनियों से उनके द्वारा माह दिसम्बर 2012 तक उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप मद के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को वास्तविक किये गये भुगतान के संबंध में पृच्छा किये जाने पर पश्चिम क्षेविविकं ने यह राशि माह सितम्बर 2012 की स्थिति में रू. 13.34 करोड़, मध्य क्षेविविकं ने यह राशि माह सितम्बर 2012 की स्थिति में अनन्तिम रूप से रू. 19.25 करोड़ होना दर्शाया गया है जबकि पूर्व क्षेविविकं ने उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर वास्तविक भुगतान की राशि प्रस्तुत नहीं की है तथा निवेदन किया है कि इस बारे में विवरण लेखों की विवरणिका (Statement of Accounts) के अन्तिम होने पर ही प्रस्तुत किया जा सकेगा। निवेदन किया गया है कि प्रारंभिक उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप दिनांक 01 अप्रैल, 2011 की स्थिति में पूर्व, पश्चिम तथा मध्य क्षेविविकं हेतु क्रमशः रू. 490.84 करोड़, रू. 509.44 करोड़ तथा रू. 261.86 करोड़ है। इसके अतिरिक्त, अन्तिम उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप दिनांक 31 मार्च, 2012 की स्थिति में पूर्व, पश्चिम तथा मध्य क्षेविविकं हेतु क्रमशः रू.564.03 करोड़, रू.597.14 करोड़ तथा रू. 178.73 करोड़ है।

तालिका 69 : विनियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं.	पश्चिम क्षेविविकं.	मध्य क्षेविविकं.
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज की राशि	60.69	69.23	91.88

उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप के बारे में आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis of Consumer Security Deposit)

3.163 आयोग ने लेखों के अंकेक्षित विवरण–पत्र के अवलोकन से यह पाया है कि उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर वार्षिक ब्याज का निर्गमन धारित की गई प्रतिभूति निक्षेप परिभाषा (quantum) तथा पूर्व में अनुज्ञेय की गई ब्याज लागत के अनुरूप नहीं है। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा अनुज्ञेय किये गये ब्याज से कम राशि का भुगतान किया जा रहा है, जिसका संभावित कारण यह भी हो सकता है कि धारित प्रतिभूति निक्षेप की राशि स्थाई रूप से संयोजनों के विच्छेद उपरान्त अथवा भुगतान मे चूक किये जाने के कारण न तो इसका समायोजन किया जाता है तथा न ही ऐसे प्रकरणों में ब्याज का भुगतान किया जाता है। अतएव, आयोग ने उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज को वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत किये गये अंकेक्षित लेखों में वास्तविक उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज के आधार पर स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। इसके लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 29 जनवरी, 2013 से विनिर्दिष्ट ब्याज दर 8.75 प्रतिशत मानी गई है। उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर आयोग ने विद्युत वितरण कम्पनीवार ब्याज निम्न दर्शाई गई तालिका में दर्शाये अनुसार स्वीकार किया है:

तालिका 70 : वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर स्वीकृत ब्याज

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं.	पश्चिम क्षेविविकं.	मध्य क्षेविविकं.
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	49.35	52.25	47.95

पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity)

याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण

3.164 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि विचाराधीन अवधि हेतु पूंजी पर प्रतिलाभ (RoE) की गणना विनियमों के अनुसार की गई है। पूर्व क्षेविविमं ने निवेदन किया है कि टैरिफ

विनियमों के परिच्छेद 30.2 के अनुसार उसे 16 प्रतिशत प्रति वर्ष पूंजी पर प्रतिलाभ प्राप्त करने की पात्रता है। याचिकाकर्ताओं ने अपने प्रतिवेदनों में यह स्पष्ट भी किया है कि उनके द्वारा ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियां (RECs) के पूंजी पर प्रतिलाभ पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि वर्तमान में इनकी विघटन प्रक्रिया (Liquidation) प्रगति पर है तथा इनकी आस्तियों तथा दायित्वों (assets and liabilities) को अभी तक विद्युत वितरण कम्पनियों को अन्तरित नहीं किया गया है तथा इन्हें कम्पनियों की अन्तिम आस्तियों तथा दायित्वों को ऐसे ब्याज अन्तरण वर्ष के दौरान सम्पन्न होने पर विचार किये जाने का निवेदन किया है।

तालिका 71 : पूंजी पर प्रतिलाभ **(करोड़ रूपये में)**

सरल क्रमांक	विवरण	पूर्व क्षेविविकं		पश्चिम क्षेविविकं		मध्य क्षेविविकं	
		वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2013–14
A	**वर्ष के प्रारंभ में कुल सकल स्थाई परिसम्पत्तियां, (उपभोक्ताओं के अंशदान की सकल राशि)**	**3072.72**	**3935.65**	**1723.56**	**2578.06**	**2870.66**	**4312.55**
A1	चिन्हांकित सकल स्थाई परिसम्पत्तियां जिनका पूंजी के माध्यम से निधीयन (funded) किया गया है	921.82	1180.70	877.44	1154.01	861.20	1293.76
A2	चिन्हांकित सकल स्थाई परिसम्पत्तियां जिनका ऋण के माध्यम से निधीयन (funded) किया गया है	2150.90	2754.96	846.12	1424.05	2009.46	3018.78
B	**पूंजी निवेश योजना के अनुसार परिसम्पत्तियों का प्रस्तावित पूंजीकरण (उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध राशि)**	**862.93**	**1543.04**	**921.88**	**1336.27**	**1092.95**	**1435.17**
B1	पूंजी (इक्विटी) व आन्तरिक संचिति में से पूंजीकृत की गई परिसम्पत्तियों का भाग	152.03	488.63	276.56	400.88	327.88	430.55
B2	परियोजना ऋणों से निधिबद्ध की गई पूंजीगत परिसम्पत्तियों का अवशेष भाग (B–B1)	710.91	1054.41	645.31	935.39	765.06	1004.62
C1	मानदण्डीय अतिरिक्त पूंजी (B का 30%)	258.88	462.91	276.56	400.88	327.88	430.55
C2	मानदण्डीय अतिरिक्त ऋण (B का 70%)	604.05	1080.13	645.31	935.39	765.06	1004.62
D1	मानदण्ड से अधिक अतिरिक्त पूंजी में आधिक्य/कमी (B1-C1)	-106.85	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
D2	मानदण्ड से अधिक अतिरिक्त ऋण में आधिक्य/कमी (B2-C2)	106.85	-25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
E	**प्रतिलाभ हेतु अर्हता रखने वाली पूंजी {A1+(C1/2)] अथवा [A1+(B1/2)], इनमें जो भी कम हो**	**997.83**	**1412.15**	**1015.73**	**1354.45**	**1025.14**	**1509.04**
	पूंजी पर प्रतिलाभ (E का 16%)	**159.65**	**225.94**	**162.52**	**216.71**	**164.02**	**241.45**

3.165 मध्य क्षेविवि कम्पनी ने अपने अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण में विनियमों के अनुसार पुनरीक्षित पूंजी पर प्रतिलाभ (ROE) की गणना प्रस्तुत की है। मध्य क्षेविवि कम्पनी द्वारा विनियमों

तथा अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार दाखिल की गई याचिका की तुलना निम्नानुसार तालिकाबद्ध की गई है :

तालिका 72 : अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार पूंजी पर प्रतिलाभ (राशि करोड़ रूपये में)

सरल क्रमांक	विवरण	मध्य क्षेविवि कम्पनी	
		विनियमों के अनुसार	अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार
A	**वर्ष के प्रारंभ में कुल सकल स्थाई परिसम्पत्तियां, (उपभोक्ताओं के अंशदान की सकल राशि)**	**4312.55**	**4312.55**
A1	चिन्हांकित सकल स्थाई परिसम्पत्तियां जिनका पूंजी के माध्यम से निधीयन (funded) किया गया है	1293.76	1293.76
A2	चिन्हांकित सकल स्थाई परिसम्पत्तियां जिनका ऋण के माध्यम से निधीयन (funded) किया गया है	3018.78	3018.78
B	**पूंजी निवेश योजना के अनुसार परिसम्पत्तियों का प्रस्तावित पूंजीकरण (उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध राशि)**	**1435.17**	**1358.68**
B1	पूंजी (इक्विटी) व आन्तरिक संचिति में से पूंजीकृत की गई परिसम्पत्तियों का भाग	430.55	407.60
B2	परियोजना ऋणों से निधिबद्ध की गई पूंजीगत परिसम्पत्तियों का अवशेष भाग (B–B1)	1004.62	951.08
C1	मानदण्डीय अतिरिक्त पूंजी (B का 30%)	430.55	407.60
C2	मानदण्डीय अतिरिक्त ऋण (B का 70%)	1004.62	951.08
D1	मानदण्ड से अधिक अतिरिक्त पूंजी में आधिक्य/कमी (B1-C1)	0.00	0.00
D2	मानदण्ड से अधिक अतिरिक्त ऋण में आधिक्य/कमी (B2-C2)	0.00	0.00
E	**प्रतिलाभ हेतु अर्हता रखने वाली पूंजी {A1+(C1/2)] अथवा [A1+(B1/2)], इनमें से जो भी कम हो**	**1509.04**	**1497.57**
	पूंजी पर प्रतिलाभ (E का 16%)	**241.45**	**239.61**

पूंजी पर प्रतिलाभ पर आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis of Return on Equity)

3.166 मप्र विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2012 में निर्दिष्ट किया गया है कि पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना पूर्व–कर (Pre-Tax) आधार पर 16% की दर से की जाएगी। इस आदेश में आयोग द्वारा ब्याज तथा वित्त प्रभार संबंधी परिच्छेद में किये गये विश्लेषण में स्पष्ट रूप से ऋण तथा पूंजी घटक की पूर्ण की गई परिसम्पत्तियों से चिन्हित किये जाने की प्रक्रिया की व्याख्या की गई है। यह क्रियाविधि (approach) वित्तीय वर्ष 2013–14 के अन्त की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के साथ चिन्हित की गई कुल पूंजी के रूप में परिणत होती है। तत्पश्चात्, पूंजी पर प्रतिलाभ का अवधारण चिन्हित की गई कुल पूंजी पर 16 प्रतिशत की दर से अनुज्ञेय किया गया है जिसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति के अनुपात में आवंटित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु चिन्हित की गई कुल पूंजी को मय पूंजी पर प्रतिलाभ के निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

तालिका 73 : वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु पूंजी पर प्रतिलाभ (राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं
वित्तीय वर्ष 2010–11			
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि, जिसे उपभोक्ता अंशदान की शुद्व पूंजी के माध्यम से निधीयन किया गया माना गया है, का 30%	112.19	188.54	49.29
दिनांक 31 मार्च 2011 की स्थिति में कुल पूंजी जिसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति से चिन्हांकित किया गया है	632.17	743.07	592.35
वित्तीय वर्ष 2011–12			
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि, जिसे उपभोक्ता अंशदान की शुद्व पूंजी के माध्यम से निधीयन किया गया माना गया है, का 30%	167.54	121.58	198.42
दिनांक 31 मार्च 2012 की स्थिति में कुल पूंजी जिसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति से चिन्हांकित किया गया है	799.70	864.64	790.77
वित्तीय वर्ष 2012–13			
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि, जिसे उपभोक्ता अंशदान की शुद्व पूंजी के माध्यम से निधीयन किया गया माना गया है, का 30%	167.54	121.58	198.42
दिनांक 31 मार्च 2013 की स्थिति में कुल पूंजी जिसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति से चिन्हांकित किया गया है	967.24	986.22	989.19
वित्तीय वर्ष 2013–14			
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि, जिसे उपभोक्ता अंशदान की शुद्व पूंजी के माध्यम से निधीयन किया गया माना गया है का 30%	83.77	60.79	99.21
दिनांक 31 मार्च 2014 की स्थिति में कुल पूंजी जिसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति से चिन्हांकित किया गया है।	1051.01	1047.01	1088.40
वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु पूंजी पर प्रतिलाभ प्रतिशत 16% की दर से	**168.16**	**167.52**	**174.14**

सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकताओं (एआरआर) की अन्य मदें

3.167 उपरोक्त चर्चित व्ययों के घटकों के अतिरिक्त, कुछ अन्य मदें भी हैं जो सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का भाग बनती हैं। इनमें शामिल हैं, डूबन्त ऋण, तथा अन्य (गैर–टैरिफ) आय। इनके विवरण निम्नानुसार दिये गये हैं :

डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण (Bad and Doubtful debts)

याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण

3.168 याचिकाकर्ताओं द्वारा डूबन्त ऋणों के संबंध में दावा कुल विक्रय राजस्व के 1% की दर से निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है। मध्य क्षेविवि कम्पनी ने अपने अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण में डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण का आकलन रू. 61.55 करोड़ अपने मूल प्रस्तुतिकरण के अनुरूप ही किया है :

तालिका 74 : विनियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण का विवरण

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं.	पश्चिम क्षेविविकं.	मध्य क्षेविविकं.
डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण	58.98	80.74	61.55

डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों के संबंध में आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis on Bad and Doubtful debts)

3.169 वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों के बारे में, जिन्हें बट्टे खाते में डाला गया है पृच्छा किये गये जाने पर सूचित किया गया है कि यह राशियां पूर्व क्षेविवि कम्पनी,पश्चिम क्षेविवि कम्पनी तथा मध्य क्षेविवि कम्पनी हेतु क्रमशः रू. 35.81 करोड़, रू. 29.61 करोड़ तथा रू. 49.01 करोड़ हैं। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त राशि में से विलम्बित भुगतान अधिभार (Delayed Payment Surcharge) हेतु पूर्व क्षेविवि कम्पनी, पश्चिम क्षेविवि कम्पनी तथा मध्य क्षेविवि कम्पनी, हेतु क्रमशः रू. 8.51 करोड़, शून्य तथा रू. 39.69 करोड़ की राशि भी बट्टे खाते में डाला जाना प्रस्तावित है।

3.170 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्ते एवं प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2012 में निर्दिष्ट किया गया है कि सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के अन्तर्गत, डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों को उक्त सीमा तक जिसके द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूर्व में अंतिम अंकेक्षित वित्तीय विवरण–पत्रों में वास्तविक रूप से बट्टे खाते में डाला गया है, अनुज्ञेय किया जाएगा जैसा कि आयोग द्वारा इन्हें उपयुक्त समझा जाए, तथा सुसंबद्ध वर्ष हेतु इनका सत्यापन, सत्यापन प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा जो वार्षिक राजस्व राशि के एक प्रतिशत के अध्यधीन होगा।

3.171 आयोग द्वारा पाया गया कि विद्युत वितरण कम्पनियों का डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों के बारे में किया गया दावा काफी अधिक है, जब इसकी तुलना पूर्व में वास्तविक बट्टे खाते में डाली गई राशि से की जाए। विद्युत वितरण कम्पनियों ने आयोग द्वारा बाद में उनसे डूबन्त ऋणों को बट्टे खाते में डाली गई राशि के बारे में की गई पृच्छाओं के बारे में विवरण प्रस्तुत किये जाने बाबत अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। अतएव, आयोग प्रावधिक तौर पर प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी हेतु डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों के व्ययों की राशि के विरूद्ध प्रत्येक विद्युत कम्पनी हेतु रू. एक करोड़ की राशि इनके सत्यापन के अध्ययधीन बट्टे खाते में डाले जाने का प्रावधान करता है।

अन्य विविध व्यय

याचिकाकर्ताओं का प्रस्तुतिकरण

3.172 याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि गैर–टैरिफ आय के मुख्य घटक मापयन्त्र किराया (meter rent), चक्रण प्रभार (wheeling charges), पर्यवेक्षण प्रभार (Supervision charges), रद्दी माल (Scrap) का विक्रय तथा उपभोक्ताओं से प्राप्त किये जाने वाले विविध प्रभार हैं। मापयन्त्र किराया तथा विविध प्रभारों को टैरिफ आय के प्रतिशत के रूप में प्रक्षेपित किया गया है। विद्युत वितरण कम्पनियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि समितियों के क्षेत्र की अन्य आय पर कुछ समितियों के संबंध में जारी वार्षिक अंकेक्षण के कारण विचार नहीं किया गया है क्योंकि कुछ समितियों का अंकेक्षण कार्य लंबित है तथा कुछ समितियों की विघटन प्रक्रिया (liquidation) का कार्य प्रगति पर है।

3.173 विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दाखिल की गई अन्य आय को निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है :

तालिका 75 : अन्य आय **(राशि करोड़ रूपये में)**

विवरण	पूर्व क्षेविविकं.	पश्चिम क्षेविविकं.	मध्य क्षेविविकं.
पूंजी निवेश (Investment), सावधिक जमा (Fixed deposit) तथा मांग जमा (Call deposits) राशियों से आय की प्राप्ति	17.34	0	17.46
ऋणों तथा कर्मचारियों को अग्रिम राशि से ब्याज की प्राप्ति	0	0	0.26
सामग्री प्रदायकों/ठेकेदारों को प्रदाय अग्रिम राशि से ब्याज की प्राप्ति	0	0	0.41
कर्मचारी कल्याण गतिविधियों के विरूद्ध आय/शुल्क /संग्रहण की राशि	0.03	0.01	0
विविध प्राप्तियां	39.06	0	21.39
उपभोक्ताओं से प्राप्त विविध प्रभार	0	38.17	6.72
लंबित आय (उपभोक्ताओं का अंशदान) {(Deferred Income) (Consumer contribution)}	12.01	0	0
चक्रण प्रभार (wheeling charges)	0	6.82	0
विद्युत के अलावा अन्य व्यापार से आय (जैसे कि रद्दी माल, निविदा प्रपत्रों का विक्रय)	0	4.5	0
पर्यवेक्षण प्रभार (Supervision charges)	0	15.55	0
योग	**68.43**	**65.06**	**46.23**

अन्य आय के बारे में आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis on other Income)

3.174 आयोग द्वारा पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार, अन्य आय जिनमें मापयन्त्र किराया, विद्युत की चोरी/उसका अनाधिकृत उपयोग, विविध प्राप्तियां आदि शामिल है, पूर्व, पश्चिम तथा मध्य क्षेविवि कम्पनियों हेतु क्रमशः 139.51

करोड़, 196.78 करोड़ तथा 286.39 करोड़ हैं। आयोग ने वित्तीय वर्ष 2011–12 की अन्य आय में 7.93% की वृद्धि दो बार की है, जिसके आधार पर वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु अन्य आय, की राशि प्राप्त की गई है। आयोग द्वारा स्वीकार की गई अन्य आय को निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

तालिका 76 : वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु स्वीकृत की गई अन्य आय (राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं.	पश्चिम क्षेविविकं.	मध्य क्षेविविकं.
अन्य आय	162.51	229.23	333.61

सत्यापन/अन्तिम आदेशों का प्रभाव (Impact of True up/Final Orders)

3.175 वित्तीय वर्ष 2012–13 के खुदरा विद्युत–प्रदाय विद्युत–दर आदेश (Retail Supply Tariff Order) जारी होने के बाद, आयोग ने विद्युत उत्पादन कम्पनियों तथा विद्युत पारेषण कम्पनियों के प्रकरण में अनेक टैरिफ आदेश जारी किये हैं, जिसके परिणामस्वरूप विद्युत वितरण कम्पनियों पर रू. 584.54 करोड़ का वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। इन कम्पनियों को वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान विद्युत वितरण कम्पनियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता से उक्त राशियों की वसूली बाबत अनुमति प्रदान की गई है। तद्नुसार रूपये 584.54 करोड़ की राशि का विभाजन प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी के मध्य अनुज्ञेय की गई राज्य हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) के अनुपात में किया गया है।

तालिका 77 : वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता पर सत्यापन/अन्तिम आदेशों का प्रभाव (रूपये करोड़ में)

सरल क्रमांक	विवरण	प्रभाव
1	वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एमपीपीटीसीएल के विद्युत पारेषण टैरिफ के सत्यापन का वित्तीय प्रभाव	563.95
2	वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु एमपीपीजीसीएल के विद्युत उत्पादन टैरिफ के सत्यापन का वित्तीय प्रभाव	-190.64
3	याचिका क्रमांक 59, वर्ष 2012 के अन्तर्गत अन्तिम विद्युत उत्पादन टैरिफ का वित्तीय प्रभाव	-2.94
4	संजय गांधी टीपीएस, बिरसिंहपुर की 500 मेगावाट विस्तार इकाई यू–5 हेतु अन्तिम विद्युत उत्पादन टैरिफ का प्रभाव	125.84
5	याचिका क्रमांक 55, वर्ष 2009, में मप्रविनिआ आदेश दिनांक 24 जनवरी, 2011 के विरूद्ध एमपीपीजीसीएल द्वारा दायर की गई अपील क्रमांक 121/2011 में एटीई द्वारा प्रसारित निर्णय के परिपालन का वित्तीय प्रभाव	33.76
6	अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन, चचई की 210 मेगावाट विस्तार इकाई क्रमांक यू–5 हेतु अन्तिम विद्युत उत्पादन टैरिफ का वित्तीय प्रभाव	54.57
	योग	**584.54**

3.176 वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु स्वीकृत की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) निम्न तालिका में प्रस्तुत की गई है :

तालिका 78: आयोग द्वारा अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का सारांश (राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी			
	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	योग
विद्युत क्रय लागत (एमपीपीएमएल लागत को सम्मिलित करते हुए)	3914.03	6467.14	4401.49	14782.66
पीजीसीआईएल प्रभार	205.05	262.53	218.42	686.00
ट्रांसको (एमपीपीटीसीएल) प्रभार, सेवान्त प्रसुविधाओं को सम्मिलित करते हुए	496.03	563.11	540.71	1599.85
राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार (SLDC Charges)	3.02	3.09	3.18	9.29
संचालन तथा संधारण लागत (O&M Cost)	852.15	792.89	746.91	2391.95
अवक्षयण या अवमूल्यन (Depreciation)	65.16	91.41	83.80	240.37
परियोजना ऋणों पर ब्याज (Interest on Project Loans)	129.68	102.63	133.61	365.92
पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity)	168.16	167.52	174.14	509.83
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (Interest on Working Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00
डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण (Bad and Doubtful Debts)	1.00	1.00	1.00	3.00
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज (Interest on Consumer Security Deposit)	49.35	52.25	47.95	149.55
मप्रविनिआ शुल्क (MPERC Fees)	0.48	0.67	0.51	1.66
घटायें : अन्य आय–खुदरा तथा चक्रण (Retail & Wheeling)	-162.51	-229.23	-333.61	-725.35
वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	5721.60	8275.01	6018.11	20014.72
जोड़ें : सत्यापन राशियों का प्रभाव	**177.44**	**215.88**	**191.22**	**584.54**
वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु कुल सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	**5899.04**	**8490.89**	**6209.33**	**20599.26**

अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि के मध्य पृथक्करण (Segregation of approved ARR, between Wheeling and Retail Sale activities)

3.177 विनियमों में प्रावधान किया गया है कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तीन भागों में दायर की जाएगी, यथा, विद्युत क्रय गतिविधि, चक्रण (वितरण) गतिविधि तथा खुदरा विक्रय गतिविधि हेतु। विनियमों में स्थाई लागतों (अर्थात्, विद्युत क्रय को छोड़कर) की मदें पृथक से सूचीबद्ध की गई हैं जिन्हें चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि में सम्मिलित किया जाना चाहिए। कुल विद्युत वितरण व्ययों को चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों के मध्य पृथक्करण का उद्देश्य चक्रण प्रभारों को संस्थापित करना है जिनकी वसूली खुली पहुंच उपभोक्ताओं से की जाएगी।

3.178 विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा आयोग के विनियमों का पालन उक्त सीमा तक किया गया है कि यह उनके द्वारा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के पृथक्कृत किये गये विद्युत क्रय, चक्रण गतिविधि तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों के व्ययों हेतु दायर किये गये अनुसार है। विद्युत वितरण कम्पनियों ने केवल कार्यकारी पूंजी पर मानदण्डीय ब्याज,

डूबन्त ऋणों हेतु प्रावधान तथा उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेपों पर ब्याज को खुदरा विक्रय गतिविधि के अंतर्गत माना है। अन्य समस्त मदें पूर्णरूपेण चक्रण गतिविधि का भाग मानी गई हैं।

3.179 अतएव, इस टैरिफ आदेश के प्रयोजन हेतु, आयोग स्थाई लागतों (अर्थात्, विद्युत क्रय को छोड़कर) का आवंटन निम्न विधि अनुसार करता है :

चक्रण गतिविधि में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(ए) संचालन तथा संधारण व्यय
(बी) अवमूल्यन
(सी) परियोजना ऋणों पर ब्याज
(डी) कार्यकारी पूंजीगत ऋणों पर ब्याज–मानदण्डीय कार्यकारी पूंजी हेतु, चक्रण गतिविधि के लिये
(ई) पूंजी पर प्रतिलाभ (रिटर्न ऑन इक्विटी)
(एफ) अन्य विविध व्यय
(जी) घटायें : आय, जिसकी गणना पूर्व भाग में की गई है

खुदरा विक्रय गतिविधि में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(ए) कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज–मानदण्डीय कार्यकारी पूंजी हेतु, खुदरा विक्रय गतिविधि के लिये
(बी) उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेपों पर ब्याज
(सी) डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण
(डी) घटायें : आय, जिसकी गणना पूर्व भाग में की गई है

वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु आयोग द्वारा स्वीकार की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता [Annual Revenue Requirement (ARR) admitted by the Commission for FY 2013-14]

3.180 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु, समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों की चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता निम्नानुसार अनुमोदित की जाती है :

तालिका 79 : वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु स्वीकृत की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (चक्रण तथा खुदरा गतिविधि हेतु) **(करोड़ रूपये में)**

विवरण	पूर्व क्षेविविकं.	पश्चिम क्षेविविकं.	मध्य क्षेविविकं.	योग
विद्युत क्रय लागत (Power Purchase Cost) एमपीपीएमसीएल लागत को सम्मिलित करते हुए	3914.03	6467.14	4401.49	14782.66
पीजीसीआईएल प्रभार (PGCIL Charges)	205.05	262.53	218.42	686.00
एमपी ट्रांस्कों प्रभार (MPTransco Charges)	496.03	563.11	540.71	1599.85
राभाप्रेके प्रभार (SLDC Charges)	3.02	3.09	3.18	9.29

(ए) उप–योग –विद्युत क्रय लागत (Power Purchase Cost)	4618.13	7295.87	5163.80	17077.80
चक्रण गतिविधि (Wheeling Activity)				
संचालन एवं संधारण लागत (O&M Cost)	852.15	792.89	746.91	2391.95
अवमूल्यन (Depreciation)	65.16	91.41	83.80	240.37
परियोजना ऋणों पर ब्याज (Intrest on Project Loans)	129.68	102.63	133.61	365.92
पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity)	168.16	167.52	174.14	509.82
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज–चक्रण (Intrest on Working Capital - Wheeling)	0.00	0.00	0.00	0.00
मप्रविनिआ शुल्क (MPERC Fees)	0.48	0.67	0.51	1.66
***(बी) वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु अनुमोदित चक्रण सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का उप–योग* ((B) Sub-Total Wheeling ARR for FY 2013-14 as approved)**	1215.63	1155.12	1138.97	3509.72
खुदरा विक्रय गतिविधि (Retail Sale Activity)				
डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण (Bad and Doubtful Debts)	1.00	1.00	1.00	3.00
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज (Interest on CSD)	49.35	52.25	47.95	149.55
घटायें : अन्य आय – खुदरा तथा चक्रण	-162.51	-229.23	-333.61	-725.35
(सी) वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु अनुमोदित खुदरा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का उप–योग ((C) Sub-Total Retail ARR for FY 2013-14 as approved)	-112.16	-175.98	-284.66	-572.80
महायोग–वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ए+बी+सी) (*Total ARR FY 2013-14) (A+B+C)*	**5721.60**	**8275.01**	**6018.11**	**20014.72**

पुनरीक्षित विद्युत–दरों से राजस्व की प्राप्ति (Revenue from Revised Tariffs)

3.181 वित्तीय वर्ष 2013–14 की अनुमोदित विद्युत–दरों (टैरिफ) के अनुसार उपभोक्ता श्रेणीवार राजस्व निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है :

तालिका 80 : वित्तीय वर्ष 2013–14 में पुनरीक्षित विद्युत–दरों (टैरिफ) से राजस्व की प्राप्ति

उपभोक्ता श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2013–14							
	पूर्व क्षेविविकं		पश्चिम क्षेविविकं		मध्य क्षेविविकं		सम्पूर्ण राज्य	
	विक्रय (मिलियन यूनिट में)	राजस्व राशि (करोड़ रूपये में)	विक्रय (मिलियन यूनिट में)	राजस्व राशि (करोड़ रूपये में)	विक्रय (मिलियन यूनिट में)	राजस्व राशि (करोड़ रूपये में)	विक्रय (मिलियन यूनिट में)	राजस्व राशि (करोड़ रूपये)
निम्न दाब								
एलवी–1 : घरेलू	5090	2212	5945	2935	4379	2077	15413	7224
एलवी–2 : गैर–घरेलू	638	417	824	566	822	549	2284	1531
एलवी–3 : सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य	330	136	385	160	403	171	1118	467

तथा पथ–प्रकाश								
एलवी–4 : निम्न दाव औद्योगिक	320	184	578	345	346	199	1243	728
एलवी–5.1 : कृषि हेतु सिंचाई पम्प	2274	821	5832	2189	3784	1260	11889	4270
एलवी–5.2 : कृषि संबंधी उपयोग	3	1	4	2	6	3	12	6
निम्न दाब विक्रय (मिलियन यूनिट में)	**8654**	**3772**	**13568**	**6197**	**9739**	**4257**	**31960**	**14226**
उच्च दाब								
एचवी–1 : रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	570	338	425	262	901	534	1896	1134
एचवी–2: कोयला खदानें (कोल माईन्स)	496	323	0	0	33	25	530	349
एचवी–3.1 : औद्योगिक	1795	1071	2855	1618	1833	1026	6483	3715
एचवी–3.2 : गैर–औद्योगिक	250	166	405	260	334	218	989	645
एचवी–4: मौसमी (सीजनल)	8	5	9	6	3	2	20	12
एचवी–5.1 : सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य तथा सिचाई	67	31	345	142	109	54	521	228
एचवी–5.2 : कृषि संबंधी अन्य उपयोग	11	5	6	3	6	3	23	11
एचवी–6 : थोक आवासीय प्रयोक्ता	397	188	7	4	185	89	589	281
एचवी–7: छूट प्रदायकर्ताओं को विद्युत प्रदाय	0	0	0	0	0	0	0	0
उच्च दाब विक्रय (मिलियन यूनिट में)	**3594**	**2127**	**4052**	**2295**	**3405**	**1952**	**11050**	**6375**
योग–निम्न दाब+उच्च दाब विक्रय (मिलियन यूनिट में)	**12248**	**5899**	**17619**	**8491**	**13143**	**6209**	**43011**	**20599**

पुनरीक्षित विद्युत–दरों (टैरिफ) पर अन्तर/आधिक्य

3.182 आयोग द्वारा अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा पुनरीक्षित विद्युत–दर (टैरिफ) के अनुसार राजस्व की प्राप्ति निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 81 : अन्तिम सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा पुनरीक्षित विद्युत–दरों से राजस्व की प्राप्ति (राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	सम्पूर्ण राज्य
वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु कुल सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ए)	5721.60	8275.01	6018.11	20014.72
जोड़ें : प्रभाव (Impact) (बी)	177.44	215.88	191.22	584.54
जोड़ें : वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु कुल सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ए+बी=सी)	5899.04	8490.89	6209.33	20599.26
चालू विद्युत–दरों (टैरिफ) से राजस्व की प्राप्ति (डी)	5855.94	8420.11	6164.80	20440.85
चालू विद्युत–दरों (टैरिफ) पर राजस्व अन्तर (सी–डी)	43.10	70.78	44.53	158.41
पुनरीक्षित/नवीन विद्युत–दरों से राजस्व की प्राप्ति (ई)	5898.96	8490.96	6209.20	20599.12
अपूरित (uncovered) अन्तर/आधिक्य (ई–सी)	-0.08	0.07	-0.13	-0.14

ए–4 : चक्रण प्रभार तथा प्रतिराज्यानुदान अधिभार (Wheeling Charges and Cross Subsidy Surcharge)

''चक्रण लागत'' का आधार (Determination of "Wheeling Cost")

4.1 चक्रण लागत के अवधारण के प्रयोजन हेतु, आयोग द्वारा चक्रण गतिविधि हेतु वितरण की स्थाई लागतों (Fixed costs) (अर्थात् विद्युत क्रय को छोड़कर) को निम्नानुसार आवंटित किया जाता है :

चक्रण गतिविधि में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है :

(ए) संचालन एवं संधारण व्यय (O & M Expenses)

(बी) अवमूल्यन (Depreciation)

(सी) परियोजना ऋणों पर ब्याज (Interest on project loans)

(डी) कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज – चक्रण गतिविधि हेतु मानदण्डीय कार्यकारी पूंजी पर (interest on working capital loans-on normative working capital for wheeling activity)

(ई) पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity)

(एफ) अन्य विविध व्यय (Other Miscellaneous expenses)

(जी) अन्य आय, जैसा कि वह चक्रण गतिविधि हेतु आरोपणीय है, को घटाकर

4.2 वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के आधार पर समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों की चक्रण गतिविधि हेतु व्यय की गणना रू. 3509.73 करोड़ की गई है।

वोल्टेज स्तरों पर लागतों का पृथक्करण (Segregation of Cost among Voltage Levels)

4.3 विद्युत वितरण गतिविधि से संबंधित लागतों को जिन्हें चक्रण गतिविधि से चिन्हांकित किया गया है, को आगे विद्युत वितरण के दो वोल्टेज स्तरों में विभाजित किया जा सकता है अर्थात् 33 केवी तथा 33 केवी से निचले स्तर पर। यद्यपि अति उच्चदाब उपभोक्ता (अर्थात् जो 33 केवी से अधिक वोल्टेज से संबद्ध हैं) भी विद्युत वितरण कम्पनियों के उपभोक्ता होते हैं, विद्युत वितरण प्रणाली से सीधे संयोजित नहीं होते, कतिपय लागतों, जैसे कि मीटरीकरण, बिलिंग तथा संग्रहण से संबंधित को अति उच्चदाब उपभोक्ताओं से संबद्ध किया जाता है तथापि, आयोग इस अवसर पर आंकड़ों की उपलब्धता के अभाव में इन विवरणों के विस्तार में जाने का इच्छुक नहीं है।

4.4 मध्यप्रदेश राज्य के विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी वर्तमान में अपनी लागतों से संबंधित लेखे वोल्टेज आधार पर संधारित नहीं करते। भारत के अन्य राज्यों में भी अधिकांश शासन के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कम्पनियों की भी लगभग समान स्थिति है।

4.5 यह पाया गया है कि मप्र राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों की वर्तमान लेखांकन पद्धतियां प्रत्यक्ष रूप से वोल्टेज स्तरों पर सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के पृथक्करण किये जाने को अनुज्ञेय नहीं करतीं। अतएव, आयोग 33/11 केवी तथा 11/0.4 केवी के अन्तर्मुखों (interfaces) पर रूपान्तरण क्षमता (transformation capacity) एमवीए में अपनाए जाने की पद्धति को यहां पर उचित मानता है।

4.6 इस प्रक्रिया के अन्तर्गत परिसम्पत्ति आधार के मूल्यांकन हेतु उपयोग किये गये आंकड़े निम्नानुसार तालिकाबद्ध किये गये हैं :

तालिका 82 : परिसम्पत्ति मूल्य का चिन्हांकन (Identification of Asset Value)

लाईनों का वोल्टेज स्तर	लाईनों की संचयी लम्बाई (सर्किट किलामीटर में)	प्रति यूनिट लागत (लाख रूपये/सर्किट किलोमीटर में)	लाईनों की कुल लम्बाई (करोड़ रूपये में)
33 केवी (रेल पोल पर)	44672	12.54	5601.87
33 केवी से कम			
(अ) 11 केवी (रेल पोल पर)	312422	9.35	29211.46
(ब) निम्न दाब (पीसीसी पोल पर)	404661	5.17	20920.97
उप–योग			50132.43
योग			**55734.30**

तालिका 83 : ट्रांसफार्मर वोल्टेज स्तर पर कुल लागत

ट्रांसफार्मर वोल्टेज स्तर	संचयी क्षमता (एमवीए में)	प्रति यूनिट लागत (लाख रूपये/एमवीए में)	कुल लागत (करोड़ रूपये में)
33/11 केवी ट्रांसफार्मर	22531	38.26	8620.36
11/0.4 केवी ट्रांसफार्मर	30405	2.28 प्रति 100 केवीए	6932.34
योग			**15552.70**

4.7 उपरोक्त के प्रयोजन हेतु, परिपथों (Lines) की लम्बाई तथा ट्रांसफार्मेशन क्षमता संबंधी आंकड़े, जिन्हें वर्ष 2013–14 के दौरान जोड़ा जाना प्रस्तावित है, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में दाखिल की गई याचिका के भाग के रूप में प्रदान किये गये अनुसार मान लिये गये हैं।

4.8 वोल्टेज के भिन्न–भिन्न स्तरों पर परिसम्पत्ति मूल्यों को चिन्हांकित किये जाने के उद्देश्य से दोनों वोल्टेज स्तरों पर अन्तर्मुख ट्रांसफार्मरों को ''निर्दिष्ट (assign)'' किया जाना आवश्यक है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत आयोग वितरण ट्रांसफार्मरों (11/0.4 केवी) को 11 केवी नेटवर्क के एक भाग के रूप में सम्मिलित किया जाना उचित मानता है तथा 33/11 केवी पावर ट्रांसफार्मरों को 33 केवी नेटवर्क के एक भाग के रूप में। इस दृष्टिकोण के आधार पर, विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर परिसम्पत्ति मूल्यों की गणना निम्न तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका 84 : वोल्टेज के प्रत्येक स्तर पर नेटवर्क के मूल्यांकन का चिन्हांकन (Identification of value of network at each voltage level)

वोल्टेज स्तर	परिपथों (लाईनों) की लागत (करोड़ रूपये में)	ट्रांसफार्मेशन की लागत (करोड़ रूपये में)	कुल लागत (करोड़ रूपये में)
33 केवी	5601.87	8620.36	14222.23
33 केवी से कम	50132.43	6932.34	57064.77
योग	**55734.30**	**15552.70**	**71287.00**

4.9 चक्रण गतिविधि संबंधी व्यय, जो वितरण के उपरोक्त विभिन्न वोल्टेज स्तरों के संबंध में उपगत (incurred) किये गये माने गये है, की गणना परिसम्पत्ति मूल्य अनुपातों (asset value ratios) का उपयोग कर की जाएगी, जैसा कि इसे उपरोक्तानुसार प्राप्त किया गया है तथा निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 85: विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर नेटवर्क के व्ययों (चक्रण लागतों) की कुल लागत का चिन्हींकरण

वोल्टेज स्तर	परिसम्पत्ति मूल्य (करोड़ रूपये में)	परिसम्पत्ति मूल्य (प्रतिशत)	कुल चक्रण लागत (करोड़ रूपये में)	चक्रण लागत (करोड़ रूपये में)
33 केवी	14222.23	19.95	3509.73	700.21
33 केवी से कम स्तर पर	57064.77	80.05		2809.52
योग	**71287.00**	**100.00**		**3509.73**

चक्रण लागतों का परस्पर बंटवारा (Sharing of Wheeling Costs)

4.10 उपरोक्त वोल्टेज स्तरों के लिये चिन्हार्किकत की गई चक्रण लागत को पुनः प्रयोक्ताओं को उक्त वोल्टेज स्तरों पर आवंटित किया जाना आवश्यक होता है क्योंकि 33 केवी नेटवर्क को 33 केवी तथा 33 केवी से कम वाले उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है, जबकि 33 केवी से कम वाले नेटवर्क को 11 केवी तथा निम्न दाब उपभोक्ताओं द्वारा भी उपयोग किया जाता है।

4.11 उपभोक्ताओं के लिये विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर चक्रण लागत का आवंटन विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर नेटवर्क के उपयोग (usage) के आधार पर किया जाता है। आयोग ने भिन्न–भिन्न वोल्टेज स्तरों पर 'विक्रित किये जाने वाले यूनिटों (units to be sold)'' को लागतों के आवंटन हेतु नेटवर्क उपयोग के उपाय के रूप में, अपनाए जाने का चयन किया है, जैसा कि इसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 86 : वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं हेतु चक्रण लागत का आवंटन

	विवरण	इकाई	योग
अ	33 केवी पर चक्रण लागत	करोड़ रूपये में	700.21
ब	33 केवी पर विक्रय	मिलियन यूनिट में	5441.65
स	कुल विक्रित यूनिट {अति उच्च दाब पर विक्रय को छोड़कर}	मिलियन यूनिट में	38035
द	33 केवी पर विक्रय तथा कुल विक्रय का अनुपात		0.14
इ	33 केवी की चक्रण लागत जिसे केवल 33 केवी उपभोक्ताओं को ही आवंटित किया गया है {(अ)*(द)}	करोड़ रूपये में	98.03

4.12 इस प्रकार 33 केवी प्रयोक्ताओं की चक्रण लागत की गणना रू. 98.03 करोड़ की गई है। इस आवंटन के आधार पर तथा 33 केवी पर की गई खपत पर विचार करते हुए रूपये प्रति यूनिट चक्रण प्रभारों का अवधारण निम्नानुसार किया गया है :

तालिका 87 : चक्रण प्रभार (Wheeling Charges)

वोल्टेज	आवंटित की गई चक्रण लागत (करोड़ रूपये में)	विक्रय (मिलियिन यूनिटों में)	चक्रण प्रभार (रूपये/यूनिट में)
अति उच्च दाब (E HT)	-	-	-
33 केवी	98.03	5441.65	0.18

विभिन्न परिदश्यों के अन्तर्गत चक्रण प्रभारों की प्रयोज्यता (Applicability of Wheeling Charges under different Scenarios)

4.13 खुली पहुंच उपभोक्ताओं तथा उनके उपभोक्ताओं की स्थिति के विभिन्न परिदृश्यों तथा पारेषण एवं चक्रण प्रभारों की अनुवर्ती प्रयोज्यता :

(अ) **परिदृश्य एक : विद्युत उत्पादक पारेषण (नेटवर्क) (अति उच्च दाब वोल्टेजों पर) से संयोजित हो, जबकि उपभोक्ता वितरण अनुज्ञप्तिधारी 33 केवी पर वितरण प्रणाली (नेटवर्क) से संयोजित हो** : इस परिदृश्य के अन्तर्गत दोनों पारेषण तथा चक्रण प्रभार लागू होंगे, क्योंकि खुली पहुंच उपभोक्ता द्वारा वांछित विद्युत ऊर्जा पारेषण नेटवर्क से नीचे की दिशा में वितरण नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ता के संयोजन तक प्रवाहित होगी।

(ब) **परिदृश्य दो : विद्युत उत्पादक वितरण अनुज्ञप्तिधारी के 33 केवी के वितरण नेटवर्क से संयोजित हो , जबकि उपभोक्ता पारेषण नेटवर्क से (132 केवी या इससे अधिक पर) संयोजित हो** : इस परिदृश्य के अन्तर्गत, उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति केवल पारेषण नेटवर्क पर विद्युत ऊर्जा के प्रवाह के रूप में की जाएगी। खुली पहुंच विद्युत उत्पादक द्वारा उत्पादित की गई विद्युत ऊर्जा की खपत स्थानीय रूप से वितरण कम्पनी की परिसीमाओं के अन्तर्गत ही की जाएगी तथा यह ऊपर की दिशा में खुली पहुंच उपभोक्ता की ओर प्रवाहित नहीं होगी। अतएव, इस प्रकार के संव्यवहारों पर केवल पारेषण प्रभार ही लागू होंगे।

(स) **परिदृश्य तीन : जब दोनों विद्युत उत्पादक तथा उपभोक्ता पारेषण नेटवर्क से (132 केवी या इससे अधिक पर) संयोजित हो** : इस परिदृश्य के अन्तर्गत केवल पारेषण प्रभार ही लागू होंगे क्योंकि यहां पर वितरण नेटवर्क प्रणाली का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

(द) **परिदृश्य चार : जब दोनों विद्युत उत्पादक तथा उपभोक्ता किसी भी वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली से 33 केवी पर संयोजित हो** : खुली पहुंच विद्युत उत्पादक द्वारा उत्पादित विद्युत की खपत सम्पूर्ण म.प्र. राज्य में विद्युत वितरण कम्पनियों के अन्तर्गत एक समान खुदरा विद्युत दर की शर्तों के अन्तर्गत खपत की जाएगी, अतएव यह खुली पहुंच उपभोक्ता की मांग की आपूर्ति में अपना योगदान प्रदान करेगी। अतः, इस संव्यवहार में पारेषण नेटवर्क का अतिरिक्त उपयोग सन्निहित नहीं है। अतएव, इस प्रकार के संव्यवहारों में केवल चक्रण प्रभार ही लागू होंगे।

4.14 खुली पहुंच को प्रोत्साहित किये जाने की दृष्टि से आयोग द्वारा प्रभारों की उपरोक्त प्रयोज्यता का अवधारण किया गया है। उपरोक्त प्रतिपादन (formulations) इस सिद्धान्त के अनुरूप हैं कि नेटवर्क के अन्तर्गत विद्युत विस्थापन विधि (displacement method) द्वारा प्रवाहित होती है।

प्रति–राज्यानुदान का अवधारण (Determination of Cross subsidy Surcharges)

4.15 टैरिफ नीति के अन्तर्गत, उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों हेतु प्रति–राज्यानुदान अधिभार के अवधारण हेतु निम्न सूत्र विनिर्दिष्ट किया गया है :

''8.5 खुली पहुंच हेतु प्रति राज्यानुदान अधिभार तथा अतिरिक्त अधिभार (Cross Subsidy Surcharge and additional Surchage for Open acess)

8.5.1 .....

अधिभार सूत्र (Surcharge formula) :

S =T [C(1+L/100) +D]

जहां

S = अधिभार है

T= उपभोक्ताओं की सुसंगत श्रेणी द्वारा भुगतानयोग्य विद्युत–दर (Tariff) है

C= उपान्त (margin) पर शीर्ष पांच प्रतिशत की भारित औसत लागत है जिसमें तरल ईंधन (liquid fuel) तथा नवकरणीय ऊर्जा (renewable power) आधारित विद्युत उत्पादन सम्मिलित नहीं है

D = चक्रण प्रभार है

L = प्रयोज्य वोल्टेज स्तर पर प्रणाली हानियां हैं, जिन्हें प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है।

''8.5.5. चक्रण प्रभारों को उन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर अवधारित किया जाना चाहिए जैसा कि वे राज्यान्तरिक पारेषण प्रभारों (Intra-state transmission charges) हेतु निर्धारित किये गये हैं तथा अतिरिक्त तौर पर इसमें सुसंबद्ध वोल्टेज स्तर पर औसत हानि की क्षतिपूर्ति सम्मिलित की जाएगी।''

4.16 टैरिफ नीति की कण्डिका 8.5.1 में कहा गया है कि *''राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार क्रास सब्सिडी और खुली पहुंच की अनुमति वाले उपभोक्ताओं से वसूल किया जाने वाला अतिरिक्त अधिभार इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि वह प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर दे जो कि खुली पहुंच के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता के लिए विद्युत उत्पादन व आपूर्ति में विकसित की जानी है।''*

उपरोक्त कंडिका के प्रथम परन्तुक (Proviso) में कहा गया है कि *''.....उपभोक्ता खुली पहुंच की सुविधा तभी लेगा जब सभी प्रभारों का भुगतान करने पर भी उसे लाभ प्राप्त हो..... ।''*

उपरोक्त कंडिका के द्वितीय परन्तुक में कहा गया है कि *''.....(तद्नुसार इस प्रयोजनार्थ उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति लागत का आंकलन (क) संबंधित वोल्ट स्तर की औसत हानि प्रतिपूर्ति के लिए समायोजित और एसईआरसी द्वारा अनुमोदित मैरिट क्रम में तरल ईंधन आधारित उत्पादन को छोड़कर मार्जिन पर शीर्षतम 5% विद्युत की खरीद लागत का भारित औसत (स्थिर व परिवर्तनशील प्रभार समेत).....''*

उपरोक्त कंडिका के अन्तिम परन्तुक में यह कहा गया है कि ''यथासंभव क्रास सब्सिडी अधिभार को उत्तरोत्तर वित्तीय वर्ष 2010–11 तक इसके प्रारंभिक स्तर पर अधिकतम 20 प्रतिशत तक की रैखिक दर पर नीचे के स्तर पर लाया जाना चाहिए।''

4.17 जैसा कि पूर्व परिच्छेद में उल्लेख किया गया है, इस प्रयोजन हेतु उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय की लागत की गणना विद्युत प्रदाय की लागतों के शीर्ष 5 प्रतिशत उपान्त (margin) के योग (aggregate) के आधार पर की जा सकती है। अतएव, परन्तुक के आशय को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रति सहायतानुदान (Cross subsidy) की ओर भी ध्यान देते हुए, आयोग का यह सुविचारित मत है कि विद्युत क्रय लागत के उपान्त (margin) के शीर्ष 3 प्रतिशत को सम्प्रति उपभोक्ता को विद्युत क्रय की लागत की गणना हेतु माना जाए ताकि प्रति सहायतानुदान अधिभार (Cross subsidy surcharge) भारयुक्त (onerous) न बन जाए।

4.18 शीर्ष तीन प्रतिशत विद्युत उपान्त (margin) विद्युत क्रय की लागत की गणना निम्नानुसार की गई है :

वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु ऊर्जा की कुल आवश्यकता = 58084 मिलियन यूनिट

तालिका 88: शीर्ष तीन प्रतिशत अर्थात् 1743 मिलियन यूनिट विद्युत क्रय की लागत

स्टेशन	यूनिट संख्या (मिलियन यूनिट में)	लागत (रूपये/यूनिट)	कुल लागत (करोड़ रूपये में)
राजस्थान राज्य विद्युत मंडल (चंबल, सतपुड़ा)	408	4.19	171
आईपीपी टोरेंट	195	4.13	81
मध्यकालीन विद्युत क्रय	742	4.11	305
बीएलए पावर नरसिंहपुर	69	3.81	26
दामोदर वैली कार्पोरेशन दुर्गापुर स्टील ताप विद्युत स्टेशन–इकाई–1	138	3.74	52
दामोदर वैली कार्पोरेशन दुर्गापुर स्टील ताप विद्युत स्टेशन–इकाई–2	119	3.74	45
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन–विस्तार	71	3.43	24
योग	**1743**		**703**

4.19 इस प्रकार शीर्ष तीन प्रतिशत की भारित औसत विद्युत क्रय लागत की गणना रू. 703 करोड़/ 1743 मिलियन यूनिट = रू. 4.04 प्रति यूनिट की गई है।

4.20 टैरिफ नीति के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है कि प्रत्येक वोल्टेज स्तर पर हानि स्तर (पारिभाषिक शब्द 'L' के अनुसार) की गणना पृथक–पृथक की जानी चाहिए। इस प्रयोजन हेतु, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव में, प्रत्येक वोल्टेज स्तर पर हानि स्तरों को निम्नानुसार माना गया है :

तालिका 89 : वोल्टेजवार हानिस्तर (Voltage-wise loss levels)

वोल्टेज स्तर	हानि स्तर (एल)
अति उच्च दाब (पारेषण प्रणाली) बाह्य हानियों को शामिल करते हुए	5.30%
33 केवी (केवल 33 केवी प्रणाली)	5.15%

4.21 पारेषण की लागत प्रत्येक वोल्टेज स्तर पर समस्त उपभोक्ताओं को एक समान रूप से प्रसारित की जाएगी, क्योंकि पारेषण नेटवर्क का उपयोग समस्त उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है। अतएव, चक्रण लागतों की भांति, वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु अनुमोदित पारेषण प्रभारों की गणना निम्नानुसार की गई है :

तालिका 90 : पारेषण प्रभार (Transmission charges)

विवरण	रूपये करोड़ में
पीजीसीआईएल (PGCIL) प्रभार	685.56
एमपीपीटीसीएल (MPPTCL) प्रभार	1599.85
एसएलडीसी (SLDC) प्रभार	9.29
कुल प्रभार	2294.70
एमपीटीसीएल द्वारा हस्तालन किये जाने वाले (to be handled) यूनिटों की संख्या	58084
प्रति यूनिट पारेषण प्रभार	39 पैसे

4.22 अन्ततः, टैरिफ नीति सूत्र के अन्तिम पारिभाषिक शब्द 'T', अर्थात् प्रत्येक श्रेणी हेतु औसत विद्युत–दर (टैरिफ) को वित्तीय वर्ष 2013–14 के टैरिफ आदेश के अभ्यास के अंतर्गत राजस्व क्रिया से प्राप्त किया गया है।

4.23 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निबन्धन तथा शर्तों) विनियम, 2005 के अनुसार एक मेगावाट या इससे अधिक संविदा मांग वाले उपभोक्ताओं को दिनांक 1 अक्टूबर, 2007 से खुली पहुंच अनुज्ञेय की गई है। इन उपभोक्ताओं को मप्र विद्युत प्रदाय संहिता के अनुसार जैसा कि इसे समय–समय पर संशोधित किया गया है, 33 केवी या इससे अधिक क्षमता वाली प्रणाली से संयोजित किया जाएगा।

4.24 उपरोक्त की गई चर्चा के अनुसार, विभिन्न परिदृश्यों के अन्तर्गत 132 केवी/33 केवी पर एक मेगावाट या इससे अधिक संविदा मांग वाले उच्चदाब उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों हेतु कुल लागत की गणना शीर्षक ''परिदृश्यवार लागत (scenariowise cost)'' ''के अन्तर्गत तालिका 91 में दर्शाई गई है। विशिष्ट वोल्टेज पर, प्रति राज्यानुदान अधिभार (cross subsidy surcharge) की गणना विशिष्ट श्रेणी हेतु औसत विद्युत–दर (average tariff) तथा कुल लागत के अन्तर के रूप में होगी। वित्तीय वर्ष 2013–14

के टैरिफ आदेश के अनुसार ''श्रेणीवार औसत विद्युत–दर (categorywise average tariff) नीचे दी गई तालिका क्रमांक 92 में दर्शाई गई है। उदाहरण के तौर पर, वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु, 132 केवी पर रेलवे कर्षण के लिये औसत विद्युत–दर की गणना रू. 5.98 पैसे प्रति यूनिट की गई है तथा कुल लागत की गणना रू. 4.66 प्रति यूनिट आती है। इस प्रकार, सहायतानुदान प्रभार रू. 5.98 – रू. 4.66 = रू. 1.32 प्रति यूनिट होगा। तथापि ऐसे प्रकरणों में (जैसे कि लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग को छोड़कर, थोक आवासीय प्रयोक्ताओं, छूट प्राप्तिकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय, आदि) जहां उपरोक्त पद्धति के आधार पर प्रतिसहायतानुदान अधिभार की गणना ऋणात्मक आती है, वहां बिलिंग के प्रयोजन हेतु इसे शून्य माना जाएगा।

4.25 उपरोक्त उल्लेखित चक्रण प्रभार तथा प्रति राज्यानुदान प्रभार ऐसे उपभोक्ताओं को लागू नहीं होंगे जो ऊर्जा के नवकरणीय स्त्रोतों से खुली पहुंच (Open accross) प्राप्त करते हैं।

तालिका 91 : परिदृश्यवार लागत (रूपये प्रति यूनिट में)

परिदृश्य	3% सीमांत पर विद्युत की लागत	विद्युत की लागत जिसे वितरण हानियों (5.15% पर) बाबत सकलबद्ध किया गया है	विद्युत की लागत जिसे पारेषण हानियों (5.30% पर) बाबत सकलबद्ध किया गया है	पारेषण प्रभार	चक्रण प्रभार	कुल लागत {C(1+L/100)+D}
1	4.04	4.26	4.49	0.39	0.18	5.07
2	4.04		4.26	0.39		4.66
3	4.04		4.26	0.39		4.66
4	4.04	4.26	4.49	0.00	0.18	4.67

तालिका 92 : श्रेणीवार औसत विद्युत–दर (रूपये प्रति यूनिट में)

सरल क्रमांक	उच्च दाब/अति उच्च दाब उपभोक्ताओं की श्रेणी	औसत विद्युत–दर (टैरिफ)
i	HV-1 : रेलवे कर्षण (Railway Traction)	5.98
ii	HV-2 : कोयला खदानें (Coal Mines)	6.58
iii	HV-3.1 : औद्योगिक (Industries)	5.88
iv	HV-3.2 : गैर–औद्योगिक (Non-Industrial)	6.48
v	HV-3.3 : शापिंग मॉल (Shopping Malls)	7.97
vi	HV-3.4 : गहन विद्युत उद्योग (Power Intensive Industries)	4.98
vii	HV-4 : मौसमी (Seasonal)	6.27
viii	HV-5.1 : सार्वजनिक जल प्रदाय कार्य (Public Water Works)	4.27
ix	HV-5.2 : सिंचाई के अतिरिक्त (Other than Irrigation)	4.67
x	HV-6 : थोक आवासीय प्रयोक्ता (Bulk Residential Users)	4.74

ए–5 : ईंधन लागत समायोजन प्रभार (Fuel Cost Adjustment Charge)

5.1 याचिकाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2012–13 की विद्युत अवधारण प्रक्रिया के अन्तर्गत ईंधन की लागत में समय–समय पर होने वाली घटत–बढ़त का समाधान ईंधन लागत समायोजन प्रभार अन्तरण द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) से स्वचालित प्रक्रिया द्वारा समायोजित किया जाना प्रस्तावित किया था। आयोग ने विभिन्न तथ्यों को संज्ञान में लेकर तथा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्ते एवं प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2009 के विनियम 9.1 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिये अपने टैरिफ आदेश 31 मार्च, 2012 को जारी खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश में ईंधन की लागत में विद्युत उत्पादक संयंत्रों हेतु कोयला, तेल तथा गैस के उपयोग में समय–समय पर होने वाली घटत/बढ़त के समयोजन हेतु ईंधन लागत समायोजन (Fuel Cost Adjustment-FCA) का सूत्र विनिर्दिष्ट करते हुए किया था तथा इसी के साथ–साथ इसी आदेश में ईंधन लागत समायोजन प्रभार की गणना, बिलिंग, वसूली, आदि हेतु औपचारिकताएं (modalities)/विधि (manner) भी निर्दिष्ट की थीं।

याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण (Petitioners' Submissions)

5.2 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि उपरोक्त उल्लेखित ईंधन लागत समायोजन सूत्र में धनात्मक विद्युत क्रय लागत (Incremental Power Purchase Cost) की वसूली को शामिल नहीं किया गया है जिसके अन्तर्गत विद्युत का क्रय ऐसे कारकों के अन्तर्गत किया गया है जो उनके नियन्त्रण से परे हैं तथा जिनमें शामिल हैं टैरिफ आदेश के अन्तर्गत चिन्हित स्त्रोतों से विद्युत आपूर्ति में कमी जिसके अनुसार उन्हें विद्युत बाजार अथवा अन्य स्त्रोतों से मांग की आपूर्ति हेतु विद्युत का क्रय उच्चतर दरों पर करना होता है।

5.3 निवेदन किया गया कि विद्युत क्रय की मात्रा को मानदण्डीय हानि स्तरों के आधार पर नियंत्रित नहीं किया जाना संभव नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ताओं को विद्युत अधिनियम, 2003 में अधिदेशित आपूर्ति आबंधों के अनुसार विद्युत मांग की आपूर्ति करनी होती है। यह निवेदन भी किया गया कि विद्युत प्रणाली की प्रदत्त प्रचालन परिस्थितियों के अन्तर्गत ऊर्जा की मात्रा तथा विद्युत मांग न्यूनाधिक अनियंत्रणीय परिवर्तनीय कारक (uncontrollable variables) होते हैं। निवेदन किया गया कि विद्युत–दर के अवधारण के प्रयोजन हेतु, युक्तियुक्त लागत पर आधारित औसत विद्युत क्रय लागत प्रति यूनिट

पर विचार किया जाए। याचिकाकर्ताओं ने यह व्याख्या भी प्रस्तुत की है कि मानदण्डीय हानि पर आधारित, विद्युत की मात्रा पर औसत विद्युत क्रय लागत प्रति यूनिट पर आधारित लागत को उपभोक्ता को अन्तरित किया जाना चाहिए तथा इससे अधिक कोई भी लागत याचिकाकर्ता द्वारा वहन की जाएगी। यह दृढ़कथन भी किया गया कि उपभोक्ताओं को विद्युत क्रय लागत के पूर्ण स्थाई लागत तत्व पर अन्तरण की क्रियाविधि, एक युक्तियुक्त लागत के रूप में उपभोक्ताओं तथा याचिकाकर्ताओं के हितों के मध्य उचित सन्तुलन कायम करेगी क्योंकि यह समग्र रूप से औसत विधि पर आधारित है तथा वार्षिक चक्र के अंतर्गत समस्त कारकों को सम्मिलित किया गया है तथा बराबर रूप से वितरित भी किया गया है।

5.4 याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि उपरोक्त उल्लेखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए तथा विनियमों के अनुसार, ईंधन लागत समायोजन प्रभार के साथ–साथ धनात्मक विद्युत क्रय लागत (Incremental Power Purchase Cost) की वसूली हेतु एकल सूत्र को रूपांकित किया जाना अधिक उपयुक्त होगा। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित सूत्र को निम्नानुसार उद्धरित किया जा रहा है :

बिलिंग त्रैमास हेतु F & IPPCA $\frac{P}{u} = \frac{\text{APPC (करोड़ रूपये में)} \times 100}{\text{मानदण्डीय विक्रय (मिलियन यूनिट में)}}$

जहां, APPC (Average Power Purchase Cost) अर्थात् औसत विद्युत क्रय लागत निम्न का योग होगा :

(अ) प्रत्येक विद्युत उत्पादक स्त्रोत/स्त्रोतों द्वारा वास्तविक रूप से बिल की गई प्रति यूनिट औसत लागत में अन्तर जैसा कि इसे टैरिफ आदेश में अनुज्ञेय किया गया है तथा (ब) पिछले त्रैमास के दौरान प्रत्येक विद्युत उत्पादक स्टेशन से प्राप्त किये गये यूनिटों की संख्या का गुणनफल;

>*पिछला त्रैमास (Preceding Quarter)* का तात्पर्य पिछले तीन माह की अवधि से है, जिसमें बिलिंग त्रैमास के ठीक दो माह की पूर्व कालावधि शामिल नहीं की जाएगी ;

>*बिलिंग त्रैमास (Billing Quarter)* का तात्पर्य तीन माह की कालावधि से है, जिसके लिये F&IPPCA की बिलिंग की जाएगी तथा यह अवधि किसी त्रैमास को प्रारंभ होने वाली प्रथम दिवस से प्रारंभ होकर उक्त त्रैमास की अन्तिम दिवस को समाप्त होने वाली अवधि है, जैसे कि एक अप्रैल से प्रारंभ होकर तीस जून तक समाप्त होने वाली अवधि, आदि आदि।

>*मानदण्डीय विक्रय (Normative Sale)* का तात्पर्य वास्तविक सकल विद्युत विक्रय से है जिसकी प्राप्ति पिछले त्रैमास के दौरान समस्त स्त्रोतों (विद्युत उत्पादकों + अन्य स्त्रोतों) से वास्तविक एक्स–बस आहरण के आधार पर पीजीसीआईएल, पारेषण, वितरण हानियों के आधार पर पिछले त्रैमास के महीनों के दौरान, जैसा कि इसका प्रावधान टैरिफ आदेश में किया गया है, की जाएगी।

आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

5.5 आयोग ने याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण पर विचार किया है। सुसंबद्ध विनियमों में ईंधन लागत समायोजन (FCA) के उद्ग्रहण के अतिरिक्त धनात्मक विद्युत क्रय लागतों को भी अनुज्ञेय किये जाने का प्रावधान भी किया गया है। तथापि, आयोग का इस स्थिति में यह मत है कि वर्तमान में केवल ईंधन लागत समायोजन (FCA) की वसूली को ही अनुज्ञेय किया जाए तथा चालू टैरिफ अवधि के दौरान उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डाला जाना उचित न होगा। इस मद के अन्तर्गत, किन्ही भी अतिरिक्त लागतों पर विचार सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, विधिवत युक्तियुक्त जांच के उपरांत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विद्युत क्रय लागतों में वृद्धि के कारण इसके समुचित भाग को ईंधन लागत समायोजन के उद्ग्रहण द्वारा ध्यान में रखा गया है। अतएव, आयोग ने केवल त्रैमासिक ईंधन लागत समायोजन प्रभार को ही निम्न परिच्छेदों में दर्शाये गये विवरणों के साथ जारी रखे जाने के बारे में निर्णय लिया है।

5.6 आयोग, एतद् द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्ते एवं प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2012 के विनियम 9 को दृष्टिगत रखते हुए निम्न परिच्छेदों में दर्शाये गये वितरणों के साथ केवल ईंधन लागत समायोजन सूत्र को मय इससे संबद्ध क्रियाविधि/औपचारिकताओं के लघु संशोधनों के साथ जारी रखे जाने का निर्णय लेता है।

5.7 ईंधन लागत समायोजन (FCA) की गणना किये जाने के संबंध में विद्युत उत्पादक संयंत्रों हेतु कोयला, खनिज तेल तथा गैस हेतु ईंधन की लागत में किसी वृद्धि या कमी के कारण निम्न सूत्र निर्दिष्ट किय ा गया है :

बिलिंग त्रैमास हेतु ईंधन लागत समायोजन (FCA for billing Quarter) (पैसे/यूनिट में) = $\frac{\text{IVC (करोड़ रूपये में) x 1000}}{\text{मानदण्डीय विक्रय (Normative Sale) (मिलियन यूनिट में)}}$

जहां,

"IVC" अर्थात् परिवर्तनीय लागत में वृद्धि से तात्पर्य निम्न के योग से है – (अ) प्रत्येक दीर्घ अवधि कोयला या गैस आधारित विद्युत उत्पादक द्वारा वास्तविक रूप से बिल की गई परिवर्तनीय लागत (Variable Cost) का अन्तर जैसा कि इसे टैरिफ में अनुज्ञेय किया गया है तथा (ब) पिछले त्रैमास के दौरान प्रत्येक विद्युत उत्पादक स्टेशन से प्राप्त की गई यूनिट संख्या का गुणनफल। जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों से परिवर्तनीय लागतों को विद्युत क्रय की परिवर्तनीय लागत में वृद्धि की गणना के प्रयोजन हेतु माना नहीं जाएगा।

>*पिछला त्रैमास (Preceding Quarter)* से तात्पर्य पिछले तीन माह की अवधि से है, जिसमें बिलिंग त्रैमास के ठीक पूर्व दो माह की कालावधि शामिल नहीं की जाएगी।

>*बिलिंग त्रैमास (Billing Quarter)* का तात्पर्य तीन माह की कालावधि से है, जिसके लिये ईंधन लागत समायोजन की बिलिंग की जाना है तथा यह अवधि किसी त्रैमास को प्रारंभ होने वाली प्रथम दिवस से प्रारंभ होकर उक्त त्रैमास की अन्तिम दिवस को समाप्त होने वाली अवधि है, जैसे कि एक अप्रैल से प्रारंभ होकर तीस जून तक की अवधि, आदि, आदि।

>*मानदण्डीय विक्रय (Normative)* का तात्पर्य वास्तविक सकल विद्युत विक्रय से है जिसकी प्राप्ति पिछले त्रैमास के दौरान समस्त स्त्रोतों (विद्युत उत्पादकों + अन्य स्त्रोतों) से पीजीसीआईएल, पारेषण, वितरण हानियों के आधार पर पिछले त्रैमास के महीनों के दौरान, जैसा कि इसका प्रावधान टैरिफ आदेश में किया गया है, वास्तविक एक्स–बस आहरण के आधार पर की जाती है।

5.8 ईधन लागत समायोजन (FCA) की गणना मानदण्डीय मापदण्डों के आधार पर तत्संबंधी समुचित आयोगों द्वारा जारी विद्युत उत्पादन टैरिफ आदेश के अनुसार की जाएगी। आगे किये जाने वाले किसी परिवर्तन के संबंध में आयोग का अनुमोदन आवश्यक होगा।

5.9 ईंधन लागत समायोजन प्रभार की गणना पैसे प्रति यूनिट (किलोवाट ओवर) के रूप में की जाएगी जिसे निकटतम पैसे तक पूर्णांक किया जाएगा। इस प्रयोजन से 0.50 तक के अंश की अवहेलना की जाएगी तथा 0.50 से अधिक अंश को आगामी अंक तक पूर्णांक किया जाएगा। इस प्रभार का, प्रत्येक उपभोक्ता को बिल की गई ऊर्जा हेतु विद्यमान टैरिफ के अनुसार ऊर्जा प्रभारों में जोड़ा जाएगा, या उसमें से घटाया जाएगा,

जैसा कि वह लागू हो तथा इसे उपभोक्ताओं को जारी किये गये विद्युत देयकों में पृथक से दर्शाया जाएगा तथा इसे ऊर्जा प्रभार (energy charge) का एक भाग माना जाएगा।

5.10 ईंधन लागत समायोजन प्रभार (FCA Charge) राज्य की समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों की समस्त उपभोक्ता श्रेणियों को एक समान लागू होगा।

5.11 विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल) के उपभोक्ताओं को खुदरा विद्युत विक्रय हेतु प्राधिकृत किया गया है। त्रैमास के दौरान, ईंधन लागत समायोजन का उत्तरदायित्व एमपीपीएमसीएल का होगा।

5.12 एमपीपीएमसीएल द्वारा दीर्घ अवधि कोयला, गैस आधारित विद्युत उत्पादकों से पिछले त्रैमास के दौरान उनके द्वारा प्राप्त किये गये बिलों के आधार पर विद्युत क्रय की परिवर्तनीय लागत में परिवर्तन की गणना की जाएगी। इस जानकारी को ''पिछले त्रैमास'' के प्रत्येक माह के लिये निम्न विधि के अनुसार तैयार किया जाएगा तथा तत्पश्चात् उक्त त्रैमास हेतु इसे संकलित किया जाएगा :

तालिका 93 : ईंधन लागत समायोजन प्रभार हेतु प्रपत्र

माह/त्रैमास	विद्युत उत्पादक केन्द्र/अन्य स्त्रोत का नाम	एक्सबस से आहरित विद्युत की मात्रा	वास्तविक परिवर्तनीय प्रभारों पर आधारित उपगत की गई परिवर्तनीय लागत		टैरिफ आदेश में प्रावधानित की गई दरों के अनुसार परिवर्तनीय लागत		विद्युत क्रय की लागत में वृद्धि
		(मिलियन यूनिट में)	दर (पैसे/यूनिट में)	लागत (करोड़ रूपये में)	दर (पैसे/यूनिट में)	लागत (करोड़ रूपये में)	लागत (करोड़ रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8
योग							

5.13 एमपीपीएमसीएल द्वारा ''मानदण्डीय विक्रय (normative sale)'' की गणना की जाएगी। इस प्रयोजन से पिछले त्रैमास के महीनों के लिये मानदण्डीय पीजीसीआईएल, पारेषण, वितरण हानि (प्रतिशत/मात्रा), जैसा कि इसका प्रावधान टैरिफ आदेश के अन्तर्गत किया गया है, पिछले त्रैमास के दौरान कुल एक्स–बस पावर में से घटाया जाएगा, जिसके अनुसार मानदण्डीय विक्रय की मात्रा प्राप्त की जाएगी।

5.14 एमपीपीएमसीएल द्वारा ईंधन लागत समायोजन की गणना पूर्व में प्रदत्त सूत्र के आधार पर की जाएगी तथा आवश्यक विवरण आयोग को बिलिंग त्रैमास प्रारंभ होने से न्यूनतम 15 दिवस पूर्व प्रस्तुत किये जाएंगे। आयोग के अनुमोदन पश्चात् ईंधन लागत प्रभार

आगामी त्रैमास के लिये प्रभारणीय होगा। यह प्रक्रिया बिलिंग त्रैमास के प्रारंभ होने से कम से कम 15 दिवस पूर्व पूर्ण कर ली जानी चाहिए। आयोग के अनुमोदन के पश्चात्, ईंधन लागत समायोजन (FCA) आगामी त्रैमास में आरोपित किया जाएगा।

5.15 राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा ईंधन लागत समायोजन प्रभार की बिलिंग, उक्त बिलिंग त्रैमास के प्रथम दिवस से प्रारंभ कर दी जाएगी।

5.16 ईंधन लागत समायोजन की दर तथा कुल राशि उपभोक्ता देयकों में पृथक से दर्शाई जाएगी।

5.17 इसे समझने के प्रयोजन से निम्न उदाहरण (Illustration) प्रस्तुत किया जा रहा है :

5.18 यदि ''बिलिंग त्रैमास'' माह ''जुलाई से सितम्बर'' माना जाए तो ''पिछले त्रैमास (preceding quarter)'' का तात्पर्य माह ''फरवरी से अप्रैल'' से होगा तथा मई तथा जून के महीनों की अवधि को आंकड़े/विवरणों को एकत्र करने तथा ईंधन लागत समायोजन प्रभार को अंतिम करने हेतु अनुज्ञेय किया जाएगा।

5.19 पीजीसीआईएल प्रणाली तथा एमपीपीटीसीएल प्रणाली हेतु मानदण्डीय हानियों से संबंधित विवरण तथा आयोग के टैरिफ आदेशों के अनुसार मानदण्डीय हानियों के विवरण निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका 94 : मानदण्डीय हानियां–पीजीसीआईएल, एमपीटीसीएल तथा वितरण हानियों के संबंध में

सरल क्रमांक	माह/वर्ष	पीजीआईएल हानियां *		एमपीटीसीएल हानियां**	वितरण हानियां***
		क्षेत्र	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत
1	नवम्बर, 2012	पश्चिम क्षेत्र	3.61%	3.74%	23.82%
		पूर्व क्षेत्र	2.69%		
2	दिसम्बर, 2012	पश्चिम क्षेत्र	3.61%	3.74%	23.82%
		पूर्व क्षेत्र	2.69%		
3	जनवरी, 2013	पश्चिम क्षेत्र	3.61%	3.74%	23.82%
		पूर्व क्षेत्र	2.69%		
4	फरवरी, 2013	पश्चिम क्षेत्र	3.61%	3.74%	23.82%
		पूर्व क्षेत्र	2.69%		
5	मार्च, 2013	पश्चिम क्षेत्र	3.61%	3.74%	23.82%
		पूर्व क्षेत्र	2.69%		
6	अप्रैल, 2013	पश्चिम क्षेत्र	3.65%	3.16%	21.80%

		पूर्व क्षेत्र	2.50%		
7	मई, 2013	पश्चिम क्षेत्र	3.65%	3.16%	21.80%
		पूर्व क्षेत्र	2.50%		
8	जून, 2013	पश्चिम क्षेत्र	3.65%	3.16%	21.80%
		पूर्व क्षेत्र	2.50%		
9	जुलाई, 2013	पश्चिम क्षेत्र	3.65%	3.16%	21.80%
		पूर्व क्षेत्र	2.50%		
10	अगस्त, 2013	पश्चिम क्षेत्र	3.65%	3.16%	21.80%
		पूर्व क्षेत्र	2.50%		
11	सितम्बर, 2013	पश्चिम क्षेत्र	3.65%	3.16%	21.80%
		पूर्व क्षेत्र	2.50%		
12	अक्टूबर, 2013	पश्चिम क्षेत्र	3.65%	3.16%	21.80%
		पूर्व क्षेत्र	2.50%		
13	नवम्बर, 2013	पश्चिम क्षेत्र	3.65%	3.16%	21.80%
		पूर्व क्षेत्र	2.50%		
14	दिसम्बर, 2013	पश्चिम क्षेत्र	3.65%	3.16%	21.80%
		पूर्व क्षेत्र	2.50%		
15	जनवरी, 2014	पश्चिम क्षेत्र	3.65%	3.16%	21.80%
		पूर्व क्षेत्र	2.50%		
16	फरवरी, 2014	पश्चिम क्षेत्र	3.65%	3.16%	21.80%
		पूर्व क्षेत्र	2.50%		
17	मार्च, 2014	पश्चिम क्षेत्र	3.65%	3.16%	21.80%
		पूर्व क्षेत्र	2.50%		

टीप : *पीजीसीआईएल हानियों (PGCIL Losses) : प्रतिशत पीजीसीआईएल हानि पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र द्वारा पृथक से प्रदान की गई जानकारी पर आधारित हैं।

**पारेषण हानियां : प्रतिशत मध्यप्रदेश पारेषण हानियां राज्य सीमा पर किये गये विद्युत आहरण पर आधारित हैं।

***वितरण हानियां : प्रतिशत वितरण हानियां विद्युत वितरण कम्पनियों की सीमा पर विद्युत के आहरण पर आधारित हैं।

ए–6 : सार्वजनिक आपत्तियां तथा अनुज्ञप्तिधारियों की याचिकाओं पर टिप्पणियां (Public Objections and Comments on Licensees' Petitions)

6.1 याचिकाकर्ताओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु विचारार्थ प्रस्तुत किये गये सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा विद्युत–दर प्रस्तावों को सुनवाई के लिये स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त इनकी प्रमुख विशिष्टताएं समाचार पत्रों में प्रकाशित की गईं। आयोग ने याचिकाकर्ताओं को विभिन्न हितधारकों से उनकी टिप्पणियां/आपत्तियां/सुझावों को आमंत्रित किये जाने बाबत उनके टैरिफ आवेदनों तथा प्रस्तावों की संक्षेपिका प्रकाशित किये जाने हेतु निर्देश दिये तथा इस हेतु अन्तिम तिथि 28 फरवरी, 2013 निर्धारित की। आयोग ने सार्वजनिक सुनवाईयों की तिथि तक प्राप्त की गई समस्त टिप्पणियों पर विचार किया है। आपत्तिकर्ताओं की सूची जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये विद्युत वितरण कम्पनियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/टैरिफ प्रस्तावों पर टिप्पणियां /आपत्तियां दाखिल की थीं, **परिशिष्ट–1** में संलग्न की गई है।

6.2 आयोग ने तत्पश्चात् एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसके माध्यम से इच्छुक हितधारकों को सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा विद्युत–दर (टैरिफ) प्रस्तावों के संबंध में उनके सुझाव/आपत्तियों व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष जन–सुनवाईयों के दौरान प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/टैरिफ प्रस्तावों पर प्राप्त की गई टिप्पणियों की संख्या निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 95 : प्राप्त की गई आपत्तियों की संख्या

स. क्रं.	विद्युत वितरण कंपनी का नाम	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ प्रस्तावों पर प्राप्त किये गये सुझाव/टिप्पणियां की संख्या
1	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि., जबलपुर	**19**
2	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., इंदौर	**51**
3	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., भोपाल	**20**
	योग	**90**

6.3 आयोग द्वारा निम्न कार्यक्रम के अनुसार जन–सुनवाई आयोजित की गईं :

तालिका 96 : आयोजित की गई जन–सुनवाईयां

स.क्र	विद्युत वितरण कम्पनी का नाम	जन सुनवाई की तिथि	सुनवाई स्थल
1.	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, जबलपुर	2 मार्च, 2013	''तरंग आडिटोरियम'' शक्ति भवन, जबलपुर
2.	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, भोपाल	5 मार्च, 2013	प्रशासन अकादमी सभागृह, 1100 क्वार्टर, भोपाल
3.	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, इन्दौर	8 मार्च, 2013	संतोष सभागृह, फिल्म भवन, रानी सती गेट के समीप, यशवन्त निवास मार्ग, इंदौर

जन–सुनवाई के दौरान, अधिकांश प्रतिवादियों ने विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित की गई विद्युत–दर (टैरिफ) में वृद्धि का विरोध किया। अधिकतर प्रतिवादियों का मत था कि तीन विद्युत वितरण कम्पनियों के असन्तोषजनक निष्पादन का मुख्य कारण उच्च वितरण हानियां थीं जिनमें शामिल थे विद्युत की चोरी तथा घरेलू एवं कृषि श्रेणियों में अमीटरीकृत संयोजनों को मीटरीकृत न किया जाना । प्रतिवादियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में घरेलू तथा कृषि संयोजनों के प्रकरणों में मीटरीकरण की शिथिल प्रगति के बारे में गंभीर चिन्ता व्यक्त की तथा उनका मत था कि उपभोक्ताओं की समस्त श्रेणियों के लिये शत प्रतिशत मीटरीकरण के क्रियान्वयन हेतु एक निश्चित तथा समयबद्ध योजना लागू की जाए क्योंकि मीटरीकरण का अभाव न केवल जोड़–तोड़ (manipulation) तथा समायोजन (adjustment) का अवसर प्रदान करता है वरन् अदक्षता को भी प्रोत्साहित करता है। घरेलू श्रेणी के कुछ प्रतिवादियों ने देयकों (बिलिंग) से संबंधित शिकायतों पर भी अपनी चिन्ता जतलाई तथा सूचित किया कि त्रुटिपूर्ण/दोषपूर्ण मापयन्त्रों के निर्धारित समय सीमा में न बदले जाने के कारण विद्युत वितरण कम्पनियां देयक आकलन (assessment) के आधार पर जारी करती हैं। घरेलू श्रेणी के अधिकांश प्रतिवादियों ने संभरक पृथक्करण परियोजना को पूर्ण न किये जाने पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिये प्रस्तावित 24 घंटे विद्युत प्रदाय पर विश्वसनीयता प्रभारों को आरोपित किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर अपना विरोध प्रकट किया। याचिकाकर्ताओं ने अपने टैरिफ प्रस्तावों में, निम्न दाब तथा उच्च दाब टैरिफ श्रेणी के अन्तर्गत सामान्य निबन्धन तथा शर्तों से संबंधित विभिन्न विषयों, जैस कि भारकारक गणना (load factor calculation)/प्रोत्साहन (incentives), ऊर्जा कारक प्रोत्साहन (power factor incentive) दिन के प्रकाश के समय विद्युत–दर छूट (TOD tariff rebate)/अधिभार (surcharge), आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार, विलंबित भुगतान अधिभार, आदि में भारी परिवर्तन किये जाने का अनुरोध किया है। उद्योगों के प्रतिनिधियों ने भी प्रस्तावित परिवर्तनों का विरोध किया।

6.4 विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण प्रक्रिया के एक भाग के अन्तर्गत राज्य सलाहकार समिति (State Advisory Committee) की बैठक आयोग कार्यालय में अनुज्ञप्तिधारियों के प्रस्तावों पर सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (AAR)/विद्युत–दर (टैरिफ) प्रस्तावों पर उनके विचार जानने हेतु दिनांक 27 फरवरी, 2013 को आयोजित की गई। विद्युत–दर आदेश को अन्तिम करते समय आयोग ने राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों के सुझावों पर यथोचित विचार किया है।

6.5 जबकि आयोग ने काफी बड़ी संख्या में सुझाव/आपत्तियों तथा टिप्पणियां प्राप्त की हैं आयोग ने सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/टैरिफ याचिका से संबंधित प्राप्त की गई प्रमुख प्रतिक्रियाओं/आपत्तियों पर यथोचित विचार भी किया है। आपत्तियों का समूहीकरण टिप्पणियों/आपत्तियों की प्रकृति के अनुसार किया गया है तथा इन्हें इस अध्याय में निम्न परिछेदों के अंतर्गत संक्षेप में दिया जा रहा है :

विषय क्रमांक 1 : रेलवे कर्षण विद्युत–दर (Railway Traction Tariff)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

भारतीय रेलवे ने अभ्यावेदन किया है कि रेलवे कर्षण विद्युत–दर में आगे और वृद्धि न की जाए तथा विद्युत वितरण कम्पनी के स्थाई तथा ऊर्जा प्रभारों में वृद्धि संबंधी प्रस्तावों को ठुकराते हुए रेलवे की वर्तमान विद्युत–दर को युक्तियुक्त स्तर पर लाया जाए। विशिष्ट प्रयोज्य वोल्टेज श्रेणी के लिये विद्युत प्रदाय की लागत को माना जाए।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

रेलवे के लिये प्रस्तावित विद्युत–दर अत्यन्त युक्तियुक्त है तथा यह आयोग द्वारा अनुमोदित प्रति राज्यानुदान (Cross-Subsidy) को घटाये जाने संबंधी मार्गदर्शिका (road map) से संरेखित है। विद्युत–दर में प्रस्तावित की गई नाममात्र की वृद्धि (marginal hike) मुद्रास्फीति की प्रतिपूर्ति के लिये किंचित ही पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता पुनः यह दर्ज कराना चाहता है कि रेलवे की नवीन परियोजनाओं के लिये पांच वर्षों की अवधि हेतु 10 प्रतिशत की विद्युत–दर की छूट वर्तमान याचिका में प्रस्तावित की गई है, जो निश्तिच रूप से एक अत्यन्त आकर्षक प्रस्ताव है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने आपत्तिकर्ता द्वारा उठाये गये मुद्दों पर यथोचित विचार किया है तथा विद्युत–दर का अवधारण समस्त सुसंबद्ध कारकों को दृष्टिगत करते हुए किया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु रेलवे कर्षण श्रेणी हेतु विद्युत–दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

विषय क्रमांक 2 : ऊर्जा लागत पर वोल्टेज की छूट (132 केवी/220 केवी विद्युत–प्रदाय पर)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

रेलवे के प्रतिनिधियों ने ऊर्जा प्रभारों के संबंध में आयोग को 132 केवी पर 4 प्रतिशत तथा 220 केवी पर 5 प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया है क्योंकि विद्युत आपूर्ति

132/220 केवी पर प्राप्त की जाती है तथा यह भी कि उनके संयोजनों के लिये विद्युत–दर का अवधारण करते समय वोल्टेजवार विद्युत प्रदाय की लागत (CoS) को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उनके द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि प्रति राज्यानुदान स्तरों को प्रतिराज्यानुदान मार्गदर्शिका के अनुसार रखा जाए।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

आयोग द्वारा इस विषय पर पूर्व में भी वित्तीय वर्ष 2009–10 के टैरिफ आदेश के अन्तर्गत विषय क्रमांक 4.22 (सी) (पृष्ठ 93) तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 के टैरिफ आदेश में विषय क्रमांक 3(बी) (पृष्ठ 89) पर चर्चा की जा चुकी है तथा निर्णय भी प्रसारित किया है। तथापि, अनुज्ञप्तिधारी ने नवीन कर्षण बिन्दुओं के लिये 10 प्रतिशत छूट दिये जाने का प्रावधान भी किया है।

आयोग का दृष्टिकोण

टैरिफ अवधारण के प्रयोजन हेतु मानी जा रही विद्युत प्रदाय की लागत समस्त वोल्टेज स्तरों पर विद्युत प्रदाय की औसत लागत के रूप में ली जा रही है। इसके अतिरिक्त, आयोग यथासंभव प्रतिराज्यानुदान (cross subsidy) को निरन्तर कम करता चला आ रहा है। यह सुनिश्चित करते हुए कि अनुदानित श्रेणियों की विद्युत–दर विकृत (distort) न हो जाए जिसका परिणाम आकस्मिक विद्युत–दर प्रघातों (sudden tariff shocks) के रूप में सामने आता है, आयोग तद्नुसार पूर्व वर्षों से संज्ञानपूर्वक रेलवे कर्षण का प्रतिराज्यानुदान कम करता चला आ रहा है।

विषय क्रमांक 3 : टैरिफ श्रेणी थोक आवासीय प्रयोक्ता (एचवी–6) तथा गैर–आवासीय (एलवी–2.2) में दर वृद्धि

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

भारतीय रेलवे ने विद्युत वितरण कम्पनी के टैरिफ श्रेणी थोक आवासीय प्रयोक्ता (Bulk residential users) (एचवी–6), गैर–औद्योगिक (Non-industrial) (एचवी–3) तथा गैर–घरेलू (Non-domestic) (एलवी–2.2) का यह उल्लेख करते हुए विरोध किया गया है कि यह यात्री–सुविधाओं की मदों, जैसे कि स्टेशन प्रकाश–व्यवस्था तथा स्टेशन जलप्रदाय व्यवस्था आदि पर पड़ने वाला प्रत्यक्ष आर्थिक बोझ है।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

प्रस्तावित विद्युत–दर प्रति–राज्यानुदान को कम किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका, जैसा कि इसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है, से संरेखित है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित की गई मामूली वृद्धि मुद्रास्फीति दर की लागत की पूर्ति हेतु पर्याप्त मात्र है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा इस विषय पर यथोचित विचार किया गया है तथा टैरिफ श्रेणियों, थोक आवासीय प्रयोक्ताओं (एचवी–6) तथा गैर–घरेलू (एलवी–2.2) विद्युत–दर का अवधारण सुसंबद्ध कारकों के साथ–साथ टैरिफ नीति के सुसंबद्ध उपबन्धों पर विचार करते हुए किया गया है।

विषय क्रमांक 4 : गहन विद्युत उद्योगों (Power Intensive Industries) हेतु विद्युत–दर में वृद्धि

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

मेसर्स ऑल इण्डिया इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन ने गहन विद्युत उद्योगों के लिये प्रस्तावित विद्युत–दर में वृद्धि का यह कहते हुए विरोध किया है कि 33 केवी तथा 132 केवी श्रेणी के अन्तर्गत एमएसपी/रोलिंग मिल उपभोक्ताओं हेतु किसी भी वृद्धि को सहन नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यह अनुरोध भी किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा उच्च दाब टैरिफ श्रेणी के अन्तर्गत सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में प्रस्तावित किये गये परिवर्तन, जैसा कि भारकारक गणना/प्रोत्साहन, ऊर्जा कारक प्रोत्साहन, टीओडी टैरिफ छूट/अधिभार, आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार, अधिभार का विलंबित भुगतान आदि को स्वीकार न किया जाये तथा इसके स्थान पर ऊर्जा कारक प्रोत्साहन आदि की दर में 98 प्रतिशत ऊर्जा कारक से अधिक हेतु वृद्धि की जानी चाहिए।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ता, आपत्तिकर्ता की चिन्ताओं से जो थोक उपभोक्ता भी हैं को पूर्णतया महत्व प्रदान करते हैं। तथापि, याचिकाकर्ताओं के वाणिज्यिक हित भी दांव पर लगे हैं। विद्युत–दर में प्रस्तावित वृद्धि युक्तिसंगत है तथा इसका रूपांकन धनात्मक व्यय की पूर्ति हेतु किया गया है। यहां इस तथ्य को प्रकाश में लाया जाना आवश्यक है कि गहन विद्युत उद्योग, जैसे कि इस्पात रोलिंग मिलें, इंडक्शन भट्टी (Induction furnace), फैरो–अलॉय को विद्युत की औसत लागत में कमी किये जाने बाबत विभिन्न प्रोत्साहनों का उल्लेखनीय लाभ मिलता है, जो कई बार तो विद्युत प्रदाय की औसत लागत से नीचे भी जा सकता है। आयोग से निवेदन किया गया कि

प्रोत्साहन संरचना का रूपांकन कुछ इस प्रकार किया जाए कि प्रभावी विद्युत–दर किन्हीं भी परिस्थितियों में विद्युत प्रदाय की औसत लागत से कम न हो। विद्युत अधिनियम, 2003 (यथा संशोधित) की धारा 61(डी) में भी इस तथ्य की प्रतिध्वनि मिलती है कि टैरिफ संरचना द्वारा सदैव विद्युत प्रदाय की औसत लागत पर विचार किया जाना चाहिए।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने श्रेणी एचवी 3.4 हेतु विद्युत–दर का अवधारण करते समय सुसंबद्ध कारकों पर विचार कर लिया है तथा तद्नुसार विद्युत–दर का अवधारण किया है। आयोग ने आपत्तिकर्ताओं द्वारा विद्युत–दर की निबंधनों तथा शर्तों में प्रस्तावित किये गये परिवर्तनों पर भी उचित तौर पर विचार कर लिया है।

विषय क्रमांक 5 : विलम्बित भुगतान अधिभार को सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में अर्जित राजस्व माना जाना चाहिए

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

कुछ प्रतिवादियों द्वारा मुद्दा उठाया गया कि विलंबित भुगतान अधिभार अर्जित किये गये राजस्व का एक भाग है तथा इसे सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में आय का एक भाग माना जाए। कुछ प्रतिवादियों ने विलम्बित भुगतान अधिभार की वर्तमान दर को एक प्रतिशत से बढ़ाकर 1.25 प्रतिशत किये जाने का भी विरोध किया है।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

निवेदन किया गया है कि विलम्बित भुगतान अधिभार अनिश्चित प्रकार के होते हैं, अतएव ऐसी प्राप्तियों का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विलम्बित भुगतान का तात्पर्य यह है कि उसे प्राप्त होने वाले राजस्व से वंचित रखा गया है तथा परिणामस्वरूप उसे वित्तीय संस्थाओं से उच्च ब्याज दर पर ऋण प्राप्ति के लिए बाध्य किया गया है। विलम्बित भुगतान अधिभार का ऋणों पर ब्याज के विरूद्ध क्षतिपूर्ति होने के कारण, इसे राजस्व का एक भाग नहीं माना जाना चाहिए।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग, विनियमों के अन्तर्गत दर्शाये गये कारणों से विलंबित भुगतान अधिभार के विरूद्ध प्राप्तियों को आय माने जाने के साथ–साथ अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कार्यकारी पूंजी पर अतिरिक्त

ब्याज को अनुज्ञेय न किये जाने के अपने आधार को यथावत रखता है। इसके अतिरिक्त, आयोग ने विलम्बित भुगतान अधिभार में प्रस्तावित की गई किसी वृद्धि पर विचार नहीं किया है।

विषय क्रमांक 6 : बिलिंग मांग को संविदा मांग (CD) के 75 प्रतिशत तक कम करना

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

उद्योगों/औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा सुझाव दिया गया कि न्यूनतम बिलिंग मांग को वर्तमान में प्रचलित संविदा मांग के 90% के विरूद्ध संविदा मांग का 75% रखा जाए, जैसा कि यह कुछ वर्ष पूर्व प्रचलित था। विद्युत वितरण कम्पनियों के इस प्रस्ताव पर कि बिलिंग मांग को आगामी उच्चतम अंक तक पूर्णांक किया जाए, के प्रति भी विरोध प्रकट किया गया।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ता यह महसूस करते हैं कि संविदा मांग में 10% का लचीलापन रखा जाना युक्तियुक्त तथा न्यायसंगत है। याचिकाकर्तागण मांग प्रभारों के माध्यम से स्थायी लागतों की मात्र आंशिक वसूली ही कर पाते हैं। अतएव, न्यूनतम बिलिंग मांग का 90% का आंकड़ा तर्कसंगत है। ऐसा महसूस किया जाता है इससे अगले उच्चतम अंक तक पूर्णांक किया जाने का प्रभाव निश्चित तौर पर नाममात्र का ही होगा। अतएव, याचिकाकर्ता महसूस करते हैं कि विद्यमान उपबन्ध नियमानुकूल है क्योंकि अनुज्ञप्तिधारी का अन्तिम उद्देश्य समग्र रूप से संतुलित राजस्व प्राप्त करना है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग का दृष्टिकोण है कि विद्यमान उपबन्धों में किसी प्रकार का परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

विषय क्रमांक 7 : ईंधन लागत समायोजन को शीर्ष 'ईंधन अधिभार' के अन्तर्गत रखा जाए

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

उद्योगों/औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया है कि ईंधन लागत समायोजन (Fuel Cost Adjustment) की वसूली को ऊर्जा देयकों में शीर्ष ईंधन अधिभार (Fuel Surcharge) के अन्तर्गत दर्शाया जाए तथा इसे ऊर्जा प्रभारों (energy charges) के भाग के रूप में न माना जाए ताकि विद्युत अभिकर (electricity duty) के भुगतान के बोझ से बचा जा सके।

आयोग का दृष्टिकोण

ईंधन लागत समायोजन को ईंधन लागतों में वृद्धि के कारण आरोपित किया जाता है तथा निश्चित रूप से ऊर्जा प्रभार का एक भाग है जैसा कि इसे ईंधन लागत समायोजन (FCA) के अध्याय में स्पष्टतया निर्दिष्ट किया गया है। अतएव, इसके संव्यवहार को ऊर्जा प्रभार से असंबद्ध नहीं किया जा सकता है। अतएव, आयोग ने इस सुझाव को नहीं माना है।

विषय क्रमांक 8 : बाह्य शीर्ष छूट (off peak rebate) हेतु दिवस के समय (Time of Day) प्रोत्साहन को समाप्त करना तथा शीर्ष भार अधिभार में वृद्धि करना

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने आपत्ति दर्ज की है कि प्रस्तावित विद्युत–दर में बाह्य शीर्ष भार अवधि (off peak load period) (रात्रि 10 बजे से आगामी दिवस प्रातः 6 बजे तक) के दौरान 7.5 प्रतिशत के देय प्रोत्साहन को समाप्त किया जाए। इसी प्रकार शीर्ष भार अवधि, अर्थात् सांय 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक के शीर्ष भार हेतु, सामान्य दर पर 30 प्रतिशत अधिभार प्रस्तावित किया गया है। यह सुझाव भी दिया गया कि बाह्य शीर्ष अवधि के लिये दिवस के समय (Time of Day) का प्रोत्साहन तथा शीर्ष भार अवधि के लिये अधिभार को वर्तमान स्तर पर क्रमशः 7.5 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत रखा जाए। कुछ प्रतिवादियों का यह विचार था कि यह युक्तिसंगत होगा यदि बाह्य शीर्ष छूट में आगे शीर्ष भार अधिभार के स्तर तक औसत वृद्धि कर दी जाए ताकि बाह्य शीर्ष घंटों के दौरान उद्योग सस्ती दर पर विद्युत प्राप्त कर सकें।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

एक सबसे बड़ी चुनौती जिसका विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा सामना किया जा रहा है वह सांयकालीन तथा देर रात्रि के शीर्ष भारों में समानता (flatten) लाने से है। अतएव, पिछले टैरिफ आदेश में सांयकालीन शीर्ष उपयोग के लिये 15 प्रतिशत अधिभार का प्रावधान किया गया था। तथापि, एक अनुपूरक कार्यवाही के रूप में, जो वर्तमान में वांछनीय नहीं है, 7.5 प्रतिशत की दर से ऐसे उपभोक्ताओं को छूट प्रदान की गई थी जो बाह्य–शीर्ष घंटों, अर्थात् रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक विद्युत का आहरण करते हैं। इसके अतिरिक्त, शीर्ष रात्रि मांग रात्रि एक बजे से चार बजे तक विशेषकर रबी के मौसम में घटित होती है। इस प्रकार यह स्वाभाविक है कि मुख्य भार को रात्रिकालीन घंटों में अन्तरित नहीं किया जा सकता है। अतः आयोग से अनुरोध है कि दिवस के समय अधिभार (ToD Surcharge) पर प्रस्तावित विद्युत–दर को अनुमोदित किया जाए।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने दिवस के समय (टाईम ऑफ डे) अधिभार को केवल 4 घंटों *(सांय 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक)* के लिये तथा छूट को 8 घंटों *(रात्रि 10 बजे से आगामी दिवस प्रातः 6 बजे तक)* हेतु ही निर्धारित किया है। आयोग को इस संबंध में अधिभार अथवा दी जा रही छूट की दर में और आगे कोई परिवर्तन करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता।

विषय क्रमांक 9 : विनियामक परिसम्पतियों की स्थापना

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

विभिन्न समूहों/औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी चिन्ता जतलाई है कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित विनियामक परिसम्पत्तियों की स्थापना वित्तीय कुप्रबंधन का द्योतक है तथा विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

आयोग को विनियामक परिसम्पत्तियों की स्थापना हेतु अनुरोध मूलतः उपभोक्ताओं को टैरिफ प्रघात से बचाने हेतु किया गया है। यदि आयोग समग्र रूप से सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) को खुदरा विद्युत–दर के माध्यम से अनुज्ञेय करता है, तो इस कदम का स्वागत किया जाएगा।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने विद्युत–दर का पुनरीक्षण सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/राजस्व आवश्यकता के सदृश किया है जो पूर्णतया स्वीकार्य लागतों की पूर्ति करता है। अतएव, विनियामक परिसम्पत्तियों को प्रावधानित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

विषय क्रमांक 10 : आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभारों में वृद्धि

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

उद्योगों तथा औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उच्चदाब तथा निम्नदाब श्रेणी के अन्तर्गत स्थाई तथा ऊर्जा लागत पर अतिरिक्त मांग प्रभारों में प्रस्तावित वृद्धि का विरोध किया। यह अनुरोध भी किया गया कि अतिरिक्त प्रभार केवल स्थायी प्रभारों पर लिये जाएं तथा कोई तत्संबंधी ऊर्जा प्रभारों की बिलिंग नहीं की जानी चाहिए क्योंकि आधिक्य मांग का किसी इकाई की खपत के साथ कोई संबंध नहीं होता।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ता महसूस करते हैं कि उपभोक्ताओं द्वारा उनसे अपेक्षित किया गया अनुशासन कायम रखा जाना चाहिए। इसके अलावा भी, यदि उपभोक्ता बारंबार संविदा मांग (CD) में वृद्धि नहीं करता है तो उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ अत्यधिक नहीं हो सकता है। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील क्रमांक 8859/2011 के अन्तर्गत 20 अक्टूबर, 2011 को प्रसारित निर्णय में व्यवस्था दी है कि *''आधिक्य भार विद्युत अधिनियम की धारा 126 के अन्तर्गत आता है।''*

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने संविदा मांग से आधिक्य को अभिलिखित करते समय मांग पर अतिरिक्त प्रभारों के संबंध में निर्णय लेते समय समस्त कारकों पर विचार कर लिया है तथा विद्यमान प्रावधानों में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं मानता।

विषय क्रमांक 11 : घरेलू श्रेणी में विद्युत–दर (टैरिफ) वृद्धि तथा घरेलू श्रेणी हेतु खण्डों (Slabs) में कमी किये जाने बाबत

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

घरेलू उपभोक्ताओं तथा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने घरेलू श्रेणी में प्रस्तावित विद्युत–दर में वृद्धि का विरोध किया। सुझाव दिया गया कि घरेलू विद्युत–दर विद्युत–प्रदाय की लागत से अधिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि घरेलू श्रेणी से अन्य श्रेणियों को प्रति–अनुदानित (cross-subsidize) किये जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। कुछ आपत्तिकर्ताओं ने यह सुझाव दिया कि घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत खण्डों की संख्या घटा कर केवल दो कर दी जाए, अर्थात् 0 से 30 यूनिट तक तथा द्वितीय 30 यूनिट से अधिक हेतु एक समान प्रभारों के साथ। इस पहल के द्वारा बिलिंग पर आने वाली लागत, मीटर रीडिंग में संभावित धोखाधड़ी (manipulation) तथा संबंधित कदाचारों से बचा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, स्थाई प्रभारों के अवधारण हेतु दिये गये तर्कों का कुछ घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा विरोध किया गया।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

अनुज्ञप्तिधारी खण्डों (स्लैब) की संख्या में बारंबार परिवर्तन प्रस्तावित किये जाने के पक्ष में नहीं है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने आपत्तिकर्ताओं के सुझावों पर विचार किया। आयोग का मत है कि घरेलू श्रेणियों हेतु बारंबार परिवर्तन किये जाना वांछनीय नहीं है। इस श्रेणी के लिये विद्युत–दर का अवधारण निम्न दाब उद्योग श्रेणियों के अन्तर्गत उचित तौर पर समस्त सुसंबद्ध कारकों पर यथोचित विचार करते हुए किया गया है।

विषय क्रमांक 12 : मांग आधारित निम्न दाब औद्योगिक विद्युत–दर के प्रकरण में संयोजित उच्चतम भार के प्रावधान को हटाया जाना

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने टैरिफ श्रेणी एलवी–4 हेतु संयोजित भार की उच्चतम सीमा को हटाये जाने का अनुरोध किया है क्योंकि निम्नदाब उद्योग श्रेणियों के अन्तर्गत अधिकांश उपभोक्ताओं को द्विभाग मापयन्त्र (two part meters) प्रदान किये जाते हैं जिनके द्वारा मांग तथा ऊर्जा को अभिलेखित किया जाता है। मांग मापयन्त्रों की स्थापना किये जाने पर संयोजित भार विद्युत–दरों का अनुप्रयोग न तो युक्तिसंगत है तथा न ही स्वीकारयोग्य। कुछ प्रतिवादियों द्वारा सुझाव दिया गया कि टैरिफ–खण्ड (Slabs) संविदा मांग से संबद्ध होने चाहिए न कि वाई–फाई योग्य एएमआर मीटरों को स्थापित किये जाने पर।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

ऐसे प्रकरणों में जहां उपभोक्ताओं की वास्तविक मांग, उनकी संविदा मांग से उल्लेखनीय रूप से अधिक हो जाती है, वहां संयोजित भार पर उच्चतम सीमा को हटाया जाना तकनीकी तौर पर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रणाली भारों के हस्तालन (handling) हेतु उचित तौर पर सुसज्जित नहीं है। अनुज्ञप्तिधारी में अधिकतम संभव भार जो उसकी प्रणाली हेतु किन्हीं असामान्य परिस्थितियों तथा अर्हताओं के लिये आनुषंगिक हैं, का सही आकलन तथा नियंत्रण किये जाने का सामर्थ्य होना चाहिए।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने संविदा मांग आधारित विद्युत–दर धारित करने वाले निम्न दाब औद्योगिक उपभोक्ताओं के प्रकरण में संयोजित भार की उच्चतम सीमा को हटाये जाने संबंधी अनुरोध के बारे में पुनर्विचार किया है। आयोग ने निम्नदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं के सुझावों पर विचार किया है तथा तद्नुसार एलवी–4 श्रेणी में संयोजित भार की उच्चतम सीमा को समाप्त कर दिया है। इसकी पृष्ठभूमि में मूलाधार (rational) की व्याख्या ''खुदरा विद्युत–दर रूपांकन'' अध्याय में की गई है।

विषय क्रमांक 13 : घरेलू स्वीकृत भार का 10 प्रतिशत उपयोग गैर–घरेलू प्रयोजन हेतु अनुज्ञेय किये जाने बाबत

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

कुछ घरेलू उपभोक्ताओं तथा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने अनुरोध किया कि घरेलू श्रेणी के संबंध में, 10 प्रतिशत भार को गैर–घरेलू प्रयोजन हेतु अनुज्ञेय किया जाए। ऐसे उपाय स्वरोजगार तथा आजीविका के साधनों को बढ़ावा देने में सहायक होंगे विशेषकर ऐसी महिलाओं /गृहणियों के लिये जो नियोजन के लिये घर से बाहर जाने में असमर्थ हैं।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

प्रतिवादियों द्वारा उल्लेखित उपरोक्त प्रावधान वित्तीय वर्ष 2008–09 तक प्रचलन में था। तथापि, आयोग द्वारा इस प्रावधान के दुरूपयोग संबंधी शिकायतें पाये जाने पर इसे वापस ले लिया गया था।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग अनुज्ञप्तिधारियों के विचारों से सहमत है। इसके अलावा, किसी विशिष्ट उपभोक्ता श्रेणी के उपयोग के प्रयोजन हेतु घरेलू संयोजन का प्रयोग किया जाना उपयुक्त न होगा।

विषय क्रमांक 14 : ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा में परिवर्तन किया जाना

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

विभिन्न औद्योगिक संगठनों तथा उद्योगों के प्रतिनिधियों ने विद्युत वितरण कम्पनी की निम्न दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों से संबद्ध ''ग्रामीण क्षेत्र'' संबंधी परिभाषा के परिवर्तन के संबंध में प्रस्ताव का विरोध किया तथा निवेदन किया कि मप्र शासन की अधिसूचना क्रमांक

2010/एफ13/0513/2006 दिनांक 25 मार्च, 2006 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–13 के विद्युत दर (टैरिफ) आदेश की कंडिका एक में निम्न दाब उपभोक्ताओं की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में उल्लेखित ग्रामीण क्षेत्रों की परिभाषा को जारी रखा जाए।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

ग्रामीण क्षेत्र के बारे में जारी टैरिफ आदेशों में दी गई परिभाषा से अनुज्ञप्तिधारी के लिए व्यावहारिक कठिनाईयां उत्पन्न हो रही है। अतएव, इस विषय के अन्तर्गत याचिकाकर्ता ने दाखिल की गई याचिका में भिन्न परिभाषा का प्रस्ताव दिया है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग अभी भी अपने इस विचार पर कायम है कि इस संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के उपबन्धों के परिप्रेक्ष्य में किसी परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इस विषय को पूर्व टैरिफ आदेशों के अन्तर्गत भी संव्यवहारित किया जा चुका है।

विषय क्रमांक 15 : शीत गृह (Cold Storage) विद्युत–दर में छूट

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

शीत–गृह संघों के प्रतिनिधियों ने अनुरोध किया है कि शीत–गृह को कृषि श्रेणी के अन्तर्गत माना जाए तथा कृषि हेतु प्रयोज्य विद्युत–दर इस श्रेणी पर भी लागू की जाए।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

उल्लेखनीय है कि शीत–गृहों का संचालन वाणिज्यिक आधार पर किया जाता है क्योंकि ये अपने उपभोक्ताओं को प्रदाय की जा रही सेवा हेतु उन्हें प्रभारित करते हैं। अतएव, श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रकट किये गये विचारों से सहमत है तथा वह आपत्तिकर्ताओं के सुझावों को स्वीकार करने में असमर्थ है।

विषय क्रमांक 16 : अस्थाई कृषि संयोजनों के लिए अग्रिम भुगतान की अवधि को घटाना

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

कृषि संघों के प्रतिवादियों ने वर्तमान में अस्थाई संयोजनों के लिये अग्रिम भुगतान हेतु तीन माह के प्रावधान को घटा कर एक माह किये जाने का अनुरोध किया है।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2012–13 के टैरिफ आदेश के माध्यम से प्रावधान किया है कि ऐसे उपभोक्ता जो कृषि कार्यों के लिये अस्थाई विद्युत प्रदाय के लिये विकल्प प्रस्तुत करते हैं, को अग्रिम रूप से तीन माह की अग्रिम राशि का भुगतान करना होगा, जिसमें वे उपभोक्ता भी शामिल हैं जो केवल एक माह के लिये संयोजन प्राप्त करने का आवेदन करते हैं जिसकी समयावधि का विस्तार समय–समय पर पुनर्भरण (replenishment) के अध्यधीन किया जाएगा तथा जिसका समायोजन संयोजन के विच्छेद के उपरान्त अन्तिम देयक में किया जाएगा।

आयोग का दृष्टिकोण

सम्पूर्ण प्रक्रिया के अध्ययन के बाद ही, आयोग ने यह निर्णय लिया था कि कृषि कार्यों के लिये अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु तीन माह की अस्थाई अग्रिम राशि जमा कराई जाए। तथापि, ऐसे प्रकरण में जहां उपभोक्ता तीन माह से कम अवधि में विद्युत प्रदाय को बन्द करने का इच्छुक है, वहां प्रत्यर्पण राशि (refund) के भुगतान की व्यवस्था निर्दिष्ट समय सीमा के अन्तर्गत की जाए। सम्प्रति इस उपबन्ध में परिवर्तन किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

विषय क्रमांक 17 : कृषि श्रेणी में विद्युत–दर वृद्धि

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

कृषि उपभोक्ताओं ने कृषि संयोजनों के संबंध में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत–दर में प्रस्तावित वृद्धि के विरूद्ध आपत्तियां दर्ज कीं तथा वर्तमान विद्युत–दर में आगे और कमी किये जाने का भी अनुरोध किया।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विद्युत वितरण कम्पनी ने निवेदन किया कि टैरिफ नीति के उपबन्धों के अनुसार, प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी हेतु विद्युत–दर उक्त विशिष्ट श्रेणी की विद्युत की लागत के अनुरूप होनी

चाहिए तथा यह भी कि प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी द्वारा उक्त विशिष्ट श्रेणी हेतु औसत विद्युत लागत की कीमत का न्यूनतम 80% वित्तीय भार वहन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रभावशाली मीटरिंग की व्यवहार्यता (feasibility), कृषि क्षेत्र में एक गंभीर बाधा है जिसे व्यवहार में लाना काफी कठिन कार्य है। ऐसे में कृषि बाहुल्य वितरण ट्रांसफार्मरों पर मापयन्त्र स्थापित किये जा रहे हैं।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने कृषि विद्युत–दर को अन्तिम करते समय आपत्तिकर्ताओं के सुझावों तथा अनुज्ञप्तिधारियों की प्रतिक्रिया के साथ–साथ टैरिफ नीति के प्रावधानों को भी विचार में रखा है।

विषय क्रमांक 18 : दूरसंचार सेवा प्रदायकों हेतु विद्युत–दर (टैरिफ)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

दूरसंचार सेवा प्रदायकों (Telecom Service Providers) के प्रतिनिधियों ने याचिकाकर्ताओं द्वारा गैर–घरेलू विद्युत–दर श्रेणी (एलवी–2) में प्रस्तावित वृद्धि का विरोध किया तथा अनुरोध किया कि वित्तीय वर्ष 2012–13 के खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित दूरसंचार अधोसंरचना के लिये ऊर्जा प्रभारों में प्रदान की गई छूट को जारी रखा जाए। यह अनुरोध भी किया गया कि दूरसंचार सेवाओं को अत्यावश्यक अधोसंरचना सेवा माना जाए तथा इसके लिये पृथक श्रेणी की संरचना भी की जाए।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

वर्तमान में टैरिफ संरचना के अन्तर्गत ''अधोसंरचना सेवा प्रदायक (Infrastructure Service Providers)'' के नाम से कोई श्रेणी प्रचलित नहीं है। तथापि, कोई भी स्थापना जिसमें अधोसंरचना सेवा प्रदायक भी शामिल है, तथा जिनके द्वारा सेवा कर का भुगतान किया जाता है, गैर–घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग आपत्तिकर्ता द्वारा दिये गये दूरभाष सेवा प्रदायकों को औद्योगिक श्रेणी में स्थानांतरित करने में या फिर उनके लिये नवीन श्रेणी को लागू करने संबंधी सुझाव से सहमत नहीं है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2011–12 से ग्रामीण श्रेणी में दूरसंचार अधोसंरचना के विस्तार को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने के उद्देश्य से ऐसे उपभोक्ताओं हेतु ऊर्जा प्रभारों में समुचित छूट प्रदान की जा रही है जिसे इस वर्ष के दौरान भी जारी रखा जा रहा है।

विषय क्रमांक 19 : न्यूनतम खपत प्रभारों के प्रावधान को समाप्त करना

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

विभिन्न उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा मांग की गई है कि विद्युत वितरण कम्पनियों की निम्न दाब/उच्च दाब श्रेणियों हेतु टैरिफ न्यूनतम यूनिट प्रभारों की वसूली की जाए क्योंकि विद्युत वितरण कम्पनियां ऊर्जा प्रभारों की वसूली टैरिफ न्यूनतम यूनिटों से कहीं अधिक दर पर कर रही हैं।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

जैसा कि आपत्तिकर्ताओं द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है, टैरिफ न्यूनतम खपत/प्रभारों को समाप्त किये जाने संबंधी आपत्तिकर्ताओं द्वारा किये गये अनुरोध को स्वीकार न किया जाए क्योंकि यह प्रावधान टैरिफ संरचना का मुख्य भाग होता है तथा यह भी कि यह प्रावधान उपभोक्ता द्वारा कम्पनी के साथ निष्पादित की गई संविदा/अनुबंध से संबद्ध होता है जिसके अनुसार कम्पनी संविदा मांग हेतु विद्युत प्रदाय सुविधा का विस्तार करने हेतु बाध्य तथा प्रतिबद्ध होती है तथा इसके लिये उसे आवश्यक अधोसंरचना विकसित करनी होती है तथा आवश्यक भार के लिये सुसंगत प्रावधान भी करने होते हैं। अतएव, न्यूनतम प्रभार संबंधी प्रावधानों को टैरिफ में जारी रखा जाना आवश्यक है तथा इसे कम्पनी द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार अनुज्ञेय किया जाए।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग का मत है कि यदि स्थाई प्रभारों की वसूली पूर्णतया स्थाई लागत के माध्यम से की जाती है तो सामान्यतः इन्हें उपभोक्ताओं से वसूल नहीं किया जाना चाहिए। परन्तु, यदि स्थाई प्रभार काफी न्यून स्तर के हों तो कुछ उपभोक्ता श्रेणियों हेतु न्यूनतम प्रभारों को अधिरोपित करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं रह जाता ताकि राजस्व का सन्तुलन बना रहे। यदि अनुज्ञप्तिधारियों के स्थाई प्रभारों की वसूली पूर्ण तथा आनुपातिक स्थाई प्रभारों के रूप में की जाती है तो इसका परिणाम विद्युत–दर विकृति (tariff distortion) के रूप में सामने आ सकता है, जो उपभोक्ताओं के लिये वांछनीय नहीं होगा। यहां यह भी उल्लेख किया जाता है कि यदि खपत का स्तर न्यूनतम प्रभारों की मानदण्डीय अवसीमा (threshold) के अन्तर्गत हो तो ऐसी दशा में केवल वास्तविक खपत प्रभारों की ही वसूली हो पाती है।

विषय क्रमांक 20 : कृषि आधारित उद्योगों के लिये पृथक विद्युत–दर श्रेणी

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

कृषि आधारित उद्योग, जैसे कि गिनिंग, प्रेसिंग, तेल मिल, चावल मिल, बेसन मिल, मैदा मिल तथा आटा मिल आदि इकाईयों के लिये उच्चदाब तथा निम्नदाब श्रेणी की पृथक विद्युत दरें लागू किये जाने का अनुरोध किया गया। इस श्रेणी के अन्तर्गत स्थाई प्रभारों की बिलिंग न की जाए।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

मप्रविनिआ द्वारा विभिन्न श्रेणियों हेतु विद्युत–दरें विभिन्न कारकों पर विचार करते हुए टैरिफ नीति के उपबन्धों से संरेखित नियत की जाती हैं। मौसमी उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ संरचना मप्रविनिआ द्वारा आमजन के दृष्टिकोण तथा ऐसे उद्योगों की खपत पर विचार करते हुए निर्धारित की गई थी।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा विद्युत–दर को अन्तिम करते समय आपत्तिकर्ताओं के सुझावों तथा अनुज्ञप्तिधारियों के दृष्टिकोण पर विचार किया गया तथा उसके द्वारा वर्तमान प्रावधानों के किसी परिवर्तन पर विचार नहीं किया गया है। आयोग आगे श्रेणियों की संख्या में और अधिक वृद्धि किये जाने के पक्ष में नहीं है।

विषय क्रमांक 21 : उच्च दाब उद्योगों हेतु विद्युत कारक प्रोत्साहन

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

उद्योगों/औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा सुझाव दिया गया कि उच्च दाब टैरिफ श्रेणी के अन्तर्गत पावर फैक्टर (power factor) खण्ड 98 प्रतिशत से 99 प्रतिशत के बीच ऊर्जा कारक प्रोत्साहन वर्तमान में लागू 5 प्रतिशत से घटाकर 4.5 प्रतिशत तथा 99 प्रतिशत से अधिक पावर फैक्टर खण्ड को 7 प्रतिशत से घटा कर 6 प्रतिशत किये जाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार न किया जाए तथा इसके विपरीत 98 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा कारक संधारित किये जाने पर प्रोत्साहनों में वृद्धि की जाए। इसके अतिरिक्त, उच्च दाब श्रेणी हेतु ऊर्जा कारक प्रोत्साहन वर्तमान में लागू 0.95 के स्थान पर 0.90 से अधिक रखे जाने पर प्रदान किया जाए।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

आपत्तिकताओं द्वारा व्यक्त किये गये विचार स्वीकारयोग्य नहीं हैं क्योंकि इसके क्रियान्वयन से विद्युत प्रणाली की स्थिरता प्रभावित होगी। एक उच्चदाब उपभोक्ता विद्युत प्रणाली से थोक मात्रा में विद्युत की खपत करता है। अतएव, उसके द्वारा प्रणाली से 90 प्रतिशत ऊर्जा कारक पर ही विद्युत का आहरण किया जाना चाहिए। इसे प्राप्त न किये जाने की दशा में उसे न्यून ऊर्जा कारक की प्राप्ति किये जाने पर अर्थदण्ड द्वारा दण्डित किया जाता है। इसके अलावा, विद्युत वितरण कम्पनी को 95 प्रतिशत स्तर पर ऊर्जा कारक संधारित करना होता है। अतएव, ऊर्जा कारक 95 प्रतिशत से नीचे गिर जाने पर आरोपित किये जाने वाला अर्थदण्ड न्यायोचित है।

आयोग का दृष्टिकोण

उपभोक्ताओं पर ऊर्जा कारक अर्थदण्ड प्रदान करने अथवा ऊर्जा कारक प्रोत्साहन प्रदान किये जाने संबंधी विचार को समुचित समय के अन्तर्गत विधिवत सोच–विचार के उपरान्त ही विकसित किया गया है। इस संबंध में आयोग विद्यमान उपबन्धों में किसी प्रकार के परिवर्तन पर विचार किया जाना उचित नहीं समझता।

विषय क्रमांक 22 : अस्थाई विद्युत प्रदाय को सामान्य प्रभारों के 1.1 गुना से अधिक प्रभारित न किया जाए

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने विद्युत वितरण कम्पनियों के अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों को वर्तमान में निम्न दाब तथा उच्च दाब की समस्त श्रेणियों हेतु प्रयोज्य वर्तमान सामान्य प्रभारों को 1.3 गुना के स्थान पर सुसंबद्ध श्रेणी हेतु 1.5 गुना दर पर बिलिंग किये जाने संबंधी प्रस्ताव का विरोध किया है। सुझाव दिया गया कि समस्त श्रेणियों हेतु अस्थाई प्रभार का सामान्य प्रभारों के 1.1 गुना से अधिक प्रभारित न किया जाए। यह सुझाव भी दिया गया है कि निम्न दाब अस्थाई विद्युत प्रदाय के प्रकरणों में, स्वीकृत भार/संयोजित भार को वर्तमान 100 अश्वशक्ति से बढ़ाकर 150 अश्वशक्ति कर दिया जाए।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

अस्थाई उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी को स्थाई राजस्व प्रवाह प्रदान नहीं करते हैं तथा जब दीर्घकालीन विद्युत क्रय अनुबंधों से विद्युत उपलब्धता संभव नहीं होती है तो कई बार अस्थाई सयोजनों हेतु विद्युत विनिमय केन्द्रों (Power exchanges) से विद्युत प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है जिसकी दर अपेक्षाकृत अत्यधिक होती है। अतएव, सामान्य दर की 1.5 गुना प्रस्तावित

दर काफी युक्तियुक्त है। एक ऐसी सुविधा हेतु, जिसे सामान्य तौर पर तत्काल प्रदान किया जाता है, अस्थाई विद्युत प्रदाय की क्षतिपूर्ति हेतु 1.1 गुना की दर पर्याप्त प्रतीत नहीं होती।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने समस्त सुसंबद्ध कारकों पर विचार करते हुए अस्थाई संयोजन की बिलिंग दर को स्थाई संयोजनों की दर का 1.3 गुना दर पर किये जाने का प्रावधान किया है।

विषय क्रमांक 23 : स्वतंत्र विशेषज्ञों के माध्यम से आकड़ों का वैधीकरण कराया किया जाना

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने यह सुझाव दिया है कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा टैरिफ प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये आंकड़ों का वैधीकरण (Validation) स्वतंत्र विशेषज्ञों के एक दल के माध्यम से कराये जाने की आवश्यकता है।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा निवेदन किया गया कि आयोग ने इस विषय पर पूर्व में भी विचार किया था तथा उनके द्वारा तृतीय पक्ष द्वारा आंकड़ों का वैधीकरण किये जाने का समर्थन नहीं किया गया था। इस संबंध में, आपत्तिकर्ता मप्र इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्यूमर सोसायटी, इन्दौर द्वारा दायर की गई याचिका क्रमांक 80/07 में आयोग द्वारा पारित आदेश का अवलोकन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार का वैधीकरण एक समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया मात्र होगी तथा अन्तिम रूप से निरर्थक सिद्ध होगी क्योंकि वर्तमान में अनुसरण की जा रही प्रक्रिया में वैधीकरण, आपत्तियां/सुझावों के अभिलेखन तथा वांछित पारदर्शिता हेतु पर्याप्त अवसर विद्यमान हैं।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग इस विषय पर विद्युत वितरण कम्पनियों के दृष्टिकोण से सहमत है तथा यहां स्पष्ट कर देना चाहता है कि विद्युत–दर के अवधारण में विद्युत अधिनियम, 2003 में निर्धारित की गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जा रहा है।

विषय क्रमांक 24 : अति उच्चदाब/ उच्चदाब श्रेणी हेतु दरों का युक्तियुक्तकरण किया जाना

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

उद्योगों के प्रतिनिधियों ने अति उच्चदाब/उच्चदाब श्रेणी हेतु भेदमूलक (discriminatory) विद्युत–दर में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव का यह कहते हुए विरोध किया है कि अति उच्चदाब/ उच्चदाब उपभोक्ता न्यूनतम प्रणाली हानियों के प्रति योगदान करने के बावजूद विद्युत प्रदाय की औसत लागत की तुलना में अभी भी उच्च लागतों का भुगतान कर रहे हैं। सुझाव दिया गया कि विद्युत–दर संरचना (tarrif structure) का युक्तियुक्तकरण किया जाए जिसके अनुसार विद्युत–दर द्वारा किसी विशिष्ट उपभोक्ता श्रेणी हेतु विद्युत प्रदाय की सही लागत प्रतिबिंबित की जा सके।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

टैरिफ नीति के अनुसार, विद्युत–दर के अवधारण तथा प्रति सहायतानुदान (Cross subsidy) हेतु विद्युत प्रदाय की समग्र लागत पर विचार करना होता है न कि वोल्टेज स्तरवार या श्रेणीवार विद्युत प्रदाय की लागत पर।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने विद्युत–दर हेतु स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों का अवधारण करते समय समस्त घटकों के साथ–साथ प्रति राज्यानुदान मार्गदर्शिका (Cross Subsidy Roadmap) के प्रावधानों पर भी विचार किया है। आयोग ने अपनी ओर से यथासंभव राज्यानुदान स्तरों को मार्गदर्शिका में दर्शाये गये स्तरों के आसपास रखे जाने का सचेत प्रयास किया है तथा पूर्व वर्षों से भी निरन्तर प्रतिराज्यानुदान के बोझ को कम करता चला आ रहा है।

विषय क्रमांक 25 : शॉपिंग मॉल श्रेणी हेतु विद्युत–दर में वृद्धि का विरोध किया गया

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

शॉपिंग मॉलों को ''थोक प्रयोक्ताओं (Bulk users)'' के अनुरूप माना जाए तथा प्रयोज्य विभिन्न प्रयोक्ताओं की सहमति से विद्युत–दर श्रेणी एचवी–6 तथा एचवी–7 के अनुरूप इन्हें भी थोक विद्युत प्रदाय के मिश्रित भार वाले विभिन्न उपभोक्ताओं की ही भांति उचित छूट प्रदान की जाए।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

एचवी 3.3 विद्युत–दर, जो शॉपिंग माल हेतु लागू की गई है, उक्त श्रेणी हेतु निम्न प्रयोज्य दाब विद्युत–दर से कम है। इसके अतिरिक्त, एचवी–6 तथा एचवी–7 के अंतर्गत विद्युत प्रदाय का उद्देश्य अन्तिम छोर उपयोग श्रेणी एचवी–3.3 से अलग है। अतएव, आपत्तिकर्ता का तर्क न्यायसंगत नहीं है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने शॉपिंग मॉल की विद्युत–दर का अवधारण करते समय आपत्तिकर्ताओं की आपत्तियों/सुझावों तथा विद्युत वितरण कम्पनियों के दृष्टिकोण पर यथोचित विचार किया है।

विषय क्रमांक 26 : ग्रामीण संभरक के माध्यम से विद्युत प्रदाय हेतु छूट प्रदान करना

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया है कि मांग तथा ऊर्जा प्रभारों की विद्युत–दर पर 15 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाए। यह सुझाव भी दिया गया है कि घोषित किये गये ग्रामीण संभरक (फीडर) ऐसे संभरक होने चाहिए जिन्हें अति उच्चदाब (EHV) उपकेन्द्र (केवल 132 केवी या इससे अधिक) से ग्रामीण संभरक (33 केवी तथा 11 केवी) घोषित किया जाना प्रस्तावित है।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विद्युत वितरण कम्पनियों ने निवेदन किया कि आपत्तिकर्ताओं का ग्रामीण संभरक से विद्युत प्रदाय हेतु छूट प्रदान किये जाने संबंधी प्रस्ताव स्वीकारयोग्य नहीं है क्योंकि आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 के अपने खुदरा विद्युत प्रदाय आदेश में पूर्ण तौर पर पूर्व से ही इस बाबत पूर्ण सावधानी बरत ली गई है तथा इस प्रकार मांग प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की विद्युत दर पर 15 प्रतिशत की छूट लागू किया जाना आवश्यक नहीं है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने इस विषय पर विचार किया है तथा निर्णय लिया है कि एचवी–3 अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार स्थाई प्रभारों में 10 प्रतिशत छूट तथा न्यूनतम खपत पर 20 प्रतिशत कमी की जाने संबंधी विद्यमान उपबन्ध को जारी रखा जाए।

विषय क्रमांक 27 : मप्र शासन आदिमजाति कल्याण छात्रावासों के लिये टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

आदिमजाति कल्याण विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अनुरोध किया गया है कि राज्य भर में आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों के लिये वर्तमान में गैर–घरेलू (एलवी–2–1) श्रेणी के स्थान पर घरेलू विद्युत–दरें लागू की जाएं।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा अभ्युक्ति की गई कि श्रेणी एलवी–2.1 छात्रावासों के संयोजनों के लिए लागू होता है जो स्वयं में युक्तिसंगत है, अतएव आवेदन को स्वीकारयोग्य नहीं मानता।

विषय क्रमांक 28 : सेवान्त प्रसुविधाएं (Terminal benefits)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

विद्युत कम्पनियों के विभिन्न संधों तथा मप्र पेंशनर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों द्वारा अनुरोध किया गया कि सेवान्त प्रसुविधा न्यास (ट्रस्ट) हेतु अंशदान संबंधी प्रावधान तथा वार्षिक पेंशन/सेवान्त सुविधाओं को अनुज्ञेय किये जाने संबंधी प्रावधान सेवान्त प्रसुविधाओं/पेंशन के विरूद्ध वार्षिक वितरण को अनुज्ञेय किये जाने के अलावा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) में भी किया जाए।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ता पावर कम्पनियों के विभिन्न संघों तथा एमपी पेंशनर्स एसोसिएशन के तर्क से सहमति व्यक्त करते हैं तथा आयोग को याचिकाकर्ताओं द्वारा हितधारकों द्वारा किये गये अनुरोध के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में दावा की गई राशियों पर विचार किये जाने का अनुरोध करते हैं।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने इस विषय में संव्यवहार हेतु पृथक विनियम अधिसूचित किये हैं तथा उसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु वार्षिक पेंशन/सेवान्त सुविधाओं हेतु व्यय भी अनुज्ञेय किये गये हैं। जहां तक पेंशन एवं टर्मिनल बेनीफिट ट्रस्ट फण्ड के लिये अंशदान का संबंध है, संबंधितों का ध्यान मप्रविनिआ (मण्डल तथा उत्तराधिकारी इकाईयों के कार्मिकों को पेंशन तथा सेवान्त

प्रसुविधा दायित्वों की स्वीकृति हेतु निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2012 के विनियम 3 की उपकण्डिकाओं (5), (6) तथा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है। यह प्रावधान उचित जीवनांकिक विश्लेषण (acturial analysis) के उपरान्त ही किया जा सकता है जिसके लिये कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। तथापि, ट्रांसमिशन कम्पनी द्वारा आयोग के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत किये जाने वाला पृथक अभ्यास होगा। इस प्रक्रिया के परिणाम उपरोक्त उल्लेखित विनियम के अनुसार आयोग के विवेकानुसार खुदरा वितरण टैरिफ आदेशों के अन्तर्गत प्रतिबिंबित हो जाएंगे।

विषय क्रमांक 29 :टैरिफ श्रेणी एचवी–6.2 (थोक आवासीय प्रयोक्ता) के संबंध में प्रयोज्यता के संबंध में सुझाव

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

सुझाव दिया गया कि टैरिफ श्रेणी एचवी–6.2 के अन्तर्गत प्रयोज्यता को धर्मस्व न्यासों द्वारा संचालित वृद्धाश्रमों (old age houses) तथा उद्धार गृहों (rescue houses) आदि को शामिल करते हुए निम्नानुसार संशोधित किया जाए :

''टैरिफ श्रेणी **एचवी–6.2**, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 798 (ई) दिनांक 9 जून 2005 के अनुसार पंजीकृत सहकारी समूह गृह–निर्माण समितियों तथा अन्य पंजीकृत समूह गृह–निर्माण समितियों तथा वैयक्तिक घरेलू प्रयोक्ताओं तथा धर्मस्व न्यासों द्वारा संचालित वृद्धाश्रमों (old age houses) तथा उद्धार गृहों (धर्मस्व न्यासों द्वारा संचालित) को विद्युत प्रदाय हेतु लागू होगी। उपभोक्ताओं की इस श्रेणी हेतु निबन्धन तथा शर्तें विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 की धारा 4.77 से 4.95 (दोनों धाराएं सम्मिलित करते हुए) के उपबन्धों, जैसे कि ये समय–समय पर संशोधित किये गये हैं, के अनुसार प्रयोज्य होंगी।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने आपत्तिकर्ताओं के सुझावों पर विचार किया है तथा इन्हें स्वीकार योग्य नहीं पाता। टैरिफ श्रेणी एचवी–6.2 भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय के एसओ 798 (ई) दिनांक 9 जून, 2005 के अनुसार पंजीकृत सहकारी समूह गृह निर्माण समितियों अन्य पंजीकृत समूह गृह निर्माण समितियों तथा वैयक्तिक घरेलू उपभोक्ताओं को लागू होती है। उपभोक्ताओं की इस श्रेणी हेतु निबन्धन तथा शर्तें विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 की धारा 4.77 से 4.95 (दोनों धाराएं सम्मिलित करते हुए) के उपबन्धों, जैसे कि ये समय–समय पर संशोधित किये गये हैं, के अनुसार प्रयोज्य होंगी।

इस श्रेणी का रूपांकन भारत सरकार विद्युत मंत्रालय की अधिसूचनाओं, उपभोक्ताओं की निर्दिष्ट श्रेणियों हेतु विशेषतः रूपांकित किया गया है तथा प्रस्तावित परिवर्तनों को आयोग स्वीकारयोग्य नहीं पाता।

विषय क्रमांक 30 : श्रेणी एलवी–1 के अन्तर्गत घरेलू श्रेणी के लिये पूर्व भुगतान ऊर्जा मापयन्त्रों हेतु विद्युत–दर योजना

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

टैरिफ श्रेणी एचवी–6.2, थोक आवासीय प्रयोक्ताओं के अन्तर्गत एक सहकारी गृह निर्माण समिति के प्रतिवादियों ने सूचित किया है कि उन्होंने मकान मालिकों से मासिक विद्युत प्रभारों के संग्रहण हेतु पूर्व–भुगतान मापयन्त्र (Pre Paid meters) स्थापित किये हैं तथा टैरिफ श्रेणी एलवी–1 के विपरीत जहां स्थाई प्रभार माह के अन्त में खपत पर आधारित वसूल किये जाते हैं, वही पूर्व भुगतान मापयन्त्रों में देय राशि दैनिक आधार पर कम होती चली जाती है। अतएव, माह के प्रारंभ में मासिक खपत की गणना करना काफी कठिन कार्य है। अनुरोध किया गया कि पूर्व भुगतान मापयन्त्र संयोजन में भी स्थाई प्रभारों को टैरिफ श्रेणी एलवी–2 के गैर–घरेलू संयोजन के अनुरूप किलोवाट आधार पर लागू की जाए।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा वैयक्तिक घरेलू उपभोक्ताओं के प्रकरण में स्थाई प्रभारों की बिलिंग को यह सुनिश्चित करने हेतु कि उनके प्रभार वास्तविक खपत पर आधारित आनुपातिक (Pro-rata based) हों, हेतु प्रावधान किया गया है तथा यह भी कि उपभोक्ताओं पर संयोजित भार से संबंधित स्थाई प्रभारों के कारण उन पर अनावश्यक बोझ न डाला जाए। तथापि, पूर्व–भुगतान मापयन्त्रों हेतु टैरिफ रूपांकन का विषय महत्वपूर्ण है, अतएव आयोग द्वारा इसका निराकरण पृथक से किया जाएगा।

विषय क्रमांक 31 : ग्रिड से संयोजित विद्युत उत्पादक

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

एक आपत्तिकर्ता ने सुझाव दिया है कि ग्रिड से संयोजित विद्युत उत्पादकों को उनके द्वारा उपयोग किये गये अनुसार ग्रिड प्रणाली से प्राप्त की गई विद्युत मात्रा को उक्त उत्पादन के विरूद्ध जिसके द्वारा वे ग्रिड को पोषित करते हैं, से छूट दिलाई जाए। उनके द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि प्रारंभिक विद्युत प्राप्ति के क्षणों में (Startup power) उन पर किसी प्रकार के मांग प्रभार आरोपित न किये जाएं।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग का मत है कि विद्युत उत्पादकों द्वारा ग्रिड के पोषण हेतु प्राप्त की गई विद्युत की मात्रा से किसी प्रकार की छूट वाणिज्यिक सिद्धान्तों से संरेखित नहीं है। अतएव, आयोग ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया है। जहां तक विद्युत व्यवस्था प्रारंभ करने अथवा समकालन हेतु ग्रिड के साथ संयोजन हेतु विद्युत उत्पादकों के लिये प्रयोज्य विद्युत–दर का प्रश्न है, दिये गये सुझावों पर समुचित तौर पर विचार करते हुए टैरिफ अनुसूची में पृथक श्रेणी का प्रावधान किया गया है।

विषय क्रमांक 32 : किलोवोल्ट एम्पीअर ऑवर (KVAH) बिलिंग प्रारंभ करना

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

एक आपत्तिकर्ता द्वारा सुझाव दिया गया कि किलोवोल्ट एम्पीअर ऑवर अवधारणा को प्रवर्तित किया जाए तथा ऊर्जा कारक प्रोत्साहनों को वापस ले लिया जाए।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने आपत्तिकर्ता के सुझावों पर विचार किया है तथा इस बिन्दु का निराकरण पृथक से किया जाएगा।

विषय क्रमांक 33 : उच्च दाब उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिये न्यूनतम खपत

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

एक आपत्तिकर्ता द्वारा यह सुझाव दिया गया कि उच्चदाब/अति उच्चदाब की समस्त श्रेणियों के लिये एक–समान प्रत्याभूत न्यूनतम खपत (uniform guaranteed minimum consumption) लागू की जाए।

आयोग का दृष्टिकोण

उच्चदाब/अति उच्चदाब श्रेणियों के लिये विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर न्यूनतम खपत का विभेदीकरण उक्त श्रेणी के औसत भार कारक (average load factor) से संबद्ध होता है तथा सामान्यतः उच्च दाब उपभोक्ता जो औसत भार कारक संधारित करते हैं, को न्यूनतम खपत प्रभारों को वहन नहीं करना होता।

विषय क्रमांक 34 : कृषि परिसर में स्थित कुक्कुट पालन केन्द्रों (पोल्ट्री फार्म) को कृषि संबंधी विद्युत–दर लागू किये जाने संबंधी सुझाव

<u>आयोग का दृष्टिकोण</u>

आयोग कुक्कुट पालन केन्द्रों (पोल्ट्री फार्म) को कृषि संबंधी विद्युत–दर एलवी–5.3 (कृषि संबंधी अन्य उपयोग) को लागू किये जाने के योग्य नहीं पाता है।

विषय क्रमांक 35 : विद्युत मांग के संबंध में समाकलन चक्र (integration cycle) को 15 मिनट के स्थान पर 30 मिनट माना जाए

<u>आयोग का दृष्टिकोण</u>

इस मुद्दे को पूर्व में भी अनेक बार उठाया जा चुका है। विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा ग्रिड से आहरण के संबंध में पन्द्रह मिनट का समय–अन्तराल समकालित (synchronous) किया जाना माना गया है। अतएव यह भली भांति संरेखित है। इस व्यवस्था में परिवर्तन किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

विषय क्रमांक 36 : शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एक ही श्रेणी के अन्तर्गत विद्युत–दर को एक समान रखना

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

सुझाव दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिये प्रस्तावित 24 घंटे विद्युत–प्रदाय हेतु प्रस्तावित योजना को दृष्टिगत रखते हुए शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत–दर को, स्थाई प्रभारों को शामिल करते हुए, एक समान रखा जाए।

<u>आयोग का दृष्टिकोण</u>

आयोग ने वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये स्थाई प्रभारों की बिलिंग में छूट दिया जाना जारी रखा है। आयोग इस बारे में आगामी विद्युत–दर अवधारण प्रक्रिया के अन्तर्गत इस प्रस्ताव की समीक्षा करेगा।

विषय क्रमांक 37 : उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए द्वि–खण्ड विद्युत–दर को एक साथ मिला कर इसे एकल दर बनाया जाए

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

एक आपत्तिकर्ता ने सुझाव दिया है कि 50 प्रतिशत के भार कारक (Load Factor) तथा 50 से अधिक के भार–कारक हेतु ऊर्जा प्रभार एक समान रखे जाएं।

<u>आयोग का दृष्टिकोण</u>

उच्च दाब उपभोक्ताओं की कुछ श्रेणियों के ऊर्जा प्रभारों की बिलिंग के लिये द्वि–खण्डों (Two Slab) का प्रावधान टैरिफ–आघातों (tariff shocks) से बचने के लिये किया गया था। आयोग का यह दृष्टिकोण है कि ऊर्जा प्रभारों की बिलिंग सम्पूर्ण खपत के लिये एक समान दर पर की जानी चाहिए। तथापि, इस समय द्वि–खण्डों के संविलियन के प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए आयोग ने टैरिफ आघात से बचने के लिये द्वि–खण्डों के ऊर्जा प्रभारों के प्रतिमान को जारी रखा है।

विषय क्रमांक 38 : 60 केवीए से 100 केवीए तक के उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम खपत स्तर को कम करना

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

एक आपत्तिकर्ता द्वारा सुझाव दिया गया है कि ऐसे उपभोक्ता, जिनके भार 60 केवीए से 100 केवीए के मध्य हैं, के लिये न्यूनतम खपत 360 यूनिट प्रति केवीए प्रति वर्ष मानी जाए।

<u>आयोग का दृष्टिकोण</u>

ऐसे उपभोक्ता जिनकी संविदा मांग 100 केवीए तक हैं, की न्यूनतम खपत ऐसे उच्च दाब उपभोक्ताओं की तुलना में जिनकी बिलिंग 1200 यूनिट प्रति केवीए प्रति वर्ष की न्यूनतम खपत के लिये की जाती थी, को घटा कर 600 यूनिट कर दिया गया था। आयोग वर्तमान में 100 केवीए तक की संविदा मांग के प्रकरण में 600 यूनिट प्रति केवीए प्रति वर्ष के वर्तमान स्तर से इसे और अधिक घटाने के योग्य नहीं पाता।

विषय क्रमांक 39 : सूक्ष्म (micro), मिनी (mini) तथा लघु (small) जल विद्युत संयंत्रों को मौसमी उच्च दाब विद्युत–दर लागू करना

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

एक आपत्तिकर्ता द्वारा सुझाव दिया गया कि ऐसे सूक्ष्म/मिनी तथा लघु जल विद्युत संयंत्र जो मौसम के शिथिल (off) होने के दौरान विद्युत आपूर्ति, संयंत्र की अति आवश्यक गतिविधियों के संधारण हेतु प्राप्त करते हैं, को मौसमी उच्च दाब विद्युत–दर को लागू किया जाना चाहिए।

<u>आयोग का दृष्टिकोण</u>

आयोग द्वारा सुझाव पर विचार किया गया तथा सूक्ष्म/मिनी तथा लघु जल विद्युत संयंत्रों के लिये टैरिफ–अनुसूची एचवी–4 को लागू कर दिया गया है।

विषय क्रमांक 40 : समग्र तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानि वाले क्षेत्रों में उच्च हानि अधिभार आरोपित करना

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

एक आपत्तिकर्ता द्वारा सुझाव दिया गया कि ऐसे क्षेत्रों में जहां समग्र तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियां अधिक हैं, उच्च हानि अधिभार अधिरोपित किये जाएं।

<u>आयोग का दृष्टिकोण</u>

याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनी याचिका में इस बारे में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। इस विषय में उसी दशा में कार्यवाही की जाएगी जब याचिकाकर्ता ऐसा कोई प्रस्ताव क्षेत्रवार विधिवत सत्यापित प्रामाणिक हानि आंकड़ों के साथ प्रस्तुत करेंगे।

ए–7: खुदरा विद्युत–दर रूपांकन (Retail Tariff Design)

कानूनी स्थिति (Legal Position)

7.1 विद्युत अधिनियम की धारा 61 तथा धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, आयोग ने पूर्व, पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा दाखिल की गई समस्त प्रस्तुतियों, समस्त आपत्तियों तथा विद्युत वितरण कम्पनियों की ओर से प्रस्तुत प्रतिक्रियाओं, जन–सुनवाईयों के दौरान उठाये गये मुद्दों तथा अन्य समस्त सुसंबद्ध सामग्री पर विचार करते हुए उपरोक्त उल्लेखित विद्युत वितरण कम्पनियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) का अवधारण किया है। यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के अवधारण में, आयोग ने जनरेशन कम्पनी तथा ट्रांसमिशन कंपनी की सुसंबद्ध/समुचित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता पर भी विचार किया है। विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों की विद्युत–दर (टैरिफ) का अवधारण करते समय, आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003, राष्ट्रीय टैरिफ नीति तथा उसके स्वयं के विनियमों पर भी विधिवत विचार किया है।

विद्युत–दर अवधारण हेतु आयोग की कार्यपद्धति (Commission's Approach to Tariff Design)

एक–समान बनाम विभेदित खुदरा विद्युत–दरें (Uniform vs Differential Retail Tariffs)

7.2 आयोग ने राज्य शासन से परामर्श कर यह निर्णय लिया है कि एक–समान खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ पद्धति वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु भी जारी रखी जाएगी।

7.3 मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19 मार्च, 2013, जो तीन विद्युत वितरण कंपनियों के मध्य विद्यमान विद्युत उत्पादक क्षमता के पुनरीक्षित आवंटन से संबंधित है, द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों की वार्षिक राजस्व आवश्यकता के संबंध में एक–समान विद्युत–दर को न्यूनाधिक एक संतुलित राजस्व आय बनाम अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता द्वारा संभव बनाया गया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 की अनुमोदित विद्युत–दरों का प्रयोग करते हुए गणना की गई राजस्व राशि को वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता से तुलना किये जाने पर तीन कम्पनियों के मध्य असमान राजस्व अन्तर/आधिक्य उद्भूत होते हैं। म.प्र. शासन ने जारी उपरोक्त पत्र के अनुसार विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य उत्पादन क्षमताओं को पुनः आवंटित किया है जिसके अनुसार विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य विद्युत क्रय

लागतों का पुनर्संतुलन किया जा सके। इसके द्वारा तीनों वितरण कम्पनियों हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता बनाम वित्तीय वर्ष 2013–14 की अनुमोदित विद्युत–दरों पर न्यूनाधिक संतुलित राजस्व आय की प्राप्ति को संभव बनाती है, जिससे राज्य भर में एक समान विद्युत दरें सुनिश्चित की गई हैं।

7.4 सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का अवधारण मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय तथा चक्रण हेतु टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत), विनियम, 2012 के अन्तर्गत वितरण हानि स्तर के प्रक्षेप–वक्र (loss level trajectory) पर आधारित है।

विद्युत प्रदाय की औसत लागत से संबद्धता

7.5 वित्तीय वर्ष 2013–14 की विद्युत दरों के अवधारण में, आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003 की इस अर्हता पर यथोचित विचार किया है कि उपभोक्ता विद्युत–दरों (टैरिफ) में विद्युत प्रदाय की लागत प्रतिबिंबित होनी चाहिये। वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु विद्युत प्रदाय की औसत लागत रू. 4.79 प्रति यूनिट के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2013–14 में यह लागत रू. 4.90 पैसे प्रति यूनिट आती है। निम्न तालिका आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 के टैरिफ आदेश में अवधारित लागत संव्यवहार (Cost coverage) के मुकाबले में वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु टैरिफ आदेश में अवधारित लागत संव्यवहार प्रदर्शित करती है :

तालिका 97 : विद्युत–दर (टैरिफ) बनाम विद्युत प्रदाय की औसत लागत का तुलनात्मक अध्ययन

श्रेणी/उपश्रेणी	औसत वसूली, विद्युत प्रदाय की औसत लागत के प्रतिशत के रूप में	
	वित्तीय वर्ष 2012–13 (टैरिफ आदेश 31 मार्च 2012 के अनुसार)	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु (इस टैरिफ आदेश के अनुसार निष्पादित)
घरेलू	96.69%	97.85%
गैर–घरेलू	136.05%	140.01%
सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य	82.92%	85.44%
पथ–प्रकाश	85.20%	88.21%
औद्योगिक	122.82%	122.29%
कृषि	76.78%	75.00%
रेलवे	124.21%	124.84%
कोयला खदानें (कोलमाईन्स)	130.92%	137.33%
औद्योगिक	120.57%	119.90%
गैर–औद्योगिक	118.82%	136.64%
सिंचाई, जलप्रदाय कार्य तथा कृषि संबंधी अन्य उपयोग	84.75%	91.03%
थोक आवासीय प्रयोक्ता (बल्क रेसिडेंशियल यूजर्स)	98.56%	98.87%

7.6 जैसा कि इस आदेश के पूर्व के भागों में व्याख्या की गई है, वर्ष के दौरान लागत संरचना में परिवर्तन हो चुका है। इसके अतिरिक्त, निम्नदाब : उच्चदाब विक्रय मिश्र में वित्तीय वर्ष 2012–13 में लगभग 68% : 32% से वित्तीय वर्ष 2013–14 में लगभग 74% : 26% का परिवर्तन हो चुका है। यह अनुपात परिवर्तन निम्न दाब बनाम उच्च दाब के खपत मिश्र में मुख्य परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। आयोग संज्ञानपूर्वक पिछले अनेक वर्षों से समस्त उपभोक्ता श्रेणियों हेतु प्रति राज्यानुादान (Cross Subsidy) स्तरों को कम करने के निरन्तर प्रयास करता चला आ रहा है। तथापि, ऐसा करते समय उसके द्वारा यह संज्ञान में रखा गया है कि उपभोक्ताओं की कोई भी श्रेणी अचानक तीव्रवृद्धि के माध्यम से विद्युत–दर आघात (tariff shock) से प्रभावित न हो। इस अवधि में प्रति–सहायतानुदान में कमी किये जाने की प्रक्रिया क्रमिक (gradual) रही है। जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया गया है, इस वर्ष के दौरान निम्नदाब बनाम उच्चदाब खपत में परिवर्तन के कारण, प्रक्षेपित निम्नदाब विक्रय में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप विद्युत प्रदाय की औसत लागत में पूर्व वर्ष की तुलना में कमी हुई है क्योंकि सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के विद्युत क्रय की प्रचलित लागत तथा अन्य मदों के प्रति यूनिट प्रभाव कम हो चुके हैं। इसका प्रतिफल समस्त श्रेणियों के अन्तर्गत विद्युत प्रदाय की औसत लागत में अधोमुखी प्रवृत्ति के रूप में सामने आया है। इसके बावजूद, पूर्व में उल्लेखित खपत–मिश्र में परिवर्तन अनुज्ञप्तिधारियों के राजस्व को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करेगा। ऐसा क्यों होगा, की व्याख्या करना कठिन नहीं है। उच्च राजस्व प्रदान करने वाली श्रेणियों में राजस्व में कमी होने पर तुलनात्मक रूप से न्यून राजस्व प्रदान करने वाली श्रेणियों से प्राप्त होने वाले अंशदान में वृद्धि होगी।

7.7 सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा विद्यमान विद्युत–दर में, राजस्व के अन्तर को पाटने हेतु, आयोग ने सावधानीपूर्वक विद्युत–दर को संरेखित करने का प्रयास किया है जिसके अन्तर्गत प्रति राज्यानुदान मार्गदर्शिका से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया है। तथापि, पूर्व के परिच्छेदों में गिनाये गये कारणों से, कुछ श्रेणियों में प्रयोज्य विद्युत–दर में तत्संबंधी परिवर्तन किये बगैर भी प्रति राज्यानुदान प्रतिशत में परिवर्तन होना प्रदर्शित करेगा।

7.8 आयोग ने वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु विद्युत–दर रूपांकन में कतिपय परिवर्तन किये हैं तथा इन परिवर्तनों का वर्णन निम्न अनुच्छेदों में किया गया है :

(i) **छूट प्राप्तकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय : श्रेणी एचवी–7 को हटाना : (Removal of HV-7 : Bulk Supply to Exemptees)** : वितरण अनुज्ञप्तिधारियों ने अपनी याचिका में निवेदन किया है कि उन्होंने इस श्रेणी के

लिये विद्युत–विक्रय के पूर्वानुमानों को सम्मिलित नहीं किया है क्योंकि वर्तमान में विद्युत वितरण कम्पनियों के इस श्रेणी में कोई उपभोक्ता विद्यमान नहीं हैं। तथापि, यह पाया गया कि यद्यपि उपरोक्त उल्लेखित श्रेणी हेतु प्रभार प्रस्तावित टैरिफ अनुसूची में शामिल नहीं किये गये थे, कुछ प्रभारों का उल्लेख ''तालिका 62 : उच्च दाब हेतु प्रस्तावित टैरिफ अनुसूची'' में किया गया था। इस संबंध में पृच्छा के प्रत्युत्तर में पूर्व क्षेविवि कम्पनी ने सूचित किया है कि इस श्रेणी को टैरिफ अनुसूची में से हटा दिया जाए क्योंकि तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों में से इस विशिष्ट श्रेणी में किसी के पास भी उपभोक्ता उपलब्ध नहीं हैं। विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रबन्ध संचालकों के साथ दिनांक 5 फरवरी, 2013 को आयोजित बैठक में, विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा उपरोक्त उल्लेखित निवेदन को दोहराया गया है। अतएव, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 की टैरिफ अनुसूची से इस उपभोक्ता श्रेणी को हटाया जा रहा है।

(ii) **उप श्रेणी गैर–घरेलू एलवी 2.1 तथा एलवी 2.2 के प्रकरण में संविदा मांग की उच्चतम सीमा में संशोधन : ऐच्छिक–दस किलोवाट से अधिक संविदा मांग हेतु मांग आधारित विद्युत–दर (टैरिफ) लागू करना** : वितरण अनुज्ञप्तिधारियों ने अपनी याचिका में प्रस्तावित किया है कि ऐसे उपभोक्ता जिनका संयोजित भार 10 किलोवाट हो हेतु मांग आधारित विद्युत–दर को ऐच्छिक (optional) आधार पर लागू किया जाए तथा 15 किलोवाट से अधिक संयोजित भार वाले उपभोक्ताओं के लिये इसे अनिवार्य (mandatory) रूप से लागू किया जाए। विद्युत वितरण कम्पनियों ने यह अनुरोध भी किया है कि किसी भी परिस्थिति में भार को 10 किलोवाट से कम न रखा जाए। इस संबंध में आयोग द्वारा यह पुष्टि चाही गई कि क्या तीनों विद्युत वितरण कम्पनी क्षेत्रों में वर्तमान में 15 किलोवाट तथा उससे अधिक मांग वाले समस्त उपभोक्ताओं के लिये मांग आधारित मापयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं तथा यह भी कि क्या समस्त नवीन संयोजनों के लिये मापयंत्रों की स्थापना किया जाना सुनिश्चित कर लिया गया है। इस संबंध में तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा यह पुष्टि कर दी गई है कि विद्यमान 15 किलोवाट तथा इससे अधिक क्षमता वाले गैर–घरेलू उपभोक्ताओं के लिये मांग आधारित मापयन्त्र पूर्व से ही स्थापित किये जा चुके हैं। 10 से 15 किलोवाट की मांग वाले उपभोक्ताओं के लिये ऐच्छिक मांग आधारित विद्युत–दर का प्रवर्तन तथा 15 किलोवाट से अधिक संविदा मांग वाले अनिवार्य मांग आधारित विद्युत–दर उपभोक्ताओं को संयोजित भार आधारित

विद्युत–दर से होने वाली कठिनाईयों से बचायेगी। संयोजित भार आधारित विद्युत–दर की तुलना मांग आधारित विद्युत–दर उपभोक्ताओं के साथ–साथ विद्युत वितरण कम्पनियों के लिये भी सदैव बेहतर विकल्प होता है। यह प्रणाली वास्तविक भार के घटित होने (actual load incident) को चिन्हांकित करने में सहायता प्रदान करती है तथा उपभोक्ताओं के लिये संयोजित भार को सीमित किये जाने संबंधी अनिवार्यता का भी निराकरण करती है। तद्नुसार, आयोग ने उपरोक्त उल्लेखित उप–श्रेणियों के लिये मद एलवी 2.1 तथा एलवी 2.2 के अन्तर्गत उच्चतम सीमा संशोधित कर दी गई है, जो पूर्व में ऐच्छिक हुआ करती थी तथा इसे अब ऐच्छिक–मांग आधारित विद्युत–दर के अन्तर्गत, 10 किलोवाट से अधिक तथा 20 किलोवाट तक की संविदा मांग हेतु, एवं अनिवार्य मांग आधारित विद्युत–दर ऐसे उपभोक्ताओं के लिये जिनकी संविदा मांग 20 किलोवाट से अधिक है, संशोधित कर दी गई है।

(iii) **भार–कारक गणना सूत्र (Load Factor Calculation Formula)** : याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि भार कारक गणना सूत्र ऐसे उपभोक्ताओं को अनुचित रूप से लाभान्वित करता है जिनकी अधिकतम अभिलेखित मांग संविदा अथवा बिलिंग मांग से कम होती है। ऐसे उपभोक्ता दोहरा लाभ अर्थात् भार कारक प्रोत्साहन के माध्यम से तथा 50 प्रतिशत भार–कारक से अधिक तत्संबंधी ऊर्जा हेतु प्रभारों में कमी द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त, विद्युत वितरण कम्पनियों ने यह निवेदन भी किया है कि उपभोक्ताओं से ग्रिड अनुशासन (Grid Discipline) के अन्तर्गत अनुकूलतम स्तर पर परिसम्पति का उपयोग किये जाने की अपेक्षा की जाती है। अतएव, भार–कारक गणना संविदाकृत मांग (contracted demand) अथवा अधिकतम मांग इनमें से जो भी अधिक हो तथा 0.9 अथवा वास्तविक भार–कारक इनमें जो भी अधिक हो, पर आधारित होनी चाहिए। इस संदर्भ में, आयोग ने याचिकाकर्ताओं तथा हितधारकों के निवेदन के साथ–साथ पूर्व में किये गये विचार–विमर्श पर भी सोच–विचार किया है। आयोग ने यह पाया है कि ऐसे प्रकरणों में जहां ऊर्जा–कारक (Power factor) 0.9 से अधिक है, भार–कारक, जिसकी गणना ऊर्जा–कारक स्थिरांक (constant) को सूत्र के हर (denominator) में 0.9 के रूप में की गई है, के अनुसार उच्चतर भार–कारक की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त, ऐसे उपभोक्ता जिनका ऊर्जा–कारक (power factor) अधिक है भी भार–कारक प्रोत्साहन (Power factor

incentive) प्राप्त करते हैं। तद्नुसार, आयोग द्वारा भार–कारक गणना सूत्र को संविदाकृत मांग (contracted demand) अथवा अधिकतम मांग तथा 0.9 अथवा वास्तविक ऊर्जा–कारक इनमें जो भी अधिक हो, के आधार पर पुनरीक्षित कर दिया गया है। आयोग का यह मत है कि इस प्रकार किये गये संशोधन से विद्युत वितरण कम्पनियों के हितों पर विपरीत प्रभाव डाले बगैर उपभोक्ता को उचित रूप से प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

(iv) **टैरिफ अनुसूची एलवी–4 के अन्तर्गत, निम्नदाब मांग आधारित टैरिफ के प्रकरण में संयोजित भार में उच्चतम सीमा को हटाया जाना (Removal of Ceiling of Connected load in case of LT Demand based Tariff under Tariff Schedule LV-4)** : जहां मांग आधारित विद्युत–दर लागू होती है, संयोजित भार की उच्चतम सीमा को हटाये जाने की मांग को लेकर कई औद्योगिक समूहों द्वारा पिछले कुछ वर्षों से बारंबार मांग की जाती रही है। उपभोक्ता अपने परिसरों में 150 अश्वशक्ति की उच्चतम सीमा के अन्तर्गत विभिन्न कारणों से भी संयोजित भार को कायम रखने में आ रही कठिनाईयों का उल्लेख निरन्तर करते चले आ रहे हैं। संयोजित भार के निर्धारित स्तर में वृद्धि होने पर, अधिकतम मांग के अभिलेखित मांग के भीतर रहने के बावजूद भी ऐसे उपभोक्ताओं को आर्थिक रूप से दण्डित किया जा रहा था। उपभोक्ताओं का तर्क है कि, एक बार अधिकतम मांग के मापयन्त्र में यथोचित अभिलेखित हो जाने पर, संयोजित भार का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है। अनुज्ञप्तिधारी की बिलिंग संविदा मांग पर आधारित होती है तथा इसमें अनुज्ञप्तिधारी को कोई आर्थिक हानि भी नहीं होती, भले ही संयोजित भार में वृद्धि कर दी गई हो ; यदि अभिलेखित अधिकतम मांग संविदा मांग से अधिक भी हो तो उपभोक्ता को आधिक्य मांग के लिये अतिरिक्त प्रभारों का भुगतान करना होता है। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा यह पुष्टि कर दी गई है कि उनके द्वारा ऐसे मापयन्त्र स्थापित किये गये हैं जिनमें अधिकतम मांग को अभिलेखित किये जाने हेतु उचित विशिष्टताओं के साथ–साथ खपत के अनुवीक्षण तथा अन्य मानदण्डों को अभिलेखित करने की विशिष्टताओं भी मौजूद होती हैं। उपभोक्ताओं तथा विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रस्तुतियों पर विचारोपरान्त , निम्न दाब औद्योगिक उपभोक्ताओं के प्रकरण में जिन्हें टैरिफ अनुसूची एलवी–4 लागू होती है, आयोग ने संयोजित भार की उच्चतम सीमा

को हटाये जाने का निर्णय लिया है तथा उसके द्वारा समुचित तौर पर टैरिफ अनुसूची के अन्तर्गत उप–श्रेणियों में संशोधन भी किया है।

(v) **ग्रिड से संयोजन हेतु विद्युत उत्पादकों का समकालन करने तथा विद्युत उत्पादन प्रणाली को प्रारंभ करने हेतु पृथक टैरिफ अनुसूची को लागू करना (Separate Tariff Schedule for Synchronization and Start-up Power for Generators)** : अपने पिछले वर्ष जारी किये गये खुदरा विद्युत–प्रदाय (टैरिफ) आदेश में आयोग ने ग्रिड से संयोजित ऐसे विद्युत उत्पादक जो अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ता नहीं हैं परन्तु ग्रिड के साथ समकालन (Synchromization) अथवा विद्युत उत्पादन के लिये प्रारंभिक विद्युत (Start-up power) प्राप्ति की अर्हता रखते हैं, को विद्युत–दर लागू किये जाने हेतु प्रयोज्य निबन्धन तथा शर्तें निर्धारित की थीं। इन विद्युत उत्पादकों के लिये विद्युत–दर अनुसूची एचवी–3.1 से संयोजित की गई थी। इस संबंध में प्राप्त की गई आपत्तियों/सुझावों तथा ऐसे प्रकरणों में अन्य राज्यों द्वारा किये गये प्रावधानों के आधार पर आयोग ने ग्रिड से संयोजित विद्युत उत्पादकों से समकालन तथा प्रारंभिक विद्युत हेतु पृथक टैरिफ अनुसूची लागू करने का निर्णय लिया है।

(vi) **कृषि हेतु एक मुश्त विद्युत–दर (Flat rate Tariff for Agriculture)** : राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारियों ने स्थाई कृषि उपभोक्ताओं हेतु एक मुश्त विद्युत–दर (Flat Rate) प्रस्तावित की है। प्रस्तावित किया गया है कि इस योजना के अन्तर्गत उपभोक्ताओं द्वारा रू. 1200 प्रति अश्वशक्ति प्रति वर्ष की दर से भुगतान किया जाएगा। इस भुगतान की वसूली दो किश्तों में रू. 600 प्रति अश्वशक्ति की दर से माह अप्रैल में तथा शेष रू. 600 प्रति अश्वशक्ति की दर से माह अक्टूबर में की जाएगी। श्रेणी एलवी–5.1 के अनुसार गणना की गई अवशेष राशि के देयक का भुगतान राज्य सरकार द्वारा अनुदान (subsidy) के रूप में किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्रदान करने संबंधी वचनबद्धता को ध्यान में रख कर आयोग ने स्थाई कृषि उपभोक्ताओं के लिये एक मुश्त विद्युत–दर लागू करने की सहमति व्यक्त की है तथा तद्नुसार टैरिफ अनुसूची में एक पृथक श्रेणी (एलवी–5.4) संलग्न की है। श्रेणी एलवी–5.1 के अन्तर्गत मीटरीकृत उपभोक्ताओं को उक्त श्रेणी में विद्युत आपूर्ति जारी रखने अथवा एक मुश्त विद्युत–दर को स्वीकार करने का भी विकल्प होगा।

ए 8 : वित्तीय वर्ष 2012–13 के टैरिफ आदेश का परिपालन (Compliance of Tariff Order FY 2012-13)

वित्तीय वर्ष 2012–13 के खुदरा विद्युत–प्रदाय टैरिफ आदेश के अन्तर्गत आयोग द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों के परिपालन में विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया तथा आयोग की अभ्युक्तियां तथा दिशा–निर्देश निम्नानुसार दर्शाए गये है :

8.1 वितरण हानियां (Distribution Losses) :

आयोग के दिशा–निर्देश (Commission's Directives)

यद्यपि समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा हानियों को कम किये जाने संबंधी रूझान प्रस्तुत किया गया है, तथापि पूर्व तथा पश्चिम क्षेविवि कम्पनी द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्ड स्थापित नहीं किये जा सके हैं। आयोग द्वारा निर्देश दिये जाते हैं कि हानि में कमी लाये जाने हेतु और अधिक सघन प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कि हानियों को कम किये जाने बाबत निम्न कदम उठाये जा रहे है :

(अ) प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्य/पारेषण क्षमता का आवर्धन (System Strengthening Work/Augmentation of Transmission Capacity) :

निवेदन किया गया कि तकनीकी हानियों को कम करने के उद्देश्य से, वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण/आवर्धन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान प्रणाली में निम्न परिवर्धन किये गये हैं :

सरल क्रमांक	विवरण	इकाई	माह मार्च 2011 की स्थिति में	वित्तीय वर्ष 2011–12 में परिवर्धन	माह मार्च 2012 की स्थिति में
1	33/11केवी एस/एस	संख्या	909	5	914
2	पावर ट्रांसफार्मर	संख्या	1377	39	1416
3	पावर ट्रांसफार्मर क्षमता	एमवीए	5317.5	238.7	5556.2
4	33 केवी तन्तुपथ (लाईन)	किलो मीटर	14685	244	14929
5	11 केवी तन्तुपथ (लाईन)	किलो मीटर	74269	4517	81635
6	निम्न दाब तन्तुपथ (लाईन)	किलो मीटर	107243	741	107984
7	वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	76708	18314	95022
8	वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता	एमवीए	5179.55	449.06	5628.61

(ब) गैर–आरएपीडीआरपी योजना का क्रियान्वयन (Implementation of Non-RAPDRP Scheme) :

निवेदन किया गया कि हानियां कम किये जाने के उद्देश्य से, योजना पर कार्य चयनित गैर–आरपीडीआरपी नगरों में तीन चरणों के अन्तर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है। क्रियान्वयन किये गये कार्यों में निम्नदाब लाईन केबलिंग, सेवाप्रदाय तन्तुपथ (Service line) को कवचयुक्त केबल (armoured cable) द्वारा बदला जाना, मापयन्त्रों को घंटी (call bell) की स्थिति में स्थानांतरित करना, मापयन्त्रों की स्थापना, आदि को शामिल किया गया है।

चरण–एक के अन्तर्गत 21 नगरों का चयन किया गया। ऐसे समस्त 21 नगरों में कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा इन नगरों में औसत हानि स्तर माह मार्च, 2010 में 47.28 प्रतिशत से घटकर माह मार्च, 2012 में 19.17 प्रतिशत तक आ गया है।

चरण–दो के अन्तर्गत, 27 नगरों का चयन किया गया। ऐसे समस्त 27 नगरों में कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा इन नगरों में औसत हानि स्तर 53.26 प्रतिशत से घटकर 29.69 प्रतिशत तक आ गया है।

चरण–तीन के अन्तर्गत, हाल ही में एडीबी ऋण बचत (ADB loan saving) के माध्यम से 35 नगरों का कार्य हाथ में लिया गया है तथा यह कार्य वित्तीय वर्ष 2012–13 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(स) संभरक पृथक्करण योजना (Feeder Separation Scheme) :

निवेदन किया गया कि संभरक पृथक्करण योजना के अन्तर्गत 1645 की संख्या में 11 केवी संभरकों को पृथक करने की योजना है तथा अपेक्षा की जा सकती है सम्पूर्ण परियोजना की समाप्ति के उपरान्त 2823 लाख यूनिट (LU) विद्युत की बचत होगी।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कि आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार, विद्युत वितरण कम्पनी पूर्ण समर्पित होकर तन्तुपथ हानियों को कम करने की दिशा में मध्यप्रदेश शासन/आयोग द्वारा अधिसूचित तन्तुपथ हानि प्रक्षेप वक्र (line losses trajectory) को मानदण्डीय स्तर पर लाये जाने की दिशा में निरन्तर प्रयासरत है। यह निवेदन भी किया गया कि यह विद्युत वितरण कम्पनी के ईमानदारीपूर्वक किये

गये प्रयासों का ही परिणाम है कि उसके द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में तत्संबंधी अवधि के दौरान इस मोरचे पर चालू वर्ष के दौरान बेहतर प्रदर्शन किया गया है। विद्युत वितरण कम्पनी ने हानिस्तर संबंधी अपनी उपलब्धियों के बारे में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी समयावधि के दौरान निम्न तालिका में दर्शायेनुसार तुलनात्मक विवरण भी प्रस्तुत किया है :

माह	पारेषण तथा वितरण हानियां	माह	पारेषण तथा वितरण हानियां	अन्तर
अप्रैल 2011	29.01%	अप्रैल 2012	24.76%	-4.25%
मई 2011	40.36%	मई 2012	35.26%	-5.10%
जून 2011	37.47%	जून 2012	32.57%	-4.90%
जुलाई 2011	23.66%	जुलाई 2012	26.48%	2.82%
अगस्त 2011	13.97%	अगस्त 2012	12.50%	-1.47%
सितम्बर 2011	14.75%	सितम्बर 2012	17.29%	2.54%
अक्टूबर 2011	25.14%	अक्टूबर 2012	23.45%	-1.69%
नवम्बर 2011	25.76%	नवम्बर 2012	28.12%	2.36%
औसत	**27.05%**	**औसत**	**25.86%**	**-1.19%**

यह निवेदन भी किया गया कि कम्पनी ने अपने सतर्कता प्रकोष्ठ का सुदृढ़ीकरण किया जाकर बिजली चोरी की रोकथाम का गहन जांच अभियान भी प्रारंभ किया है। यह सतर्कता प्रकोष्ठ एक मुख्य अभियन्ता के नेतृत्व में पांच अधीक्षण यन्त्रियों तथा पर्याप्त संख्या में कार्यपालन यन्त्रियों, सहायक यन्त्रियों तथा कनिष्ठ यन्त्रियों की सहायता से विद्युत की चोरी की रोकथाम के उद्देश्य से नियमित रूप से छापे डालने की कार्यवाही तथा निगरानी की व्यवस्था भी करता है। विद्युत वितरण कम्पनी ने डाले गये छापों, संयोजनों की संख्या जिनकी जांच की गई, वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु माह अप्रैल से माह नवम्बर 2012 तक बिल की गई दण्ड राशि/वसूल की गई राशि की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की है तथा दावा किया है कि अभियान के दौरान उपलब्ध की गई प्रगति स्पष्टतया प्रकट करती है कि कम्पनी द्वारा विद्युत की चोरी की रोकथाम के लिये काफी प्रभावशील अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की अद्यतन स्थिति निम्न दर्शायेनुसार तालिकाबद्ध की गई है :

जांच किये गये संयोजनों की संख्या	ऐसे प्रकरणो की संख्या जिनमें अनियमितता / चोरी का पता लगाया गया			बिल की गई दण्ड राशि (लाख रूपये में)			वसूल की गई दण्ड राशि (लाख रूपये में)			विशेष न्यायालय के समक्ष दाखिल किये प्रकरणों की संख्या
	प्रत्यक्ष चोरी	कदाचार के प्रकरण	योग	प्रत्यक्ष चोरी	कदाचार के प्रकरण	योग	प्रत्यक्ष चोरी	कदाचार के प्रकरण	योग	
146175	23113	21967	45080	4262-16	5486-49	9748-65	3019-88	2987-39	6007-27	11137

संभरक पृथक्करण योजना (Feeder Separation Scheme) : निवेदन किया गया कि विद्युत वितरण कम्पनी ने कृषि भार को ग्रामीण घरेलू भार से पृथक करने के उद्देश्य से संभरक पृथक्करण योजना दो चरणों में प्रारंभ की गई है। प्रथम चरण में इन्दौर, धार, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर तथा रतलाम जिले शामिल किये गये हैं जबकि योजना के द्वितीय चरण में उज्जैन, देवास, मन्दसौर, नीमच, अलीराजपुर, झाबुआ तथा शाजापुर जिले शामिल किये गये हैं। यह स्पष्ट किया गया कि चरण प्रथम तथा चरण द्वितीय के वित्तीय गठबन्धन (financial tieup) अन्तर्गत क्रमशः ग्रामीण विद्युतीकरण निगम तथा एशिया विकास बैंक से किया गया है। जहां तक योजना के क्रियान्वयन का संबंध है। निवेदन किया गया कि दोनों चरणों के लिये कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं तथा अभिकरणों (agencies) के साथ अनुबन्ध निष्पादित किये जा चुके हैं तथा कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा, संभरक पृथक्करण योजना के उचित क्रियान्वयन हेतु तथा मानव एवं सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु भी प्रभावी नियोजन तथा अनुवीक्षण प्रणाली को निगमित स्तर (corporate level) पर विकसित किया गया है। यह उल्लेख भी किया गया है कि दोनों चरणों के अन्तर्गत तृतीय पक्षकार पर्यवेक्षण को भी शामिल किया गया है। यह स्पष्ट भी किया गया कि दोनों चरणों के लिये, परियोजना की प्रगति का प्रस्तुतिकरण ''ग्रामीण संभरकों का कृषि तथा अन्यों में विभाजन (segregation of rural feeders into agricultural and others)'' के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

निवेदन किया गया कि विद्युत वितरण कम्पनी ने विभिन्न योजनाएं प्रणाली सुदृढ़ीकरण की विभिन्न योजनाओं मध्य प्रदेश शासन/टीएसपी, एससीएसपी, संभरक् द्विभाजन, नवीन कृषि पम्प, एडीबी द्वितीय (टीआर 4 तथा 5), राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (दसवीं तथा ग्यारहवीं योजना), जेबीआईसी प्रथम तथा द्वितीय योजना के अन्तर्गत प्रारंभ की हैं। यह उल्लेख भी किया गया कि विस्तृत पूंजी निवेश योजना (Capital Investment Plan) को आयोग द्वारा सिद्धान्त रूप से अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है।

यह कथन भी किया गया है कि उच्चतर लाईन हानियों की समस्या के निराकरण हेतु तथा इन्हें तत्संबंधी योजना के अन्तर्गत निर्दिष्ट मार्गदर्शिका के अनुरूप लाये जाने हेतु समस्त संभव प्रयास प्रारंभ किये जा चुके हैं। विद्युत वितरण कम्पनी नेा अपनी यह अपेक्षाएं भी प्रस्तुत की हैं कि उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वयन के उपरान्त हानियों को मार्गदर्शिका के मानदण्डों (bench mark) के अन्तर्गत लाया जाएगा।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कि पारेषण तथा वितरण हानियों को कम किये जाने संबंधी प्रयासों में पूर्व से ही तेजी लाई जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ग्रामीण क्षेत्र के साथ–साथ शहरी क्षेत्र में भी निम्न दाब के शिरोपरि तन्तुपथ (over head lines) के स्थान पर केबल स्थापना कार्यक्रम की गति में वृद्धि कर रही है। इसके अलावा भी, अमीटरीकृत घरेलू बत्ती तथा पंखे (DL&F) संयोजनों के मीटरीकरण की कार्यवाही भी तीव्र गति से की जा रही है ताकि वास्तविक खपत को विद्युत के विक्रय में वृद्धि हेतु अभिलेखित किया जा सके।

यह भी उल्लेख किया गया कि निम्नदाब उच्च मूल्य उपभोक्ताओं (high value consumer) हेतु स्वचालित मापयन्त्र वाचन (AMR) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कम्पनी के मुख्य महाप्रबन्धकों (CGMs)को पारेषण तथा वितरण हानियों में कमी लाये जाने बावत विभिन्न गतिविधियों का अनुवीक्षण किये जाने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। इसी के साथ–साथ, पारेषण तथा वितरण हानियों में कमी को सुनिश्चित करने हेतु प्रशासनिक कार्यवाही भी की जा रही है।

अवधि	आहरण (लाख यूनिट में)	विक्रय (लाख यूनिट में)	प्रतिशत पारेषण तथा वितरण हानि
अप्रैल से अक्टूबर, 2011	75557.30	51220.77	32.21
अप्रैल से अक्टूबर, 2012	84485.32	57888.99	31.48

आयोग की अभ्युक्ति/दिशा–निर्देश (Commission's Observations/Directives)

यद्यपि समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों ने हानियों का घटता हुआ रूझान प्रकट किया है, हानियां कम किये जाने के प्रयासों में और अधिक तेजी लाये जाने की आवश्यकता है। विद्युत वितरण कम्पनियों को न केवल मानदण्डों को प्राप्त करने के लिये प्रयास करने की आवश्यकता है वरन इनमें और आगे भी सुधार लाया जाना जरूरी है।

8.2 अमीटरीकृत संयोजनों का मीटरीकरण किया जाना (Meterization of unmetered connections) :

आयोग के दिशा–निर्देश (Commission's Directives)

ऐसा पाया गया है कि अमीटरीकृत संयोजनों को मीटरीकृत किये जाने संबंधी परिणाम अत्यन्त असन्तोषजनक है। आयोग द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों का इस विषय में रवैया कुल मिलाकर युक्तियुक्त होना नहीं पाया गया है। अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों के संबंध में विद्युत वितरण कम्पनियां समय–समय पर मीटरीकरण की स्थिति में सुधार लाये जाने बाबत आश्वस्त करती चली आ रही है, परन्तु मीटरीकरण की अद्यतन स्थिति, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रो में, अत्यंत शोचनीय है तथा यह स्थिति अभी भी बरकरार है। इस संबंध में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी का निष्पादन, काफी असन्तोषजनक है। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा उचित ऊर्जा अंकेक्षण को सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से कृषि वितरण ट्रांसफार्मरों, 33 केवी तथा 11 केवी संभरकों के मीटरीकरण में सुधार हेतु यथोचित ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। मीटरीकरण के बारे में प्रस्तावित किये गये लक्ष्य विशेषकर अमीटरीकृत ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के संबंध में स्वीकार्य नहीं हैं। आयोग द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा विशाल पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) की राशि की उपलब्धता की पृष्ठभूमि में निधि की अनुपलब्धता संबंधी तर्क युक्तियुक्त नहीं पाया गया है। इन कम्पनियों के प्रबंधन को यह समझना होगा कि वे विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 55 के आशय के विपरीत कार्य कर रहे हैं तथा इस प्रकार इसका उल्लंघन कर रहे हैं। उन्हें इस अधिनियम के परिपालन में अपनी इच्छाशक्ति तथा उद्देश्य को सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के साथ प्रदर्शित करना होगा, अन्यथा अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उचित कार्यवाही की जाएगी। आयोग इस मुद्दे पर विद्युत वितरण कम्पनियों के स्तर पर पृथक से कार्यवाही करेगा तथा यदि आयोग द्वारा यह पाया जाता है कि किये गये सुधार वांछित स्तर पर नहीं किये गये हैं तो वह कठोर कार्यवाही कर सकेगा। विद्युत वितरण कम्पनियों को अमीटरीकृत संयोजनों के मीटरीकरण कृषि वितरण ट्रांसफार्मरों, 33 केवी तथा 11 केवी संभरकों हेतु इस आदेश जारी होने के एक माह के भीतर माहवार योजना/लक्ष्य दाखिल किये जाने के संबंधी कठोर निर्देश दिये जाते हैं ताकि माह मार्च 2013 तक शत प्रतिशत मीटरीकरण प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कि इस विषय पर बैठक का आयोजन 13 जून, 2012 को किया गया था। इसके अतिरिक्त, इस विषय में पत्र क्रमांक 5032 दिनांक 12 जून, 2012 द्वारा आयोग को तथ्यात्मक स्थिति से अवगत कराया जा चुका है।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कि कम्पनी ने पूंजीगत व्यय योजना (Capex Plan) के अन्तर्गत एक व्यापक मीटरीकृत योजना तैयार कर आयोग को पत्र क्रमांक सीएमडी/डब्लूजेड/05/16509 दिनांक 25 मई, 2012 को प्रस्तुत की है। यह निवेदन भी किया गया कि कम्पनी मीटरीकरण योजना के अन्तर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रतिबद्ध है तथा योजना के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है। यह दावा भी किया गया कि मीटरीकरण योजना से यह स्पष्ट है कि कम्पनी निश्चित रूप से आयोग द्वारा मीटरीकरण हेतु प्रदत्त लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगी। वित्तीय वर्ष 2012–13 के अन्तिम दो त्रैमासों के अन्तर्गत घरेलू मीटरीकरण की प्रगति का विवरण नीचे दर्शाया गया है :

सितम्बर 2012 को समाप्त होने वाले त्रैमासक के दौरान घरेलू मीटरीकरण कार्यक्रम की प्रगति :

स. क्रं.	वृत्त का नाम	दिनांक 30.9.2012 की स्थिति में घरेलू संयोजनों की संख्या		दिनांक 30.9. 2012 की स्थिति में अमीटरीकृत संयोजनों की संख्या		त्रैमास के दौरान मीटर रहित सेवाकृत किये गये नवीन संयोजनों की संख्या		अमीटरीकृत संयोजनों की संख्या, अमीटरीकृत नवीन संयोजनों को सम्मिलित करते हुए जिनके द्वारा त्रैमास के दौरान सेवा दी गई		अमीटरीकृत संयोजनों को प्रदाय किये गये मीटरों की संख्या		दिनांक 30.9.2012 को समाप्त होने वाले त्रैमास के दौरान अवशेष अमीटरीकृत संयोजनों की संख्या		अमीटरीकृत संयोजन (प्रतिशत में)	
		शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
1	शहर–इंदौर	356405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	संचालन तथा संधारण–इन्दौर	119489	114797	0	1572		169	0	1741	0	37	0	1704	0	1.48
3	संचालन तथा संधारण–खण्डवा	48271	105554	0	26071	0	546	0	26617	0	2173	0	24444	0	23.16
4	संचालन तथा संधारण–बुरहानपुर	45971	45795	0	4523	0	240	0	4763	0	46	0	4717	0	10.3
5	संचालन तथा संधारण–	55802	143606	0	17774	0	870	0	18644	0	1003	0	17641	0	12.28

	खरगोन														
6	संचालन तथा संधारण बड़वानी	35116	91198	0	14667	0	0	0	14667	0	3585	0	11082	0	12.15
7	संचालन तथा संधारण– धार	37382	194846	0	19764	0	0	0	19764	0	106	0	19658	0	10.09
8	संचालन तथा संधारण– झाबुआ	25263	151553	0	83645	0	1142	0	84787	0	0	0	84787	0	55.95
इंदौर क्षेत्र का योग		**723699**	**847349**	**0**	**168016**	**0**	**2967**	**0**	**170983**	**0**	**6950**	**0**	**164033**	**0**	**19.36**
1	संचालन तथा संधारण– उज्जैन	126912	132004	0	2670	0	0	0	2620	0	23	0	2597	0	1.97
2	संचालन तथा संधारण– देवास	61264	121589		49082	0	12	0	49094	0	891	0	48203	0	39.64
3	संचालन तथा संधारण– शाजापुर	41252	100776	0	18617	0	568	0	19185	0	517	0	18668	0	18.52
4	संचालन तथा संधारण– रतलाम	77807	122693	0	34331	0	1731	0	36062	0	4575	0	31487	0	25.66
5	संचालन तथा संधारण– मंदसौर	53271	135523	0	25186	0	1364	0	26550	0	1060	0	25490	0	18.81
6	संचालन तथा संधारण– नीमच	39320	66154	0	7673	0	856	0	8529	0	3299	0	5230	0	7.91
उज्जैन क्षेत्र का योग		**399826**	**678739**	**0**	**137509**	**0**	**4531**	**0**	**142040**	**0**	**10365**	**0**	**131675**	**0**	**19.4**
पश्चिम क्षेविविकं का योग		**1123525**	**1526088**	**0**	**305525**	**0**	**7498**	**0**	**313023**	**0**	**17315**	**0**	**295708**	**0**	**19.18**

30 सितम्बर 2012 की स्थिति में संभरक मीटरीकरण की प्रगति :

33 केवी संभरक मीटरीकरण के विवरण

स. क्रं	वृत्त का नाम	ईएचवी, एस/ए स के कुल 33 केवी संभरकों की संख्या	एस/एस 33केवी के आयात–निर्यात बिन्दुओं तथा अन्य स्थलों की संख्या	योग	निम्न कालमों से ऊर्जा अंकेक्षण हेतु स्थापित किये गये मापयंत्रों की संख्या			निम्न कालमों से जहां ऊर्जा अंकेक्षण हेतु मापयंत्र स्थापित नहीं किये गये हैं		योग	निम्न कालमों से जहां मापयंत्र (उपकरण एमई)/त्रुटिपूर्ण मापयंत्रों या अन्य कारणों से अभिलेखन नहीं किया जा सका है		योग	कुल संभरक संख्या के संदर्भ में प्रतिशत मीटरीक रण	कुल मीटरीकृ त संभरकों के संदर्भ में प्रतिशत त्रुटिपूर्ण मीटर/ एमई	त्रुटिपूर्ण मापयंत्र उपकरण (एमई)/ मीटर संख्या	
					कालम 3	कालम 4	योग	कालम 3	कालम 4		कालम 6	कालम 7				एमई	मीट र
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9	10	11=9+10	12	13	14=12+13	15	16	19	20
1	इंदौर–शहर	52	214	266	52	173	225	0	41	41	0	70	70	84.59	31.11	29	18
2	इन्दौर संचालन तथा संधारण	83	139	222	83	134	217	0	5	5	0	56	56	97.75	25.81	51	17
3	खण्डवा	26	92	118	26	87	113	0	3	3	0	14	14	95.76	12.39	15	17
4	बुरहानपुर	15	45	60	15	21	36	0	24	24	0	24	24	60	66.67	18	16
5	खरगोन	44	128	172	44	99	143	0	29	29	0	46	46	83.14	32.17	23	23
6	बड़वानी	20	6	26	20	6	26	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
7	धार	51	157	208	51	114	165	0	43	43	0	47	47	79.33	28.48	45	25
8	झाबुआ	22	25	47	22	19	41	0	7	7	0	17	17	87.23	41.46	7	4
इंदौर क्षेत्र का योग		313	806	1119	313	653	966	0	152	152	0	274	274	86.33	28.36	188	120
1	उज्जैन	75	270	345	75	183	258	0	87	87	0	61	61	74.78	23.64	61	37
2	देवास	58	114	172	58	91	149	0	23	23	0	36	36	86.63	24.16	32	21
3	शाजापुर	56	136	192	56	102	158	0	34	34	0	30	30	82.29	18.99	30	19
4	रतलाम	44	110	154	44	93	137	0	17	17	0	9	9	88.96	6.57	9	3
5	मन्दसौर	32	123	155	32	80	112	0	43	43	0	37	37	72.26	33.04	37	37
6	नीमच	21	67	88	21	51	72	0	16	16	0	22	22	81.82	30.56	22	22
उज्जैन क्षेत्र का योग		286	820	1106	286	600	886	0	220	220	0	195	195	80.11	22.01	191	139
पश्चिम क्षेविविकं का योग		599	1626	2225	599	1253	1852	0	372	372	0	469	469	83.24	25.32	379	259

11केवी संभरक मीटरीकरण संबंधी विवरण

स. क्रं	वृत्त का नाम	निम्न में से 11 केवी संभरक		11 केवीके कुल आयात बिन्दु तथा अन्य स्थलों की संख्या	योग	ऊर्जा अंकेक्षण हेतु स्थापित किये गये मापयंत्रों की संख्या			निम्न कालमों में से मापयंत्रों की संख्या जिन्हें ऊर्जा अंकेक्षण हेतु स्थापित नहीं किया गया है		योग	निम्न कालमों में से वे स्थल जहां उपकरण मापयंत्र (एमई)/त्रुटिपूर्ण मापयंत्रों या अन्य कारणों से अभिलेखन नहीं किया जा सका है		योग	कुल संभरक संख्या के संदर्भ में प्रतिशत मीटरीक रण	कुल मीटरीकृत संभरकों के संदर्भ में प्रतिशत त्रुटिपूर्ण मीटर/ एमई	त्रुटिपूर्ण मापयंत्र उपकरण (एमई)/ मीटर संख्या	
		ईएच वी, एस / एस	33 / 11 केवी एस / एस			कालम 3+4	कालम 5	योग	कालम 3+5	कालम 5		काल म 7	कालम 8				एमई मापयंत्र	
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10	11	12=10+11	13	14	15=13 +14	16	17	20	21
1	शहर–इंदौर	0	296	8	304	292	8	300	4	0	4	17	0	17	98.68	5.67	17	6
2	संचालन तथा संधारण इन्दौर	10	417	43	470	373	40	413	54	3	57	117	34	151	87.87	36.56	118	22
3	खण्डवा	4	221	25	250	127	19	146	98	6	104	107	11	118	58.4	80.82	118	107
4	बुरहानपुर	3	115	20	138	73	20	93	45	0	45	36	1	37	67.39	39.78	36	42
5	खरगोन	0	331	5	336	202	4	206	129	1	130	120	4	124	61.31	60.19	58	62
6	बड़वानी	0	156	7	163	114	5	119	42	2	44	79	2	81	73.01	68.07	29	52
7	धार	12	398	16	426	308	1	309	102	15	117	168	1	169	72.54	54.69	150	96
8	झाबुआ	0	118	0	118	98	0	98	20	0	20	46	0	46	83.05	46.94	38	17
इंदौर क्षेत्र का योग		29	2052	124	2205	1587	97	1684	494	27	521	690	53	743	76.37	44.12	564	404
1	संचालन उज्जैन	13	520	47	580	401	47	448	132	0	132	66	0	66	77.24	14.73	66	22
2	देवास	6	325	12	343	130	6	136	201	6	207	65	1	66	39.65	48.53	0	24
3	शाजापुर	3	304	9	316	248	9	257	59	0	59	133	3	136	81.33	52.92	140	150

4	रतलाम	2	299	66	367	243	18	261	58	48	106	130	0	130	71.12	49.81	88	92
5	मन्दसौर	13	280	12	305	200	12	212	93	0	93	126	9	135	69.51	63.68	135	135
6	नीमच	4	165	10	179	112	4	116	57	6	63	28	0	28	64.8	24.14	28	28
उज्जैन क्षेत्र का योग		41	1893	156	2090	1334	96	1430	600	60	660	548	13	561	68.42	39.23	457	451
पश्चिम क्षेविविकं का योग		70	3945	280	4295	2921	193	3114	1094	87	1181	1238	66	1304	72.5	41.88	1021	855

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कि अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों के साथ–साथ 33केवी तथा 11 केवी संभरकों की त्रैमासवार मीटरीकरण योजना पूर्व में ही आयोग को प्रस्तुत की जा चुकी है, अतएव ये योजनाएं अभी भी प्रचलन में हैं। यह निवेदन भी किया गया कि शत प्रतिशत मीटरीकरण की प्राप्ति के प्रयोजन से, अमीटरीकृत घरेलू बत्ती तथा पंखा (DL&F) संयोजनों का कार्य विभिन्न चालू योजनाओं में शामिल किया गया है तथा तद्नुसार संभरक मीटरीकरण हेतु संविदा का कार्य आवंटित किया गया है। आगे यह निवेदन भी किया गया कि वित्तीय वर्ष 2013–14 तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु मासिक लक्ष्य तैयार कर लिये गये हैं। ऐसे मासिक लक्ष्यों को विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है:

वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु मीटरीकरण के मासिक लक्ष्य :

क्षेत्र	अप्रैल 12	मई 12	जून 12	जुलाई 12	अगस्त 12	सितम्बर 12	अक्टूबर 12	नवम्बर 12	दिसम्बर 12	जनवरी 13	फरवरी 13	मार्च 13	योग
भोपाल	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	15600
ग्वालियर	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	20400
मप्रक्षेविवि कम्पनी	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	**36000**

वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु मीटरीकरण के मासिक लक्ष्य

क्षेत्र	अप्रैल 13	मई 13	जून 13	जुलाई 13	अगस्त 13	सितम्बर 13	अक्टूबर 13	नवम्बर 13	दिसम्बर 13	जनवरी 14	फरवरी 14	मार्च 14	योग
भोपाल	300	300	300	300	300	300	300	300	200	200	200	125	3125
ग्वालियर	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	475	4875
मप्रक्षेविवि कम्पनी	700	700	700	700	700	700	700	700	600	600	600	600	**8000**

आयोग की अभ्युक्ति/दिशा निर्देश :

दिनांक 5 फरवरी, 2013 को आयोग कार्यालय में विद्युत वितरण कम्पनियों तथा मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्ध संचालकों के साथ आयोजित बैठक में संभरकों, कृषि वितरण ट्रांसफार्मरों तथा अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों के मीटरीकरण की कार्यवाही में हो रहे विलंब संबंधी विषय पर चर्चा की गई। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा आयोग को आश्वस्त किया गया कि समस्त अमीटरीकृत शहरी संयोजनों को माह जून, 2013 के अन्त तक मीटर उपलब्ध करा दिये जाएंगे। संभरकों, कृषि वितरण

ट्रांसफार्मरों तथा अमीटरीकृत घरेलू उपभोक्ताओं की मीटरीकरण प्रक्रिया माह मार्च, 2014 के अन्त तक पूरी कर ली जाएगी। अतः आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों को मार्च, 2014 के अन्त तक शत प्रतिशत मीटरीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान करता है।

8.3 तकनीकी हानियों को कम किये जाने संबंधी पूंजीगत व्यय योजना (Capex Plan for reduction of Technical Losses)

आयोग की अभ्युक्ति तथा दिशा–निर्देश (Commission's directives) :

आयोग द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं की समीक्षा की गई तथा विद्युत वितरण कम्पनियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये कि इन योजनाओं में कृषि वितरण ट्रांसफार्मरों के मीटरीकरण को सम्मिलित करते हुए, अमीटरीकृत संयोजनों के शत प्रतिशत मीटरीकरण का भी प्रावधान किया जाए। आयोग द्वारा प्रकरण की अतिरिक्त समीक्षा भी की जा रही है।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कि आयोग द्वारा स्वप्रेरणा याचिका एसएमपी क्रमांक 58, वर्ष 2011 के अंतर्गत पूर्व में ही पूंजीगत व्यय योजना (Capex Plan) को सैद्धान्तिक अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कि दिशा–निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011–12 से वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु विस्तृत पूंजीगत व्यय योजना (Capex Plan) विनियमों के अनुसार आयोग को प्रस्तुत की जा चुकी है। आयोग ने याचिका क्रमांक 75/2011 में प्रसारित आदेश दिनांक 2 जुलाई 2012 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2011–12 से वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु पूंजीगत व्यय योजना को सैद्धान्तिक अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कि याचिका क्रमांक 68/2011 में आयोग के आदेश दिनांक 7 नवम्बर, 2012 के अनुसार पूंजीगत व्यय योजना (Capex Plan) को सैद्धान्तिक अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

आयोग की अभियुक्ति/दिशा–निर्देश : विद्युत वितरण कम्पनियों ने पूंजीगत व्यय योजनाओं को प्रस्तुत करते समय आयोग को आश्वस्त किया था कि इन योजनाओं के

अन्तर्गत अमीटरीकृत संयोजनों को मीटरीकृत किये जाने संबंधी योजनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित किया गया था कि समस्त नवीन संयोजनों पर भी मापयन्त्र (मीटर) स्थापित कर दिये जाएंगे जिसके लिए योजनाओं में पर्याप्त संख्या में मापयंत्रों की अधिप्राप्ति का प्रावधान भी किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूंजीगत व्यय योजनाओं (Capex Plan) के क्रियान्वयन का सूक्ष्मता से अनुवीक्षण किया जाना चाहिए तथा जैसा कि पूर्व में भी दिशा–निर्देश दिये जा चुके हैं, शत प्रतिशत मीटरीकरण माह मार्च, 2014 तक प्राप्त कर लिया जाना चाहिए। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा पूंजीगत व्यय योजनाओं के अन्तर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन के उपरान्त प्राप्त किये गये प्रलाभों से भी अवगत कराया जाए।

8.4 **ऐसे मीटरों की संस्थापना करना जिनमें उपभोक्ताओं को घरेलू श्रेणी में औसत मासिक मांग लेख्यांकित करने की सुविधा हो (Installation of meters having facility to record average monthly demand on domestic category of consumers) :**

आयोग के दिशा–निर्देश : *विद्युत वितरण कम्पनियों में से एक कम्पनी द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं के लिये संविदा मांग आधारित विद्युत–दर (Demand Based Tariff) प्रस्तावित की गई है। तथापि, जैसा कि प्रस्तुत किये गये अद्यतन स्थिति प्रतिवेदन से प्रकट होता है, ऐसी विद्युत–दर को लागू करना असामयिक होगा, जब तक ऐसे उपभोक्ताओं को उपयुक्त प्रकार के मीटर उपलब्ध करा नहीं दिये जाते। विद्युत वितरण कम्पनियों को यह कार्य वित्तीय वर्ष 2012–13 में पूर्ण करने के निर्देश दिये जाते हैं।*

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया :

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कि कम्पनी द्वारा ऐसे मापयंत्रों की अधिप्राप्ति/स्थापना की जा रही है जिनमें अधिकतम मासिक मांग अभिलेखित करने की सुविधा उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट किया गया है कि कम्पनी के पास वर्तमान में मापयन्त्रों की अधिप्राप्ति/स्थापना बाबत ऐसी कोई योजना उपलब्ध नहीं है जिसमें औसत मासिक मांग को अभिलेखित किये जाने की सुविधा उपलब्ध हो, तथापि ऐसे मापयन्त्रों की अधिप्राप्ति का संभावनाओं की तलाश जारी है जिनमें ऐसी अतिरिक्त विशिष्टता उपलब्ध हो।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कि मप्र पश्चिम क्षेत्र विविकं दिशा–निर्देश के परिपालन हेतु अत्यन्त उत्साहित है। जहां तक मापयंत्रों की स्थापना का संबंध है, इन्दौर शहर में 10 किलोवाट से संयोजित भार वाले उपभोक्ताओं के लिये

मापयन्त्र स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। कम्पनी ने अपने इस निर्णय से भी अवगत कराया कि भविष्य में ऐसे एकल तथा तीन फेज मापयन्त्रों की अधिप्राप्ति प्रारंभ की जाएगी जिनमें औसत मासिक मांग की विशिष्टता उपलब्ध हो।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कि समस्त घरेलू संयोजनों पर ऐसे मांग मापयंत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं जो अधिकतम मांग अभिलेखित करने की क्षमता रखते हों।

आयोग की अभियुक्तियां/दिशा–निर्देश : यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2013–14 की टैरिफ याचिका में विद्युत वितरण कम्पनियों ने मांग आधारित विद्युत–दर (Demand Based Tariff) प्रस्तावित नहीं की है। इसके अतिरिक्त, प्रतिवेदित वस्तुस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आयोग अपनी पूर्व की अभ्युक्ति की पुनरावृत्ति करता है कि मांग आधारित विद्युत–दर को लागू करना एक असामयिक कदम होगा जब तक समस्त उपभोक्ताओं को उचित प्रकार के मापयन्त्र उपलब्ध नहीं कर दिये जाते हैं।

8.5 **ग्रामीण संभरकों को कृषि तथा अन्य श्रेणियों में पृथक्करण किया जाना** (Segregation of rural feeders into agricultural and others) :

आयोग के दिशा–निर्देश : वित्तीय वर्ष 2011–12 के टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा निम्न उद्धरित आदेश जारी किये थे : *''आयोग निर्देश देता है कि भविष्य में इसके बाद इन योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में प्रगति प्रतिवेदन पूंजीगत व्यय योजना के अन्तर्गत शामिल किये जाएं।''* विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया के विश्लेषण के बाद आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 के आदेश में अभ्युक्ति की थी कि *''विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रतिवेदनों से प्रकट होता है कि वे संभरक पृथक्करण कार्य के क्रियान्वयन हेतु महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं जिन्हें माह जनवरी 2013 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित किया गया है। विद्युत वितरण कम्पनियों को नियमित रूप से प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाते हैं।''*

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कि संभरक पृथक्करण योजना में 1645 की संख्या में 11 केवी संभरकों के पृथक्करण किये जाने का प्रावधान किया गया है। माह अगस्त, 2012 की स्थिति में प्रगति को निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

सरल क्रमांक	वित्तीय वर्ष 2012 हेतु संभरक पृथक्करण कार्यक्रम (FSP) का लक्ष्य	माह मार्च 2012 की स्थिति में प्रगति (संभरक)	माह अगस्त 2012 की स्थिति में प्रदान किये जाने वाले घरेलू संयोजनों की संख्या (संचयी)	वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान प्रदान किये जाने वाले नवीन संयोजनों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2013 हेतु संभरक पृथक्करण योजना का लक्ष्य (संभरक संख्या)	माह अगस्त 2012 की स्थिति में उपलब्धि (संभरक संख्या)
1	303	127	12643	45157	1518	425

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कि विद्युत वितरण कम्पनी ने संभरक पृथक्करण योजना दो चरणों में लागू की है जिसका उद्देश्य कृषि भार को ग्रामीण घरेलू भार से पृथक करना है। योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत इन्दौर, धार खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर तथा रतलाम जिलों को समिलित किया गया है जबकि इसके द्वितीय चरण के अन्तर्गत 7 जिलों अर्थात्, उज्जैन, देवास, मन्दसौर, नीमच, अलीराजपुर, झाबुआ तथा शाजापुर को शामिल किया गया है। यह स्पष्ट किया गया कि योजना के लिए वित्तीय गठबन्धन (financial tieup) प्रथम तथा द्वितीय चरण हेतु क्रमशः ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) तथा एशिया विकास बैंक (ADB) के साथ किया गया है। जहां तक योजना के क्रियान्वयन का संबंध है, निवेदन किया गया कि दोनों चरणों हेतु कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं तथा अभिकरण (एजेंसी) के साथ अनुबन्ध निष्पादित किये जा चुके हैं तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, संभरक पृथक्करण योजना के उचित क्रियान्वयन तथा गुणवत्तायुक्त मानवीय प्रयासों तथा सामग्री को सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रभावी नियोजन तथा अनुवीक्षण प्रणाली निगमित स्तर (corporate level) पर विकसित की गई है। सूचित किया गया कि दोनों चरणों के अन्तर्गत तृतीय पक्ष पर्यवेक्षण (Third Party Inspection) का प्रावधान भी किया गया है। माह नवम्बर, 2012 तक दोनों चरणों के लिये परियोजना की प्रगति निम्न तालिका में प्रस्तुत की गई है :

संभरक पृथक्करण प्रगति (एफएसपी, रागांग्राविनि तथा एडीबी)–इन्दौर क्षेत्र

स. क्रं	जिला	मास्टर प्लान के अनुसार विभिन्न योजनाओं में प्रावधान								माह नवम्बर 2012 तक क्रमिक प्रगति							
		रागांग्रावियो		एशिया विकास बैंक		संभरक पृथक्करण		योग		रागांग्रावियो		एशिया विकास बैंक		संभरक पृथक्करण		योग	
		F	V	F	V	F	V	F	V	F	V	F	V	F	V	F	V
1	इंदौर	2	17	70	79	212	529	284	625	2	17	25	49	135	358	162	424
2	धार	0	0	63	281	181	1036	244	1337	0	0	63	281	164	449	227	730
3	बुरहानपुर	0	0	0		66	258	66	258	0	0	0	0	58	178	58	178
4	खण्डवा	0	0	0	0	135	705	135	705	0	0	0	0	63	170	63	170
5	खरगोन	0	0	0	0	266	1156	266	1156	0	0			117	292	117	292
6	बड़वानी	0	0	0	0	144	662	144	662					62	152	62	152
7	झाबुआ	0	0	0		52	752	52	752	0	0	0	0	18	120	18	120
8	अलीराजपुर	0	0	0		28	529	28	529	0	0	0	0	17	96	17	96
योग इंदौर क्षेत्र		**2**	**17**	**133**	**360**	**1084**	**5658**	**1219**	**6024**	**2**	**17**	**88**	**330**	**634**	**1815**	**724**	**2162**

टीप 'एफ' – संभरक (Feeder), 'व्ही' ग्राम (Villages)

संभरक पृथक्करण प्रगति (एफएसपी, रागांग्राविनि तथा एडीबी)–उज्जैन क्षेत्र

स.क्रं	जिला	मास्टर प्लान के अनुसार विभिन्न योजनाओं में प्रावधान								माह नवम्बर 2012 तक क्रमिक प्रगति							
		रागांग्राविवियो		एशिया विकास बैंक		संभरक पृथक्करण		योग		रागांग्राविवियो		एशिया विकास बैंक		संभरक पृथक्करण		योग	
		F	V	F	V	F	V	F	V	F	V	F	V	F	V	F	V
9	उज्जैन	119	544	0	0	216	552	335	1096	119	420	0	0	93	239	212	659
10	रतलाम	4	8	0	0	198	1045	202	1053	4	4	0	0	139	390	143	394
11	देवास	0	0	38	312	183	743	221	1055	0	0	38	132	77	221	115	353
12	शाजापुर	0	0	0	0	273	1106	273	1106	0	0	0	0	98	438	98	438
13	मन्दसौर	0	0	0	0	234	906	234	906	0	0	0	0	89	354	89	351
14	नीमच	0	0	0	0	158	674	158	674	0	0	0	0	50	186	50	186
योग उज्जैन क्षेत्र		**123**	**552**	**38**	**312**	**1262**	**5026**	**1423**	**5890**	**123**	**424**	**38**	**132**	**546**	**1828**	**707**	**2384**
कुल योग (मप्र प. क्षेविविकं)		**125**	**569**	**171**	**652**	**2346**	**10837**	**2642**	**11914**	**125**	**441**	**126**	**462**	**1180**	**3643**	**1431**	**4546**

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : कम्पनी ने संभरक पृथक्करण योजना हेतु कार्यों की प्रगति का विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है :

स. क्रं	जिला	मास्टर प्लान के अनुसार विभिन्न योजनाओं में प्रावधान								माह नवम्बर 2012 तक क्रमिक प्रगति							
		रागांग्राविवियो		एशिया विकास बैंक		संभरक पृथक्करण		योग		रागांग्राविवियो		एशिया विकास बैंक		संभरक पृथक्करण		योग	
		F	V	F	V	F	V	F	V	F	V	F	V	F	V	F	V
1	भोपाल	4	0	22	141	43	357	69	498	0	0	14	94	36	226	50	320
2	रायसेन	29	0	22	194	76	1231	127	1425	0	0	22	132	51	310	73	442
3	हरदा	46	0	6	117	7	396	59	513	45	205	0	0	4	16	49	221
4	होशंगाबाद	15	0	54	391	43	538	112	929	0	0	40	234	22	146	62	370
5	सीहोर	64	0	0	0	91	1019	155	1019	0	0	0	0	71	336	71	336
6	विदिशा	7	0	0	0	86	1533	93	1533	0	0	0	0	61	547	61	547
7	बैतूल	101	0	0	0	29	1343	130	1343	65	319	0	0	19	321	81	640
8	रायगढ़	52	0	0	0	134	1677	186	1677	0	0	0	0	55	471	55	471
योग भोपाल क्षेत्र		**318**	**0**	**104**	**843**	**509**	**8094**	**931**	**8937**	**110**	**524**	**76**	**450**	**319**	**2373**	**505**	**3347**
9	शिवपुरी	33	0	0	0	97	1306	130	1306	25	68	0	0	54	403	79	471
10	गुना	43	0	0	0	143	1260	186	1260	43	488	0	0	41	196	84	684
11	अशोक नगर	16	0	0	0	47	818	63	818	16	284	0	0	45	321	64	605
12	ग्वालियर	21	0	0	0	94	612	115	612	0	0	0	0	35	172	35	172
13	दतिया	18	0	0	0	54	584	72	584	17	139	0	0	17	106	34	245
14	श्योपुर	21	0	0	0	31	527	52	527	17	89	0	0	19	91	36	180
15	भिंड	17	0	0	0	60	917	77	917	0	0	0	0	23	202	23	202
16	मुरैना	35	0	0	0	68	782	103	782	16	64	0	0	23	130	39	194
योग ग्वालियर क्षेत्र		**204**	**0**	**0**	**0**	**594**	**6806**	**798**	**6806**	**134**	**1132**	**0**	**0**	**257**	**1621**	**391**	**2753**
कुल योग (मप्र मध्य क्षेत्र विविकं.)		**522**	**0**	**104**	**843**	**1103**	**14900**	**1729**	**15743**	**244**	**1656**	**76**	**450**	**576**	**3994**	**896**	**6100**

आयोग की अभ्युक्ति/दिशा–निर्देश – विद्युत वितरण कम्पनियों तथा एमपीपीएमसीएल के प्रबंध संचालकों के साथ दिनांक 5 फरवरी, 2013 को आयोजित बैठक में आयोग को सूचित किया गया था कि संभरक पृथक्करण कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है तथा इसे शीघ्र सम्पन्न कर लिया जाएगा। आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों को इस योजना की त्रैमासिक प्रगति प्रस्तुत करने के निर्देश देता है।

8.6 **न्यूनतम विद्युत प्रदाय अवधि** (Minimum Supply Hours) :

आयोग के दिशा–निर्देश :*आयोग अनुज्ञप्तिधारियों को पुनः वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु दिये गये निर्देशों के अनुरूप इस वर्ष भी न्यूनतम दैनिक विद्युत प्रदाय घंटे संधारित रखे जाने के निर्देश देता है।*

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया :

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : माह अप्रैल से अक्टूबर, 2012 तक औसत विद्युत प्रदाय घंटों की स्थिति निम्न तालिका में प्रदर्शित की गई है :

माह	ग्रामीण	तहसील मुख्यालय	जिला मुख्यालय	संभागीय मुख्यालय
अप्रैल–12	14:12	19:09	22:48	23:46
मई–12	16:47	20:49	24:00	24:00
जून–12	13:51	19:25	24:00	23:58
जुलाइ–12	14:31	18:01	23:35	23:48
अगस्त–12	22:44	23:08	23:58	24:00
सितम्बर–12	23:25	23:40	24:00	24:00
अक्टूबर 12	17:53	22:14	23:57	24:00

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : पश्चिम क्षेत्र विविकं के माह अप्रैल से माह अक्टूबर 2012 तक के विद्युत प्रदाय घंटे निम्नानुसार प्रतिवेदित किये गये हैं:

स. क्रं	माह	संभागीय मुख्यालय					ग्रामीण	
		इंदौर	उज्जैन	जिला मुख्यालय	तहसील मुख्यालय	मिश्रित	घरेलू बत्ती तथा पंखा	सिंचाई
1	अप्रैल–12	23:53:37	23:46:24	23:53:11	18:53:08	12:28:25		
2	मई–12	23:53:38	23:46:25	23:53:10	18:52:40	12:29:12		
3	जून–12	23:53:39	23:46:26	23:53:10	18:52:09	12:30:03		
4	जुलाई–12	23:53:43	23:46:26	23:53:10	18:51:42	12:30:39		
5	अगस्त–12	23:53:50	23:46:24	23:53:12	18:51:13	12:31:01		
6	सितम्बर–12	23:54:14	23:46:18	23:53:20	18:50:16	12:29:21	18:28:33	07:31:47
7	अक्टूबर–12	23:54:10	23:46:19	23:53:19	18:50:28	12:29:35	18:28:33	07:31:47

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 (माह नवम्बर, 2012 तक) हेतु औसत विद्युत प्रदाय घंटे निम्नानुसार तालिकाबद्ध किये गये हैं :

सरल क्रमांक	माह	संभागीय मुख्यालय	जिला मुख्यालय	तहसील मुख्यालय	ग्रामीण (3 फेज + एकल फेज)		
					मिश्रित	घरेलू बत्ती तथा पंखा	सिंचाई
1	2011–12	23.07	21.28	17.43	13.44		
2	2012–13 (माह नवम्बर, 2012 तक)	23.73	23.18	21.52	17.15	19.33	7.58

सरल क्रमांक	माह	संभागीय मुख्यालय	जिला मुख्यालय	तहसील मुख्यालय	ग्रामीण (3 फेज + एकल फेज)		
					मिश्रित	घरेलू बत्ती तथा पंखा	सिंचाई
1	अप्रैल–2011	22.55	21.02	17.44	12.54	-	-
2	मई–2011	22.48	20.29	16.38	12.14	-	-
3	जून–2011	22.56	20.45	17.34	14.13	-	-
4	जुलाई–2011	23.17	21.14	17.43	13.15	-	-
5	अगस्त–2011	23.44	22.56	20.10	16.11	-	-
6	सितम्बर–2011	24.00	24.00	22.22	22.27	-	-
7	अक्टूबर–2011	23.16	21.27	16.40	11.52	-	-
8	नवम्बर–2011	23.00	20.14	14.51	10.30	-	-
9	दिसम्बर–2011	23.01	20.17	14.02	10.09	-	-
10	जनवरी–2012	23.36	22.03	18.30	14.47	-	-
11	फरवरी–2012	23.06	20.26	15.59	11.03	-	-
12	मार्च–2012	23.01	22.05	19.37	13.51	-	-
13	अप्रैल–2012	23.54	23.53	23.09	16.30	-	-
14	मई–2012	24.00	24.00	23.44	19.14	-	-
15	जून–2012	24.00	24.00	23.13	13.35	-	-
16	जुलाई–2012	24.00	23.23	20.20	15.35	-	-
17	अगस्त–12	24.00	24.00	23.55	23.20	-	-
18	सितम्बर–2012	23.47	23.51	23.28	22.58	23.19	7.59
19	अक्टूबर–2012	23.41	21.57	18.08	14.05	17.46	7.58
20	नवम्बर–2012	23.40	21.59	17.42	13.25	17.33	7.57
	औसत (अप्रैल 11 से मार्च 12)	**23.07**	**21.28**	**17.43**	**13.44**		
	औसत (अप्रैल 12 से नवम्बर 12)	**23.73**	**23.18**	**21.52**	**17.15**	**19.33**	**7.58**
	औसत (अप्रैल 11 से नवम्बर 12)	**23.33**	**22.04**	**19.06**	**14.92**	**19.33**	**7.58**

आयोग की अभ्युक्ति/दिशा–निर्देश : आयोग अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देश देता है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 के टैरिफ आदेश के अनुसार समस्त क्षेत्रों में न्यूनतम विद्युत प्रदाय घंटे संधारित किये जाएं जब तक संभरक पृथक्करण गतिविधि पूर्ण नहीं हो जाती तथा 24 घंटे विद्युत प्रदाय व्यवस्था प्रारंभ नहीं कर दी जाती।

8.7 व्यावसायिक प्रतिनिधियों (फ्रेन्चाईजी) की नियुक्ति (Appointment of Franchisees) :

आयोग के दिशा–निर्देश : *फ्रेन्चाईजी की नियुक्ति संबंधी अद्यतन स्थिति बहुत अधिक प्रोत्साहित करने वाली नहीं है। आयोग द्वारा आगे भी वस्तुस्थिति की समीक्षा करना जारी रखा जाएगा।*

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया :

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कि कम्पनी ने मेसर्स एस्सैल विद्युत वितरण (सागर) प्राइवेट लिमिटेड को सागर शहर में विद्युत के वितरण तथा आपूर्ति हेतु अपना वितरण व्यावसायिक प्रतिनिधि (Distribution Franchisees-DF) नियुक्त किया है तथा इस जानकारी से आयोग को पत्र क्रमांक ईजेड/कमर्शियल/एफडी/3629 दिनांक 23 जून, 2012 द्वारा पूर्व में ही अवगत कराया जा चुका है। जहां तक संचालन (Operation) का संबंध है, निवेदन किया गया कि फ्रेन्चाईजी द्वारा दिनांक 1 दिसम्बर, 2012 से अपना संचालन प्रारंभ किया जा चुका है।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : मेसर्स एस्सैल वितरण (उज्जैन) प्राइवेट लिमिटेड को उज्जैन शहर हेतु वितरण फ्रेन्चाईजी नियुक्त किया गया है। फ्रेन्चाईजी द्वारा अभी अपना कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है क्योंकि अनुबन्ध के संबंध में कुछ शर्तों का पूर्ण किया जाना अभी भी शेष है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : मेसर्स एस्सैल वितरण (ग्वालियर) प्राइवेट लिमिटेड को ग्वालियर शहर हेतु वितरण फ्रेन्चाईजी नियुक्त किया गया है। फ्रेन्चाईजी द्वारा अभी अपना कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है क्योंकि अनुबन्ध के संबंध में कुछ शर्तों का पूर्ण किया जाना अभी भी शेष है।

आयोग की अभ्युक्ति/दिशा निर्देश : विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत वितरण व्यवस्था संचालित करने हेतु अपने विद्युत प्रदाय क्षेत्र में वितरण व्यावसायिक प्रतिनिधि (फ्रेन्चाईजी) नियुक्त किये जा सकते हैं। तथापि, विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी सौंपे गये समस्त दायित्वों (delegated

functions) से संबंधित समस्त कार्यवाहियों के लिये उत्तरदायी होते हैं। विद्युत वितरण कम्पनियों को फ्रेन्चाईजी की नियुक्ति में न केवल यथोचित सावधानी बरतनी होगी, वरन् उनके दिन प्रतिदिन के कार्यों में इसे बरतना होगा जिससे उपभोक्ताओं के हितों के साथ–साथ कम्पनियों का वित्तीय स्वास्थ्य भी सुरक्षित बना रहे। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा आयोग को समय–समय पर अद्यतन स्थिति से अवगत कराते रहना चाहिए।

8.8 **प्रथम विद्युत देयक के साथ नवीन विद्युत–दर (टैरिफ) आधारित टैरिफ कार्ड जारी करना (Issue of tariff card with first bill based on new tariff)** :

आयोग के दिशा–निर्देश : *आयोग द्वारा निर्देश दिये जाते हैं कि वित्तीय वर्ष 2012–13 के टैरिफ आदेश हेतु भी उपभोक्ताओं को टैरिफ कार्ड प्रदान करने की प्रक्रिया को जारी रखा जाए।*

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया :

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिये टैरिफ कार्डों के मुद्रण की व्यवस्था कर ली गई है तथा इन्हें मैदानी इकाईयों को आगे उपभोक्ताओं को आगे वितरण हेतु उपलब्ध कराया जा चुका है।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कि वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु टैरिफ संबंधी जानकारी कम्पनी के उपभोक्ताओं को जारी की जा चुकी है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कि टैरिफ कार्ड जिनमें टैरिफ के प्रावधान प्रदर्शित किये गये हैं, निम्न दाब उपभोक्ताओं को जारी किये जा चुके हैं तथा इसके अलावा टैरिफ अनुसूची पुस्तिकाएं समस्त उच्च दाब उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा दी गई है।

आयोग की अभ्युक्ति तथा दिशा–निर्देश : आयोग द्वारा निर्देश दिये जाते हैं कि वित्तीय वर्ष 2013–14 के टैरिफ आदेश हेतु भी उपभोक्ताओं को टैरिफ कार्ड प्रदान करने की प्रक्रिया को जारी रखा जाए।

8.9 **सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ प्रस्तावों को हिन्दी भाषा में दायर किया जाना (Filing of ARR and tariff proposals in Hindi language)** :

आयोग के दिशा–निर्देश : *आयोग द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों से सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/टैरिफ प्रस्तावों की प्राप्ति के बाद उन्हें इसका हिन्दी रूपान्तरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। तदोपरान्त, विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा इनका हिन्दी रूपान्तरण भी प्रस्तुत किया गया है जिसे सार्वजनिक किया गया। सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/विद्युत दर प्रस्ताव भविष्य में हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किये जाएं।*

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया :

मुख्य याचिका का हिन्दी संस्करण याचिका दायर करने के उपरान्त परन्तु सार्वजनिक सूचना जारी होने से पूर्व प्रस्तुत किया गया है।

आयोग की अभ्युक्ति/दिशा–निर्देश : सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ याचिका अंग्रेजी भाषा में दाखिल करने के उपरान्त, विद्युत वितरण कम्पनियों ने इसका हिन्दी संस्करण प्रस्तुत किया है जिसे सार्वजनिक रूप से जारी किया गया। आगामी सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/टैरिफ प्रस्ताव भी हिन्दी तथा अंग्रेजी में दाखिल किये जाएं।

8.10 **छूट/प्रोत्साहनों/अधिभारों का लेखांकन** (Acounting of rebates/incentives/ surcharge) :

आयोग के दिशा निर्देश : *पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वांछित विवरण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा आगामी सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता संबंधी प्रस्तावों के साथ कम से कम उच्चदाब उपभोक्ताओं से संबंधित प्रस्ताव अवश्य प्रस्तुत किये जाएं।*

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया :

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कि कम्पनी द्वारा कथित दिशा–निर्देश का परिपालन पूर्व में ही किया जा चुका है तथा इसे टैरिफ आदेश में भी अभिलेखित कर लिया गया है।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कि विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वर्तमान में आर–एपीडीआरपी परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसके

अन्तर्गत मेसर्स टीसीएस द्वारा बिलिंग सॉफ्टवेयर को विकसित किया जा रहा है। तथापि, राजस्व मॉडल में इससे संबंधित विवरण प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कि विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करते समय छूट, अधिभार तथा अन्य आवश्यक विवरण इसमें शामिल करते हुए, आयोग के दिशा–निर्देशों का परिपालन किया जा चुका है।

आयोग की अभ्युक्ति तथा दिशा–निर्देश : विद्युत वितरण कम्पनियों को उच्च दाब उपभोक्ताओं के संबंध में वांछित विवरणों का संकलन जारी रखे जाने के निर्देश दिये जाते हैं तथा इन्हें आगामी सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/टैरिफ प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाते हैं। उन्हें द्वारा निम्न दाब उपभोक्ताओं के बारे में विवरण एकत्र करने तथा आयोग को प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये जाते हैं।

8.11 **एक समान लेखा का संधारण (Maintaining uniform accounts) :**

आयोग के दिशा निर्देश : *आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है तथा अपेक्षा करता है कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा लेखाकंन प्रक्रिया में शीघ्र एकरूपता लाई जाएगी।*

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया :

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कि दिशा–निर्देशों के परिपालन के सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कि यद्यपि कम्पनी को दिनांक 31 मई, 2002 को निगमित (incorporate) किया गया था, तथापि कम्पनी का वाणिज्यिक प्रचालन मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्र 226 दिनांक 31 मई, 2005 के अनुसरण में दिनांक 1 जून, 2005 से ही किया जा सका है। निवेदन किया गया कि कम्पनी अधिनियम 1956, की अनुसूची छः में उक्त विधि को निर्दिष्ट किया गया है जिसके अनुसार प्रत्येक कम्पनी द्वारा अपना तुलन–पत्र (Balance Sheet), लाभ हानि की विवरणिका (Statement of Profit and Losses), तथा संबंधित टीपें (notes) तैयार किये जाएंगे, जिनका पुनरीक्षण अधिसूचना दिनांक 30 मार्च, 2011 द्वारा किया जा चुका है। यह अवगत कराया गया कि पुनरीक्षित अनुसूची छः की अर्हताएं ऐसी कम्पनियों को लागू नहीं होती जैसा कि इन्हें कम्पनी अधिनियम की धारा 211 (1) तथा धारा 211 (2) के परन्तुक (Provision) में संदर्भित किया गया है, अर्थात् कोई बीमा कम्पनी अथवा

बैंकिंग कम्पनी, अथवा कोई भी कम्पनी जो विद्युत के उत्पादन अथवा विद्युत प्रदाय की गतिविधि में संलग्न हो अथवा कम्पनी का कोई अन्य वर्ग जिसके अन्तर्गत तुलन–पत्र (बेलेंस शीट) तथा लाभ एवं हानि लेखा का प्ररूप निर्दिष्ट किया गया हो अथवा ऐसी वर्गीकृत कम्पनी के किसी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया हो। कम्पनी द्वारा यह निवेदन भी किया गया कि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊन्टेंटस ऑफ इण्डिया द्वारा जारी मार्गदर्शक टीप में यह स्पष्ट भी किया गया है कि विद्युत के उत्पादन तथा आपूर्ति में संलग्न कम्पनियों के संबंध में न तो विद्युत अधिनियम, 2003 तथा न ही उसके अन्तर्गत संरचित नियम किसी विद्युत कम्पनी के लिये कोई विशिष्ट प्रपत्र वित्तीय विवरणिकाओं की प्रस्तुति हेतु निर्दिष्ट करते हैं। यह उल्लेख भी किया गया है कम्पनी अधिनियम की धारा 616 (सी) में निर्दिष्ट किया गया है कि विद्युत कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम उसी सीमा तक लागू होगा, जहां वह विद्युत अधिनियम, 2003 का अर्हताओं के विपरीत न हो।

निवेदन किया गया कि ऐसी कम्पनियों द्वारा पुनरीक्षित अनुसूची छः का अनुसरण ऐसे समय तक किया जाए जब तक किसी सुसंबद्ध संस्थापित अधिनियम (Relevent Statute) द्वारा कोई अन्य प्रपत्र (format) इस हेतु निर्दिष्ट नहीं कर दिया जाता है। यह भी स्पष्ट किया गया कि कम्पनी अधिनियम 1956 की पुनरीक्षित अनुसूची छः के अनुसार वित्तीय विवरणिकाएं (financial statements) तैयार की जा रही हैं जिससे वित्तीय वर्ष 2011–12 के आगे समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों के लेखों का एक समान प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा। निवेदन किया गया कि कम्पनी द्वारा अपने वित्तीय विवरण–पत्र वास्तविक लागत आधार पर (historical cost basis) सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (Generally Accepted Accounting Principles-GAAP) तथा कम्पनियों के लेखांकन मानकों से संबंधित, Companies (Accounting Standard) Rules 2006 में अधिसूचित किये गये अनुसार तैयार किये जाते हैं।

यह निवेदन भी किया गया कि मप्र पश्चिम क्षेविवि कम्पनी इन्दौर के उद्यम संसाधन नियोजन से संबंधित Enterprise Resource Planning (ERP) परियोजना को अधिप्राप्ति (procurement), प्रथागत करने (customization), क्रियान्वयन (implementation), के लिये प्रस्तावित किया गया है क्योंकि वित्त, मानव संसाधन, सामग्री प्रबन्धन (material management), तथा परियोजना प्रबन्धन मापदण्ड (module), हेतु ईआरपी अनुप्रयोग प्रणाली के अनुवर्ती आलंबन (subsequent

support), क्रियान्वयन प्रक्रिया के अन्तर्गत आते हैं तथा यह ईआरपी क्रियान्वयन प्रक्रिया सर्वश्रेष्ठ लेखांकन संव्यवहारों तथा विनियामक परिपालन को सुनिश्चित करेगी।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कि ईआरपी कार्यक्रम जिसके अन्तर्गत लेखा भाग को भी शामिल किया गया है वर्तमान में प्रगति पर है तथा एक समान लेखा का संधारण ईआरपी कार्यक्रम के समापन के उपरान्त किया जाएगा।

आयोग की अभ्युक्ति/दिशा–निर्देश : *आयोग पुनः दोहराता है कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा अतिशीघ्र लेखों के संधारण में समानता लाई जाए। एमपीपीएमसीएल जो समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों की नियंत्रक कम्पनी (holding company) है, को निर्देश दिये जाते हैं कि वह लेखा प्रक्रिया में समानता लाये जाने की दृष्टि से समन्वयन की कार्यवाही करे।*

8.12 **विनियमों का परिपालन (Compliance of Regulations)** :

आयोग के दिशा–निर्देश : *आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 के टैरिफ आदेश में निम्न दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये थे : ''आयोग निर्देश देता है कि भविष्य में याचिका विनियमों के उपबन्धों के अनुरूप ही दाखिल की जाए तथा यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी किन्हीं विशिष्ट बिन्दुओं पर आयोग का ध्यान आकृष्ट करने का इच्छुक हो तो इसका प्रस्तुतिकरण याचिका में अतिरिक्त प्रस्तुतिओं के माध्यम से किया जा सकता है। विद्युत वितरण कम्पनियों से प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 के टैरिफ आदेश में निम्न अभ्युक्ति की गई थी : ''दिशा निर्देशों का परिपालन भविष्य में भी सुनिश्चित किया जाए।''*

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया :

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कि प्रस्तुत की गई याचिका मप्रविनिआ विनियमों के प्रचलित उपबंधों के अनुरूप है।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कि विद्युत वितरण कम्पनी आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुसरण किये जाने हेतु प्रतिबद्ध है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कि याचिका को विनियमों के उपबन्धों के अनुसार ही दाखिल किया गया है।

आयोग की अभ्युक्ति तथा दिशा–निर्देश : *दिशा निर्देशों का परिपालन भविष्य में भी सुनिश्चित किया जाए।*

8.13 **ऐसे समस्त निम्न दाब उपभोक्ता, जिनका भार 25 अश्वशक्ति से अधिक है, उनके लिये अनिवार्य मांग आधारित विद्युत–दर लागू करना (Mandatory demand based tariff for all Non-domestic LV consumers having load in excess of 25 HP)**

आयोग के दिशा–निर्देश : आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 के टैरिफ आदेश में निम्न दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये थे *: ''आयोग वित्तीय वर्ष 2012–13 से ऐसे समस्त गैर–घरेलू उपभोक्ता, जिनका भार 25 अश्वशक्ति से अधिक है, अनिवार्य मांग आधारित टैरिफ लागू करने का इच्छुक है। विद्युत वितरण कम्पनियों को निर्देश दिये जाते हैं कि ऐसे समस्त संयोजनों पर अधिकतम मांग को अभिलिखित करने वाले मीटरों की स्थापना सुनिश्चित करें तथा परिपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।''* आयोग द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करने के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2012–13 में निम्नानुसार अभ्युक्ति की गई *: ''मध्य तथा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दिशा–निर्देश का परिपालन नहीं किया गया है। उन्हें वित्तीय वर्ष 2012–13 में इसका परिपालन किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं।''*

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया :

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया है कि जारी किये गये दिशा–निर्देश उन्हें लागू नहीं होते।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कि ऐसे मापयन्त्र जिनमें अधिकतम मांग अभिलेखित करने की विशिष्टताएं उपलब्ध हैं, को 25 अश्वशक्ति से अधिक संयोजित भार से युक्त गैर–घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता परिसरों में स्थापित किया जा चुका है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कि ऐसे समस्त निम्न दाब के उच्च मूल्यांकन (High Value) उपभोक्ता जिनका संयोजित भार 25 अश्वशक्ति से अधिक है, उन्हें एएमआर मीटर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इसके लिए, दो विभिन्न ठेकेदारों को संविदा जारी की गई है। दिनांक 30 नवम्बर, 2012 की स्थिति में स्वचालित मापयन्त्र वाचन (AMR) की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार तालिकाबद्ध की गई है :

क्षेत्र	स्वचालित मापयन्त्र वाचन बिन्दुओं की संख्या	स्थापनाएं	एमआरडी फाईल की डाऊन लोडिंग	तैयार किये गये बिलों की संख्या
भोपाल	4560	4061	3129	2601
ग्वालियर	3834	3820	1997	1239

आयोग की अभ्युक्ति/दिशा–निर्देश : आयोग मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को अवशेष स्थापनाओं पर स्वचालित मापयन्त्र वाचन (AMR) मीटरों की स्थापना में गति बढ़ाये जाने के निर्देश देता है।

8.14 **निम्नदाब मांग आधारित विद्युत–दर की उच्चतम सीमा को हटाना (Removal of celling on connected Load in LT demand based tariff)**

आयोग के दिशा–निर्देश : *आयोग द्वारा मांग आधारित निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु अभी तक संयोजित भार पर उच्चतम सीमा हटाये जाने पर विचार नहीं किया गया है, जैसा कि इसे अध्याय ''सार्वजनिक आपत्तियां तथा अनुज्ञप्तिधारी की याचिकाओं पर टिप्पणियां में दर्शाये गये कारणों में स्पष्ट किया गया है तथापि, आयोग निर्देश देता है कि ऐसे समस्त निम्न दाब संयोजनों पर एएमआर मीटरों की स्थापना के संबंध में जिनकी मांग 25 अश्वशक्ति से अधिक है, परिपालन वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान सुनिश्चित कर लिया जाये।*

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया :

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निम्नदाब उच्च मूल्य उपभोक्ताओं से संबंधित अद्यतन स्थिति निम्नानुसार तालिकाबद्ध की गई है :

क्षेत्र	एएमआर/एमआरआई द्वारा पठित मापयन्त्रों की संख्या	ए टू जेड द्वारा पठित मापयन्त्र (एएमआर/एमआरआई)	कुल मापयन्त्र संख्या जिनका वाचन किया गया
जबलपुर	2225	570	2795
सागर	832	148	980
रीवा	1168	146	1314
योग	4225	864	5089

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कि कम्पनी द्वारा स्वचालित मापयन्त्र वाचक (AMR) के संव्यवहार हेतु 'एमटी–2' के नाम से एक पृथक प्रकोष्ठ अधीक्षण यन्त्री स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में गठन किया गया है। निम्न दाब एएमआर मीटरीकरण की प्रगति निम्नानुसार तालिकाबद्ध की गई है :

मापयन्त्रों की निष्पादित स्वचालित मापयंत्र सुविधा												
स.क्रं	वृत्त का नाम	मापयंत्रों की संख्या	वृत्तों द्वारा उपलब्ध कराये गये मापयंत्रों की संख्या	अवशेष मापयंत्रों की संख्या जिनमें मोडेम प्रदान किये गये है	निष्पादित स्वचालित मापयंत्र वाचन (AMR) सुविधा							
					अप्रैल 12	मई 12	जून 12	जुलाई 12	अगस्त 12	सितम्बर 12	अक्टूबर 12	नवम्बर 12
1	इंदौर	4223	4173	50	3305	3342	3347	3201	3128	3140	3191	3112
2	इंदौर संधारण तथा संचालन	1008	1008	0	786	773	647	742	735	786	789	796
3	धार	215	55	160	0	0	0	0	0	0	0	0
4	खण्डवा	201	161	40	55	99	97	83	85	55	43	69
5	बुरहानपुर	138	98	40	20	59	76	78	73	79	75	56
6	खरगोन	224	214	10	83	80	79	80	125	123	125	92
7	बड़वानी	268	103	165	0	0	0	0	0	0	0	0
8	झाबुआ	75	45	30	21	28	23	22	21	19	20	17
9	उज्जैन	946	725	221	191	195	189	186	176	160	198	199
10	देवास	401	292	109	176	191	183	194	209	187	170	189
11	शाजापुर	279	239	40	93	102	91	94	133	136	85	83
12	रतलाम	553	519	34	343	331	318	347	338	323	273	271
13	मंदसौर	315	291	24	103	107	101	116	120	108	108	116
14	नीमच	422	395	27	87	100	100	107	111	100	100	100
योग		**9268**	**8318**	**950**	**5263**	**5407**	**5251**	**5250**	**5254**	**5216**	**5177**	**5100**
निष्पादित स्वचालित मापयंत्र वाचन (प्रतिशत में)					**63**	**65**	**63**	**63**	**63**	**63**	**62**	**61**

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कि 30 नवम्बर, 2012 की स्थिति में निम्नदाब उच्च मूल्य उपभोक्ताओं के स्वचालित मापयंत्र वाचन (AMR) की अद्यतन स्थिति पूर्व में बिन्दु क्रमांक 13 के अन्तर्गत सम्मिलित, प्रस्तुत की जा चुकी है।

आयोग की अभ्युक्ति तथा दिशा–निर्देश : विद्युत वितरण कम्पनियों तथा मप्र पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्ध संचालकों के साथ दिनांक 5 फरवरी, 2013 को आयोजित बैठक में विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा सूचित किया गया कि उनके द्वारा ऐसे उपभोक्ता, जिन्हें मांग आधारित विद्युत–दर लागू होती है तथा जिनकी संविदा मांग 25 अश्वशक्ति से अधिक है, स्वचालित मापयंत्र वाचन मीटर उपलब्ध कराये जा चुके हैं। आयोग द्वारा इस विषय पर टैरिफ रूपांकन के अध्याय में समुचित चर्चा भी की गई है।

नवीन दिशा–निर्देश (Fresh Directives)

8.15 उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज का भुगतान (Payment of Interest on Consumer Security Deposit)

आयोग की अभ्युक्ति/दिशा निर्देश

याचिका पर जन–सुनवाई के दौरान, कुछ उपभोक्ताओं द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा विनियमों में निर्दिष्ट बैंक दर के अनुसार उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जा रहा है। आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश देता है कि उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज के भुगतान में विनियमों में किये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाए।

8.16 उपभोक्ताओं को बिलिंग हेतु आकलित खपत (Assessment consumption for billing to consumers) :

आयोग की अभ्युक्ति/दिशा निर्देश

याचिका पर जन–सुनवाई के दौरान, कुछ उपभोक्ताओं द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि मापयंत्र सुचारू रूप से कार्य करने तथा विद्युत की खपत में कदाचार अथवा चोरी का कोई साक्ष्य न होने के बावजूद भी याचिकाकर्ताओं (विद्युत वितरण कम्पनियों) द्वारा बिल आकलित खपत के आधार पर जारी किये जा रहे हैं। विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 (यथासंशोधित) का त्रुटिपूर्ण/अकार्यरत (detective/dysfunctional) मापयंत्रों से बिलिंग के बारे में सुसंबद्ध उपबन्ध नीचे उद्धरित किया जा रहा है :

''9.17 जिस अवधि में मीटर कार्यरत नहीं रहा उस अवधि के विद्युत प्रभार वसूली हेतु पूर्व तीन मीटर वाचन चक्रों के मासिक औसत के आधार पर बिल बनाया जायेगा। यदि चेक मीटर लगा हो तो चेक मीटर से उपलब्ध रीडिंग के आधार पर उपभोग की गई यूनिटों पर बिलिंग की जा सकती है। उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरणों में यदि मीटर कार्यरत् नहीं रहा हो तथा चेक मीटर नहीं लगा हो या खराब हो तो ऐसी दशा में बिलिंग उपरोक्त दर्शाये आधार पर की जावेगी, यदि अनुज्ञप्तिधारी क`मत से उपभोक्ता के परिसर की स्थितियां जिस महीनें की औसत बिलिंग की जानी हो उस महीनें ऐसी रही हो जिससे उपरोक्त आधार पर की गई औसत बिलिंग अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता के पक्ष में सही नहीं हो तो ऐसी दशा में इस अवधि की औसत बिलिंग संबंधित वृत्त के प्रभारी द्वारा निर्धारित की जावेगी। यदि उपभोक्ता ऐसे निर्धारण से संतुष्ट नहीं हो तो

वह स्थानीय क्षेत्र के प्रभारी को अपील कर सकता है, जिसका निर्णय सामान्यतः मान्य होगा।''

आयोग ने इस आचरण को गंभीरता से संज्ञान में लिया है। आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों को निर्देश देता है कि जब तक मापयंत्र को त्रुटिपूर्ण/अकार्यरत न पाया गया हो या इसमें छेड़–छाड़ किये जाने (tampered) का अथवा परिसर में विद्युत चोरी का साक्ष्य न पाया गया हो, किसी भी उपभोक्ता को बिलिंग खपत के किसी भी प्रकार के आकलन द्वारा, जो मापयंत्र द्वारा अभिलेखित न की गई हो, नहीं की जायेगी। आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों को परिपालन प्रतिवेदन इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश देता है।

परिशिष्ट–1 (आपत्तिकर्ताओं की सूची)

मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी क्षेत्र के आपत्तिकर्त्ताओं की सूची	
सरल क्रमांक	आपत्तिकर्त्ताओं के नाम एवं पते
1	श्री लीलाम्बर पटेल, अधिवक्ता, एल–41, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, नरसिंहपुर
2	श्री रमेश पटेल, अध्यक्ष, भारतीय किसान संघ, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर
3	श्री सुशील कुमार राय, ग्राम पोस्ट तहसील बड़वारा, जिला कटनी
4	श्री राजनारायण भारद्वाज, प्लाट नं. 453, पटेल आटा चक्की के पास, संजीवनी नगर, गढ़ा, जबलपुर
5	श्री शशांक दुबे, 9, बराहपुरी कालोनी, एमजीएम स्कूल के पास, हाथीताल, जबलपुर
6	श्री डी.आर. जेसवानी, महा सचिव, मेसर्स महाकौशल उद्योग संघ, औद्योगिक क्षेत्र रिछाई, जबलपुर 482010
7	मेसर्स ओरिएन्ट पेपर मिल्स का एच.जे.आई. डिवीजन, पोस्ट अमलाई पेपर मिल्स, जिला अनूपपुर–484117
8	मेसर्स प्रिज्म सीमेंट लिमिटेड, मानकाहारी, सतना
9	श्री पी.जी. नाजपाण्डे, मेसर्स नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच, 6/47, रामनगर, आधारतल, जबलपुर
10	श्री पवन कुमार जैन, म.प्र. विद्युत मंडल अभियंता संघ, शेड नं. 13, विद्युत नगर, पोस्ट रामपुर, जबलपुर
11	श्री वाई.के. शिल्पकार, म.प्र. विद्युत मंडल, आरक्षित वर्ग अधिकारी/कर्मचारी संघ, एन.डी. 2, एमपीएसईबी, कालोनी, रामपुर, जबलपुर
12	श्री एच.पी. अग्रवाल, चीफ इलेक्ट्रीकल डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, इंदिरा मार्केट, जी.एम. ऑफिस, जबलपुर–482001
13	मेसर्स जबलपुर इंटरटेंमेंट काम्पलेक्स प्रा.लि. साउथ एवेन्यु मॉल, परफैक्ट पॉटरी के बाजू में, नर्मदा रोड, जबलपुर,
14	श्री शंकर नागदेव एवं श्री रवि गुप्ता, मेसर्स महाकौशल चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज, चैम्बर भवन, सिविक सेंटर, मढ़ाताल, जबलपुर (म.प्र.)
15	श्री सुभाष चन्द्र, अध्यक्ष, मेसर्स सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन, जबलपुर
16	श्री शिवानन्द पाण्डेय, अधिवक्ता, जबलपुर
17	श्री विजय जैन, मेसर्स एम.पी. बिजली कर्मचारी महासंघ, जबलपुर
18	श्री ललित सेन, शिक्षक संघ, जबलपुर
19	श्री आर.एस. सक्सेना, म.प्र. विद्युत मंडल, वाहन चालक परिचालक संघ, संबद्ध जनता यूनियन, जबलपुर म.प्र.

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी क्षेत्र के आपत्तिकर्त्ताओं की सूची	
सरल क्रमांक	आपत्तिकर्त्ताओं के नाम एवं पते
1	श्री कैलाश यादव, क्षिप्रा उपभोक्ता, संरक्षण समिति, 17, दुर्गा कालोनी, अंकपाट मार्ग, उज्जैन
2	श्री अरविन्द बागड़ी, पार्षद वार्ड नं.52, 30 श्रद्धानन्द मार्ग, छावनी, संयोगिता गंज, इंदौर
3	श्री इन्द्र सिंह चौहान, ग्राम पोस्ट खारवा, तहसील पंधाना जिला पूर्व निमाड़, खण्डवा
4.	श्री प्रवीण कुमार जैन, जयपुर एवं बीकानेर बैंक के सामने, 23/2, शंकुमार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन
5	श्री एस.एम. जैन, मेसर्स आल इंडिया इंडक्शन फरनेंस एम.पी. चैपटर, द्वारा वीनस अलॉयज प्रा.लि., 67, औद्योगिक क्षेत्र, मंदसौर–458001 म.प्र.
6	श्री एस.एम. जैन, वीनस अलॉयज प्रा.लि. 67, औद्योगिक क्षेत्र, मंदसौर–458001 म.प्र.
7	मेसर्स मोयरा स्टील्स लिमिटेड, गांव सेजवाया, घाटविल्लौद, जिला धार, म.प्र.
8	श्री पंकज बंसल, मेसर्स शिवांगी रोलिंग मिल्स प्रा.लि. 16/9, रेस कोर्स रोड, टोंगिया कम्पाउन्ड, इंदौर
9	मेसर्स जयदीप इस्पात एंड अलॉयज प्रा.लि. 103, लक्ष्मी टॉवर, एम.जी. रोड, इंदौर
10	श्री रविन्द्र सिंह नारंग, मेसर्स सरदार इस्पात प्रा.लि. तेजपुर, गड़बड़ी ब्रिज, ए.बी. रोड, इंदौर–452012
11	मेसर्स भारती इंगोट्स प्रा.लि. प्लॉट नं. 808–एफ, सेक्टर–3, पीथमपुर, जिला धार
12	डॉ. गौतम कोठारी, राष्ट्रक्षेत्र कर्मनिष्ठ संघ ''रक्षक'', 231, साकेत नगर, इंदौर–452018
13	श्री रवि झवर, मेसर्स यूनाइटेड मेटल्स (इंडिया), 42, शिलनाथ कैम्प, इंदौर–452003
14	मेसर्स श्रीयम पावर एवं स्टील इंडस्ट्रीज लि. श्री महादेव हाउस, 10/2, साउथ तुकोगंज, इंदौर
15	डॉ. गौतम कोठारी, मेसर्स इलेक्ट्रीसिटी कन्स्यूमर्स सोसायटी, द्वारा एआईएमओ (एमपीएसबी), औद्योगिक क्षेत्र, पोलोग्राउन्ड, इंदौर
16	श्री महेश मित्तल, मेसर्स आल इंडिया मैन्युफेक्चरर्स आर्गेनाइजेशन, औद्योगिक क्षेत्र, पोलोग्राउन्ड इंदौर–452015
17	श्री एम.सी. रावत, म.प्र. टेक्सटाईल मिल्स एसोसिएशन, जल सभागृह, 56/1, साउथ तुकोगंज, इंदौर–452001
18	मेसर्स ग्रसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बिरलाग्राम, नागदा–456331
19	श्री संजय जैन, डिविजनल मैनेजर, प्लांट इंजीनियरिंग, मेसर्स किर्लोस्कर ब्रदर्स लि., रेलवे स्टेशन के पीछे, देवास–455001
20	श्री धर्मेन्द्र सालगिया, मेसर्स इंदिरा सेक्यूरिटी प्रा.लि., ओल्ड पलासिया, शॉप नं. 104–105, अमर दर्शन अपार्टमेंट, इंदौर
21	श्री आर.एस. गोयल, 51 प्रकाश नगर, नेमावर रोड, इंदौर
22	श्री बी.एल. जाजू, अध्यक्ष, मेसर्स म.प्र. कोल्ड स्टोरेज 115–बी, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, पोलोग्राउन्ड, इंदौर
23	श्री सतीश सूद, मेसर्स ओआसिस डिस्टलरीज लि., एच–102, बी–2, मेटरो टॉवर्स, विजय नगर, इंदौर–10
24	श्री दिलीप जैन, मेसर्स महावीर कॉट फाईबर्स, पानसेमल खेतिया रोड, खेतिया, तहसील पानसेमल, जिला बड़वानी
25	श्री अशोक बड़जातिया, मेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज म.प्र., उद्योग भवन, औद्योगिक क्षेत्र, पोलोग्राउन्ड, इंदौर–452015
26	मेसर्स अगरोहा इंटरप्राइजेस प्रा.लि. 374/2, धनलक्ष्मी उद्योग नगर, मुसाखेड़ी, नेमावर

	रोड, इंदौर
27	श्री मनीश श्रीमाली, मेसर्स तिरूपति फाईबर्स, जुलवानियां रोड, खरगोन,
28	श्री पवन गोयल, मेसर्स पवन कॉटन इंडस्ट्रीज, वेरला रोड, सेंधवा, जिला बड़वानी
29	श्री मंजीत चावला, मेसर्स हरमन कोटेक्स, बिस्टन रोड, डेजला देवाडा कालोनी, खरगोन–451001
30	श्री कैलाश खंडेलवाल, मेसर्स म.प्र. कॉटन प्रोसेसर्ज एवं ट्रेडर्स एसोसिएशन, द्वारा विकास कॉट फाइबर प्रा.लि. वेरला रोड सेंधवा, जिला बड़वानी
31	श्री कैलाश चन्द खंडेलवाल, मेसर्स सेंधवा कॉटन एसोसिएशन द्वारा विकास कॉट फाइबर प्रा.लि., वेरला रोड, सेंधवा, जिला बड़वानी
32	श्री मनजीत सिंह चावला, अध्यक्ष, मंडी व्यापारी संघ, व्यापारी विश्रांति भवन, कृषि उपज मंडी परिसर, बिस्टन रोड, खरगोन, जिला खरगोन–451001
33	श्री एम.वी. भाले, मेसर्स देवास वरिष्ठ नागरिक संस्था, वरिष्ठ नागरिक संस्था भवन, देवास–455001
34	मेसर्स धनलक्ष्मी साल्वेक्स प्रा.लि. शाजापुर
35	मेसर्स धनलक्ष्मी साल्वेक्स प्रा.लि. ए.बी. रोड, देवास
36	मेसर्स पूजा सोया इंडस्ट्रीज प्रा.लि. 201, बंसी प्लाजा, 581, एम.जी. रोड, इंदौर–452001
37	श्री अशोक खंडेलिया, मेसर्स एसोसिएशन इंडस्ट्रीज देवास 1/बी/1, 1/बी/2 ए. आई.एस. गजरा औद्योगिक क्षेत्र नं.1, ए.बी. रोड, देवास
38	मेसर्स मसंद एग्रो इक्यूपमेंट प्रा.लि. 70, शास्त्री मार्केट, इंदौर
39	श्री रामनारायण शर्मा, अध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक मंच, प्रकाश नगर, 37, प्रकाश नगर, इंदौर
40	श्री कमलेश गोयल, मेसर्स शिवमोती नगर रहवासी संघ, शिव मोती नगर, मंदिर परिसर, नेमावर रोड, इंदौर
41	श्री गोपाल बंसल, मेसर्स अग्रवाल परिषद् (पंजीकृत) इंदौर, 18, वैभव चैम्बर, प्रथम तल 7/1, ऊषा गंज, इंदौर
42	मेसर्स दिव्य ज्योति इंडस्ट्रीज लि., 92/3, सपना संगीता मेन रोड, इंदौर–452001
43	मेसर्स कश्यप स्वीटनर्स लिमिटेड, चैतन्य ग्राम बदनावर, जिला धार–454660
44	श्री संजय कुमार अग्रवाल, मेसर्स उपभोक्ता हिट प्रहरी, 970, मानक चौक, महू, इंदौर
45	श्री सुशील शर्मा, श्री उमेश तिवारी, प्रातीय महामंत्री, विद्युत मंडल कर्मचारी यूनियन म.प्र. 197, के सेक्टर, ए स्कीम नं.71, गुमाश्ता नगर, मेन रोड, इंदौर
46	श्री एस.के. उपाध्याय, उप महाप्रबंधक (विद्युत) एमओआईएल, नागपुर,
47	श्री नरेन्द्र सिंह यादव, जिला महामंत्री कांग्रेस कमेटी, 157 एलआईजी, विकास नगर, देवास
48	श्री डी.बी. सिंह, मेसर्स आडियो सेल्यूलर लिमिटेड, 139–140 इलेक्ट्रॉनिक्स काम्पलेक्स, परदेसीपुरा, इंदौर
49	श्री कल्याण मूदंड़ा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद्, इंदौर
50	श्री शंकरलाल राठौर, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ओल्ड पलासिया, इंदौर
51	मेसर्स नेशनल स्टील एवं एग्रो इंडस्ट्रीज लि., 401, महाकोष हाउस, 7/5, साउथ तुकोगंज, नाथ मंदिर रोड, इंदौर

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी क्षेत्र के आपत्तिकर्त्ताओं की सूची	
सरल क्रमांक	आपत्तिकर्त्ताओं के नाम एवं पते
1	मेसर्स श्री गोल्डन सिटी वेलफेयर एवं मेन्टेनेन्स कोआपरेटिव्ह सोसायटी लि. 13, श्री गोल्डन सिटी, जाटखेड़ी, होशंगाबाद रोड, भोपाल
2	श्री एन.के. जैन, बी–6, अलकापुरी, हबीबगंज, भोपाल
3	श्री दीन दयाल, अधिवक्ता, बी–7, अलकापुरी, हबीबगंज, भोपाल
4	श्री हरि शंकर साहू एवं श्रीमती सारिका साहू, सी–17 नेहरू नगर, भोपाल–462003
5	श्री राजीव कौशल, मेसर्स गोविन्दपुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, एसोसिएशन काम्पलेक्स, औद्योगिक क्षेत्र, गोविन्दपुरा, भोपाल–462023
6	श्री आई.सी. जिंदल, मेसर्स मैगनम आयरन एवं स्टील प्रा.लि. ए–4, औद्योगिक क्षेत्र, बानमोर, जिला मुरैना
7	श्री के.एन. माथुर, मेसर्स एचईजी लिमिटेड, (ग्रेफाईट डिवीजन), मंडीदीप, जिला रायसेन
8	श्री एस. पाल, मुख्य कार्यपालक, मेसर्स अनन्त स्पिनिंग मिल्स, मंडीदीप, जिला रायसेन
9	श्री वी.डी. दुबे, मेसर्स उपभोक्ता एवं मानवाधिकार मंच, भिण्ड
10	श्री आशिष उपाध्याय, अतिरिक्त आयुक्त, आदिवादी विकास, म.प्र.
11	श्री डी.आर. तंवर, जल संसाधन विभाग, सुरभि वैली, डूप्लेक्स नं.3, ऋषि वैली के समीप, वैशाली नगर, भोपाल
12	श्री के.एस. परिहार, संचालक, बीएलए पावर लिमिटेड, मुम्बई
13	श्री यू.सी. डफाल, हाउस आनर्स एसोसिएशन, भोपाल
14	श्री कमल राठी, ई–2/48, अरेरा कालोनी, भोपाल
15	सैयद अब्दुल हुसेन एवं श्री पूजन सिंह, अधिवक्ता, भोपाल
16	श्री विक्रमादित्य शर्मा, भोपाल
17	श्री सुहास विरानी, सचिव, भोपाल हॉस्टल ओनर्स एसोसिएशन, द्वारा विंध्यश्री गर्ल्स हॉस्टल, 50, जोन–22, एम.पी. नगर, भोपाल–462011
18	श्री विकास विरानी, ए–66, शाहपुरा, भोपाल
19	श्री संजय त्रिपाठी, व्योम नेटवर्क 162, मोदी हाईट्स, प्रथम एवं द्वितीय तल, भविष्य निधि कार्यालय के पास, एम.पी. नगर, जोन–2, भोपाल
20	श्री अभय दुबे, (प्रवक्ता) श्री पी.सी. शर्मा, (अध्यक्ष शहर कांग्रेस) एवं श्री योगेन्द्र गुड्डू चौहान (प्रवक्ता, शहर कांग्रेस) म.प्र. कांग्रेस कमेटी, इंदिरा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल–462016

टैरिफ अनुसूचियां

परिशिष्ट –2 निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूचियां

वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारित विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश का परिशिष्ट

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

निम्न दाब (लो टेंशन–एलटी) उपभोक्ताओं हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूचियां

अनुक्रमणिका

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूचियां	पृष्ठ क्रमांक
एलवी–1 घरेलू	205
एलवी–2 गैर–घरेलू	208
एलवी–3 सार्वजनिक जल–प्रदाय कार्य एवं पथ–प्रकाश	212
एलवी–4 निम्न दाब उद्योग,	214
एलवी–5 कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां	218
निम्न दाब विद्युत–दर (टैरिफ) की सामान्य निबन्धन एवं शर्तें	228

———————

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एलवी–1

घरेलू (Domestic) :

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) केवल आवासीय उपयोग के लिये बत्ती, पंखा तथा पावर हेतु लागू होगी। इस श्रेणी के अंतर्गत धर्मशालाएं, वृद्धावस्था आवास गृह (ओल्ड एज हाऊसेज), सुधारालय (रेसक्यू हाऊसेज), अनाथालय, पूजा–स्थल, तथा धार्मिक संस्थाएं, भी शामिल होंगे।

विद्युत–दर (टैरिफ) (Tariff) :

एलवी 1.1 [100 वॉट (0.1 किलोवाट) से अधिक स्वीकृत भार के उपभोक्ताओं हेतु जिनकी खपत 30 यूनिट प्रति माह से अधिक नहीं है]

(ए) ऊर्जा प्रभार तथा स्थाई प्रभार – मीटरीकृत संयोजन (कनेक्शन) हेतु

मासिक खपत (यूनिट में)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट) शहरी क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)
30 यूनिट तक	290	शून्य

(बी) न्यूनतम प्रभार – इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को न्यूनतम प्रभारों के रूप में रूपये 40 प्रति संयोजन प्रति माह लागू होंगे।

एल वी 1.2

(i) **ऊर्जा प्रभार तथा स्थाई प्रभार–** मीटरीकृत संयोजनों हेतु

मासिक खपत के खण्ड (Slabs) (यूनिट में)	ऊर्जा प्रभार दूरबीनी (टेलिस्कोपिक) लाभ के साथ (पैसे प्रति यूनिट) शहरी/ग्रामीण श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)	
		शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
50 यूनिट तक	340	40 प्रति संयोजन	25 प्रति संयोजन
51 से 100 यूनिट तक	385	65 प्रति संयोजन	40 प्रति संयोजन
101 से 300 यूनिट तक	480	प्रति आधा किलोवाट अधिकृत भार पर रूपये 75 की दर से	प्रति आधा किलोवाट अधिकृत भार पर रूपये 50 की दर से
301 से 500 यूनिट तक	520	प्रति आधा किलोवाट अधिकृत भार पर रूपये 80 की दर से	प्रति आधा किलोवाट अधिकृत भार पर रूपये 70 की दर से
500 यूनिट से अधिक	555	प्रति आधा किलोवाट अधिकृत भार पर रूपये 85 की दर से	प्रति आधा किलोवाट अधिकृत भार पर रूपये 70 की दर से

न्यूनतम प्रभार : उपरोक्त श्रेणियों हेतु रू. 60 प्रति संयोजन प्रति माह के न्यूनतम प्रभार ऊर्जा प्रभारों हेतु लागू होंगें।

टीप : अधिकृत भार वही होगा जैसा कि इसे मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 (समय–समय पर यथासंशोधित) में परिभाषित किया गया है। (प्रत्येक 75 यूनिट प्रति माह की खपत अथवा उसके किसी अंश को आधा किलोवाट के अधिकृत भार के समतुल्य माना जाएगा। उदाहरण : यदि किसी माह के दौरान खपत 125 यूनिट हो तो अधिकृत भार को एक किलोवाट माना जाएगा। इसी प्रकार, यदि किसी माह में खपत 350 यूनिट हो तो अधिकृत भार को 2.5 किलोवाट माना जाएगा) ।

अस्थाई/वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकृत संयोजन	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट) शहरी क्षेत्र/ग्रामीण श्रेत्र	मासिक स्थाई प्रभार	
		शहरी	ग्रामीण
स्वयं के गृह निर्माण हेतु अस्थाई संयोजन (अधिकतम एक वर्ष की अवधि हेतु),	675	प्रत्येक किलोवाट के स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमें से भी सर्वाधिक हो, के लिए रू. 300	प्रत्येक किलोवाट के स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमें से भी सर्वाधिक हो, के लिए रू. 200
सामाजिक/वैवाहिक प्रयोजन तथा धार्मिक समारोहों हेतु अस्थाई संयोजन	675	प्रत्येक किलोवाट के स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमें से भी सर्वाधिक हो, प्रत्येक 24 घंटे की अवधि या उसके किसी अंश हेतु रू. 40	प्रत्येक किलोवाट के स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमें से भी सर्वाधिक हो, प्रत्येक 24 घंटे की अवधि या उसके किसी अंश हेतु रू. 20
वितरण ट्रांसफार्मर मीटर द्वारा, झुग्गी–झोपड़ी समूह हेतु जब तक व्यक्तिगत मीटर उपलब्ध नही करा दिये जाते	300	शून्य	शून्य

न्यूनतम प्रभार : अस्थाई संयोजन हेतु, ऊर्जा प्रभारों हेतु, रू. 500/– प्रति संयोजन प्रति माह के प्रभार लागू होंगे तथा झुग्गी–झोपड़ी समूह हेतु वितरण ट्रांसफार्मर मीटर द्वारा विद्युत प्रदाय हेतु कोई भी न्यूनतम प्रभार लागू नहीं होंगे।

(ii) अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों हेतु ऊर्जा प्रभार तथा स्थाई प्रभार :

विवरण	अमीटरीकृत संयोजनों हेतु प्रतिमाह बिल किये जाने वाले यूनिट तथा ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)
शहरी क्षेत्र में अमीटरीकृत संयोजन हेतु	100 यूनिट हेतु, 420 पैसे प्रति यूनिट की दर से	75 प्रति संयोजन
ग्रामीण क्षेत्रों में अमीटरीकृत संयोजन हेतु	55 यूनिट हेतु, 340 पैसे प्रति यूनिट की दर से	30 प्रति संयोजन

न्यूनतम प्रभार – इस श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये किसी प्रकार के न्यूनतम प्रभार लागू नहीं होंगे।

एलवी–1 श्रेणी हेतु विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें

(अ) बिलिंग के प्रयोजन से, वितरण ट्रांसफार्मर मीटर में अभिलिखित किये गये ऊर्जा प्रभारों के तत्संबंधी ऊर्जा प्रभारों को उक्त वितरण ट्रांसफार्मर से संयोजित समस्त उपभोक्ताओं के मध्य बराबर–बराबर विभाजित किया जाएगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार बिलिंग हेतु ऐसे उपभोक्ताओं की सहमति प्राप्त की जाएगी ।

(ब) ऐसे प्रकरण में जहां वास्तविक खपत हेतु ऊर्जा प्रभार न्यूनतम प्रभारों से कम हो, वहां ऊर्जा प्रभारों के प्रति न्यनूतम प्रभारों की बिलिंग की जाएगी। अन्य समस्त प्रभार, जैसा कि वे प्रयोज्य है, की बिलिंग भी की जाएगी।

(स) अन्य निबन्धन तथा शर्ते वही होंगी जैसा कि इन्हें निम्नदाब उपभोक्ताओं हेतु सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एलवी–2

गैर–घरेलू (Non-Domestic) :

एलवी 2.1

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर शैक्षणिक संस्थाओं मय अभियान्त्रिकी महाविद्यालयों/पॉलिटेक्निकों/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आईटीआई) (जो किसी शासकीय निकाय अथवा किसी विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकृत/से संबद्ध/द्वारा मान्यता प्राप्त हैं) स्थित कर्मशालाओं (वर्कशाप) तथा प्रयोगशालाओं को, विद्यार्थियों अथवा कामकाजी महिलाओं अथवा खिलाड़ियों हेतु छात्रावासों (हॉस्टल) (शासन द्वारा अथवा वैयक्तिक रूप से संचालित) को बत्ती, पंखा तथा पावर हेतु लागू होगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

विद्युत–दर निम्न तालिका के अनुसार होगी :

उप–श्रेणी	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट) शहरी/ग्रामीण क्षेत्र	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)	
		शहरी क्षेत्रों में	ग्रामीण क्षेत्रों में
स्वीकृत भार आधारित विद्युत –दर (केवल 20 किलोवाट तक के संयोजित भार के लिये)	520	90 प्रति किलोवाट	60 प्रति किलोवाट
वैकल्पिक (Optional) मांग आधारित विद्युत–दर (टैरिफ) (केवल 10 किलोवाट से अधिक तथा 20 किलोवाट तक की संविदा मांग हेतु)	520	180 प्रति किलोवाट अथवा रू. 144 प्रति केवीए बिलिंग मांग पर	120 प्रति किलोवाट अथवा रू. 96 प्रति केवीए बिलिंग मांग पर
अनिवार्य (Mandatory) 20 किलोवाट से अधिक संविदा मांग आधारित विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु	520	180 प्रति किलोवाट अथवा रू. 144 प्रति केवीए बिलिंग मांग पर	120 प्रति किलोवाट अथवा रू. 96 प्रति केवीए बिलिंग मांग पर

एलवी 2.2

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) रेलवे {रेलवे कर्षण (ट्रैक्शन) तथा रेलवे कालोनीं/जलप्रदाय व्यवस्था के प्रयोजन को छोड़कर}, दुकानों/शोरूम, बैठक–कक्ष (पारलर), समस्त कार्यालयों, अस्पतालों, तथा चिकित्सा देखभाल सुविधाओं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सम्मिलित कर, औषधालयों (क्लीनिकों), नर्सिंग होम (जो शासन या सार्वजनिक या निजी संस्थाओं से संबंद्ध हैं), सार्वजनिक

भवनों, अतिथि–गृहों (गेस्ट हाऊसों), सर्किट हाऊस, शासकीय विश्राम गृहों, क्ष–किरण संयंत्र (एक्सरे प्लांट), मान्यता–प्राप्त लघु स्तर के सेवा संस्थानों, क्लब, रेस्टॉरेंट, खान–पान संबंधी स्थापनाओं, बैठक–परिसरों (मीटिंग हाल), सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों, सर्कस–प्रदर्शनों, होटलों, सिनेमाघरों, व्यावसायिक परिसरों (चेम्बर्स) {यथा, अधिवक्ताओं, सनदी लेखापालों (चार्टर्ड अकाऊंटेंट, परामर्शदाताओं, चिकित्सकों आदि के} बॉटलिंग संयंत्रों, वैवाहिक उद्यान–स्थलों (मैरिज गार्डन), विवाह–घरों, विज्ञापन–सेवाओं, विज्ञापन पटलों (बोर्डों)/होर्डिंग, प्रशिक्षण अथवा कोचिंग संस्थाओं, पेट्रोल पंपों तथा सेवा केन्द्रों (सर्विस स्टेशन), सिलाई कार्य की दुकानों (टेलरिंग शॉप), वस्त्र धुलाई–घर (लाउण्ड्री), व्यायाम–घर (जिमनेजियम), स्वास्थ्य–क्लब (हेल्थ–क्लब) मोबाईल संचार हेतु दूरसंचार टॉवर तथा अन्य कोई स्थापना (एलवी 2.1 श्रेणी में सम्मिलित की गई संस्थाओं को छोड़कर) जिन्हें केन्द्रीय/राज्य अधिनियमों के अंतर्गत वाणिज्यिक–कर/सेवा–कर/वेल्यू एडिड टैक्स (वैट)/मनोरंजन–कर/विलास–कर (लक्ज़री टैक्स) का भुगतान करने संबंधी अर्हता हो, को बत्ती, पंखा तथा पावर हेतु प्रयोज्य है।

विद्युत–दर टैरिफ :

विद्युत–दर (टैरिफ) निम्न तालिका के अनुसार होगी :

उप–श्रेणी	ऊर्जा प्रभार, (पैसे/यूनिट) शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)	
		शहरी क्षेत्रों में	ग्रामीण क्षेत्रों में
समस्त खपत की गई यूनिटों पर, यदि मासिक खपत 50 यूनिट से अधिक नहीं है	540	50 प्रति किलोवाट	30 प्रति किलोवाट
समस्त खपत की गई यूनिटों पर, यदि खपत की मात्रा 50 यूनिट से अधिक है	600	85 प्रति किलोवाट	60 प्रति किलोवाट
वैकल्पिक (Optional) मांग आधारित विद्युत–दर (टैरिफ) केवल 10 किलोवाट से अधिक तथा 20 किलोवाट तक की संविदा मांग हेतु)	525	190 प्रति किलोवाट अथवा 152 प्रति केवीए, बिलिंग मांग पर	120 प्रति किलोवाट अथवा 96 प्रति केवीए, बिलिंग मांग पर
अनिवार्य (Mandatory) 20 किलोवाट से अधिक संविदा मांग आधारित विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु	525	190 प्रति किलोवाट अथवा रू. 152 प्रति केवीए बिलिंग मांग पर	120 प्रति किलोवाट अथवा रू. 96 प्रति केवीए बिलिंग मांग पर
अस्थाई संयोजन, मय निम्नदाब पर* मेला स्थलों हेतु बहु–बिन्दु अस्थाई संयोजन के लिये	715	130 प्रति किलोवाट अथवा उसका कोई अंश, स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर इनमें से जो भी सर्वाधिक हो	85 प्रति किलोवाट अथवा उसका कोई अंश स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर इनमें से जो भी सर्वाधिक हो

उप–श्रेणी	ऊर्जा प्रभार, (पैसे / यूनिट) शहरी / ग्रामीण क्षेत्रों में	स्थाई प्रभार (रूपये में)	
		शहरी क्षेत्रों में	ग्रामीण क्षेत्रों में
वैवाहिक प्रयोजनों हेतु, विवाह उद्यान स्थल (मैरिज गार्डन) अथवा विवाह–घर (मैरिज हॉल) अथवा एलवी 2.1 तथा 2.2 श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले अन्य परिसरों हेतु अस्थाई संयोजन	715 (न्यूनतम खपत प्रभारों की बिलिंग 6 यूनिट प्रति किलोवाट भार पर प्रत्येक 24 घंटे की अवधि अथवा इसके किसी अंश हेतु, स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर इनमें से जो भी सर्वाधिक हो, पर की जायेगी जो न्यूनतम राशि रू. 500 / – के अध्यधीन होगी)	50 प्रत्येक किलो वाट के अथवा उसके किसी अंश पर प्रत्येक 24 घंटे की अवधि अथवा उसके किसी अंश हेतु, स्वीकृत किये गये अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर इनमें से जो भी सर्वाधिक हो,	30 प्रत्येक किलो वाट के अथवा उसके किसी अंश पर प्रत्येक 24 घंटे की अवधि अथवा उसके किसी अंश हेतु, स्वीकृत किये गये अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर इनमें से जो भी सर्वाधिक हो,
क्ष–किरण संयंत्र (एक्सरे प्लांट) हेतु	अतिरिक्त स्थाई प्रभार (रूपये प्रति मशीन प्रति माह)		
एकल फेज	450		
तीन फेज	650		
दंत क्ष–किरण मशीन (डेंटल एक्सरे प्लांट)	50		

* केवल उसी स्थिति में लागू होंगे जबकि मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा मेला आयोजन की अनुमति प्रदान की गई हो।

एलवी–2 श्रेणी हेतु विशिष्ट निबंधन एवं शर्तें

(ए) **न्यूनतम खपत** : उपभोक्ता को **स्वीकृत भार अथवा संविदा मांग (मांग आधारित प्रभारों के प्रकरण में)** हेतु शहरी क्षेत्रों में 360 यूनिट प्रति किलोवाट अथवा उसके किसी अंश की न्यूनतम वार्षिक खपत को तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 180 यूनिट प्रति किलोवाट अथवा उसके किसी अंश की न्यूनतम वार्षिक खपत को प्रत्याभूत (गारंटी) करना होगा। परन्तु, न्यूनतम खपत की गणना हेतु उपभोक्ता के संयोजित भार पर विचार करते समय, क्ष–किरण इकाई के भार को, सम्मिलित नहीं किया जाएगा। न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि निम्न दाब विद्युत दर हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी।

(बी) **आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार** : इसकी बिलिंग विधि निम्न–दाब विद्युत–दर हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में निर्दिष्ट की गई है।

(सी) **ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित दूरसंचार अधोसंरचना (Telecom Infrastructure) हेतु ऊर्जा प्रभारों में छूट** : राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के संवर्धन की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मोबाईल संचार टावरों (Mobile Communication Towers) हेतु 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट प्रदान की गई है।

(डी) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें निम्न दाब विद्युत–दर टैरिफ की सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ई) **श्रेणी एलवी–1 तथा एलवी–2 हेतु** : ऐसा कोई उपभोक्ता जिसकी संविदा मांग 10 किलोवाट अथवा इससे अधिक तथा 20 किलोवाट तक है, द्वारा मांग आधारित विद्युत–दर के लिये विकल्प दिया जा सकता है, तथापि 20 किलोवाट से अधिक संविदा मांग हेतु मांग आधारित विद्युत–दर अनिवार्य है। विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसके लिये एम्पीयर/ट्राईवेक्टर/बाईवेक्टर मापयन्त्र (मीटर), जो मांग को किलोवोल्ट एम्पीयर/किलोवाट, किलोवाट ऑवर, किलोवोल्ट एम्पीयर आवर में अभिलेखन हेतु सक्षम है, प्रदान किया जाएगा।

———————

टैरिफ अनुसूची–एलवी–3

सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य एवं पथ–प्रकाश (Public Water Works and Street Lights) :

प्रयोज्यता :

टैरिफ अनुक्रमांक **एलवी–3.1** लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग अथवा नगरीय निकायों अथवा ग्राम पंचायतों अथवा कोई अन्य संस्था जिन्हें शासन द्वारा जलप्रदाय/जलप्रदाय संयंत्रों/जल–मल संयंत्रों का उत्तरदायित्व जनोपयोगी जलप्रदाय योजनाओं, जल–मल उपचार संयंत्रों (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट), जल–मल पंपिंग संयंत्रों हेतु जलप्रदाय/सार्वजनिक जलप्रदाय संयंत्रों/जल–मल संस्थापनों के संधारण हेतु दायित्व सौंपा गया हो, को लागू होगा तथा यह दर नगरीय निकायों/ न्यासों द्वारा संधारित विद्युत शव–दाह गृहों (Electric crematorium) को भी लागू होगी।

टीप : निजी जलप्रदाय योजनाएँ, संस्थाओं आदि द्वारा अपने स्वयं के उपयोग/कर्मचारियों/टाऊनशिपों हेतु चलाई जा रही जलप्रदाय योजनाएं इस श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आएंगी। इनकी बिलिंग समुचित टैरिफ श्रेणी के अन्तर्गत की जाएगी, जिससे वह संस्था संबद्ध है। यदि जलप्रदाय का उपयोग दो या दो से अधिक प्रयोजनों हेतु किया जा रहा हो, तो ऐसी दशा में सम्पूर्ण खपत की बिलिंग उक्त प्रयोजन हेतु की जाएगी, जिस हेतु विद्युत–दर उच्चतर है।

टैरिफ अनुक्रमांक **एलवी–3.2** यातायात संकेतों (ट्रैफिक सिग्नल), सार्वजनिक मार्गों अथवा सार्वजनिक स्थलों की प्रकाश व्यवस्था मय उद्यानों, नगर भवन (टाऊन हाल), स्मारकों तथा इनसे संबद्ध संस्थानों, संग्रहालयों, सार्वजनिक प्रसाधनों (टायलेट), शासन अथवा स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा वाचनालयों तथा सुलभ शौचालयों को लागू होगा।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

उपभोक्ता श्रेणी/प्रयोज्यता का क्षेत्र	ऊर्जा प्रभार (पैसे/यूनिट)	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये/ किलोवाट)	न्यूनतम प्रभार
एलवी 3.1 सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य			**कोई न्यूनतम प्रभार लागू नहीं होंगे**
नगरपालिक निगम/छावनी (केन्टोनमेंट) बोर्ड	365	140	
नगरपालिका/नगर पंचायत	365	120	
ग्राम पंचायत	365	50	
अस्थाई विद्युत प्रदाय	प्रयोज्य विद्युत–दर से 1.3 गुना दर पर		
एलवी 3.2 पथ–प्रकाश			
नगरपालिक निगम/छावनी (केन्टोनमेंट) बोर्ड	380	235	**कोई न्यूनतम प्रभार लागू नहीं होंगे**
नगरपालिका/नगर पंचायत	375	210	
ग्राम पंचायत	375	50	

एलवी–3 श्रेणी हेतु विशिष्ट निबंधन तथा शर्ते

(ए) मांग–परक प्रबन्धन (डिमांड साईड मैनेजमेंट) अपनाए जाने पर प्रोत्साहन :

ऊर्जा बचत उपकरणों की स्थापना किये जाने पर [जैसे कि, पम्प सेट्स हेतु, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित ऊर्जा दक्ष मोटरों तथा पथ–प्रकाश व्यवस्था हेतु कार्यक्रमबद्ध चालू–बन्द/मन्द करने वाला स्विच, स्वचालन व्यवस्था सहित] उपभोक्ता को 5% की दर से **प्रोत्साहन** प्रदान किया जाएगा। **प्रोत्साहन** उसी दशा में अनुज्ञेय किया जाएगा, यदि पूर्ण देयक की राशि का भुगतान निर्धारित तिथि तक कर दिया जाता है, जिसका परिपालन न किये जाने पर समस्त खपत किये गये यूनिटों का भुगतान सामान्य दरों पर करना होगा। इस प्रकार का प्रोत्साहन, ऊर्जा बचत उपकरणों को उपयोग में लाये जाने वाले माह से आगामी माह से अनुज्ञेय किया जाएगा तथा इसका सत्यापन अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा। यह प्रोत्साहन उक्त अवधि तक अनुज्ञेय किया जाना जारी रहेगा जब तक ये ऊर्जा बचत उपकरण सेवारत रहते हैं। अनुज्ञप्तिधारी को उपरोक्त प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु, वृहद् प्रचार–प्रसार की व्यवस्था भी करनी होगी।

(बी) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें निम्न दाब विद्युत–दर (टैरिफ) की सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

———————

टैरिफ अनुसूची एलवी – 4

निम्नदाब औद्योगिक (LT Industrial) :

प्रयोज्यता :

टैरिफ अनुक्रमांक **एलवी–4** प्रिंटिंग प्रेस अथवा अन्य कोई औद्योगिक स्थापनाओं तथा कर्मशालाओं {जहां कोई प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) अथवा विनिर्माण (मेन्युफेक्चरिंग) कार्य, टायर–रीट्रिडिंग को सम्मिलित कर सम्पन्न किया जा रहा हो} के लिए बत्ती, पंखा या उपकरणों के प्रचालन हेतु पावर के लिये लागू होंगी। ये विद्युत–दरें (टैंरिफ) शीतागार (कोल्ड स्टोरेज), गुड़ (जैगरी) तैयार करने वाली मशीनों, आटा चक्कियों (फ्लोर मिल्स), मसाला चक्कियों, हलर, खाण्डसारी इकाईयों, ओटाई (गिन्निंग) तथा प्रेसिंग इकाईयों, गन्ना पिराई (गन्ने का रस निकालने वाली मशीनों को सम्मिलित करते हुए) विद्युत–करघों (पावरलूम), दाल मिलों, बेसन मिलों तथा बर्फखानों (आईस–फैक्टरी) तथा अन्य कोई विनिर्माण (मेन्युफेक्चरिंग) अथवा प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) इकाईयों (बॉटलिंग संयत्रों को छोड़कर) खाद्य वस्तुओं का उत्पादन/प्रसंस्करण अथवा कृषि उत्पादों के प्रस्ंसकरण, उनके संरक्षण/उनके शेल्फ उपयोगी जीवन काल (shelf life) में अभिवृद्धि हेतु तथा डेरी इकाईयों [जहां दूध का प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग), शीतलीकरण (चिलिंग), पाश्चुरीकरण प्रक्रिया आदि को छोड़कर किया जाता है जिससे अन्य दुग्ध उत्पादों का उत्पादन हो सके] हेतु भी लागू होंगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

	उपभोक्ता श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)		ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट) शहरी/ग्रामीण क्षेत्र
		शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	
4.1 गैर–मौसमी उपभोक्ता				
4.1 ए	निम्न दाब उद्योग जिनका संयोजित भार 25 अश्वशक्ति (हार्स पावर) तक है	90 प्रति अश्वशक्ति	30 प्रति अश्वशक्ति	400
4.1 बी	मांग–आधारित विद्युत–दर (Demand based tariff) (संविदा मांग 100 अश्वशक्ति तक)	220 प्रति किलोवाट अथवा 176 प्रति केवीए की बिलिंग मांग पर	110 प्रति किलोवाट अथवा 88 प्रति केवीए की बिलिंग मांग पर	520
4.1 सी	मांग आधारित विद्युत–दर (100 अश्वशक्ति* से अधिक तथा 150 अश्वशक्ति तक की संविदा मांग हेतु)	300 प्रति किलोवाट अथवा 240 प्रति केवीए की बिलिंग मांग पर	210 प्रति किलोवाट अथवा 168 प्रति केवीए की बिलिंग मांग पर	535

4.1 डी	अस्थाई संयोजन	प्रयोज्य विद्युत–दर का 1.3 गुना		
*इसके अतिरिक्त, इन उपभोक्ताओं द्वारा रूपांतरण (ट्रांसफार्मरमेशन) हानियां तीन प्रतिशत की दर से तथा ट्रांसफार्मर भाड़ा मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत प्रदाय लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम), 2009 के अनुसार देय होगा।				
4.2 मौसमी उपभोक्ताओं हेतु मौसम की अवधि एक वित्तीय वर्ष में निरंतर 180 दिवस से अधिक की न होगी)। यदि घोषित मौसम अथवा मौसम बाह्य (ऑफ सीजन) का विस्तार दो टैरिफ अवधियों के अन्तर्गत होता हो, तो ऐसी दशा में प्रयोज्य विद्युत–दर तत्संबंधी अवधि हेतु लागू होगी।				
4.2 ए	**मौसम के दौरान**	गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ)	गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ)	गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप, सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ)
4.2 बी	**मौसम बाह्य (ऑफ–सीजन) के दौरान**	गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत–दर, संविदा मांग के 10 प्रतिशत पर अथवा वास्तविक अभिलिखित (रिकार्डेड) मांग पर, इनसे जो भी अधिक हो	गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत–दर, संविदा मांग के 10 प्रतिशत पर अथवा वास्तविक अभिलिखित (रिकार्डेड) मांग पर, इनमें से जो भी अधिक हो	गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत–दर का 120 प्रतिशत

निबंधन तथा शर्तें

(ए) उपभोक्ता की प्रतिमाह अधिकतम मांग, उपभोक्ता के प्रदाय बिन्दु पर उक्त माह में निरंतर पन्द्रह मिनट की अवधि हेतु प्रदाय की गई चार गुना अधिकतम किलोवाट एम्पीयर आवर्स की मात्रा के बराबर मानी जाएगी।

(बी) कोई भी उपभोक्ता मांग आधारित विद्युत–दर (Demand Based Tariff) हेतु अपना विकल्प दे सकेगा, परन्तु ऐसे उपभोक्ता जिनका संयोजित भार **25 अश्वशक्ति से अधिक** है, उन्हें मांग आधारित विद्युत–दर (टैरिफ) अनिवार्य (mandatory) है तथा अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता हेतु टाईवेक्टर/बाईवेक्टर मीटर जो मांग को किलोवोल्ट एम्पीयर/किलोवाट, किलोवाट ऑवर, किलोवोल्ट एम्पीयर ऑवर तथा उपयोग के समय विद्युत खपत (टाईम ऑफ यूज कंसम्पशन) को अभिलिखित किये जाने हेतु सक्षम हो, प्रदान करेंगे।

(सी) **न्यूनतम खपत** : निम्नानुसार मानी जाएगी :

(सी.1) 100 अश्वशक्ति तक के संयोजित भार हेतु

i. **ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नदाब उद्योगों हेतु** : उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर में) 180 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश, पर आधारित संविदा मांग को प्रत्याभूत (गारंटी) किया जाएगा, भले ही वर्ष के दौरान उसके द्वारा किसी ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं।

ii. **शहरी क्षेत्रों में निम्नदाब उद्योगों हेतु** : उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर में) 360 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश पर आधारित संविदा मांग को प्रत्याभूत (गारंटी) किया जाएगा, भले ही वर्ष के दौरान उसके द्वारा किसी ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं।

iii. ऐसे प्रकरण में उपभोक्ता की वास्तविक खपत उपरोक्त जहां निर्दिष्ट की गई यूनिटों की संख्या से कम हो, उपभोक्ता को ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 15 यूनिट

प्रति अश्वशक्ति प्रति माह की मासिक बिलिंग तथा शहरी क्षेत्रों में 30 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह की मासिक बिलिंग की जाएगी।

iv. **न्यूनतम खपत हेतु बिलिंग की विधि** निम्न दाब विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट की गई है।

(सी.2) 100 अश्वशक्ति से अधिक के संयोजित भार हेतु

i. **ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नदाब उद्योगों हेतु** : उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर में) 240 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश, पर आधारित संविदा मांग को प्रत्याभूत (गारंटी) किया जाएगा, भले ही वर्ष के दौरान उसके द्वारा किसी ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं।

ii. **शहरी क्षेत्रों में निम्नदाब उद्योगों हेतु** : उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर में) 480 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश पर आधारित संविदा मांग को प्रत्याभूत (गारंटी) किया जाएगा, भले ही वर्ष के दौरान उसके द्वारा किसी ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं।

iii. जहां उपभोक्ता की वास्तविक खपत उपरोक्त निर्दिष्ट की गई यूनिट संख्या से कम हो वहां ऐसे प्रकरण में उपभोक्ता को ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 20 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति माह अथवा उसके किसी अंश हेतु संविदा मांग की मासिक बिलिंग तथा शहरी क्षेत्रों में 40 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह अथवा उसके किसी अंश हेतु संविदा मांग की मासिक बिलिंग की जाएगी।

iv. **न्यूनतम खपत हेतु बिलिंग की विधि** निम्न दाब विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट की गई है।

(डी) आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार : इनकी बिलिंग निम्न दाब विद्युत–दर हेतु सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप की जाएगी।

(ई) अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें निम्न दाब विद्युत–दर (टैरिफ) की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(एफ) मौसमी (सीजनल) उपभोक्ताओं हेतु अन्य निबंधन तथा शर्तें :

i. उपभोक्ता को वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु मौसम के तथा मौसम बाह्य (ऑफ सीजन) के माह, टैरिफ आदेश जारी होने के 60 दिवस के भीतर घोषित करने होंगे तथा इन्हें वितरण अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करना होगा। यदि उपभोक्ता द्वारा इस वित्तीय वर्ष के लिये मौसम तथा मौसम बाह्य की अवधि इस टैरिफ आदेश के जारी होने से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को सूचित की जा चुकी हो तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे संज्ञान में लिया जाएगा तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे स्वीकार कर लिया जाएगा।

ii. उपभोक्ता द्वारा एक बार घोषित की गई मौसमी अवधि को वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

iii. यह विद्युत–दर उन सम्मिश्रित इकाईयों, (composite units) को प्रयोज्य न होगी जिनके पास मौसमी तथा अन्य श्रेणी भार विद्यमान हैं।

iv. उपभोक्ता को उसकी मासिक मौसम–बाह्य खपत को, पिछले तीन मौसमों के दौरान औसत मासिक खपत के अधिकतम 15 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि इस सीमा का किसी बाह्य मौसम माह के दौरान उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष हेतु, प्रभावशील गैर–मौसमी (non-seasonal) विद्युत–दर (टैरिफ) के अन्तर्गत की जाएगी।

v. उपभोक्ता को मौसम–बाह्य के दौरान उसकी अधिकतम मांग को संविदा मांग का 30 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि उसके द्वारा घोषित मौसम–बाह्य के अंतर्गत किसी माह में अधिकतम मांग इस सीमा से अधिक पाई जाती है तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष हेतु, प्रभावशील गैर–मौसमी (non-seasonal) विद्युत–दर (टैरिफ) के अन्तर्गत की जाएगी।

————————

टैरिफ अनुसूची–एलवी–5

कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां (Agriculture and Allied Activities) :

1. प्रयोज्यता :

टैरिफ अनुक्रमांक **एलवी–5.1** कृषि संबंधी पंप संयोजनों, भूसा काटने वाले उपकरणों (chaff cutters), थ्रेशरों, भूसा उड़ाने वाली मशीनों (Winnowing machines) बीजारोपण मशीनों, (Seeding machines), उद्‌वहन सिंचाई योजनाओं हेतु सिंचाई पंपों मय पशुओं के उपयोग हेतु कृषि पंपों द्वारा उद्‌वहन जल के संयोजनों पर प्रयोज्य होगा। इस विद्युत–दर (टैरिफ) में राज्य सरकार द्वारा देय सहायतानुदान (subsidy) राशि सम्मिलित नहीं है। राज्य सरकार ने यह निर्दिष्ट भी किया है कि इस टैरिफ श्रेणी के अन्तर्गत सहायतानुदान की राशि वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्रयोज्य दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी।

टैरिफ अनुक्रमांक **एलवी–5.2** रोपणियों (नर्सरी) फूल/पौधे, पौध (सैपलिंग)/फल/कुकुरमुत्ता (mushroom) उगाने वाले प्रक्षेत्रों तथा चरागाह (grasslands) हेतु संयोजनों पर प्रयोज्य होगा।

टैरिफ अनुक्रमांक **एलवी–5.3** मत्स्य तालाबों, एक्वाकल्चर, (aquaculture) रेशम उद्योग (sericulture), अण्डा सेने के स्थलों (हैचरी), कुक्कुट पालन केन्द्रों (poultry farms), पशु–प्रजनन केन्द्रों (cattle breeding farms), तथा केवल उन्हीं डेरी इकाईयों हेतु, जहां केवल दूध निकालने तथा इसका प्रसंस्करण करने, जैसे कि शीतलीकरण, पाश्चुरीकरण, आदि का कार्य किया जाता है, हेतु संयोजनों पर प्रयोज्य होगा।

टैरिफ अनुक्रमांक **एलवी–5.4** कृषि संबंधी पंप संयोजनों, भूसा काटने वाले उपकरणों (chaff cutters), थ्रेशरों, भूसा उड़ाने वाली मशीनों (Winnowing machines), बीजारोपण मशीनों (seeding machiners) उद्‌वहन सिंचाई योजनाओं हेतु सिंचाई पंपों मय पशुओं के उपयोग हेतु कृषि पंपों द्वारा उद्‌वहन जल के संयोजनों पर प्रयोज्य होगा जिन्हें एक मुश्त दर (flat rate) लागू होती है।

2. विद्युत–दर (टैरिफ) :

सरल क्रमांक	उप–श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट में)
एलवी–5.1			
ए)(i)	प्रथम 300 यूनिट प्रतिमाह	कुछ नहीं	320
(ii)	माह के अन्तर्गत 300 यूनिट से अधिक तथा 750 यूनिट तक	कुछ नहीं	380
(iii)	माह के अंतर्गत, शेष यूनिटों की खपत हेतु	कुछ नहीं	405
बी)	अस्थाई संयोजन	कुछ नहीं	405
सी)	वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकृत समूह उपभोक्ताओं हेतु	कुछ नहीं	300
एलवी–5.2			
ए) (i)	प्रथम 300 यूनिट प्रति माह	कुछ नहीं	320
(ii)	माह के अंतर्गत, 300 यूनिट से अधिक तथा 750 यूनिट तक	कुछ नहीं	380
(iii)	माह के अंतर्गत, शेष यूनिटों की खपत हेतु	कुछ नहीं	405
बी)	अस्थाई संयोजन	कुछ नहीं	405
एलवी–5.3			
ए)	शहरी क्षेत्रों में, 25 अश्वशक्ति तक	55 प्रति अश्वशक्ति	375
बी)	ग्रामीण क्षेत्रों में, 25 अश्वशक्ति तक	20 प्रति अश्वशक्ति	375
सी)	शहरी क्षेत्रों में, मांग आधारित विद्युत–दर (Demand based Tariff) (100 अश्वशक्ति तक की संविदा मांग तथा संयोजित भार पर)	170 प्रति किलोवॉट अथवा 136/केवीए, बिलिंग मांग पर	455
डी)	ग्रामीण क्षेत्रों में, मांग आधारित विद्युत दर (Demand based Tariff) (100 अश्वशक्ति तक की संविदा मांग तथा संयोजित भार पर)	80 प्रति किलोवाट अथवा 64/केवीए बिलिंग मांग पर	455

5.4	कृषि एक मुश्त दर विद्युत–दर, सहायतानुदान को छोड़कर*	माह अप्रैल से सितम्बर हेतु उपभोक्ता द्वारा देय दर (रूपये प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह में)	माह अक्टूबर से मार्च हेतु उपभोक्ता द्वारा देय दर (रूपये प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह में)
ए)	तीन फेज–शहरी	100	100
बी)	तीन फेज–ग्रामीण	100	100
सी)	एक फेज–शहरी	100	100
डी)	एक फेज–ग्रामीण	100	100

* देखें निबन्धन तथा शर्तों का पैरा 1.2

निबन्धन तथा शर्तें

1.1 **टैरिफ अनुसूची 5.1 के अन्तर्गत उपभोक्ताओं की बिलिंग (Billing of Consumers under Tariff Schedule LV5.1)** : टैरिफ अनुसूची एलवी 5.1 के अन्तर्गत शामिल किये गये उपभोक्ताओं की बिलिंग मासिक आधार पर मापयन्त्र (मीटर) में अभिलिखित खपत के आधार पर की जाएगी। उपभोक्ता द्वारा देयक की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा देय भुगतान राज्यानुदान (Subsidy) भुगतान के समायोजन के बाद किया जाएगा।

उदाहरण :

चूंकि टैरिफ अनुसूची एलवी 5.1 के अन्तर्गत बिलिंग मासिक खपत पर आधारित होती है, उपभोक्ता संयोजनों के भार से असंबद्ध, मापयन्त्र में अभिलिखित मासिक खपत के आधार पर देय राशि का भुगतान करेगा। वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्यानुदान के स्तर पर विचार करते हुए निम्न तालिका में उदाहरण के माध्यम से एक सामान्य स्थाई उपभोक्ता के प्रकरण में देय राशि की बिलिंग दर्शाई गई है :

मासिक खपत यूनिटों में	मासिक देयक	राज्य सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली सहायतानुदान की राशि	उपभोक्ता द्वारा भुगतान योग्य देयक की शुद्ध राशि
100	100 यूनिट x रू. 3.20 प्रति यूनिट = रू 320/–	100 यूनिट x रू. 1.95 प्रति यूनिट = रू 195/–	रू. 320 – रू. 195 =रू. 125/–
500	300 यूनिट x रू. 3.20 प्रति यूनिट + 200 यूनिट x रू 3.80 प्रति यूनिट= 1720/–	300 यूनिट x रू. 1.95 प्रति यूनिट + 200 यूनिट x रू 2.30 प्रति यूनिट=रू. 1045/–	रू. 1720 – रू. 1045 =रू. 675/–
900	300 यूनिट x रू. 3.20 प्रति यूनिट + 450 यूनिट x रू 3.80 प्रति यूनिट +150 यूनिट x रू. 4.05 प्रति यूनिट =रू. 3277.50	300 यूनिट x रू. 1.95 प्रति यूनिट +200 यूनिट x रू 2.30 प्रति यूनिट +250 यूनिट x रू. 2.15 प्रति यूनिट + 150 यूनिट x रू. 2.40 प्रति यूनिट = रू. 1942.50	रू. 3277.50 – रू. 1942.50 = रू. 1335/–

1.2 **टैरिफ अनुसूची 5.4 के अन्तर्गत उपभोक्ताओं की बिलिंग (Billing of Consumers under Tariff Schedule LV5.4)** : टैरिफ अनुसूची एलवी 5.4 के अन्तर्गत उपभोक्ता द्वारा देय दरें केवल राज्यानुदान (Subsidy) से संबंधित हैं। टैरिफ अनुसूची एलवी 5.4 के अन्तर्गत सम्मिलित उपभोक्ता हेतु देयक की गणना टैरिफ अनुसूची एलवी 5.1 में निर्दिष्ट की गई दरों पर इस अनुसूची की शर्त 1.3 के अन्तर्गत प्रति अश्वशक्ति (H.P.)

यूनिटों के आकलन के मापदण्डों के आधार पर की जाएगी। उपभोक्ता को टैरिफ अनुसूची एलवी 5.4 के अन्तर्गत निर्दिष्ट दरों पर भुगतान करना होगा तथा देयक की अवशेष राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अग्रिम राज्यानुदान (advance subsidy) के रूप में किया जाएगा।

तीन अश्वशक्ति हेतु उदाहरण (Illustration for 3 H.P.) :

उदाहरण के लिए, एक ऐसे उपभोक्ता के प्रकरण में जिसका ग्रामीण क्षेत्र में तीन फेस विद्युत प्रदाय पर **3 अश्वशक्ति (3 H.P.)** का संयोजन है, उसके लिये कुल देयक राशि की गणना, टैरिफ अनुसूची एलवी 5.1 के अन्तर्गत निर्दिष्ट दरों पर की जाएगी। उपभोक्ता को माह अप्रैल से सितम्बर के लिये माह अप्रैल में रू. 1800/– की देयक राशि का भुगतान तथा माह अक्टूबर से मार्च के लिये माह अक्टूबर में रू. 1800/– का भुगतान करना होगा। देयक की अवशेष राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा राज्यानुदान (सब्सिडी) के रूप में किया जाएगा। इस उदाहरण से संबंधित गणना के विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित किये गये हैं :

छः माह की अवधि	तीन अश्वशक्ति के उपभोक्ता हेतु आकलित विक्रित यूनिट	छः माह हेतु देयक की कुल राशि	उपभोक्ता द्वारा माह अप्रैल तथा अक्टूबर में देय राशि	राज्य शासन द्वारा राज्यानुदान के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि
माह अप्रैल से सितम्बर	50 यूनिट/अश्वशक्ति / माह x 3 अश्वशक्ति x 6 माह=900 यूनिट	50 यूनिट/ अश्वशक्ति /माह x 3 अश्वशक्ति x 6 माह x रू. 3.20 प्रति यूनिट= रू. 2880/–	रू. 100/ अश्वशक्ति /माह x 3 अश्वशक्ति x 6 माह =रू.1800/– जिसका भुगतान माह अप्रैल में किया जाएगा	रू. 2880/– (–) रू. 1800= रू. 1080/– जिसका भुगतान रू. 180 प्रति माह की दर से किया जाएगा
माह अक्टूबर से मार्च	150 यूनिट/अश्वशक्ति /माह x 3 अश्वशक्ति x 6 माह=2700 यूनिट	1. 150 यूनिट/ अश्वशक्ति /माहx3 अश्वशक्ति = 450 यूनिट, एक माह के अंतर्गत 2. प्रथम 300 यूनिटों की खपत बिलिंग रू.3.20 प्रति यूनिट की दर से तथा शेष यूनिटों की बिलिंग 3.80 प्रति यूनिट की दर से की जाएगी। 3. 450 यूनिटों की खपत के लिये एक माह की देयक राशि (300 यूनिटxरू. 3.20/यूनिट =रू. 960)+(150 यूनिट xरू. 3.80/यूनिट = रू.570) होगी। इस प्रकार मासिक देयक की कुल राशि रू. 1530/– होगी। 4. छः माह हेतु देयक की राशि, रू. 1530 प्रतिमाह x6 माह = रू. 9180/– होगी।	रू.100/ अश्वशक्ति/ माह x 3 अश्वशक्ति x 6 माह = रू.1800/– जिसका भुगतान माह अक्टूबर में किया जाएगा	रू.9180/– (–) रू. 1800= रू. 7380/– जिसका भुगतान रू. 1230 प्रति माह की दर से किया जाएगा

पांच अश्वशक्ति हेतु उदाहरण (Illustration for 5 H.P.) :

उदाहरण के लिए, एक ऐसे उपभोक्ता के प्रकरण में जिसका ग्रामीण क्षेत्र में तीन फेस विद्युत प्रदाय पर **5 अश्वशक्ति (5 H.P.)** का संयोजन है, कुल देयक राशि की गणना, टैरिफ अनुसूची एलवी. 5.1 के अन्तर्गत निर्दिष्ट दरों पर की जाएगी। उपभोक्ता को माह अप्रैल से सितम्बर के लिये माह अप्रैल में रू. 3000/– की देयक राशि का भुगतान तथा माह अक्टूबर से मार्च के लिये माह अक्टूबर में रू. 3000/– का भुगतान करना होगा। देयक की अवशेष राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा राज्यानुदान (सब्सिडी) के रूप में किया जाएगा। इस उदाहरण से संबंधित गणना के विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित किये गये हैं :

छः माह की अवधि	पांच अश्वशक्ति के उपभोक्ता हेतु आकलित विक्रित यूनिट	छः माह हेतु देयक की कुल राशि	उपभोक्ता द्वारा माह अप्रैल तथा अक्टूबर में देय राशि	राज्य शासन द्वारा राज्यानुदान के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि
माह अप्रैल से सितम्बर	50 यूनिट/ अश्वशक्ति /माह x 5 अश्वशक्ति 6 माह=1500 यूनिट	50 यूनिट/अश्वशक्ति/ माह x 5 अश्वशक्ति x 6 माह x 3.20 यूनिट= रू. 4800/–	रू. 100/अश्वशक्ति/माह x 5 अश्वशक्ति x 6 माह = रू.3000/–जिसका भुगतान माह अप्रैल में किया जाएगा	रू. 4800 (–) रू. 3000= रू. 1800/– जिसका भुगतान रू. 300 प्रति माह की दर से किया जाएगा
माह अक्टूबर से मार्च	150यूनिट/ अश्वशक्ति /माह x 5 अश्वशक्ति x 6 माह=4500 यूनिट	1. 150 यूनिट/अश्वशक्ति /माह x 5 अश्वशक्ति = 750 यूनिट, एक माह के अंतर्गत 2. प्रथम 300 यूनिटों की खपत की बिलिंग रू. 3.20 प्रति यूनिट की दर से तथा शेष यूनिटों की बिलिंग रू. 3.80 की प्रति यूनिट की दर से की जाएगी। 3. 750 यूनिटों की खपत के लिये एक माह की देयक राशि (300 यूनिट x रू. 3.20/यूनिट=रू.960) + (450 यूनिटxरू.3.80) यूनिट = रू.1710) होगी। इस प्रकार मासिक देयक की कुल राशि रू. 2670/– होगी। 4. छः माह हेतु देयक की राशि, रू. 2670 प्रतिमाह x6 माह= रू. 16020/– होगी	रू.100/ अश्वशक्ति माह x 5 अश्वशक्ति x 6 माह= रू.3000/–जिसका भुगतान माह अक्टूबर में किया जाएगा	रू.16020 (–) रू. 3000 = रू. 13020/– जिसका भुगतान रू. 2170 प्रति माह की दर से किया जाएगा

दस अश्वशक्ति हेतु उदाहरण (Illustration for 10 H.P.) :

उदाहरण के लिए, एक ऐसे उपभोक्ता के प्रकरण में जिसका ग्रामीण क्षेत्र में तीन फेस विद्युत प्रदाय पर **10 अश्वशक्ति (10 H.P.)** का संयोजन है, कुल देयक राशि की गणना, टैरिफ अनुसूची एलवी. 5.1 के अन्तर्गत निर्दिष्ट दरों पर की जाएगी। उपभोक्ता को माह अप्रैल से सितम्बर के लिये माह अप्रैल में रू. 6000/– की देयक राशि का भुगतान तथा माह अक्टूबर से मार्च के लिये माह अक्टूबर में रू. 6000/– का भुगतान करना होगा। देयक की अवशेष राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा राज्यानुदान (सब्सिडी) के रूप में किया जाएगा। इस उदाहरण से संबंधित गणना के विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित किये गये हैं :

छः माह की अवधि	दस अश्वशक्ति के उपभोक्ता हेतु आकलित विक्रित यूनिट	छः माह हेतु देयक की कुल राशि	उपभोक्ता द्वारा माह अप्रैल तथा अक्टूबर में देय राशि	राज्य शासन द्वारा राज्यानुदान के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि
माह अप्रैल से सितम्बर	50 यूनिट/ अश्वशक्ति /माहx 10 अश्वशक्ति 6 माह=3000 यूनिट	1. 50 यूनिट/अश्वशक्ति /माह x 10 अश्वशक्ति = रू. 500 यूनिट प्रतिमाह 2. प्रथम 300 यूनिटों की बिलिंग रू.3.20 प्रति यूनिट की दर से तथा अवशेष यूनिटों की बिलिंग रू. 3.80 प्रति यूनिट की दर से की जाएगी 3. मासिक बिल (300 यूनिट x रू.3.20/ यूनिट = 960) + 200 यूनिट x रू. 3.80 = रू. 760) होगा। इस प्रकार कुल मासिक देयक = रू. 1720/– होगा 4. माह 6 हेतु कुल देयक राशि रू. 10320/– होगा	रू. 100/ अश्वशक्ति /माह x 10 अश्वशक्ति x 6 माह= रू.6000/– होगी जो माह अप्रैल में देय होगी।	रू. 10320 (–) रू. 6000= रू. 4320/– होगा जिसका भुगतान रू. 720 प्रति माह की दर से किया जाएगा
माह अक्टूबर से मार्च	150यूनिट/ अश्वशक्ति /माहx 10 अश्वशक्ति x 6 माह=9000 यूनिट	1. 150 यूनिट/अश्वशक्ति/ माह x 10 अश्वशक्ति = 1500 यूनिट एक माह में 2. प्रथम 300 यूनिटों की बिलिंग रू. 3.20 प्रति यूनिट, 301 से 750 यूनिट, अर्थात् 450 यूनिट की बिलिंग रू. 3.80 प्रति यूनिट दर से, तथा अवशेष 750 यूनिट की बिलिंग रू. 4.05 पैसे प्रति यूनिट की दर से की जाएगी	रू.100/ अश्वशक्ति/ माह x 10 अश्वशक्ति x 6 माह = रू.6000/– होगी जो माह अक्टूबर में देय होगी	रू.34245/– (–) रू. 6000= रू. 28245/– जिसका भुगतान रू. 4707.5 प्रति माह की दर से किया जाएगा

		3. 1500 यूनिटों के लिये एक माह का देयक (300 यूनिट x रू.3.20 प्रति यूनिट= 960) (+) (450 यूनिट xरू.3.80 = रू. 1710) (+)750 यूनिट x रू.4.05 प्रति यूनिट = रू. 3037.50) होगा। इस प्रकार कुल मासिक देयक = रू. 5707.50 होगा 4. छः माह हेतु देयक की राशि, रू. 5707.50 x6 माह = रू. 34245/– होगी		

1.3 श्रेणियों एलवी 5.1 तथा एलवी 5.4 हेतु ऊर्जा अंकेक्षण तथा लेखांकन का आधार :

(i) टैरिफ अनुसूची एलवी 5.1 तथा एलवी 5.4 के अन्तर्गत आने वाले मीटरीकृत उपभोक्ताओं को ऊर्जा अंकेक्षण तथा लेखांकन प्रयोजन हेतु वास्तविक बिल की गई खपत को ही माना जाएगा

(ii) एलवी 5.4 के अन्तर्गत एक मुश्त दर पर अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं हेतु, आकलित खपत निम्न मानदण्डों के अनुसार होगी :

विवरण		प्रति माह प्रति अश्वशक्ति की संख्या, स्वीकृत भार हेतु			
		शहरी क्षेत्र		ग्रामीण क्षेत्र	
मोटर पम्प का प्रकार	संयोजन का प्रकार	अप्रैल से सितम्बर तक	अक्टूबर से मार्च तक	अप्रैल से सितम्बर	अक्टूबर से मार्च
तीन फेज	स्थाई	90	170	50	150
	अस्थाई	**175**		**155**	
एकल फेज	स्थाई	90	180	60	160
	अस्थाई	**190**		**170**	

1.4 अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु विकल्प देने वाले उपभोक्ताओं को तीन माह के अग्रिम प्रभारों का भुगतान करना होगा तथा इनमें वे उपभोक्ता भी शामिल होंगें जो केवल एक माह हेतु संयोजन का लाभ लेने हेतु अनुरोध करते हैं जो कि बढ़ाई गई अवधि हेतु समय–समय पर की गई संपूर्ति (Replenishment) के अध्यधीन तथा संयोजन विच्छेद उपरान्त अन्तिम देयक के अनुसार समायोजन के अध्यधीन होगा। फसलों की थ्रेशिंग के प्रयोजन से अस्थाई संयोजन के संबंध में केवल रबी तथा खरीफ मौसम के अन्त में एक माह की अवधि हेतु

अस्थाई संयोजन एक माह के प्रभारों के अग्रिम भुगतान द्वारा प्रदाय किया जा सकेगा।

1.5 मीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा बचत उपकरण स्थापित किये जाने पर, निम्न **प्रोत्साहन*** प्रदान किये जाएंगे :

सरल क्रमांक	ऊर्जा बचत उपकरणों का विवरण	टैरिफ में छूट (रिबेट) दर
1	पंप सेट्स हेतु जो आई.एस.आई./बी.ई.ई. स्टार लेबल्ड मोटरों से संयोजित हैं	15 पैसे प्रति यूनिट
2	पंप सेट्स हेतु, जो आई.एस.आई./बी.ई.ई. स्टार लेबल्ड मोटरों से संयोजित हैं तथा घर्षण रहित पीवीसी पाईप तथा फुटवाल्व के उपयोग हेतु	30 पैसे प्रति यूनिट
3	पंप सेट्स हेतु, जो आई.एस.आई./बी.ई.ई. स्टार लेबल्ड मोटरों से संयोजित हैं तथा घर्षण रहित पीवीसी पाईप तथा फुटवाल्ब का उपयोग किये जाने पर मय उपयुक्त श्रेणी (रेटिंग) के शंट कैपेसिटर की संस्थापना किये जाने पर	45 पैसे प्रति यूनिट

*मांग परक प्रबंधन के अंतर्गत, ऊर्जा बचत उपकरणों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन सामान्य टैरिफ दर पर (पूर्ण टैरिफ दर में से शासकीय अनुदान प्रति यूनिट घटा कर, यदि यह देय हो) उपभोक्ता के अंशदान भाग पर ही अनुज्ञेय किया जाएगा। यह प्रोत्साहन केवल उसी दशा में अनुज्ञेय होगा, जब पूर्ण बिल की राशि का भुगतान निर्धारित तिथियों के अंदर कर दिया जाए जिसका परिपालन न किये जाने पर, समस्त खपत किये गये यूनिटों को सामान्य दर पर प्रभारित किया जाएगा। प्रोत्साहन स्थापना के माह के उपरान्त ही वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही अनुज्ञेय होगा। वितरण अनुज्ञिप्तधारी को ग्रामीण क्षेत्रों में उपरोक्त प्रोत्साहन की व्यवस्था हेतु वृहद् रूप से इसका प्रचार–प्रसार करना होगा। अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान किये गये प्रोत्साहनों के संबंध में त्रैमासिक सूचना अपनी वैबसाईट पर भी प्रदर्शित करनी होगी।

1.6 **न्यूनतम खपत :**

(i) मीटरीकृत कृषि संबंधी उपभोक्ताओं हेतु (एलवी–5.1 तथा एल.वी 5.2) : इन श्रेणियों के उपभोक्ताओं को माह अप्रैल से सितम्बर तक संयोजित भार की 30 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश की प्रतिमाह की न्यूनतम खपत तथा माह अक्टूबर से मार्च तक संयोजित भार की 90 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश की प्रतिमाह न्यूनतम खपत प्रत्याभूत (गारंटी) करनी होगी, भले ही उपभोक्ता द्वारा माह के दौरान ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं।

(ii) कृषि संबंधी अन्य प्रयोग हेतु (एलवी–5.3) :

(ए) उपभोक्ता को अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में सविंदा मांग का 180 यूनिट/अश्वशक्ति अथवा उसके अंश पर तथा शहरी क्षेत्रों में सविंदा मांग का 360 यूनिट/अश्वशक्ति अथवा उसके अंश पर

आधारित न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर में) प्रत्याभूत करनी होगी, भले ही उसके द्वारा वर्ष के दौरान ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं।

(बी) उपभोक्ता को ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 15 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति माह की मासिक बिलिंग तथा शहरी क्षेत्रों में 30 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह की मासिक बिलिंग की जाएगी यदि उपभोक्ता की वास्तविक खपत मासिक न्यूनतम खपत (किलोवाट आवर में) से कम हो।

(सी) **न्यूनतम खपत हेतु बिलिंग की विधि** निम्न दाब विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट की गई है।

1.7 **आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार** : इसकी बिलिंग विधि निम्न दाब विद्युत–दर हेतु सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट की गई है।

1.8 **विलम्बित भुगतान अधिभार (Delayed Payment Surcharge)** : श्रेणी एलवी 5.4 के अन्तर्गत कृषि उपभोक्ताओं के प्रकरण में, विलम्बित भुगतान अधिभार प्रति खण्ड (ब्लाक) अथवा उसके किसी अंश के लिये रू. 100/– की बकाया राशि पर रू. 1/– प्रति माह की एक मुश्त दर पर अधिरोपित किया जाएगा। इस टैरिफ अनुसूची की अन्य उपश्रेणियों हेतु, विलम्बित भुगतान अधिभार की बिलिंग निम्न दाब विद्युत–दर की सामान्य निबन्धन तथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार की जाएगी।

1.9 **वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकृत उपभोक्ताओं हेतु विशिष्ट शर्ते :**

अ. वितरण ट्रांसफार्मर से संयोजित समस्त उपभोक्ताओं को उनके वास्तविक संयोजित भार पर की गई यूनिटों की गणना के अनुसार ऊर्जा प्रभारों का भुगतान करना होगा।

ब. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे संयोजित उपभोक्ताओं से बिलिंग हेतु उपरोक्त (अ) में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार सहमति प्राप्त की जाएगी।

1.10 पावर सर्किट से पंप पर या उस के समीप एक 40 वॉट लैम्प लगाने की अनुमति होगी।

1.11 बाह्य उपकरण की स्थापना के माध्यम से तीन–फेज कृषि पंप का उपयोग किसा जाना जब विद्युत प्रदाय एकल फेज पर उपलब्ध हो को ऐसी अवधि के दौरान विद्युत की अवैध निकासी माना जाएगा तथा ऐसा किये जाने पर त्रुटिकर्ता उपभोक्ता के विरूद्ध विद्यमान नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

1.12 अन्य निबंधन तथा शर्तें वहीं होंगी जैसा कि इन्हें निम्न दाब विद्युत–दर की सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

——

निम्नदाब (लो टेंशन) टैरिफ की सामान्य निबंधन तथा शर्तें

1. **ग्रामीण क्षेत्रों (Rural Areas)** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक 2010/एफ 13/05/13/2006 दिनांक 25 मार्च, 2006 द्वारा अधिसूचित किये गये समस्त क्षेत्र जैसा कि इन्हें समय–समय पर संशोधित किया जाए। **शहरी क्षेत्रों (Urban Areas)** से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किये गये क्षेत्रों के अतिरिक्त समस्त अन्य क्षेत्र।

2. **पूर्णांक करना (Rounding off)** : समस्त देयकों को निकटतम रूपये की राशि तक पूर्णांक किया जाएगा, अर्थात्, 49 पैसे तक की राशि की उपेक्षा की लाएगी तथा 50 पैसे से अधिक की राशि को अगले रूपये तक पूर्णांक किया जाएगा।

3. **बिलिंग मांग (Billing demand)** : मांग आधारित टैरिफ के प्रकरण में, माह हेतु बिलिंग मांग, उपभोक्ता की वास्तविक अधिकतम केवीए मांग अथवा संविदा मांग का 90 प्रतिशत, इसमें से जो भी अधिक हो, होगी। बिलिंग मांग को निकटतम एकीकृत (Integral) अंक तक पूर्णांक किया जाएगा, अर्थात् 0.5 अथवा इससे अधिक की भिन्न (Fraction) को आगामी अंक तक पूर्णांक किया जाएगा, जबकि 0.5 से कम की भिन्न को उपेक्षित (Ignored) माना जाएगा।

4. **स्थाई प्रभारों की बिलिंग (Fixed charges billing) –** जब तक विशिष्ट तौर पर निर्दिष्ट न किया जाए, स्थाई प्रभारों की बिलिंग के प्रयोजन से, आंशिक भार (Fractional load) को आगामी अंक तक पूर्णांक किया जाएगा अर्थात् 0.5 या इससे अधिक की भिन्न को उच्चतर अंक तक पूर्णांक किया जाएगा जबकि 0.5 से कम की भिन्न की उपेक्षा की जाएगी, तथापि एक किलोवाट/अश्वशक्ति से कम के भारों को एक किलोवाट/अश्वशक्ति ही माना जाएगा।

5. **न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि (Method of Billing of Minimum Consumption) –**

   (क) **मीटरीकृत कृषि संबंधी उपभोक्ताओं तथा कृषि संबंधी अन्य उपयोग उद्यानिकी (Horticulture) हेतु श्रेणी एलवी 5.1 तथा 5.2 :** उपभोक्ता की बिलिंग न्यूनतम मासिक खपत (किलोवाट ऑवर में) हेतु जो उस श्रेणी हेतु उक्त माह के लिये निर्दिष्ट की गई है, जिसके अन्तर्गत उसकी वास्तविक खपत विनिर्दिष्ट न्यूनतम खपत से कम हो, के अनुसार की जाएगी।

(ख) अन्य उपभोक्ताओं हेतु, जहां यह प्रयोज्य है :

(अ) उपभोक्ता की बिलिंग प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत (किलोवाट ऑवर में) जो उसकी श्रेणी हेतु प्रति माह विनिर्दिष्ट की गई है, के बारहवें (1/12) भाग पर की जाएगी, यदि वास्तविक खपत उपरोक्त उल्लेखित की गई खपत से कम हो।

(ब) उक्त माह, जिसमें वास्तविक संचित खपत (cumulative consumption) वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत के बराबर हो जाती है अथवा इससे अधिक हो जाती है तो वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती महीनों में न्यूनतम मासिक खपत हेतु और आगे बिलिंग नहीं की जाएगी तथा केवल वास्तविक अभिलिखित खपत की बिलिंग ही की जाएगी।

(स) टैरिफ न्यूनतम खपत को उक्त माह में समायोजित किया जाएगा जिसके अन्तर्गत संचयी वास्तविक अथवा बिल की गई मासिक खपत संचयी उक्त माह, जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता की संचयी वास्तविक खपत, वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत से अधिक हो जाती हो। यदि वास्तविक संचयी खपत पूर्णतया उक्त माह में समायोजित नहीं हो पाती है तो समायोजन को वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती महीनों में भी जारी रखा जाएगा। निम्न उदाहरण विद्युत खपत की मासिक बिलिंग की प्रक्रिया प्रदर्शित करता है, जहां 1200 किलोवाट ऑवर (KWh) मासिक खपत के आधार पर आनुपातिक मासिक न्यूनतम खपत 100 किलोवाट ऑवर (kWh) है।

माह	वास्तविक संचयी खपत (kWh)	संचयी न्यूनतम खपत (kWh)	2 तथा 3 में से जो भी अधिक हो (kWh)	वर्ष के दौरान अद्यतन बिल की गई खपत (kWh)	यूनिट संख्या जिसकी माह के दौरान बिलिंग की जाना है (4–5) (kWh)
1	2	3	4	5	6
अप्रैल	95	100	100	0	100
मई	215	200	215	100	115
जून	315	300	315	215	100
जुलाई	395	400	400	315	85
अगस्त	530	500	530	400	130
सितम्बर	650	600	650	530	120
अक्टूबर	725	700	725	650	75
नवम्बर	805	800	805	725	80
दिसम्बर	945	900	945	805	140
जनवरी	1045	1000	1045	945	100
फरवरी	1135	1100	1135	1045	90
मार्च	1195	1200	1200	1135	65

6. आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार (Additional Charge for Excess Demand) :

इसकी बिलिंग निम्न प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी :

(अ) **वे उपभोक्ता जो मांग आधारित विद्युत दर (टैरिफ) के विकल्प का चयन करते हैं:** मांग आधारित विद्युत–दर पर विद्युत की प्राप्ति करने वाले उपभोक्ताओं को

अपनी वास्तविक उच्चतम मांग, संविदा मांग (Contract Demand) के अंतर्गत सीमित रखनी होगी। तथापि, यदि किसी माह के दौरान वास्तविक अधिकतम मांग, संविदा मांग से 105% अधिक हो जाती है, तो उक्त माह के दौरान इस अनुसूची के अन्तर्गत विद्युत–दर संविदा मांग के 105 प्रतिशत तक की सीमा हेतु ही लागू होगी। ऐसे प्रकरण में उपभोक्ता को संविदा मांग से 105 प्रतिशत अधिक के अध्यधीन (जिसे आधिक्य मांग कहा गया है) अभिलिखित मांग हेतु तथा तत्संबंधी खपत हेतु निम्न दरों के अनुसार प्रभारित किया जाएगा :–

(ब) **आधिक्य मांग हेतु ऊर्जा प्रभार (Energy Charges for Excess Demand)** : ऐसे प्रकरण में जहां अभिलिखित की गई अधिकतम मांग संविदा मांग से 105 प्रतिशत अधिक अभिलिखित की जाती हो, उपभोक्ता को ऊर्जा प्रभारों का भुगतान आधिक्य मांग से तत्संबंधी खपत हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) के 1.3 गुना की दर से भुगतान करना होगा।

उदाहरण : जहां कोई उपभोक्ता, जिसकी संविदा मांग 50 केवीए है, यदि वह 60 केवीए की अधिकतम मांग अभिलिखित करता हो तो आधिक्य मांग (60 केवीए–52.5 केवीए) = 7.5 केवीए हेतु उसकी बिलिंग निम्न के बराबर होगी, अर्थात् (माह के दौरान अभिलिखित की गई कुल खपत)* 7.5 केवीए /अधिकतम अभिलिखित की गई मांग)* 1.3 *ऊर्जा प्रभार यूनिट दर

(स) **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार (Fixed Charges for Excess Demand)** : इन प्रभारों की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी :

1. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग का 115 प्रतिशत तक हो (Fixed Charges for Excess Demand when the recorded maximum demand is up to 115% of the contract demand)** :– संविदा मांग से 105 प्रतिशत से अधिक आधिक्य मांग हेतु, स्थाई प्रभारों को, स्थाई प्रभारों की सामान्य दर के 1.3 गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।

2. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग का 115 प्रतिशत से अधिक हो (Fixed Charges for Excess Demand when the recorded maximum demand exceeds 115% of the contract demand)** :– उपरोक्त 1 में दर्शाये गये स्थाई प्रभारों के अतिरिक्त, संविदा मांग से 15 प्रतिशत से अधिक अभिलिखित की गई मांग हेतु, स्थाई प्रभारों को, स्थाई प्रभारों की सामान्य दर के 2 (दो) गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।

(द) उपभोक्ताओं को प्रयोज्य आधिक्य मांग हेतु उपरोक्त बिलिंग, बिना किसी पक्षपात वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अनुबन्ध के पुनरीक्षण हेतु उसके द्वारा कहे जाने के अधिकारों तथा अन्य अधिकार, जो आयोग द्वारा विनियमों के अन्तर्गत या अन्य किसी कानून के अर्न्तगत अधिसूचित किये गये हों, प्रयोज्य होंगी।

(ई) प्रत्येक माह के दौरान, किसी उपभोक्ता की अधिकतम मांग (Maximum Demand) की गणना उपभोक्ता के प्रदाय बिन्दु पर उक्त माह के दौरान निरन्तर 15 मिनट की अवधि हेतु प्रदाय की गई किलोवाट एम्पीअर आवर्स की उच्चतम मात्रा का चार गुना के रूप में की जाएगी।

7. अन्य निबंधन तथा शर्तें:–

(ए) खपत की अवधि प्रारंभ होने से पूर्व किये गये किसी **अग्रिम भुगतान** की राशि जिसके लिए देयक तैयार किया गया है, एक प्रतिशत प्रतिमाह की छूट उक्त राशि (प्रतिभूति निक्षेप राशि को छोड़कर) पर, जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी के पास कलेण्डर माह के अंत में शेष रहती है, उसके द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को देय राशि को समायोजित कर, उपभोक्ता के खाते में आकलित (क्रेडिट) कर दी जाएगी।

(बी) **तत्पर (Prompt) भुगतान हेतु प्रोत्साहन** : ऐसे प्रकरणों में, जहां किसी चालू माह हेतु देयक की राशि रू. एक लाख या इससे अधिक हो तथा देयक का भुगतान निर्धारित भुगतान तिथि से कम से कम 7 दिवस पूर्व कर दिया जाता हो, देयक राशि {विद्युत शुल्क (Electricity Duty) तथा उपकर को छोड़कर} के तत्पर भुगतान पर 0.25% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। ऐसे उपभोक्ता, जिनके विरूद्ध देयकों की राशि बकाया हो, उन्हें इस प्रोत्साहन की पात्रता नहीं होगी।

(सी) स्वीकृत भार/संयोजित भार/संविदा मांग 75 किलोवाट/100 अश्वशक्ति से अधिक नहीं होनी चाहिए सिवाय जहां इस हेतु उच्चतम सीमा निर्दिष्ट की गई है या फिर उक्त श्रेणी में संयोजित भार की कोई उच्चतम सीमा से छूट प्रदान की गई हो। यदि उपभोक्ता उसके संयोजित भार/संविदा मांग का 75 किलोवाट/100 अश्वशक्ति की इस उच्चतम सीमा का उल्लंघन टैरिफ अवधि के अन्तर्गत दो बिलिंग माह में दो अवसरों से अधिक बार करता हो तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को उच्चदाब विद्युत प्रदाय प्राप्त किये जाने बाबत आग्रह कर सकेगा।

(डी) मापयंत्र प्रभारों (metering charges) की बिलिंग, मीटरिंग तथा अन्य प्रभारों की अनुसूची के अनुसार जैसा कि इसे मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत प्रदाय करने का अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम) 2009 में विनिर्दिष्ट किया गया है, के अनुसार की जाएगी। बिलिंग के प्रयोजन से माह के किसी भाग को पूर्ण माह माना जाएगा।

(ई) ऐसे प्रकरण में, जहां उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये धनादेश (चेक) को अनादरित (डिसआनर्ड) कर दिया गया हो, वहां नियमों के अनुसार, बिना किसी पक्षपात अनुज्ञप्तिधारी के अधिकार के कोई कार्यवाही किये जाने हेतु, जैसा कि वह सुसंगत कानून के अन्तर्गत उपलब्ध हो, 150 रूपये प्रति चेक की दर से सेवा प्रभार, विलंबित भुगतान अधिभार के अतिरिक्त, अधिरोपित किया जाएगा।

(एफ) अन्य प्रभार, जैसा कि इनका उल्लेख विविध प्रभारों की अनुसूची में किया गया है, भी अतिरिक्त रूप से लागू होंगे।

(जी) **वेल्डिंग अधिभार (Welding Surcharge)** वेल्डिंग ट्रांसफार्मरयुक्त संस्थापनाओं के साथ प्रयोज्य होगा, जहां वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का भार कुल संयोजित भार से 25 प्रतिशत अधिक हो तथा जहां निर्दिष्ट क्षमता के उपयुक्त कैपेसिटर स्थापित नहीं किये गये हों जिससे कि ऊर्जा–कारक (पावर फेक्टर) न्यूनतम 0.8 (80%) लैगिंग को सुनिश्चित किया जा सके। माह के दौरान सम्पूर्ण अधिस्थापना हेतु

वेल्डिंग अधिभार, 75 (पिचहत्तर) पैसे प्रति यूनिट की दर से अधिरोपित किया जाएगा। तथापि, ऊर्जा कारक (पावर फैक्टर) 0.8 या इससे अधिक अभिलिखित किये जाने पर कोई वेल्डिंग प्रभार अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

(एच) वेल्डिंग ट्रांसफार्मरों के संयोजित भार को किलोवॉट में गणना किये जाने के प्रयोजन से ऐसे वेल्डिंग ट्रांसफार्मरों का 0.6 (60%) का भार–कारक (पावर फेक्टर) अधिकतम करंट अथवा केवीए रेटिंग पर प्रयोज्य होगा।

(आई) वर्तमान निम्नदाब उपभोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा उचित क्षमता (रेटिंग) के निम्नदाब कैपेसिटर की व्यवस्था कर दी गई है। इस संबंध में, मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 जैसा इसे समय–समय पर संशोधित किया गया है का अवलोकन मार्गदर्शन प्राप्ति हेतु किया जा सकता है। उपभोक्ता द्वारा यह सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व होगा कि किसी एक माह के दौरान समग्र रूप से औसत भार–कारक (पावर फेक्टर) 0.8 (80%) से कम न रहे। उपरोक्त मानदण्ड प्राप्त न किये जाने पर, उपभोक्ता को माह के दौरान ऊर्जा प्रभारों पर निम्न दरों के अनुसार निम्न भार–कारक (लो पावर फेक्टर) हेतु भुगतान करना होगाः

1. **ऐसे निम्नदाब उपभोक्ता के लिये, जिसका मीटर औसत ऊर्जा कारक (पावर फैक्टर) अभिलेखन हेतु सक्षम है :**

   क. 80% से नीचे 75% तक, ऊर्जा कारक की प्रत्येक 1% गिरावट के लिये, ऊर्जा प्रभारों पर 1% की दर से अधिभार।

   ख.. 75% से नीचे 70% तक, ऊर्जा कारक की प्रत्येक 1% गिरावट के लिये ऊर्जा प्रभारों पर 5% + 1.25% की दर से अधिभार।

   अधिभार की अधिकतम सीमा माह के दौरान बिल किये गये ऊर्जा प्रभारों के 10% राशि तक सीमित होगी।

2. **ऐसे निम्नदाब उपभोक्ता के लिये, जिसका मीटर औसत ऊर्जा कारक (पावर फैक्टर) अभिलेखन हेतु सक्षम नहीं है** : उपभोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह उचित क्षमता के निम्नदाब कैपेसिटर की व्यवस्था करे तथा इसे सही हालत में संचालित रखे। इस संबंध में, मार्गदर्शन प्राप्ति हेतु मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 जैसा कि इसे समय–समय पर संशोधित किया गया है, का अवलोकन किया जा सकता है। उपरोक्त मानदण्डों का परिपालन न किये की दशा में, उपभोक्ता पर माह के दौरान ऊर्जा प्रभारों के विरूद्ध बिल की गई सम्पूर्ण राशि पर 10% की दर से निम्न ऊर्जा कारक (Low Power Factor) अधिभार अधिरोपित किया जाएगा तथा इसे ऐसी अवधि तक निरन्तर जारी रखा जाएगा जब तक उपभोक्ता उपरोक्त मानदण्डों की प्राप्ति नहीं कर लेता।

(जे) यदि उपभोक्ता द्वारा भार–कारक (पावर फेक्टर) में सुधार किये जाने के संबंध में उचित शंट कैपेसिटरों की स्थापना द्वारा उचित कदम नहीं उठाये जाते हैं तो उपरोक्तानुसार दर्शाये गये वेल्डिंग/भार–कारक (पावर फेक्टर) सरचार्ज, अनुज्ञप्तिधारी के बिना किसी पक्षपात, उपभोक्ता की संस्थापना के संयोजन–विच्छेद (डिसकनेक्ट) किये जाने के अधिकारों के अंतर्गत होंगे।

(के) **भार कारक (लोड फेक्टर) रियायत** : मांग आधारित टैरिफ (डिमांड बेस्ड टैरिफ) के अंतर्गत, उपभोक्ताओं को निम्नानुसार रियायत के स्लैब (खण्ड) अनुज्ञेय होंगे:

भार–कारक (लोड फेक्टर)	ऊर्जा प्रभारों में रियायत
संविदा मांग पर 25 प्रतिशत से अधिक तथा 30 प्रतिशत तक के भार–कारक (लोड फेक्टर) पर	बिलिंग माह के दौरान, 25 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर समस्त ऊर्जा की खपत पर, सामान्य ऊर्जा प्रभारों पर 12 पैसे प्रति यूनिट की रियायत देय होगी
संविदा मांग पर 30 प्रतिशत से अधिक तथा 40 प्रतिशत तक के भार कारक पर	30 प्रतिशत भार कारक तक उपलब्ध भार कारक रियायत के अतिरिक्त, बिलिंग माह के दौरान, 30 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर समस्त ऊर्जा की खपत पर, सामान्य ऊर्जा प्रभारों पर 24 पैसे प्रति यूनिट की रियायत देय होगी
संविदा मांग पर 40 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर	40 प्रतिशत भार कारक तक उपलब्ध भार कारक रियायत के अतिरिक्त, बिलिंग माह के दौरान, 40 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर समस्त ऊर्जा की खपत पर, सामान्य ऊर्जा प्रभारों पर 36 पैसे प्रति यूनिट की रियायत देय होगी

भार कारक (लोड फेक्टर) की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$\text{भार कारक (लोड फेक्टर) (प्रतिशत में)} = \frac{\text{मासिक खपत} \times 100}{\text{बिलिंग माह में कुल घंटों की संख्या} \times \text{मांग ऊर्जा कारक}}$$

i. मासिक खपत माह के दौरान की गई यूनिटों (kWh) में खपत के अनुसार होगी जिसमें अनुज्ञप्तिधारी के अलावा बाह्य स्त्रोतों से प्राप्त किये यूनिटों की संख्या सम्मिलित नहीं होगी।

ii. बिलिंग माह में अनुसूचित विद्युत अवरोध (Scheduled Outages) घंटों की संख्या शामिल नहीं होगी।

iii. मांग अभिलिखित की गई अधिकतम मांग अथवा संविदा मांग इनमें से जो अधिक हो, होगी।

iv. ऊर्जा कारक 0.8 अथवा वास्तविक ऊर्जा कारक, इनमें से जो भी अधिक हो, होगी।

टीप : भार कारक (लोड फेक्टर) प्रतिशत को निकटतम संख्या (Integer) तक पूर्णांक किया जाएगा। बिलिंग माह, मीटर वाचन की दो क्रमवर्ती (consecutive) तिथियों की दिवस संख्या में वह अवधि होगी जो कि उपभोक्ता हेतु, बिलिंग के प्रयोजन से एक माह के रुप में विचाराधीन हो।

(एल) किसी विशिष्ट निम्न दाब श्रेणी पर, टैरिफ की प्रयोज्यता के संबंध में विवाद होने की दशा में, आयोग का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

(एम) विद्युत–दर (टैरिफ) में विद्युत ऊर्जा पर कर (टैक्स), उपकर (सेस) अथवा चुंगी (डूयूटी) सम्मिलित नहीं होतीं, जो कि तत्समय प्रचलित किसी कानून के अनुसार किसी भी समय देय हो सकती हैं। ऐसे प्रभार, यदि लागू हों तो उपभोक्ता द्वारा इनका भुगतान टैरिफ प्रभारों तथा प्रयोज्य विविध प्रभारों के अतिरिक्त करना होगा।

(एन) **समस्त श्रेणियों हेतु विलम्बित भार अधिभार** : बकाया (outstanding) राशि पर पूर्व की अवशेष राशि (Arrears) सम्मिलित कर, पर 1.00% प्रतिमाह अथवा उसके किसी अंश अनुसार, की दर से अधिभार की राशि का भुगतान करना होगा यदि देयकों का भुगतान निर्धारित तिथि तक नहीं किया जाता, जो कुल बकाया देयक की राशि रू. 500/– तक न्यूनतम रू. 5/– तथा देयक की राशि के रू. 500/– से अधिक होने पर रू. 10/– प्रति माह के अध्यधीन होगा। विलंबित भुगतान अधिभार की गणना के प्रयोजन से, माह के किसी अंश को पूर्ण माह माना जाएगा। किसी उपभोक्ता का विद्युत प्रदाय संयोजन स्थाई तौर पर विच्छेद किये जाने के उपरान्त विलंबित भुगतान अधिभार को अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

(ओ) निम्नदाब संयोजन को उच्चदाब संयोजन में परिवर्तन किये जाने की दशा में, उपभोक्ता द्वारा उच्च दाब विद्युत प्रदाय की सुविधा का लाभ उठाने से पूर्व दोनों उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी को उच्चदाब अनुबंध निष्पादित किया जाना अनिवार्य (आदेशात्मक) होगा।

(पी) ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) प्रोत्साहन : यदि औसत मासिक ऊर्जा कारक 85 प्रतिशत के बराबर या इससे अधिक हो तो प्रोत्साहन निम्नानुसार भुगतान योग्य होगा :

भार कारक (पावर फैक्टर)	बिल किये गये ऊर्जा प्रभारों पर भुगतान योग्य प्रोत्साहन प्रतिशत
85 प्रतिशत से अधिक तथा 86 प्रतिशत तक	0.5
86 प्रतिशत से अधिक तथा 87 प्रतिशत तक	1.0
87 प्रतिशत से अधिक तथा 88 प्रतिशत तक	1.5
88 प्रतिशत से अधिक तथा 89 प्रतिशत तक	2.0
89 प्रतिशत से अधिक तथा 90 प्रतिशत तक	2.5
90 प्रतिशत से अधिक तथा 91 प्रतिशत तक	3.0
91 प्रतिशत से अधिक तथा 92 प्रतिशत तक	3.5
92 प्रतिशत से अधिक तथा 93 प्रतिशत तक	4.0
93 प्रतिशत से अधिक तथा 94 प्रतिशत तक	4.5
94 प्रतिशत से अधिक तथा 95 प्रतिशत तक	5.0
95 प्रतिशत से अधिक तथा 96 प्रतिशत तक	6.0
96 प्रतिशत से अधिक तथा 97 प्रतिशत तक	7.0
97 प्रतिशत से अधिक तथा 98 प्रतिशत तक	8.0
98 प्रतिशत से अधिक तथा 99 प्रतिशत तक	9.0
99 प्रतिशत से अधिक	10.0

इस प्रयोजन से, ''औसत मासिक ऊर्जा कारक (Average monthly power factor)'' को माह के दौरान 'कुल किलोवॉट आवर्स' तथा 'कुल किलो वोल्ट एम्पीयर आवर्स' के प्रतिशत अनुपात के रुप में परिभाषित किया गया है।

(क्यू) एक ही संयोजन से मिश्रित भारों का उपयोग : जब तक किसी टैरिफ श्रेणी में विशिष्ट रूप से अनुज्ञेय न किया जाए, विभिन्न प्रयोजनों हेतु मिश्रित भारों हेतु अनुरोध करने वाले उपभोक्ता को उक्त प्रयोजन हेतु विद्युत–दर की बिलिंग की जाएगी, जो इनमें से उच्चतर हो।

(आर) अधिसूचित औद्योगिक विकास केन्द्रों के अन्तर्गत शहरी नियमावली (discipline) के अन्तर्गत विद्युत प्रदाय प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं पर शहरी विद्युत बिलिंग लागू की जाएगी।

(एस) टैरिफ तथा टैरिफ संरचना में, उपभोक्ता की किसी भी श्रेणी हेतु न्यूनतम प्रभारों को सम्मिलित कर, किसी प्रकार के परिवर्तन, सिवाय आयोग की लिखित अनुमति के, अनुज्ञेय न होंगे। आयोग की लिखित अनुमति के बिना की गई किसी कार्यवाही को शून्य तथा अप्रवृत्त माना जाएगा तथा प्रकरण में विद्युत अधिनियम, 2003 के सुसंगत उपबन्धों के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जा सकेगी।

(टी) यहां पर विनिर्दिष्ट की गई समस्त शर्तें उपभोक्ता को लागू होंगी, भले ही कोई उपबंध उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के साथ निष्पादित किये गये अनुबंध से विपरीतात्मक हो।

8. निम्नदाब पर अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु अतिरिक्त शर्तें :

(ए) किसी प्रत्याशित विद्यमान उपभोक्ता द्वारा अस्थाई विद्युत प्रदाय की मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सामान्यतः इसकी व्यवस्था की जा सकेगी, जब मांग हेतु यथोचित नोटिस दिया जाए। अस्थाई अतिरिक्त विद्युत प्रदाय को अतिरिक्त सेवा माना जाएगा तथा निम्न शर्तों के अध्यधीन इसे प्रभारित किया जाएगा। तथापि, तत्काल योजना के अंतर्गत विविध प्रभारों की अनुसूची अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रभारों के अनुसार सेवा 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

(बी) स्थाई प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार की बिलिंग सामान्य टैरिफ की **1.3 गुना** की दर से, जैसा कि वह तत्संबंधी श्रेणी हेतु लागू हो, की जाएगी, यदि वह विशिष्ट रूप से अन्यथा विनिर्दिष्ट न की गई हो।

(सी) प्राक्कलित देयक राशि का भुगतान अस्थाई संयोजनों को सेवाकृत करने से पूर्व, अग्रिम रूप से भुगतान योग्य है जिसकी समय–समय पर सम्पूर्ति (replenishment) की जाएगी तथा संयोजन विच्छेद के समय इसे अन्तिम देयक के अनुसार समायोजित किया जाएगा। इस अग्रिम भुगतान पर उपभोक्ताओं को किसी प्रकार का ब्याज देय न होगा।

(डी) स्वीकृत भार/संयोजित भार 75 किलोवाट/100 अश्वशक्ति से अधिक न होगा।

(ई) अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु प्रभारों की बिलिंग के प्रयोजन से, माह से अभिप्रेत है संयोजन की दिनांक से 30 दिवस की अवधि। बिलिंग के प्रयोजन से तीस दिवस से कम की किसी भी अवधि को पूर्ण माह माना जाएगा।

(एफ) संयोजन एवं संयोजन विच्छेद प्रभार तथा अन्य विविध प्रभारों का भुगतान पृथक से करना होगा जैसा कि इन्हें विविध प्रभारों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(जी) भार–कारक (लोड–फैक्टर) रियायत (कन्सेशन) को अस्थाई संयोजन खपत हेतु अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।

(एच) ऊर्जा–कारक (पावर फेक्टर) प्रोत्साहन/अर्थदण्ड स्थाई संयोजन के अनुरुप एक समान दर पर प्रयोज्य होंगे।

————————

परिशिष्ट–3 उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूचियां

वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

द्वारा पारित विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश का परिशिष्ट

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

उच्च दाब (हाई टेंशन–एचटी) उपभोक्ताओं हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूचियां

अनुक्रमणिका

विद्युत–दर टैरिफ अनुसूचियां	पृष्ठ क्रमांक
एचवी–1 रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	239
एचवी–2 कोयला खदानें (कोल माईन्स)	241
एचवी–3 औद्योगिक, गैर–औद्योगिक तथा शॉपिंग मॉल	242
एचवी–4 मौसमी (सीजनल)	245
एचवी–5 सिंचाई, सार्वजनिक जल–प्रदाय कार्य तथा कृषि संबंधी अन्य उपयोग	247
एचवी–6 थोक आवासीय प्रयोक्ता	249
एचवी–7 ग्रिड से संयोजित विद्युत–उत्पादकों हेतु समकालन (Synchronization) तथा प्रारंभिक विद्युत (Start up Power) का प्रावधान	251
उच्च दाब विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु सामान्य निबन्धन तथा शर्तें	252

टैरिफ अनुसूची–एचवी–1

रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन) :

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) रेलवे के केवल कर्षण (ट्रेक्शन) भारों हेतु ही लागू होगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

सरल क्रमांकक	उपभोक्ता श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रतिमाह)	ऊर्जा प्रभार (पैसे/यूनिट)
1	132 केवी/220 केवी पर रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	265	500

विशिष्ट निबंधन तथा शर्ते

(ए) राज्य में रेलवे नेटवर्क को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की दृष्टि से संयोजन तिथि से पांच वर्षो की अवधि हेतु उन्हीं नवीन रेलवे कर्षण परियोजनाओं हेतु ऊर्जा प्रभारों में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी जिनके अनुज्ञप्तिधारी के साथ विद्युत प्रदाय की प्राप्ति हेतु अनुबंध वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान अंतिम किये जाते हैं। पूर्व में जारी किये गये आदेशों में दी गई, छूट उक्त टैरिफ आदेशों के अन्तर्गत उल्लेखित दर तथा अवधि हेतु जारी रहेगी।

(बी) समर्पित संभारक संधारण प्रभार (डेडिकेटिड फीडर मेंटनेंस चार्जेस) लागू **नहीं** होंगे।

(सी) प्रत्याभूत न्यूनतम खपत (Guaranteed Minimum Consumption) संविदा मांग की 1500 यूनिट (किलोवाट आवर) प्रति केवीए होगी। न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि उच्च दाब विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु सामान्य निबन्धन एवं शर्तों में दर्शाये गये के अनुरूप होगी।

(डी) ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) अर्थदण्ड :

i. यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक, 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो उसे प्रत्येक 1% (एक प्रतिशत) गिरावट हेतु जिससे कि औसत मासिक ऊर्जा कारक 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है, हेतु अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा। **ऊर्जा कारक के अवधारण हेतु, केवल अनुगामी तर्क (लैग लॉजिक) का उपयोग किया जाएगा तथा अग्रगामी (लीडिंग) ऊर्जा–कारक अभिलिखत होने पर कोई ऊर्जा कारक अर्थदण्ड अधिरोपित नहीं किया जाएगा।**

ii. यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक 85 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो उपभोक्ता को शीर्ष ''ऊर्जा प्रभारों'' के अन्तर्गत कुल देयक राशि पर 5 (पांच) प्रतिशत + 2 (दो) प्रतिशत की दर से जिसके अनुसार औसत मासिक ऊर्जा कारक 85% प्रतिशत से नीचे गिर जाता

है, अधिरोपित किया जाएगा। यह अर्थदण्ड इस शर्त के अध्यधीन होगा कि निम्न ऊर्जा कारक के कारण समग्र अर्थदण्ड 35% से अधिक नहीं होगा।

iii. इस प्रयोजन से, ''औसत मासिक ऊर्जा कारक (Average monthly power factor)'' को माह के दौरान ''कुल किलोवॉट आवस' तथा 'कुल किलो वोल्ट एम्पीयर आवर्स' के प्रतिशत अनुपात के रुप में परिभाषित किया गया है। ऊर्जा कारक के इस अनुपात (%) को निकटतम एकीकृत अंश तक पूर्णांक किया जाएगा तथा 0.5 अथवा इससे अधिक की भिन्न को आगामी उच्च अंक तक पूर्णांक किया जाएगा तथा 0.5 से कम की भिन्न को उपेक्षित किया जाएगा।

iv. उपरोक्त कथन में भले कुछ भी कहा गया हो, यदि किसी नवीन उपभोक्ता का औसत ऊर्जा कारक, संयोजन तिथि से प्रथम 6 (छः) माह के दौरान किसी भी समय 90 प्रतिशत से कम पाया जाता है तो उपभोक्ता उपरोक्त को इसका सुधार कम से कम 90 प्रतिशत तक लाये जाने हेतु निम्न शर्तों के अध्यधीन अधिकतम 6 माह की अवधि हेतु प्राधिकृत होगा :

- यह छः माह की अवधि उक्त तिथि से मान्य की जाएगी जिस पर औसत ऊर्जा कारक प्रथम बार 90 प्रतिशत से कम पाया गया था।

- समस्त प्रकरणों में, उपभोक्ता को निम्न ऊर्जा कारक हेतु अर्थदण्ड प्रभारों की बिलिंग की जाएगी, परन्तु यदि उपभोक्ता अनुवर्ती तीन माह में (इस प्रकार कुल–मिलाकर चार माह) कम से कम 90**%** से अधिक औसत ऊर्जा कारक संधारित करता है तो कथित छः माह की अवधि को वापस ले लिया जाएगा तथा इन्हें आगामी मासिक बिलों में आकलित (क्रेडिट) किया जाएगा।

- उल्लेखित की गई यह सुविधा, नवीन उपभोक्ताओं को एक से अधिक बार देय नहीं होगी, जिनका औसत ऊर्जा कारक संयोजन तिथि से छः माह के दौरान 90 प्रतिशत से कम न रहा हो। तत्पश्चात्, निम्न औसत ऊर्जा कारक के कारण यदि यह 90**%** प्रतिशत से कम पाया जाता है तो उन्हें प्रभारों का भुगतान किसी अन्य उपभोक्ता की भांति ही करना होगा।

(ई) अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी जैसी कि वे उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन एवं शर्तें में उल्लेखित की गई है।

————

टैरिफ अनुसूची–एचवी–2

कोयला खदानें (कोल माईन्स)

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) दर कोयला खदानों को पावर, वातायन (वेटिंलेशन), बत्तियां, पंखे, कूलर आदि हेतु लागू होगी जिससे अभिप्रेत है समस्त ऊर्जा का कोयला खदानों, कार्यालयों, भण्डारों, केन्टीन में प्रकाश व्यवस्था, प्रांगण की प्रकाश व्यवस्था आदि तथा उनसे संलग्न आवासीय उपयोग में विद्युत ऊर्जा की खपत को सम्मिलित किया जाना। संविदा मांग केवल पूर्णाकों में अभिव्यक्त की जाएगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

स.क्र.	उपभोक्ता उप श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	50% भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	50% से अधिक भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु (पैसे प्रति यूनिट)
	कोयला खदानें			
1	11 केवी प्रदाय	550	545	465
2	33 केवी प्रदाय	515	525	445
3	132 केवी प्रदाय	525	515	435
4	220 केवी प्रदाय	535	505	425

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें

ए. **प्रत्याभूत न्यूनतम खपत (Guaranteed Minimum Consumption)** : निम्न आधार पर होगी :

प्रदाय वोल्टेज	प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत यूनिट (किलो वाट ऑवर में) प्रति केवीए संविदा मांग का
220/132 केवी पर विद्युत प्रदाय हेतु	1620
33/11 केवी पर विद्युत प्रदाय हेतु	1200

टीप : न्यूनतम खपत की बिलिंग विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होंगी।

बी. भार कारक (लोड फैक्टर) प्रोत्साहन : उपभोक्ता को उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में दर्शाई गई योजना के अनुरूप ऊर्जा प्रभारों पर भार कारक आधारित प्रोत्साहन की पात्रता होगी।

सी. दिवस के समय (टाईम ऑफ डे–टीओडी) अधिभार/छूट : यह अधिभार/छूट उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

डी. अन्य निबन्धन तथा शर्तें वहीं होंगी जैसी कि वे उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में उल्लेख की गई हैं।

———————

टैरिफ अनुसूची–एचवी–3
औद्योगिक, गैर–औद्योगिक तथा शॉपिंग मॉल

प्रयोज्यता :

टैरिफ क्रमांक एचवी–3.1 (औद्योगिक) समस्त उच्चदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं को, खदानों को सम्मिलित कर (कोयला खदानों को छोड़कर) पावर, बत्ती, पंखा आदि को लागू होगा जिससे अभिप्रेत है कार्यालयों, मुख्य फेक्टरी भवन, भण्डारों, केन्टीन, उद्योगों की आवासीय कालोनियों, प्रांगण आदि की प्रकाश व्यवस्था आद्योगिक इकाईयों में स्थित सामान्य तथा सहायक सुविधाएं, जैस कि बैंक, सामान्य प्रयोजन की दुकानें, जल प्रदाय, जल मल उद्‌वहन व्यवस्था (पम्प), पुलिस थाने, आदि तथा डेरी इकाईयां जहां दूध का प्रसंस्करण (शीतलीकरण, पाश्चुरीकरण आदि को छोड़कर)अन्य दुग्ध पदार्थों के उत्पादन में खपत की गई समस्त विद्युत ऊर्जा को सम्मिलित किया जाना।

टैरिफ क्रमांक एचवी–3.2 (गैर–औद्योगिक) रेलवे स्टेशनों, कार्यालयों, होटलों, शासकीय अस्पतालों संस्थानों आदि (उपभोक्ताओं के समूह को छोड़कर) जैसी संस्थापनाओं को लागू होगा जिनके पावर, बत्ती तथा पंखा आदि के मिश्रित भार हैं जिस से अभिप्रेत है कार्यालयों, भण्डारों, केन्टीन, प्रांगण आदि की प्रकाश व्यवस्था हेतु खपत की गई समस्त विद्युत ऊर्जा को सम्मिलित किया जाना। इसमें समस्त अन्य श्रेणी के उपभोक्ता भी सम्मिलित होंगे, जो निम्नदाब गैर–घरेलू श्रेणी में परिभाषित होते हैं, बशर्ते उच्चदाब उपभोक्ता किसी भी प्रकार से अन्य निम्नदाब/उच्चदाब उपभोक्ताओं को विद्युत ऊर्जा को न ही पुनर्वितरित करेगा अथवा न ही इसे उप–भाटक (सब–लेट) पर देगा।

टैरिफ क्रमांक एचवी–3.3 (शॉपिंग मॉल) शॉपिंग मॉल की संस्थापनाओं को लागू होगा जिनमें निम्न परिभाषित गैर–औद्योगिक समूह सम्मिलित हैं जो इस अनुसूची (ई) में दर्शाये विशिष्ट निबन्धनों तथा शर्ते के अध्यधीन होंगे।

शॉपिंग मॉल किसी शहरी क्षेत्र में एक बहुमंजिला बाजार करने का एक केन्द्र है जो पैदल भ्रमण करने वालों के लिये समावृत होगा जिसमें घेरी गई भूमि के अन्तर्गत पैदल चलने वालों के लिये मार्ग निर्मित होंगे तथा जिसका प्रबन्धन संस्था/विकास–अभिकरण (डेवलपर) द्वारा एक इकाई के रूप में स्वतंत्र खुदरा स्टोर समूह सेवाओं तथा पार्किंग स्थलों का निर्माण तथा संधारण किया जाता है।

टैरिफ क्रमांक एचवी–3.4 [गहन विद्युत उद्योग (पावर इन्टेंसिव इन्डस्ट्रीज)] श्रेणी लघु इस्पात संयन्त्रों (मिनी स्टील प्लांट या एमएसपी) मय रोलिंग मिल, स्पोंज आयरन संयन्त्र के, जो एक

ही परिसर में स्थिति हों, विद्युत रासायनिक (इलेक्ट्रो–केमिकल), विद्युत ताप उद्योग (इलेक्ट्रो थर्मल इण्डस्ट्रीज), फैरो–अलॉय उद्योग, जिसका तात्पर्य तथा इसमें सम्मिलित होगी फैक्टरी परिसर में खपत की गई समस्त विद्युत तथा कार्यालयों, मुख्य फैक्टरी भवन, गोदामों केंटीन, उद्योगों के आवासीय परिसरों (कालोनियों), परिसर में विद्युत व्यवस्था (कम्पाउन्ड लाईटिंग) आदि।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

सरल क्रमांक	उपभोक्ता की उप–श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	50% भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	50% से अधिक भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु (पैसे प्रति यूनिट)
3.1	**औद्योगिक**			
	11 केवी प्रदाय	225	510	450
	33 केवी प्रदाय	370	500	400
	132 केवी प्रदाय	470	460	380
	220/400 केवी प्रदाय	500	4140	370
3.2	**गैर–औद्योगिक**			
	11 केवी प्रदाय	190	410	465
	33 केवी प्रदाय	3005	515	450
	132 केवी प्रदाय	425	480	415
3.3	**शॉपिंग मॉल**			
	11 केवी प्रदाय	190	450	465
	33 केवी प्रदाय	280	520	455
	132 केवी प्रदाय	400	480	410
3.4	**गहन विद्युत उद्योग (Power Intensive Industries)**			
	33 केवी प्रदाय	435	395*	395
	132 केवी प्रदाय	560	375*	355

*श्रेणी एचवी 3.4 को भार प्रोत्साहन (load factor incentive) की पात्रता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, इस श्रेणी के लिये, ऊर्जा प्रभार, भार–कारक से असंबद्ध, सम्पूर्ण खपत हेतु एक समान होंगे।

विशिष्ट निबन्धन शर्तें

(ए) प्रत्याभूत न्यूनतम खपत (Guaranteed Minimum Consumption) :

उपरोक्त दर्शाई गई समस्त श्रेणियों हेतु निम्न आधार पर होगी :

प्रदाय वोल्टेज	उप–श्रेणी	प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत यूनिट (किलोवाट ऑवर) में प्रति केवीए संविदा मांग का
220/132 केवी पर विद्युत प्रदाय हेतु	रोलिंग मिलें	1200
	शैक्षणिक संस्थाऐं	720
	अन्य	1800
33/11 केवी पर विद्युत प्रदाय हेतु	शैक्षणिक संस्थाऐं	600
	100 केवीए तक की संविदा मांग	900
	अन्य	1200

टीप : न्यूनतम खपत की बिलिंग विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होंगी।

(बी) **भार कारक (लोड फैक्टर) प्रोत्साहन** : उपभोक्ता को उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में दर्शाई गई योजना के अनुरूप ऊर्जा प्रभारों पर भार कारक आधारित प्रोत्साहन की पात्रता होगी। तथापि, एचवी 3.4 श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को भार कारक प्रोत्साहनों का पात्रता नहीं होगी।

(सी) **दिवस के समय (टाईम ऑफ डे–टीओडी) अधिभार/छूट** : यह अधिभार/ छूट उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

(डी) **ग्रामीण बहुल क्षेत्रों को विद्युत प्रदाय करने वाले ग्रामीण संभारकों (फीडरों) के माध्यम से छूट** : इस श्रेणी के अन्तर्गत उच्च दाब उपभोक्ता जो ग्रामीण संभारकों (फीडर) के माध्यम से विद्युत प्रदाय प्राप्त करते हैं, उन्हें उपरोक्तानुसार तत्संबंधी वोल्टेज हेतु विनिर्दिष्ट स्थाई प्रभारों पर 10% तथा न्यूनतम खपत (किलोवाट ऑवर में) पर 20% कमी की जाएगी।

(ई) **शॉपिंग मॉल हेतु, विनिर्दिष्ट अतिरिक्त निबंधन तथा शर्तें** :

(i) वैयक्तिक अन्तिम छोर के प्रयोक्ता को ऐसी विद्युत–दर (टैरिफ) अधिरोपित नही की जाएगी जो निम्न दाब संयोजन के प्रकरण में, गैर–घरेलू वाणिज्यिक विद्युत–दर तथा (उपश्रेणी एलवी 2.2) उच्च दाब संयोजन के प्रकरण में उच्च दाब गैर–औद्योगिक विद्युत–दर श्रेणी (उपश्रेणी एचवी 3.2) से अधिक हो, जैसा कि इसे आयोग द्वारा अवधारित किया जाए।

(ii) इस श्रेणी के अन्तर्गत, समस्त अन्तिम छोर प्रयोक्ताओं को प्रबन्धक संस्थान/विकास अभिकरण (डेवलपर) तथा अनुज्ञप्तिधारी से शॉपिंग मॉल में विद्युत प्रदाय की प्राप्ति तथा उपलब्धि हेतु विद्युत–दर के लाभ प्राप्ति हेतु एक त्रि–पक्षीय अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।

(एफ) अन्य निबंधन तथा शर्तें वह होंगी जैसी कि वे उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबंधनों तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट की गई है।

———

टैरिफ अनुसूची–एचवी–4

मौसमी (सीजनल) :–

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) ऐसे मौसमी (सीजनल) उद्योगों/उपभोक्ताओं को लागू होगी जिन्हें एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन के प्रयोजनों से एक वित्तीय वर्ष में निरंतर एक सौ अस्सी दिवस की अवधि हेतु तथा न्यूनतम तीन माह की अवधि हेतु विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। **यदि घोषित मौसम का विस्तार दो टैरिफ अवधियों के अन्तर्गत होता है, तो ऐसी दशा में संबंधित अवधि की विद्युत–दर प्रयोज्य होगी।**

अनुज्ञप्तिधारी इस विद्युत–दर (टैरिफ) दर को केवल मौसमी उपयोग वाले किसी उद्योग को ही अनुज्ञेय करेगा।

यह विद्युत–दर मिनी/सूक्ष्म जल विद्युत संयन्त्रों की बिना किसी उच्चतम सीमा के, उक्त अवधि हेतु, जिसके लिये विद्युत प्रदाय प्राप्त की जाएगी, संयन्त्रों के संधारण हेतु, विद्युत की अनिवार्य आवश्यकताओं हेतु भी लागू होगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

उपभोक्ताओं की श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	50% भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	50% से अधिक भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु (पैसे प्रति यूनिट)
मौसम (सीजन) के दौरान			
11 केवी प्रदाय	255	500	435
33 केवी प्रदाय	285	490	320
मौसम बाह्य (ऑफ सीजन) के दौरान			
11 केवी प्रदाय	मौसम के दौरान, संविदा मांग अथवा वास्तविक अभिलिखित मांग, इसमें से जो भी अधिक हो के 10 प्रतिशत पर, रूपये 255	600 अर्थात्, मौसमी (सीजनल) ऊर्जा प्रभारों का 120 प्रतिशत	लागू नहीं
33 केवी प्रदाय	मौसम के दौरान, संविदा मांग अथवा वास्तविक अभिलिखित मांग, इसमें से जो भी अधिक हो के 10 प्रतिशत पर, रूपये 285	588 अर्थात्, मौसमी (सीजनल) ऊर्जा प्रभारों का 120 प्रतिशत	लागू नहीं

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें :

(ए) प्रत्याभूत न्यूनतम खपत संविदा मांग का 900 यूनिट (किलोवाट ऑवर) प्रति केवीए होगी । न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होगी।

(बी) **भार कारक (लोड फैक्टर) प्रोत्साहन** : उपभोक्ता के उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में दर्शाई गई योजना के अनुरूप ऊर्जा प्रभारों पर भार कारक आधारित प्रोत्साहन हेतु पात्रता होगी।

(सी) **दिवस के समय (टाईम ऑफ डे–टीओडी) अधिभार/छूट** : यह अधिभार/छूट उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

(डी) उपभोक्ता को वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु मौसम के तथा मौसम–बाह्य (ऑफ सीजन) के महीने, टैरिफ आदेश के 60 दिवस के भीतर घोषित करने होंगे तथा इन्हें अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करना होगा।यदि इस आदेश के जारी होने से पूर्व उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को वित्तीय वर्ष के दौरान उसके मौसमी / मौसम–बाह्य महीनों की घोषणा कर दी गई हो तो इसे इस टैरिफ आदेश के संबंध में स्वीकार कर लिया जाएगा तथा इस हेतु वैध माना जाएगा।

(ई) उपभोक्ता द्वारा एक बार घोषित की गई मौसमी अवधि को वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

(एफ) यह विद्युत–दर उन सम्मिश्रित इकाईयों को प्रयोज्य न होगी जिनके पास मौसमी तथा अन्य श्रेणी भार विद्यमान हैं।

(जी) उपभोक्ता को उसकी मासिक मौसम–बाह्य खपत को पिछले तीन मौसमों के अंतर्गत उच्चतम औसत मासिक खपत के 15 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि किसी प्रकरण में ऐसे किसी मौसम बाह्य माह में कोई खपत इस सीमा से अधिक पाई जाए तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वर्ष हेतु, एचवी–3.1 औद्योगिक टैरिफ अनुसूची दर के अनुसार की जाएगी।

(एच) उपभोक्ता को मौसम–बाह्य के दौरान उसकी अधिकतम मांग को संविदा मांग का 30 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि उसके द्वारा घोषित मौसम–बाह्य के अंतर्गत किसी माह में अधिकतम मांग इस सीमा से अधिक पाई जाती है तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वर्ष हेतु, एचवी–3.1 औद्योगिक टैरिफ अनुसूची के अनुसार की जाएगी।

(आई) अन्य निबंधन तथा शर्तें वह होंगी जैसी कि वे उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबंधनों तथा शर्तों में उल्लेख की गई है।

———

टैरिफ अनुसूची–एचवी–5

सिंचाई, सार्वजनिक जल–प्रदाय कार्य तथा कृषि संबंधी अन्य उपयोग

प्रयोज्यता :

टैरिफ श्रेणी एचवी–5.1 उद्वहन सिंचाई (लिफ्ट इरीगेशन) योजनाओं, समूह सिंचाई (ग्रुप इरीगेशन), सार्वजनिक उपयोगिता की जलप्रदाय योजनाओं, जल–मल उपचार सयंत्रों/ जल–मल पंपिंग संयत्रों में पावर प्रदाय तथा पंप हाऊस में प्रकाश व्यवस्था हेतु उपयोग की गई ऊर्जा हेतु ही लागू होगी।

टीप : निजी जल प्रदाय योजनाएँ, संस्था द्वारा अपने स्वयं के उपयोग/कर्मचारियों/ टाऊनशिपों हेतु चलाई जा रही जल प्रदाय आदि योजनाएं इस श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आएंगी, वरन् इनकी बिलिंग समुचित टैरिफ श्रेणी के अन्तर्गत की जाएगी, जिससे वह संस्था संबद्ध है। यदि जल प्रदाय का उपयोग दो या इससे अधिक प्रयोजनों हेतु किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में उच्चतम विद्युत–दर (टैरिफ) प्रयोज्य होगी।

टैरिफ श्रेणी एचवी–5.2 कृषि पंप संयोजनों को छोड़कर अन्य विद्युत प्रदाय, जैसे कि अंडे सेने के स्थल (हैचरी), मत्स्य तालाबों कुक्कुट पालन (पोल्ट्री फार्म), पशु–प्रजनन केन्द्र (केटल ब्रीडिंग फार्म), चारागाह (ग्रासलेंड), सब्जी/फल/पुष्प कृषि (फ्लोरीकल्चर), कुकरमुत्ता (मशरूम) उगाने वाली इकाईयों, आदि तथा डेरी [वे डेरी इकाईयां जहां केवल दूध निकालने का कार्य तथा इसका प्रसंस्करण जैसे कि शीतलीकरण (चिलिंग), पाश्चरीकरण आदि किया जाता है] को लागू होगी। परन्तु ऐसी इकाईयों में, जहां दूध का प्रसंस्करण दूध के अन्य दुग्ध उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है वहां बिलिंग, एचवी–3.1 (औद्योगिक) श्रेणी के अन्तर्गत की जाएगी।

टैरिफ :

क्रमांक	उपभोक्ताओं की उप श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
5.1	**सार्वजनिक जल प्रदाय कार्य, समूह सिंचाई तथा उद्वहन सिंचाई योजनाएं**		
	11 केवी प्रदाय	170	400
	33 केवी प्रदाय	190	380
	132 केवी प्रदाय	210	360
5.2	**कृषि संबंधी अन्य उपयोग**		
	11 केवी प्रदाय	190	405
	33 केवी प्रदाय	210	385
	132 केवी प्रदाय	230	370

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें :

(ए) **प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत :** संविदा मांग का 720 यूनिट (किलोवाट ऑवर) प्रति केवीए होगी। न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होगी।

(बी) **दिवस के समय (टाईम ऑफ डे–टीओडी) अधिभार/छूट** : उपभोक्ता के उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में दर्शाई गई योजना के अनुरूप ऊर्जा प्रभारों पर भार कारक आधारित प्रोत्साहन हेतु पात्रता होगी।

(सी) **मांग–परक प्रबन्धन (डिमांड साईड मैनेजमेंट) अपनाए जाने पर प्रोत्साहन** : ऊर्जा बचत उपकरणों की स्थापना किये जाने पर [जैसे कि, पम्प सेट्स हेतु, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित ऊर्जा दक्ष मोटरों तथा पथ–प्रकाश व्यवस्था हेतु कार्यक्रमबद्ध चालू–बन्द/मन्द करने वाला स्विच, स्वचालन व्यवस्था सहित] उपभोक्ता को 5% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। **प्रोत्साहन** उसी दशा में अनुज्ञेय किया जाएगा, यदि पूर्ण देयक की राशि का भुगतान निर्धारित तिथि तक कर दिया जाता है, जिसका परिपालन न किये जाने पर समस्त खपत किये गये यूनिटों का भुगतान सामान्य दरों पर करना होगा। इस प्रकार का प्रोत्साहन, ऊर्जा बचत उपकरणों को आयोग में लाये जाने वाले माह से आगामी माह से अनुज्ञेय किया जाएगा तथा इसका सत्यापन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। यह प्रोत्साहन उक्त अवधि तक अनुज्ञेय किया जाना जारी रहेगा जब तक ये ऊर्जा बचत उपकरण सेवारत रहते हैं। वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उपरोक्त प्रोत्साहन हेतु, वृहद् प्रचार–प्रसार की व्यवस्था करनी होगी। वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ताओं हेतु प्रदान किये गये प्रोत्साहनों के संबंध में त्रैमासिक जानकारी अपनी वैबसाईट पर भी प्रदर्शित करनी होगी।

(डी) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होगी जैसी कि वे उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबंधनों तथा शर्तों में उल्लेख की गई है।

———

टैरिफ अनुसूची–एचवी–6

थोक आवासीय प्रयोक्ता (बल्क रेसीडेन्शियल यूजर्स)

प्रयोज्यता :

टैरिफ श्रेणी **एचवी–6.1** औद्योगिक अथवा अन्य टाऊनशिप [उदाहरणतया विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्थाएं, अस्पताल, सैनिक अभियन्ता सेवा (एमईएस), सीमान्त ग्राम, आदि] के लिए केवल घरेलू प्रयोजन हेतु, जैसे कि प्रकाश व्यवस्था, पंखे, ऊष्मा प्रदाय (हीटिंग) हेतु लागू होगी, बशर्ते यह कि अत्यावश्यक सामान्य सुविधाओं जैसे कि आवासीय क्षेत्र में गैर–घरेलू विद्युत प्रदाय, पथ–प्रकाश व्यवस्था हेतु संयोजित भार निम्नानुसार विनिर्दिष्ट की गई सीमाओं के अंतर्गत होगा :–

(i) जलप्रदाय तथा जल–मल (सीवेज) पंपिंग, अस्पताल हेतु–**कोई सीमा का बंधन नहीं होगा**

(ii) गैर–घरेलू/वाणिज्यिक तथा अन्य सामान्य प्रयोजन हेतु समन्वित रूप से–**कुल संयोजित भार का 20 प्रतिशत**

टैरिफ श्रेणी **एचवी–6.2**, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 798 (ई) दिनांक 9 जून 2005 के अनुसार पंजीकृत सहकारी समूह गृह–निर्माण समितियों तथा अन्य पंजीकृत समूह गृह–निर्माण समितियों तथा वैयक्तिक घरेलू प्रयोक्ताओं को विद्युत प्रदाय हेतु लागू होगी। उपभोक्ताओं की इस श्रेणी हेतु निबन्धन तथा शर्ते विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 की धारा 4.77 से 4.95 (दोनों धाराएं सम्मिलित करते हुए) के उपबन्धों, जैसे कि ये समय–समय पर संशोधित किये गये हैं, के अनुसार प्रयोज्य होंगी।

टैरिफ :

सरल क्रमांक	उपभोक्ताओं की श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	50% भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	50% से अधिक भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु (पैसे प्रति यूनिट)
1.	**टैरिफ उप–श्रेणी एचवी–6.1 हेतु**			
	11 केवी प्रदाय	215	465	410
	33 केवी प्रदाय	230	440	390
	132 केवी प्रदाय	245	425	375
2.	**टैरिफ उप–श्रेणी एचवी–6.2 हेतु**			
	11 केवी प्रदाय	145	470	415
	33 केवी प्रदाय	150	460	405
	132 केवी प्रदाय	153	445	390

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें :

(ए) **प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत** : संविदा मांग का 780 यूनिट (किलोवाट आवर) प्रति केवीए होगी । न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होगी।

(बी) **भार कारक प्रोत्साहन (लोड फेक्टर इन्सेन्टिव) :** उपभोक्ता के उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में दर्शाई गई योजना के अनुरूप ऊर्जा प्रभारों पर भार कारक आधारित प्रोत्साहन हेतु पात्रता होगी।

(सी) समस्त वैयक्तिक अन्तिम छोर प्रयोक्ता या उपभोक्ता (end users) को इस श्रेणी के अन्तर्गत विद्युत दर (टैरिफ) के लाभ की प्राप्ति हेतु समूह गृह निर्माण समिति तथा अनुज्ञप्तिधारी के साथ समिति के अन्तर्गत विद्युत प्रदाय की प्राप्ति हेतु, त्रिपक्षीय समझौता करना होगा। वैयक्तिक अन्तिम छोर प्रयोक्ता को तत्स्थानी निम्न दाब श्रेणी की प्रयोज्य विद्युत–दर (टैरिफ) से अधिक की दर अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(डी) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होगी जैसी कि वे उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबंधनों तथा शर्तों में उल्लेख की गई है।

———

टैरिफ अनुसूची–एचवी–7

विद्युत उत्पादकों हेतु समकालन (Synchronization) तथा प्रारंभिक विद्युत (Star up Power) को प्रावधान

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) ऐसे विद्युत उत्पादकों को लागू होगी जो पूर्व से ही ग्रिड से संयोजित है परन्तु वितरण अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ता नहीं है तथा ग्रिड से समकालन तथा प्रारंभिक विद्युत प्राप्त करने के इच्छुक हैं।

समस्त वोल्टेज स्तरों हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) :

श्रेणी	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
विद्युत उत्पादकों की प्रारंभिक विद्युत (Star up Power) तथा ग्रिड से समकालन (Synchronization) हेतु विद्युत प्रदाय	575

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें :

(ए) ग्रिड से समकालन (Synchrornization) अथवा प्रारंभिक विद्युत (start up power) हेतु विद्युत संयंत्र में विद्युत प्रदाय उच्चतम मूल्यांकन (Rating) इकाई की क्षमता के 15% से अधिक नहीं किया जाएगा।

(बी) न्यूनतम खपत की शर्त विद्युत उत्पादकों हेतु, तथा कैप्टिव विद्युत उत्पादकों को, लागू नहीं होगी। विद्युत खपत की बिलिंग वास्तविक तथा बिलिंग माह के दौरान अभिलिखित विद्युत खपत हेतु की जाएगी।

(सी) कैप्टिव विद्युत उत्पादक को विद्युत प्रदाय विनिर्माण (production) गतिविधि हेतु विद्युत प्रदाय अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा जिस हेतु वह सुसंबद्ध विनियमों के अन्तर्गत वैकल्पिक समर्थन (stand-by support) प्राप्त कर सकेगा।

(डी) ग्रिड के साथ समकालन (Synchrornization) अथवा विद्युत उत्पादन प्रणाली प्रारंभ किये जाने हेतु विद्युत प्रदाय वार्षिक नियोजित संधारण, अन्य संधारण हेतु, विद्युत अवरोधों (outages) हेतु, विद्युत उत्पादक इकाईयों के विवशजन्य अवरोधों (forced outages) तथा ग्रिड से विद्युत उत्पादक के पृथक किये जाने के अवसर पर भी, उपलब्ध कराया जाएगा।

(ई) ग्रिड के साथ समकालन अथवा विद्युत उत्पादन प्रणाली प्रारंभ करने हेतु ऊर्जा प्रत्येक अवसर पर अधिकतम दो घंटे के लिये उपलब्ध कराई जाएगी। यह समय सीमा प्रणाली को प्रारंभ करने संबंधी गतिविधि (start up activity) हेतु लागू नहीं होगी।

(एफ) विद्युत उत्पादक, कैप्टिव विद्युत विद्युत उत्पादक को सम्मिलित करते हुए, अनुज्ञप्तिधारी के साथ ग्रिड का समकालन किये जाने बावत अथवा विद्युत उत्पादन प्रणाली प्रारंभ करने हेतु विद्युत की आपूर्ति हेतु एक अनुबंध का निष्पादन करेंगे, जिसमें उपरोक्त निबंधन तथा शर्तों का भी समावेश किया जाएगा।

———

उच्चदाब विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तें

निम्न निबंधन तथा शर्तें समस्त उच्चदाब उपभोक्ता श्रेणियों को लागू होंगी, जो तत्संबंधी श्रेणी हेतु उल्लेखित टैरिफ अनुसूची के अंतर्गत उक्त श्रेणी हेतु विनिर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन होंगी :

1.1 संविदा मांग को केवल पूर्णांक में ही व्यक्त किया जाएगा

1.2 **सेवा का स्वरूप :** सेवा का स्वरूप मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 के अनुसार होगा जैसा कि इसे समय–समय पर संशोधित किया जाए।

1.3 **प्रदाय बिन्दु** :–

(ए) उपभोक्ता को सम्पूर्ण परिसर हेतु विद्युत प्रदाय सामान्य तौर पर एकल बिन्दु पर ही प्रदान किया जाएगा।

(बी) रेलवे कर्षण के प्रकरण में, प्रत्येक उपकेन्द्र पर विद्युत प्रदाय पृथक रूप से मीटरीकृत तथा प्रभारित किया जाएगा।

(सी) कोयला खदानों के प्रकरण में, उपभोक्ताओं को सामान्य तौर पर विद्युत प्रदाय सम्पूर्ण परिसर हेतु एक ही बिन्दु पर किया जाएगा। विद्युत प्रदाय, तथापि, उपभोक्ता के अनुरोध पर उसकी तकनीकी संभावनाओं के अध्यधीन, एक से अधिक बिन्दुओं पर प्रदाय किया जा सकेगा परन्तु ऐसे प्रकरण में मीटरीकरण तथा बिलिंग व्यवस्था प्रदाय के प्रत्येक बिन्दु हेतु अलग–अलग की जाएगी।

1.4 **मांग का अवधारण :** प्रत्येक माह में विद्युत प्रदाय की **अधिकतम मांग**, माह के दौरान 15 मिनट की निरंतर अवधि के दौरान, मांग के मापन के सलाईडिंग विंडो सिद्धांत के अनुसार प्रदाय बिन्दु पर प्रदत्त अधिकतम किलोवाट एम्पीयर घंटे का चार गुना होगी।

1.5 **बिलिंग मांग (बिलिंग डिमांड)** : माह के दौरान, माह हेतु, बिलिंग मांग, उपभोक्ता की वास्तविक अधिकतम केवीए मांग अथवा संविदा मांग का 90 प्रतिशत, इसमें से जो भी अधिक हो, होगी। बिलिंग मांग को निकटतम एकीकृत (Integral) अंक तक पूर्णांक किया जाएगा, अर्थात् 0.5 अथवा इससे अधिक की भिन्न (fraction) को आगामी अंक तक पूर्णांक किया जाएगा जबकि 0.5 से कम की भिन्न को उपेक्षित (ignored) किया जाएगा।

1.6 **टैरिफ न्यूनतम खपत की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी :**

1) उपभोक्ता को उसकी श्रेणी हेतु प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत (किलोवाट ऑवर) में विनिर्दिष्ट संविदा मांग की यूनिट संख्या प्रति केवीए के आधार पर बिलिंग की जाएगी इस तथ्य से असंबद्ध कि वर्ष के दौरान किसी विद्युत मात्रा की खपत की गई है, अथवा नहीं।

2) उपभोक्ता की बिलिंग प्रति माह उसकी श्रेणी से संबद्ध निर्धारित की गई प्रत्याभूत वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर में) के बारहवें (1/12) भाग) पर की जाएगी, यदि वास्तविक खपत मासिक न्यूनतम खपत से कम हो।

3) उक्त माह में, जिसके अन्तर्गत वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत (Guaranteed) खपत की प्राप्ति पूर्ण कर ली जाती है, उसके अनुवर्ती महीनों में वित्तीय वर्ष के दौरान मासिक न्यूनतम खपत की बिलिंग नहीं की जाएगी।

4) टैरिफ न्यूनतम खपत को उक्त माह में समायोजित किया जाएगा जिसके अन्तर्गत संचयी वास्तविक अथवा बिल की गई मासिक खपत संचयी उक्त माह, जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता की संचयी वास्तविक खपत, वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत से अधिक होती हो तथा यदि उपभोक्ता को उसकी वास्तविक खपत कम होने के कारण, पूर्व के महीनों में मासिक न्यूनतम खपत हेतु प्रभारित किया गया हो तो ऐसी दशा में टैरिफ की न्यूनतम अन्तर खपत का समायोजन उक्त माह में किया जाएगा जिसके अन्तर्गत संचयी खपत वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत से अधिक हो जाती है। यदि ऐसा टैरिफ न्यूनतम अन्तर इस माह में पूर्ण रूप से समायोजित नहीं हो पाता है तो इस प्रकार के समायोजनों को वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती महीनों में भी जारी रखा जाएगा। यदि वास्तविक संचयी खपत पूर्णतया उक्त माह में समायोजित नहीं हो पाती है तो समायोजन को निम्न उदाहरण विद्युत खपत की मासिक बिलिंग की प्रक्रिया प्रदर्शित करता है, जहां 1200 किलोवाट ऑवर (kWh) मासिक खपत के आधार पर आनुपातिक मासिक न्यूनतम खपत 100 किलोवाट ऑवर (kWh) है।

माह	वास्तविक संचयी खपत (kWh)	संचयी न्यूनतम खपत (kWh)	2 तथा 3 में से जो भी अधिक हो (kWh)	वर्ष के दौरान अद्यतन बिल की गई खपत (kWh)	यूनिट संख्या जिसकी माह के दौरान बिलिंग की जाना है (4–5) (kWh)
1	2	3	4	5	6
अप्रैल	95	100	100	0	100
मई	215	200	215	100	115
जून	315	300	315	215	100
जुलाई	395	400	400	315	85
अगस्त	530	500	530	400	130
सितम्बर	650	600	650	530	120
अक्टूबर	725	700	725	650	75
नवम्बर	805	800	805	725	80
दिसम्बर	945	900	945	805	140
जनवरी	1045	1000	1045	945	100
फरवरी	1135	1100	1135	1045	90
मार्च	1195	1200	1200	1135	65

1.7 पूर्णांक करना (राऊडिंग ऑफ) : समस्त देयकों को निकटतम रूपये की राशि तक पूर्णांक किया जाएगा। अर्थात्, 49 पैसे तक की राशि की उपेक्षा की लाएगी तथा 50 पैसे से अधिक के राशि को अगले रूपये तक पूर्णांक किया जाएगा।

<u>प्रोत्साहन/छूट/अर्थदण्ड</u> :

1.8 ऊर्जा कारक प्रोत्साहन (पावर फेक्टर इनसेन्टिव)

ऊर्जा कारक प्रोत्साहन का भुगतान निम्नानुसार देय होगा :

ऊर्जा कारक	बिल किये गये ऊर्जा प्रभारों पर देय प्रतिशत प्रोत्साहन
95 प्रतिशत से अधिक तथा 96 प्रतिशत तक	1.0 प्रतिशत (एक प्रतिशत) की दर से
96 प्रतिशत से अधिक तथा 97 प्रतिशत तक	2.0 प्रतिशत (दो प्रतिशत) की दर से
97 प्रतिशत से अधिक तथा 98 प्रतिशत तक	3.0 प्रतिशत (तीन प्रतिशत) की दर से
98 प्रतिशत से अधिक तथा 99 प्रतिशत तक	5 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) की दर से
99 प्रतिशत से अधिक	7 प्रतिशत (सात प्रतिशत) की दर से

1.9 **भार कारक की गणना तथा भार कारक प्रोत्साहन**

1) **भार–कारक (लोड फेक्टर)** : की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

भार कारक (लोड फेक्टर) (प्रतिशत में)	मसिक खपत x 100 =———————————————————————— बिलिंग माह में कुल घंटों की संख्या x मांग ऊर्जा कारक

i मासिक खपत, माह के दौरान खपत किये गये यूनिटों (kWh) की संख्या के बराबर होगी जिसमें अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त ऊर्जा के अतिरिक्त अन्य स्त्रोतों से प्राप्त की गई ऊर्जा को शामिल नहीं किया जाएगा।

ii बिलिंग माह के दौरान, घंटों की संख्या में, अनुसूचित अवरोध अवधियों (scheduled outages) के घंटे शामिल न होंगे।

iii. मांग अभिलिखित की गई अधिकतम मांग अथवा संविदा मांग इनमें से जो अधिक हो, होगी।

iv. ऊर्जा कारक 0.8 अथवा वास्तविक ऊर्जा कारक, इनमें से जो भी अधिक हो, होगी।

टीप : भार कारक (लोड फेक्टर) प्रतिशत को निकटतम निम्न एकीकृत (Integral) अंक तक पूर्णांक किया जाएगा। यदि उपभोक्ता विद्युत ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से प्राप्त कर रहा हो, तो अन्य स्त्रोतों से प्राप्त किये गये यूनिट, उपभोक्ता को बिल की गई शुद्ध ऊर्जा (खपत किये गये यूनिटों में से अन्य स्त्रोतों से प्राप्त यूनिटों को घटाकर) को ही केवल भार कारक की गणना के प्रयोजन से माना जाएगा। उपभोक्ता हेतु बिलिंग के प्रयोजन से माह के दौरान मापयन्त्र (मीटर) वाचन की दो क्रमवर्ती (Consecutive) तिथियों के बीच की अवधि दिवस संख्या के रुप में होगी।

2) **भार कारक प्रोत्साहन** की गणना निम्न योजना के अनुसार उपभोक्ताओं को प्रदान की जाएगी जहां इसे विनिर्दिष्ट किया गया हो :

भार कारक सीमा	प्रोत्साहन	ऊर्जा प्रभार (भार कारक = x%) पर प्रतिशत छूट (डिसकाउंट) की गणना
भार कारक <=75%	किसी प्रोत्साहन की पात्रता नहीं होगी	= 0.00%
भार कारक >75%	सम्पूर्ण खपत हेतु, ऊर्जा प्रभारों पर 75% से अधिक, 75% भार कारक से अधिक धनात्मक खपत हेतु, भार कारकों में प्रत्येक 1% वृद्धि पर 0.10% का प्रोत्साहन देय होगा	= (x-75) * 0.10

उदाहरण,

- *वह उपभोक्ता, जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 72 प्रतिशत का होगा, वह ऊर्जा प्रभारों पर कोई प्रोत्साहन प्राप्त नहीं करेगा।*
- *वह उपभोक्ता, जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 82 प्रतिशत होगा, वह 75 प्रतिशत भार कारक से अधिक धनात्मक खपत हेतु, ऊर्जा प्रभारों पर* [0.10 प्रतिशत *(82-75)]=05 प्रतिशत प्रोत्साहन प्राप्त करेगा।

टीप : **धनात्मक खपत (incremental consumption)** की गणना हेतु, 75% भार कारकों से तत्संबंधी भार कारक को कुल खपत में से घटाया दिया जाएगा। उपरोक्त भार कारक प्रोत्साहन केवल ऊर्जा प्रभारों पर, जो कि ऐसी धनात्मक खपत से तत्संबंधी हैं, को लागू होंगे, जिसके लिये पृथक दरें विनिर्दिष्ट की गई हैं।

1.10 खपत की अवधि प्रारंभ होने से पूर्व किये गये किसी **अग्रिम भुगतान** की राशि जिसके लिए कि देयक तैयार किया गया है, एक प्रतिशत प्रतिमाह का प्रोत्साहन उक्त राशि (प्रतिभूति निक्षेप राशि को छोड़कर) पर, जो कि अनुज्ञप्तिधारी के पास कलेण्डर माह के अंत में शेष रहती है, उसके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को देय राशि को समायोजित कर, उपभोक्ता के खाते में आकलित (क्रेडिट) कर दी जाएगी।

1.11 **त्वरित भुगतान हेतु छूट** : के प्रकरणों में, जहां किसी चालू माह हेतु देयक की राशि रू. 1 लाख या इससे अधिक हो तथा देयक का भुगतान निर्धारित भुगतान तिथि से कम से कम 7 दिवस पूर्व कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में देयक राशि [विद्युत शुल्क (Electricity Duty) तथा उपकर को छोड़कर)] के तत्पर भुगतान पर 0.25% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। वे उपभोक्ता, जिनके विरूद्ध देयकों की राशि बकाया हो, उन्हें इस प्रोत्साहन पात्रता नहीं होगी।

1.12 दिवस के समय (टाईम ऑफ डे–टीओडी) अधिभार/छूटः यह योजना उन उपभोक्ता श्रेणियों को लागू होगी जहां इसे विनिर्दिष्ट किया गया है। यह योजना दिवस की अलग–अलग अवधियों हेतु प्रयोज्य होगी, अर्थात सामान्य अवधि (नार्मल पीरियड), शीर्ष–भार (पीक लोड) तथा शीर्ष–बाह्य भार (ऑफ पीक लोड) अवधि हेतु। खपत की अवधि के अनुसार ऊर्जा प्रभारों पर अधिभार/छूट निम्न तालिका के अनुसार लागू होंगे :

स.क्र.	शीर्ष/शीर्ष–बाह्य अवधि	तत्संबंधी अवधि हेतु खपत की गई विद्युत पर ऊर्जा प्रभारों पर अधिभार/छूट
1	सायं शीर्ष–भार अवधि (सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर का 15 प्रतिशत, अधिभार के रूप में
2	शीर्ष–बाह्य अवधि (रात्रि 10 बजे से आगामी दिवस प्रातः 6 बजे तक)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर का 7.5 प्रतिशत, छूट के रूप में

टीप : स्थाई प्रभारों की बिलिंग सदैव केवल सामान्य दरों पर की जाएगी, अर्थात्, दिवस के समय (टीओडी) अधिभार/छूट स्थाई प्रभारों पर प्रयोज्य न होंगे।

1.13 ऊर्जा कारक अर्थदंड (पावर फेक्टर पैनाल्टी) (रेलवे कर्षण एचवी–1 श्रेणी से अन्य उपभोक्ताओं हेतु)

(i) यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो वह प्रत्येक 1 (एक) % गिरावट प्रतिशत हेतु, जिससे कि औसत मासिक ऊर्जा कारक 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है, हेतु अतिरिक्त कुल बिल राशि पर 1% (एक प्रतिशत) का अर्थ दण्ड भुगतान शीर्ष ''ऊर्जा प्रभार'' के अन्तर्गत करेगा।

(ii) यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक, 85 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो उपभोक्ता को ऊर्जा प्रभारों के अन्तर्गत प्रत्येक 1% (एक प्रतिशत) गिरावट हेतु जिससे कि औसत मासिक ऊर्जा कारक 85 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है, हेतु 5% (पांच प्रतिशत) (+) 2% (दो प्रतिशत) की दर से, अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा। यह अर्थदण्ड इस शर्त के अध्यधीन होगा कि निम्न ऊर्जा कारक के कारण समग्र अर्थदण्ड 35% से अधिक न होगा।

(iii) यदि औसत मासिक ऊर्जा कारक, 70 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता की संस्थापना के संयोजन को विच्छेद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जब तक कि इसमें अनुज्ञप्तिधारी की तुष्टि होने तक इसमें उचित सुधार लाये जाने बाबत उचित कदम उठाये नहीं जाते। तथापि, यदि संयोजन का विच्छेद नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में, अनुज्ञप्तिधारी बिना किसी भेद–भाव के निम्न दाब कारक हेतु, दाण्डिक प्रभारों को अधिरोपित कर सकेगा।

(iv) इस प्रयोजन से, ''औसत मासिक ऊर्जा कारक (Average monthly power factor)'' को माह के दौरान अभिलिखित की गई 'कुल किलोवॉट आवर्स' तथा 'कुल किलो वोल्ट एम्पीयर आवर्स' के प्रतिशत अनुपात के रुप में परिभाषित किया गया है। ऊर्जा कारक (%) को निकटतम एकीकृत अंश तक पूर्णांक किया जाएगा तथा 0.5 अथवा इससे अधिक की भिन्न को आगामी उच्च अंक

तक पूर्णांक किया जाएगा तथा 0.5 से कम की भिन्न को उपेक्षित किया जाएगा।

(v) उपरोक्त कथन में भले कुछ भी कहा गया हो, यदि किसी नवीन उपभोक्ता का औसत ऊर्जा कारक, संयोजन तिथि से प्रथम 6 (छः) माह के दौरान किसी भी समय 90 प्रतिशत से कम पाया जाता है, तो उपरोक्त को इसका सुधार कम से कम 90 प्रतिशत तक लाये जाने हेतु निम्न शर्तों के अध्यधीन अधिकतम 6 माह की अवधि हेतु अधिकृत होगाः

(ए) यह 6 माह की अवधि उस तिथि से मान्य की जाएगी जिस पर औसत ऊर्जा कारक प्रथम बार 90 प्रतिशत से कम पाया गया हो।

(बी) समस्त प्रकरणों में, उपभोक्ता को निम्न ऊर्जा कारक हेतु अर्थदण्ड प्रभारों का बिलिंग किया जाएगा, परन्तु यदि उपभोक्ता औसत आगामी तीन माह के दौरान (इस प्रकार कुल चार माह) कम से कम 90% ऊर्जा कारक संधारित करता है तो निम्न ऊर्जा कारक के कारण बिल किये गये प्रभारों को कथित 6 माह की अवधि को वापस ले लिया जाएगा तथा आगामी मासिक बिलों में इन्हें आकलित (क्रेडिट) किया जाएगा।

(सी) उल्लेखित की गई उपरोक्त सुविधा नवीन उपभोक्ताओं को एक से अधिक बार प्रदान नहीं की जाएगी, जिनका औसत ऊर्जा कारक संयोजन तिथि से 6 माह के दौरान 90 प्रतिशत से कम न रहा हो। तत्पश्चात्, निम्न औसत ऊर्जा कारक के कारण यदि यह 90 प्रतिशत से कम पाया जाता है, तो उन्हें प्रभारों का भुगतान किसी अन्य उपभोक्ता की भांति ही करना होगा।

1.14 आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार :

i. उपभोक्ताओं को समस्त समयों पर, वास्तविक अधिकतम मांग को संविदा मांग के अंतर्गत सीमित रखना होगा। ऐसे प्रकरण में, जहां कि किसी एक माह में वास्तविक अधिकतम मांग, संविदा मांग से 105 प्रतिशत अधिक तक बढ़ जाती है तो विभिन्न दर्शाई गई विद्युत–दरें (टैरिफ) संविदा मांग की 105 प्रतिशत अधिक की सीमा तक प्रयोज्य होंगी। उपभोक्ताओं को आधिक्य मांग हेतु प्रभारित किया जाएगा। ऊर्ज़ा प्रभारों तथा स्थाई प्रभारों पर अभिलिखित अधिकतम मांग तथा संविदा मांग के 105 प्रतिशत के अन्तर के रूप में, प्रभारित किया जाएगा तथा ऐसा करते समय टैरिफ की अन्य निबन्धन तथा शर्तें, यदि वे लागू हों, तो वे कथित आधिक्य मांग हेतु भी लागू होंगी। किसी माह के अन्तर्गत इस प्रकार की गई आधिक्य मांग की गणना, यदि कोई हो, को समस्त उपभोक्ताओं पर, केवल रेलवे कर्षण को छोड़कर, निम्न दरों के अनुसार भारित किया जाएगा :–

ii. **आधिक्य मांग हेतु ऊर्जा प्रभार** : ऐसे प्रकरण में, जहां अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग के 105 प्रतिशत से अधिक हो, उपभोक्ता को आधिक्य मांग से तत्संबंधी खपत के ऊर्जा प्रभारों हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) की 1.3 गुना दर पर प्रभारों का भुगतान करना होगा।

उदाहरण : एक ऐसा उपभोक्ता, जिसकी संविदा मांग 200 केवीए है, यदि 250 केवीए की अधिकतम मांग अभिलिखित करता है तो (250 केवीए–210 केवीए) = 40 केवीए हेतु ऊर्जा

प्रभारों की बिलिंग निम्न के बराबर होगी, अर्थात् (माह के दौरान अभिलिखित की गई खपत* 40 केवीए/अधिकतम अभिलिखत संविदा मांग)* 1.3* ऊर्जा प्रभार यूनिट दर

iii. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार** : इन प्रभारों की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगीः

1. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग का 115 प्रतिशत तक हो (Fixed charges for Excess Demand when the recorded maximum demand is up to 115% of the contract demand)** :– संविदा मांग से 105 प्रतिशत से अधिक मांग हेतु, स्थाई प्रभारों को, सामान्य दर की 1.3 गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।

2. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग के 115 प्रतिशत से अधिक हो (Fixed charges for Excess Demand when the recorded maximum demand exceeds 115% of contract demand) :–** उपरोक्त 1 में दर्शाये गये स्थाई प्रभारों के अतिरिक्त, संविदा मांग से 15 प्रतिशत से अधिक अभिलिखित की गई मांग हेतु, स्थाई प्रभारों को, स्थाई प्रभारों की सामान्य दर के 2 (दो) गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।

आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभारों की बिलिंग का उदाहरण : यदि किसी उपभोक्ता की संविदा मांग 100 केवीए है तथा बिलिंग माह के दौरान अधिकतम मांग 140 केवीए है, तो उपभोक्ता की स्थाई प्रभारों की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी :

(अ) 105 केवीए तक, सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ) पर

(ब) 105 केवीए से अधिक तथा 115 केवीए तक, अर्थात् 10 केवीए हेतु, सामान्य विद्युत–दर की 1.3 गुना दर पर

(स) 115 केवीए से अधिक तथा 140 केवीए तक, अर्थात् 25 केवीए हेतु, सामान्य विद्युत–दर की दो गुना दर पर

iv. **रेलवे कर्षण** के प्रकरण में, उपरोक्तानुसार इस प्रकार गणना की गई आधिक्य मांग, यदि कोई हो, को किसी माह के अंतर्गत निम्न दरों पर प्रभारित किया जायेगा :

(अ) जब अभिलिखित अधिकतम मांग, संविदा मांग का 115% हो तो संविदा मांग से 105 प्रतिशत अधिक मांग पर – रू. 290/– प्रति केवीए की दर से प्रभारित किया जाएगा।

(ब) जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग का 115% से अधिक हो जाए तो उपरोक्त स्थाई प्रभारों के अलावा मांग, संविदा से 15% अधिक को रू. 398 प्रति केवीए की दर से प्रभारित किया जाएगा।

ऐसा करते समय, विद्युत–दर (टैरिफ) के अन्य उपबंध (जैसे कि टैरिफ न्यूनतम प्रभार, आदि) उपरोक्त दर्शाई गई आधिक्य मांग हेतु भी प्रयोज्य होंगे।

v. किसी माह में की गई अधिक मांग की गणना को, मासिक देयकों के साथ प्रभारित किया जाएगा तथा उपभोक्ता को इसका भुगतान करना होगा।

vi. उपभोक्ता को सामान्य विद्युत–दर से अधिक मांग की बिलिंग किया जाना, विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, विद्युत प्रदाय विच्छेद किये जाने संबंधी अनुज्ञप्तिधारी के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।

1.15 **विलंबित भुगतान अधिभार :** देयकों का भुगतान निर्धारित तिथि तक न किये जाने पर, उपभोक्ता को (outstanding) राशि, {बकाया पूर्व की अवशेष (एरियर्स) राशि को जोड़कर}, पर अधिभार का भुगतान 1.00 प्रतिशत प्रतिमाह अथवा उसके किसी अंश की दर से करना होगा। माह के किसी अंश को विलंबित भुगतान अधिभार की गणना के प्रयोजन हेतु पूर्ण माह माना जाएगा। किसी उपभोक्ता के विद्युत संयोजन को स्थाई तौर पर विच्छेदित कर दिये जाने पर, विलंबित भुगतान अधिभार प्रयोज्य न होगा।

1.16 **अनादरित धनादेशों (डिसआनर्ड चेक्स) पर सेवा प्रभार :** ऐसे प्रकरण में, जहां उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये धनादेश (ों) [cheque(s)] को अनादरित (डिसआनर्ड) कर दिया गया हो, वहां नियमों के अनुसार रूपये 1000/– प्रति चेक की दर से सेवा प्रभार, विलंबित भुगतान अधिभार के अतिरिक्त, अधिरोपित किया जाएगा। यह प्रावधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी के बिना किसी पक्षपात सुसंगत कानून के अन्तर्गत, उसके द्वारा कार्रवाई किये जाने के अधिकार के अध्यधीन होगा।

1.17 **उच्चदाब पर अस्थाई विद्युत प्रदाय :** यदि कोई उपभोक्ता किसी अस्थाई अवधि के लिए विद्युत प्रदाय का इच्छुक हो, तो अस्थाई विद्युत प्रदाय को पृथक सेवा माना जाएगा तथा इसे निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रभारित किया जाएगाः

(ए) स्थाई प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार सामान्य टैरिफ दरों की 1.3 गुना दर पर प्रभारित किये जाएंगे। स्थाई प्रभार की वसूली पूर्ण बिलिंग माह अथवा उसके किसी अंश हेतु की जाएगी।

(बी) उपभोक्ता को न्यूनतम खपत (किलोवाट ऑवर में) प्रत्याभूत करनी होगी जैसा कि यह स्थाई उपभोक्ताओं को अनुपातिक आधार पर निम्न दर्शाई गई दिवस संख्या संबंधी विवरण पर प्रयोज्य है :–

$$\text{अस्थाई अवधि हेतु, अतिरिक्त विद्युत प्रदाय हेतु, न्यूनतम खपत} = \frac{\text{स्थाई विद्युत प्रदाय को प्रयोज्य वार्षिक न्यूनतम खपत} \times \text{अस्थाई संयोजन की दिवस संख्या}}{\text{वर्ष के अन्तर्गत दिवस संख्या}}$$

(सी) बिलिंग मांग, उपभोक्ता द्वारा विद्युत प्रदाय अवधि के अंतर्गत संयोजन माह से प्रारंभ होकर बिलिंग माह की समाप्ति तक आवेदित की गई मांग अथवा

उच्चतम मासिक अधिकतम मांग, इनमें से जो भी अधिक हो, होगी। उदाहरण के तौर पर :

माह	अभिलिखित की गई अधिकतम मांग (केवीए में)	बिलिंग मांग (केवीए में)
अप्रैल	100	100
मई	90	100
जून	80	100
जुलाई	110	110
अगस्त	100	110
सितम्बर	80	110
अक्टूबर	90	110
नवम्बर	92	110
दिसम्बर	95	110
जनवरी	120	120
फरवरी	90	120
मार्च	80	120

(डी) उपभोक्ता को अस्थाई संयोजन प्रदान किये जाने से पूर्व, उसे प्राक्कलित प्रभारों का अग्रिम भुगतान करना होगा जो उसके द्वारा समय–समय पर की गई संभूति (Replenishment) के अध्यधीन होगा तथा जिसे संयोजन विच्छेद के उपरान्त अन्तिम देयक में समायोजित किया जाएगा। इस प्रकार की अग्रिम राशि पर ब्याज की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(ई) उपभोक्ता को मीटरिंग प्रणाली हेतु भाड़े का भुगतान करना होगा।

(एफ) संयोजन तथा संयोजन विच्छेद प्रभारों का भुगतान भी करना होगा।

(जी) विद्यमान उच्च दाब उपभोक्ता के प्रकरण में, अस्थाई संयोजन को विद्यमान स्थाई उच्च दाब संयोजन के माध्यम से विद्युत–दर निर्धारण की निम्न पद्धति के अनुसार प्रदान किया जा सकेगाः–

(i) स्थाई प्रभार हेतु सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ) के अनुसार माह हेतु बिलिंग की जाने वाली मानी गई संविदा मांग = स्थाई संयोजन हेतु सामान्य विद्युत–दर पर संविदा मांग (विद्यमान) + अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु, अस्थाई संयोजन हेतु सामान्य विद्युत–दर पर संविदा मांग।

(ii) किसी माह हेतु, बिलिंग मांग टैरिफ आदेशानुसार उक्त माह हेतु, मानी गई संविदा मांग के अनुसार होगी।

(iii) माह के दौरान स्थाई संयोजन की बिलिंग हेतु, खपत (ए) की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$\text{खपत ए} = \frac{\text{संविदा मांग (स्थाई)}}{\text{मानी गई संविदा मांग}} \times \text{कुल खपत}$$

अस्थाई संयोजन हेतु खपत=कुल खपत – (A)

(iv) उपरोक्तानुसार, अस्थाई संयोजन हेतु खपत की गणना, बिलिंग सामान्य ऊर्जा प्रभारों की 1.3 गुना दर पर की जाएगी।

(v) उपरोक्त जी (i) में गणना की गई मानी गई संविदा मांग को आधिक्य मांग माना जाएगा। बिलिंग के प्रयोजन से किसी माह के अन्तर्गत, इस प्रकार की आधिक्य मांग, यदि कोई हो, को अस्थाई संयोजन भार से संबद्ध माना जाएगा तथा इसे सामान्य अस्थाई संयोजन के स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की डेढ़ गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा। अस्थाई संयोजन की अवधि के दौरान लेख्यांकित की गई आधिक्य मांग के अतिरिक्त प्रभारों की गणना निम्नानुसार की जाएगी :

आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार = अस्थाई संयोजन हेतु ऊर्जा प्रभार प्रति केवीए* आधिक्य मांग* 1.5 (डेढ़)

आधिक्य मांग हेतु ऊर्जा प्रभार = अस्थाई संयोजन हेतु प्रति यूनिट ऊर्जा प्रभार * 1.5 (डेढ़) * (आधिक्य मांग/मानी गई संविदा मांग) * कुल खपत

(एच) अस्थाई संयोजन संबंधी खपत पर भार–कारक रियायत (लोड फेक्टर कन्सेशन) अनुज्ञेय नहीं की जाएगी।

(आई) ऊर्जा कारक प्रोत्साहन/अर्थदण्ड स्थाई संयोजन हेतु तथा दिवस के समय (टाईम ऑफ डे) अधिभार/छूट हेतु शर्त स्थाई संयोजन की शर्तों के अनुरूप दरों पर होगी।

स्थाई संयोजन हेतु अन्य निबंधन तथा शर्तें

1.18 विद्यमान 11 केवी उपभोक्ता, जिनकी संविदा मांग 300 केवीए से अधिक हो तथा जो कि 11 केवी पर उसी के अनुरोध पर विद्युत प्रदाय जारी रखना चाहते हों, को माह के दौरान स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की कुल बिलिंग की गई राशि पर 5 प्रतिशत की दर से, अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा।

1.19 विद्यमान 33 केवी उपभोक्ता, जिनकी संविदा मांग 10000 केवीए से अधिक हो तथा जो 33 केवी पर उसी के अनुरोध पर विद्युत प्रदाय जारी रखना चाहते हों, को माह के दौरान स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की कुल बिलिंग की गई राशि पर 3 प्रतिशत की दर से, अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा।

1.20 विद्यमान 132 केवी उपभोक्ता जिनकी संविदा मांग 50000 केवीए से अधिक हो तथा जो 132 केवी पर उसके अनुरोध पर विद्युत प्रदाय जारी रखना चाहते हों, को माह के दौरान स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की कुल बिलिंग की गई राशि पर 2 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा।

1.21 मापयंत्र प्रभारों (metering charges) की बिलिंग मीटरिंग तथा प्रभारों की अनुसूची के अनुसार जैसा कि इसे मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत प्रदाय करने का

अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम) 2009 में विनिर्दिष्ट किया गया है, के अनुसार की जाएगी। माह के एक अंश को बिलिंग के प्रयोजन से पूर्ण माह माना जाएगा।

1.22 विद्युत–दर (टैरिफ) में विद्युत ऊर्जा पर कर (टैक्स), उपकर (सेस) अथवा चुंगी (डूयूटी) सम्मिलित नहीं होती जो कि तत्समय प्रचलित किसी कानून के अनुसार किसी भी समय देय हो सकते हैं। ऐसे प्रभार, यदि लागू हों, तो उपभोक्ता को इनका भुगतान विद्युत–दर (टैरिफ) प्रभारों के अतिरिक्त करना होगा।

1.23 इस विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश की व्याख्या के संबंध में और/या विद्युत–दर (टैरिफ) की प्रयोज्यता के संबंध में, किसी विवाद होने की दशा में, आयोग का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

1.24 विद्युत–दर (टैरिफ) अथवा विद्युत–दर (टैरिफ) संरचना में, उपभोक्ता की किसी भी श्रेणी हेतु, न्यूनतम प्रभारों को सम्मिलित कर, किसी प्रकार के परिवर्तन, सिवाय आयोग की लिखित अनुमति के, अनुज्ञेय न होंगे। आयोग की बिना लिखित अनुमति किये गये किसी आदेश को शून्य तथा अप्रवृत्त माना जाएगा तथा उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध विद्युत अधिनियम, 2003 के की सुसंबद्ध उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।

1.25 यदि कोई उपभोक्ता, उसी के अनुरोध पर, सुसंगत श्रेणी के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई मानक प्रदाय वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय का उपयोग करता हो, तो ऐसी दशा में उसकी बिलिंग उसके द्वारा वास्तविक रूप से उपयोग की गई वोल्टेज के अनुसार की जाएगी तथा उसके द्वारा उच्चतर वोल्टेज उपयोग किये जाने के कारण कोई अतिरिक्त प्रभार उस पर अधिरोपित नहीं किये जाएंगे।

1.26 ऐसे समस्त उपभोक्ताओं को, जिनके लिये स्थाई प्रभार प्रयोज्य है, को प्रत्येक माह में स्थाई प्रभारों का भुगतान करना अनिवार्य होगा, भले ही उनके द्वारा विद्युत ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं।

1.27 यहां पर विनिर्दिष्ट की गई समस्त शर्तें उपभोक्ता को लागू होंगी, भले ही कोई उपबंध, उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के साथ निष्पादित किये गये अनुबंध से विपरीत क्यों न हों।

———